खण्ड-407, अंक-3
मंगलवार, 3 अग्रहायण, शक संवत् 1914
(24 नवम्बर, 1992 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1992)

खण्ड 407 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय			पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को उठाने का प्रयास		...	1
कतिपय सदस्यों का सदन से निष्कासन	...	...	1–2
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को उठाने का प्रयास (जारी)			2–4
सदन से निष्कासित सदस्यों की वापसी	...	...	4–7
प्रश्नोत्तर	...	...	7–102
श्री यदुनाथ सिंह का सदन से निष्कासन	...	...	102–104
श्री यदुनाथ सिंह के सदन से निष्कासन की वापसी		...	104
व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	...	...	104
नियम 311 की सूचनाओं के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न		...	105
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	...	...	105
जनपद मथुरा निवासी कु० कटोरी देवी की समस्याओं के समाधान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	105
उ० प्र० सिंचाई विभाग के अंशकालिका कूप चालकों की दयनीय स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	106
जनपद इलाहाबाद में सिरसा पुल का निर्माण न होने तथा घाट का ठेका निजी ठेकेदारों को देने से उत्पन्न जनाक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			106
जनपद उन्नाव के कतिपय अंचलों में पुलिस अत्याचार बढ़ने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	107
जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम वंशीखेड़ा स्थित ऐतिहासिक गुम्बद की मरम्मत कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		...	107–108
देवरिया जिलान्तर्गत यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन यूनिट, भटनी द्वारा सैकड़ों दुकानें उजाड़े जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		...	108
राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में मुख्य मंत्री द्वारा भाग न लिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	...	...	108–127
मुख्य मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न		...	127–130
सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 14 का अनुपालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	...	...	130–133
सदन में अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों का शासन द्वारा समयबद्ध तरीके से अनुपालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न		...	133–134
शासन द्वारा प्रश्नों का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न			134–136

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम 56, 51 तथा 301 की सूचनाओं का निर्धारित अवधि में शासन द्वारा उत्तर न दिये जाने क सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	136–137
नियम 301, 51 तथा 56 की सूचनाओं पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	137–139
उत्तर प्रदेश वन निगम अधिभार नियमावली, 1992 (सदन के पटल पर रखी गयी)	139
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 एवं 90 (सदन के पटल पर रखा गया)	139
विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ...	139
उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 (सदन के पटल पर रखा गया)	139
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लखनऊ की स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा (वर्ष 1989-90) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	140
उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (1986-87) चौदहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	140
यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्ष 1985-86) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	140
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 68वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	140
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 69वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	140
उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	140
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	141-143
प्रथम सत्र 1992 के चौथे मंगलवर के अतारांकित प्रश्न संख्या–192 का संशोधित उत्तर	143–145
उत्तरांचल क्षेत्र के लिये पृथक उप सेवा संवर्ग के गठन के संबंध में वक्तव्य	145–146
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कौंसिल के निर्वाचन का कार्यक्रम तथा उसमें कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों को मनोनीत करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	146–147
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1992 (पुरःस्थापित) ...	148
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1992 (पुरःस्थापित) ...	148
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा, विधेयक, 1992 (पुरःस्थापित)	148–149

विषय			पृष्ठ संख्या
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	...	...	149–164
कतिपय सदस्यों का निष्कासन तथा वापसी	...	...	164–165
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	...	...	165–174
वित्तीय वर्ष, 1992-93 के अनुपूरक अनुदानों की समेकित मांगों के संबंध में मतदान			175–179
उत्तर प्रदेश विनियोग (1992-93 का अनुपूरक) विधेयक, 1992 (पारित).....			179–191
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992 (पारित)	...	...	191–192
उत्तर प्रदेश उच्चत्तर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1992 (पारित)			192–194
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 (स्वीकृत)		...	194–198
कार्यसूची के मद संख्या 36 से 50 तक का स्थगन	...	....	198–200
नत्थियां			201–218

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 24 नवम्बर, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	प्रीतम सिंह, श्री	मुरादाबाद
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	फतेह बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
अनिल कुमार तिवारी, श्री	फैजाबाद	बाबू खां, श्री	हरदोई
अम्बिका सिंह, श्री	देवरिया	बैजनाथ रावत, श्री	बाराबंकी
अंशोक कुमार, श्री	लखनऊ	भगवत सरन गंगवार, श्री	बरेली
अशोक दुबे, श्री	इटावा	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	मदन भैया, श्री	मेरठ
ऊदल, श्री	वाराणसी	मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
कृष्ण कुमार उर्फ के० के० राज, श्री	इटावा	मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
घुरहू, श्री	बलिया	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
ठाकुर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	राम प्यारे शुक्ल, श्री	सुल्तानपुर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
धर्मपाल यादव उर्फ		विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल	श्याम नारायण, श्री	महराजगंज
निर्वेन्द्र कुमार, श्री	खीरी	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
पतिराज, श्री	आजमगढ़	समीउल्ला, श्री	गोण्डा
प्यारे लाल संखवार, श्री	कानपुर देहात	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 24 नवम्बर, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई है ।

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को उठाने का प्रयास

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह सरकार संविधान की परवाह नहीं कर रही है ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अखिलेश–

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है ।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री श्याद अली, श्री पूरन प्रकाश, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री महक सिंह, श्री धनीराम वर्मा, श्री अखिलेश, श्री सुन्दर लाल, श्री इन्द्र पाल सिंह, श्री बलराम यादव, श्री राम ललित चौधरी, डा० जी० एस० विनोद, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री अरविन्द प्रताप, श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे– "किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संविधान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)"

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपने आसन पर वापस जायं । नियम 56 की जो सूचना है, उसमें आप लोग बोल लीजियेगा ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

आप लोग अपने स्थान पर वापस जायं नहीं तो मुझे नियम 299 के तहत कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

जो लोग सदन के वेल में खड़े हैं, मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि वे लोग अपने-अपने स्थान पर वापस जायं । अन्यथा मुझे नियम 299 के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य लगातार नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

कतिपय सदस्यों का सदन से निष्कासन

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य सदन के वेल में खड़े हैं, मार्शल कृपया उनके नाम नोट कर लें ।

मैं वेल में खड़े सदस्यों से कह रहा हूं कि वे कृपया सदन का त्याग कर दें।

(सदन के फ्लोर पर खड़े माननीय सदस्य नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया) [× × ×]

मैं सदन को साढ़े ग्यारह बजे तक स्थगित करता हूं और मार्शल को यह निर्देश देता हूं कि जो माननीय सदस्य इस समय वेल में हैं, उनको सदन से बाहर कर दिया जाय।

(घोर व्यवधान)

(इसके बाद श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। तदोपरान्त 11 बज कर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को उठाने का प्रयास (क्रमागत)

[नत्थी (क) अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1 के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर]

(घोर व्यवधान के मध्य)

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने लगे जिससे व्यवधान हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में संविधान की हत्या कर दी है जिससे एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। वह अपने स्वार्थ के लिये उत्तर प्रदेश में भीषण रक्तपात कराना चाहती है। मुख्य मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस कुर्सी में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है....

(श्याद अली, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री जी० एस० विनोद व श्री पूरन प्रकाश सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायं और सदन को व्यवस्थित रूप से चलने दें।

(श्री श्याद अली, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री जी० एस० विनोद व श्री पूरन प्रकाश सदन के फ्लोर पर खड़े रहे और बोलते रहे)

आप लोग कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जायं। श्री श्याद अली आप कृपया सदन त्याग दें अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। इस सदन को व्यवस्थित रूप से कृपया आप चलने दें।

नोट :– [× × ×] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री श्याद अली, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री जी० एस० विनोद व श्री पूरन प्रकाश अपने-अपने स्थानों पर जाकर बैठ गये)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है । अयोध्या प्रकरण पर जब एकता परिषद् की बैठक थी तो उसका माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहिष्कार कर दिया । इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग पहले कृपया सदन को नियमानुसार चलने दें । माननीय नेता विरोधी दल कुछ कह रहे हैं, पहले उन्हें सुन लें ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मेरा आपसे यह आग्रह है कि बहुमत की भावना को देखते हुये, क्योंकि विपक्ष एक है, आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है जो गम्भीर संकट पैदा हो गया है, उसको देखते हुए मैं यह चाहूंगा कि इससे बड़ा महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय कोई और नहीं हो सकता है । जब सम्पूर्ण विपक्ष एक है तो आग्रह करूंगा कि सभी कार्यवाही स्थगित करके इसी मसले पर नियम–311 में चर्चा करा लें जिससे सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले । आज स्थिति इतनी गम्भीर हो गयी है कि इसका असर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हिन्दुस्तान में पड़ा है और लोग इससे आशंकित और भयातुर हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि आप बजाय कोई और विषय लें उससे अच्छा तो है कि इस विषय को ले लें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपसे विनम्रतापूवर्क कहना चाहता हूं कि आपने सदन की भावना को तो देख ही लिया होगा । इधर बैठे हुए लोग किस कदर चिन्तित हैं और यह विषय भी काफी गम्भीर है । मौजूदा सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिये भीषण रक्तपात कराना चाहती है, यह सरकार आज अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पा रही है, संविधान की इस सरकार ने हत्या कर दी है और संविधान के विरुद्ध यह सरकार कार्य कर रही है । जब मुख्य मंत्री ही संविधान के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उन्हें एक पल भी कुर्सी में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है । सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि विवादित ढांचे की सुरक्षा के लिये यह सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और आज यह सारा प्रदेश भी जानना चाहता है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि समस्त कार्यवाही को स्थगित करके इस अयोध्या प्रकरण पर चर्चा करा दें। आज यह सरकार अपनी सारी असफलताओं को छिपाने के लिये यह भीषण रक्तपात कर रही है और इसकी मन्दिर बनाने की कोई नीयत नहीं है । मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि कृपया इस प्रकरण पर चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास इस प्रकरण से संबंधित नियम--311 की कई सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ...

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, आज विकास के कार्य बिल्कुल ठप्प हैं, प्रदेश के सारे किसानों को न डीजल मिल रहा है और न बिजली मिल रही है । गन्ना किसानों का उत्पीड़न हो रहा है और उनको पुराने मूल्य

का भुगतान भी नहीं हो रहा है और न आज तक नये रेट्स निर्धारित किये गये हैं। आज ऐसे समय में जब पूरा प्रदेश विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है, अयोध्या मुद्दे को उठाकर इस सरकार ने अपनी असफलता और निरकुंशता को उजागर कर दिया है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जब पूरा प्रदेश समस्याओं में फंसा है, जब हम इन समस्याओं के निराकरण के लिये कुछ सुझाव रखना चाहते है, यह सरकार अयोध्या मुद्दे को उठाकर पूरे प्रदेश की जनता के साथ प्रवंचना कर रही है। आप इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष–

जब आपके कहने के अनुसार सरकार इस विषय को उठाकर प्रवंचना कर रही है, तो फिर आप क्यों इस विषय को उठाना चाहते हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी–

ताकि सम्पूर्ण प्रदेश को इनके स्पष्ट रूख की जानकारी हो जाय।

सदन से निष्कासित सदस्यों की वापसी

श्री अध्यक्ष–

एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि जिन 14 सदस्यों को मैंने बाहर जाने के लिये कहा था, चूंकि उनका व्यवहार इस समय शान्तिपूर्ण है इसलिये मैं निष्कासन आदेश वापस लेता हूं।

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को उठाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

श्रीमन्, यह अच्छा हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी आ गये। हम लोग कभी प्रश्न प्रहर को स्थगित करने के पक्ष में नहीं रहते हैं और हरदम आपके आदेशों का सम्मान करते हैं। श्रीमन् हम लोग संविधान के तहत यहां बैठे हैं और सरकार में बैठे हुए लोग, विशेषकर मुख्य मंत्री जब बाहर भाषण देते हैं तो कहते हैं कि हम संविधान की अवमानना जरूर करेंगे, कारसेवा जरूर होगी और यदि कोई रोकेगा तो बुरे परिणाम होंगे, खून की नदियां बहा दी जायेंगी, ऐसे मुख्य मंत्री को हम लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर श्रीमान यह लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिये पूरे प्रदेश और देश को तहस-नहस करना चाहते हैं तो हम लोग इस विधान सभा के अंदर और विधान सभा के बाहर, प्रदेश की कानून व्यवस्था खत्म करने, संविधान की मर्यादा को नष्ट करने के इनके नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम लोग मजबूर हैं, तब तक इस विधान सभा में दूसरी कोई कार्यवाही हम लोग चलने नहीं देंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। यह इसलिये महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायालय के आदेशों और संविधान दोनों का उल्लंघन हो रहा है। यह सरकार उनका उल्लंघन इसलिये कर रही है क्योंकि विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल ने 6 दिसम्बर से कारसेवा प्रारम्भ करने की घोषणा की है और परोक्ष रूप मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उनका समर्थन कर रही है, जबकि इस सरकार ने संविधान की शपथ भी ली है और उसके अनुसार यह न्यायालय के आदेशों को मानने के लिये बाध्य हैं। न्यायालय ने इस विषय पर स्टे दे रखा है, अतः मेरा आग्रह है कि यह विधान सभा तभी महत्वपूर्ण है, जब यह देश और प्रदेश सुरक्षित हो। आज देश और प्रदेश टूटने की कगार पर है। जनता,

किसान, मजदूर, नौजवान सभी तबाह हैं और अयोध्या मुद्दे को लेकर पूरा देश तनाव में है और यह सरकार असंवैधानिक बातों का समर्थन कर रही है तो क्यों न इस विधान सभा को ही निलम्बित कर दिया जाय और जब तक यह सरकार न्यायालय के आदेशों को नहीं मानती, जब तक हम लोग इस बात के लिये बाध्य हैं कि हम इस विधान सभा को चलने नहीं देंगे, अतः पहले इस विषय पर चर्चा करा ली जाय। हम लोगों ने इस विषय को नियम 311 और 56 में दिया है, इस विषय पर सरकार का स्पष्ट रुख आ जाय और हम लोगों का भी स्पष्ट रुख आ जाय, यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री राम लखन वर्मा–

श्रीमन्, आज इस सदन का सबसे महत्वपूर्ण विषय अयोध्या प्रकरण है। श्रीमन, फैजाबाद जनपद ही नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं, अपितु पूरा देश आज भय और डर से संशंकित है। श्रीमन्, आज देश और प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं है कि कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज है। जब सरकार ही के द्वारा संविधान और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है तो सरकार किसे कह सकते हैं ? मेरा आपसे अनुरोध है कि सारे नियमों का निलम्बन करके ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर जिसका संबंध प्रदेश और देश से है चर्चा करा ली जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री इम्तियाज अहमद–

मान्यवर, विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी 6 दिसम्बर से जो अयोध्या में कारसेवा की घोषणा की गयी है उससे प्रदेश में एक बार फिर भीषण रक्तपात होने की आशंका प्रबल हो गयी है। उससे अल्पसंख्यकों के मन में भारी डर समाया हुआ है। जनता की समस्याओं को हल करने में यह सरकार सभी मोर्चों में विफल रही है उसको छुपाने के लिये ही कार सेवा की घोषणा की गयी है। इससे देश और प्रदेश में बहुत बड़ा संवैधानिक संकट पैदा होने जा रहा है, न्यायपालिका के आदेशों की अवमानना होने जा रही है। ऐसी स्थिति में नियम 56 के अन्तर्गत संयुक्त रूप से संपूर्ण विपक्ष ने एक नोटिस दिया है उस संबंध में मेरा आग्रह है कि इस अयोध्या प्रकरण में जो अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है सम्पूर्ण नियमों को निलम्बित करके अविलम्ब इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री दीनानाथ सिंह यादव–

मान्यवर, 6 तारीख दिसम्बर को कार सेवा की घोषणा से पूरे सूबे में एक अफरातफरी का माहौल व्याप्त हो गया है। किसी एक सम्प्रदाय में नहीं, सारे के सारे सम्प्रदायों में दहशत व्याप्त है और 6 दिसम्बर या उससे पहले ही पता नहीं उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है ? हमने सुना है कि वहां कार सेवा की सामग्री भी पहुंच रही है इससे लोग बहुत परेशान हैं। पूरी तरह से कानून और संविधान का उल्लंधन हो रहा है जिसको हमारी यह सरकार करा रही है। मैं निवेदन करूंगा हमारे सूबे और देश के लिये सबसे अहम सवाल है कि संविधान और अदालत के आदेशों तथा कानून की रक्षा हो। हमारे प्रदेश को इस आग से बचायें और इस संबंध में नियम 56 में इसको सुनें।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, इस समय प्रदेश में न तो कोई संवैधानिक संकट है और न संविधान की अवहेलना हुई है (व्यवधान) मान्यवर, संवैधानिक संकट नहीं चिल्लाहट का संकट यहां पर है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय यदुनाथ सिंह जी आप कृपया बैठ जायं, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मानयवर, व्यवस्था का प्रश्न है । इस महत्वपूर्ण विषय पर हम माननीय मुख्य मंत्री के अलावा किसी को सुनने के लिये तैयार नहीं हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । (व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं तो आप व्यवधान क्यों पैदा कर रहे हैं ? आप लोग शांत रहें और कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप मुख्य मंत्री जी को निर्देशित करें कि वह अपना बयान दें वरना हम दूसरे को सुनने को तैयार नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री को सदन में जबाब देने का अधिकार है । यदि आप इनको नहीं सुनना चाहते तो सदन को छोड़ कर जा सकते हैं । आप लोग कृपया बैठ जायं और अनावश्यक तनाव न पैदा करें ।

(घोर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, आपसे आग्रह है कि अभी इस सदन में कोई डिबेट नहीं शुरु हुआ है, इसलिये आग्रह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपना वक्तव्य डिबेट के बाद दे देंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियमों को निलम्बित किया जाये कि नहीं इस पर संसदीय कार्य मंत्री को पहले आप सुन लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि विपक्ष की एकता को देखते हुए आपको यह निर्णय देना है कि डिबेट सभी कार्य स्थगित करके शुरू की जाये कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि नियम 311 के अन्तर्गत नियमों के निलम्बन का इस समय कोई औचित्य नहीं है, इसलिये मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। नियम 56 के अन्तर्गत जब समय आयेगा तब सुनकर निर्णय दूंगा। इसलिये अब मैं आगे चलता हूं।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नत्थी (क) प्रश्न संख्या–1, शिक्षा मंत्री जी उत्तर दें।

(घोर व्यवधान)

(माध्यमिक शिक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह द्वारा उत्तर पढ़े जाने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

हम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा हैं।

(घोर व्यवधान) जनता दल (अ) के अनेक माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना बहुमूल्य समय खो रहे हैं। कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्य रिपोर्टस मेज को सामने से घेरे हुए पूर्व की भांति बराबर खड़े रहे और नारे भी लगाते रहे कि "आप अयोध्या मसले पर चर्चा कराइये, चर्चा कराइये" और "नियम 311 में आज की कार्यवाही निलम्बित करके इस महत्वपूर्ण मसले पर अभी-अभी चर्चा कराइये।")

श्री अध्यक्ष–

अब यह बहुत हो चुका है, आप लोग कृपया स्थान अपना-अपना ग्रहण करिये।

(घोर व्यवधान)

आप लोग नहीं मान रहे हैं, ऐसी स्थिति में अब मैं सदन को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 52 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया।)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

प्रदेश के परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में नियत वेतन पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (चौकीदार/चपरासी) को अन्य परिषदीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भांति वार्षिक वेतन-वृद्धि का लाभ दिये जाने की मांग

**1–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चौकीदार/चपरासी) वर्षों से नियत वेतन पर कार्यरत हैं एवं उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मियों को अन्य चतुर्थ श्रेणी परिषदीय कर्मचारियों की भांति ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

जी हां ।

जी नहीं ।

चूंकि इन कर्मचारियों को नियत वेतन पर नियुक्त किया गया है, अतः उन्हें वेतन-वृद्धि का लाभ देने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कारागार, लखनऊ से फरार आतंकवादियों के संबंध में विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट एवं कार्यवाही

**2–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22 एवं 23 अगस्त, 1992 की रात जिला कारागार, लखनऊ से जो चार आतंकवादी फरार हो गये थे उसके संबंध में बनायी गयी विभागीय जांच समिति ने दिनांक 7 अक्टूबर, 1992 को जो रिपोर्ट शासन को सौंपी है उसमें किन-किन लोगों को मुख्य रूप से दोषी पाया गया ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार, राजनैतिक पेंशन एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री एजाज रिजवी)–

विभागीय जांच समिति ने दिनांक 7 अक्टूबर, 1992 को जो रिपोर्ट शासन को सौंपी है उसमें निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों को दोषी पाया गया है :–

1–श्री मूल चन्द, बन्दी रक्षक
2–श्री राजदेव शुक्ला, बन्दी रक्षक
3–श्री शिव पूजन, प्रधान बन्दी रक्षक
4–श्री महफूज अली, प्रधान बन्दी रक्षक
5–श्री ओम प्रकाश मिश्र, बन्दी रक्षक
6–श्री हरि नारायण राम, बन्दी रक्षक
7–श्री शारदा प्रसाद पाण्डे, बन्दी रक्षक
8–श्री राधे श्याम सक्सेना, बन्दी रक्षक
9–श्री नरेन्द्र पाल सिंह, बन्दी रक्षक
10–श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा, बन्दी रक्षक
11–श्री राम बिहारी यादव, बन्दी रक्षक

12–श्री गौरी शंकर गिरि, बन्दी रक्षक
13–श्री भृगनन्दन शुक्ला, बन्दी रक्षक
14–श्री राम प्रताप सिंह, बन्दी रक्षक
15–श्री सहदेव अवस्थी, बन्दी रक्षक
16–श्री राम कृपाल तिवारी, बन्दी रक्षक
17–श्री मो० इब्राहिम, बन्दी रक्षक
18–श्री ओ० पी० माथुर, उप कारापाल
19–श्री यू० एन० मिश्र, उप कारापाल
20–श्री एन० एन० श्रीवास्तव, उप कारापाल
21–श्री एस० के० शर्मा, अधीक्षक

उपरोक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :–

1–श्री मूल चन्द, बन्दी रक्षक — निलम्बित किये जा चुके हैं ।
2–श्री राजदेव शुक्ला, बन्दी रक्षक — तदैव
3–श्री शिव पूजन, प्रधान बन्दी रक्षक — तदैव
4–श्री महफूज अली, प्रधान बन्दी रक्षक — तदैव
5–श्री ओम प्रकाश मिश्र, बन्दी रक्षक — तदैव
6–श्री हरि नारायण राम, बन्दी रक्षक — तदैव
7–श्री शारदा प्रसाद पाण्डे, बन्दी रक्षक — तदैव
8–श्री राधे श्याम सक्सेना, बन्दी रक्षक — तदैव
9–श्री नरेन्द्र पाल सिंह, बन्दी रक्षक — निलम्बित करने के आदेश दिये जा रहे हैं ।
10–श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा, बन्दी रक्षक — निलम्बित किये जा चुके हैं ।
11–श्री राम बिहारी यादव — विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जा रहे हैं ।
12–श्री गौरी शंकर गिरि, बन्दी रक्षक — तदैव
13–श्री भृगनन्दन शुक्ला, बन्दी रक्षक — प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने के आदेश दिये जा रहे हैं ।
14–श्री राम प्रताप सिंह, बन्दी रक्षक — पहले से निलम्बित चल रहे हैं ।
15–श्री सहदेव अवस्थी, बन्दी रक्षक — तदैव
16–श्री राम कृपाल तिवारी, बन्दी रक्षक — तदैव
17–श्री मो० इब्राहिम, बन्दी रक्षक — तदैव
18–श्री ओ० पी० माथुर, उप कारापाल — भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दी जा रही है ।
19–श्री यू० एन० मिश्र, उप कारापाल — निलम्बित किया जा रहा है ।
20–श्री एन० एन० श्रीवास्तव, उप कारापाल — निलम्बित हैं तथा टाडा के अंतर्गत बन्द हैं ।
21–श्री एस० के० शर्मा, अधीक्षक — निलम्बित हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के पुर्नगठन की विचाराधीन योजना

*1–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में घटने वाली असामान्य व गैर परम्परागत आपराधिक घटनाओं पर काबू पाने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये क्या पुलिस बल के आधुनिकीकरण व पुनर्गठन की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि इस वित्तीय वर्ष में पुलिस की संख्या में कितनी वृद्धि की जायेगी और कितने नये थाने व पुलिस चौकियां खोली जायेंगी ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जी नहीं ।

पुलिस विभाग में पदों के सृजन पर होने वाले व्यय का वहन आय व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत गत प्राविधानित धनराशि से किया जाता है अतएव यह पूर्व निर्धारित नहीं होता कि किस वर्ष कितने पद सृजित किये जायेंगे ? पदों के सृजन एवं थाना चौकी आदि खोले जाने की कार्यवाही आवश्यकता के आधार पर निर्धारित मानक के अनुसार की जाती है ।

श्री चरन सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष जी० आर० पी० बरेली जंक्शन के विरुद्ध व्यापारियों की शिकायत पर जांच

*2–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व थानाध्यक्ष (श्री चरन सिंह) बरेली जंक्शन के विरुद्ध वर्ष 1991 में सामान लाने वाले मर्चेन्ट्स की शिकायत पर क्षेत्राधिकारी मुरादाबाद (श्री बाल किशन राघव) द्वारा जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? उक्त थानाध्यक्ष को दोषी पाए जाने के बावजूद उनके विरुद्ध मुकदमा कायम न किये जाने का क्या कारण है ? क्या गृह मंत्री जी इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

क्षेत्राधिकारी श्री बालकृष्ण राघव द्वारा जांच की गई थी । श्री चरन सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष जी० आर० पी० बरेली जंक्शान के विरुद्ध व्यापारियों की शिकायत पर जांच नहीं की गई, अपितु गुमनाम शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें 37 व्यापारियों से मासिक रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था । शिकायती पत्र में कुल 13 आरोप लगाये गये थे ।

जांच के उपरान्त थानाध्यक्ष श्री चरन सिंह को चेतावनी दी जा चुकी है तथा कान्सटेबिल शाहिन अख्तर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अपराध दर्ज किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है । श्री चरन सिंह का स्थानान्तरण जी० आर० पी० से जनपद नैनीताल कर दिया गया है । उनके विरुद्ध प्रस्तावित निन्दा प्रविष्टि अंकित करने विषयक विभागीय कार्यवाही को जनपद नैनीताल को स्थानान्तरित करने हेतु पुलिस मुख्यालय को कहा गया है ।

मंगलवार दि० 24 नवम्बर, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न–

श्री ननकऊ पुत्र श्री राम आनन्द निवासी ग्राम-मठिया, थाना–कुमारगंज, जनपद फैजाबाद के घर में डकैती की घटना एवं अंकित सूचना रिपोर्ट

*1–श्री भगवन्त प्रसाद–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 26-2-92 की रात में श्री ननकऊ पुत्र श्री राम आनन्द निवासी ग्राम-मठिया, थाना–कुमारगंज, जनपद फैजाबाद के घर में डकैती की कोई घटना घटित हुई है जिसकी नामजद रिपोर्ट उपरोक्त थाने में अंकित करायी गयी है ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट किन-किन धाराओं में अंकित की गयी है ? अब तक कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि घर के समीप लाइसेंसी बन्दूकधारी की सांठ-गांठ से उक्त घटता घटित हुई, जिसमें उक्त बन्दूकधारी ने डकैती से बचाव हेतु अपनी बन्दूक का प्रयोग नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या उक्त लाइसेंस निरस्त कर बन्दूक जमा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 394 भा०दं०वि० के अन्तर्गत अंकित की गयी है ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त छत्रपाल व जगन्नाथ को गिरफ्तार किया गया है तथा अभियुक्त भवानी ने 25/03/92 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया ।

वादी के घर के समीप श्री कन्हैया बक्श सिंह का घर है जिनके नाम एसबीपीएल गन 12 बोर का लाइसेंस है जो दिनांक 31-12-1992 तक वैध है । यह कहना गलत है कि घर के समीप लाइसेंस बन्दूकधारी की सांठ-गांठ से उक्त घटना घटित हुई है । घटना के समय उक्त लाइसेंस बन्दूक से दो फायर किये गये थे । अतः लाइसेंस को निरस्त करके बन्दूक जमा कराने का कोई औचित्य नहीं बनता है ।

तीर्थ स्थल काशी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या पर्यटन एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीर्थ स्थल काशी को सुन्दर व स्वच्छ बनाये जाने व एक अति महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु सरकार के समक्ष कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

जी हा ।

तीर्थ स्थल काशी को सुन्दर व स्वच्छ बनाये जाने हेतु एवं एक अति महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना तैयार की गयी है जिसके अन्तर्गत वर्तमान में निम्न कार्य कराये जाने का निर्णय लिया जा चुका है :–

(1) राजेन्द्र प्रसाद घाट पर खुले मंच का निर्माण
(2) रैन वसेरा का निर्माण
(3) प्रमुख कुण्डों का विकास
(4) विश्वनाथ द्वार का निर्माण
(5) पंचकोशी तीर्थ मार्ग का सौन्दर्यीकरण

(6) भारत माता मन्दिर का विकास
(7) मार्ग नाम पट्टी
(8) विभिन्न घाटों पर छतरियां लगाना
(9) पर्यटक स्वागत कक्ष का निर्माण

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गोण्डा के थाना-छपिया के ग्राम महरागौरा के निवासी श्री वासुदेव तिवारी को घायल करने संबंधी प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन

*3–श्री महराज सिंह यादव, श्री जागेश्वर प्रसाद तथा श्री राम चरित्तर–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 18 जून, 1990 को श्री वासुदेव तिवारी, निवासी ग्राम महरागौरा, थाना छपिया, जनपद गोण्डा द्वारा ग्राम प्रधान, महरागौरा व थाना, जिला-उपरोक्त श्री हरीराम तिवारी पुत्र स्व० राम बोध तिवारी आदि के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी, जिसमें इस बात की स्पष्ट शिकायत की गयी थी कि ग्राम प्रधान श्री तिवारी द्वारा अपनी लाइसेंसी बन्दूक से श्री वासुदेव तिवारी को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया है तथा अन्य लोगों को भी घायल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उस मामले में अब तक श्री हरीराम तिवारी को गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि श्री हरीराम तिवारी का नाम वाद से निकाल दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रधान को तत्काल गिरफ्तार कराकर उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही पर विचार करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । प्रथम सूचना रिपोर्ट उनके सगे भाई श्री राम शंकर त्रिपाठी द्वारा श्री हरीराम तिवारी पुत्र स्व० श्री राम बोध तिवारी आदि के विरुद्ध थाना छपिया गोण्डा में इस आशय की दर्ज करायी गयी थी ।

जी नहीं ।

श्री हरीराम तिवारी ने अपनी बन्दूक से फायर नहीं किया बल्कि उसके नाती विवेक द्वारा फायर किया गया जिसका चालान दिनांक 31-7-90 को किया जा चुका है । प्रकरण विचाराधीन न्यायालय है ।

विवेचना से श्री हरीराम तिवारी के विरुद्ध साक्ष्य न मिलने के कारण न तो उन्हें गिरफ्तार किया और न ही उनका चालान किया गया । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० में कार्यरत चौकीदारों को म० प्र० की भांति वेतन तथा सेवा शर्तें देने की मांग

*4–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के करीब 60 हजार चौकीदारों को मध्य प्रदेश सरकार की भांति वेतन एवं सेवा शर्तें दी जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सुरक्षा हेतु प्रत्येक गांव में चौकीदारों को शस्त्र लाइसेंस भी दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिलाधिकारियों को शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मण्डल स्तर के शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने के अधिकार शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 1992 द्वारा प्रदान किये गये हैं । इस नीति के अन्तर्गत चौकीदारों को भी शस्त्र लाइसेंस दिये जा सकते हैं ।

जनपद लखनऊ के खेलकूद निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

*5–श्री कटार सिंह–

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1984 से दैनिक वेतन पर कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, खेलकूद निदेशालय, लखनऊ में कार्यरत हैं ? उन्हें अब तक नियमित न किये जाने का क्या कारण हैं ? उक्त अल्प वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान, युवा कल्याण एवं खेलकूद राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

वर्ष 1984 से 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी खेल निदेशालय में दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं । दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की कोई नीति नहीं है ।

जनपद जौनपुर के थाना-लाइन बाजार के ग्राम जगदीशपट्टी के श्री शम्भू पटेल के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाना

*6–श्री राम प्रसाद सिंह

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जौनपुर के थाना लाइन बाजार, ग्राम जगदीशपट्टी के शम्भू पटेल ने दिनांक 5-5-90 को पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को सम्बोधित एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, वाराणसी व मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को पृष्ठांकित आवेदन-पत्र दिया गया है ? क्या पुनः दिनांक 7-5-90, 25-5-90 एवं 8-6-90 को स्मरण पत्र उक्त को दिया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि अपने आवेदन-पत्र में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया है कि उसके भाई पारस नाथ ने बद्री प्रसाद मिश्रा, भू० पू० थानाध्यक्ष, जक्टाघाट, जिला जौनपुर के विरुद्ध धारा-307 के मुकदमें में गवाही दी है ? क्या उस थानाध्यक्ष का थानाध्यक्ष नेवदिया श्री एस० पी० पाण्डे के यहां आना-जाना एवं मेल मार्फत है ? यदि हां, तो क्या उक्त तथ्यों का परीक्षण किया गया है ? क्या उक्त के साथ-साथ माल की रसीदें एवं चोटों आदि का मुआइना के साक्ष्य आवेदक व उसके भतीजे अशोक कुमार द्वारा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को दिया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच अपराध अनुसन्धान शाखा से करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्या अब करायी जायेगी ।

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

दिनांक 25-5-90 का स्मरण-पत्र प्राप्त हुआ ।

मामले की जांच क्षेत्राधिकारी, मड़ियाहू से करायी गयी । विवेचना से शम्भू पटेल प्रकाश में आया और चोरी का माल इसके गांव के रेलवे क्वार्टर से बरामद हुआ । अतः इसे गिरफ्तार करके आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, आवेदन-पत्र में गवाही देने एवं थानाध्यक्ष के यहां आने-जाने के आरोपों का उल्लेख था, किन्तु जांच से ये आरोप सत्य नहीं पाये गये । आवेदक एवं उसके भतीजे अशोक कुमार द्वारा माल की

रसीदें एवं चोटों आदि का मुआइना साक्ष्य हेतु तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को दिया जाना अभिलेखों से प्रमाणित नहीं हुआ ।

जी नहीं ।

इसका औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

*7–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[पहले सोमवार में तारांकित प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत ग्राम-हलियापुर थाना हलियापुर में सवर्णों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर प्राण-घातक हमला एवं अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

*8–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 19-3-92 को होली के दिन ग्राम-हलियापुर, थाना-हलियापुर, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति उत्पीड़न की कोई संगीन आपराधिक घटना घटित हुई है जिसमें सवर्ण सामन्तों ने हथियारों से लैस होकर अनुसूचित जाति के सोलह घरों में आग लगाकर फूंक दिया और अनुसूचित जाति के लोगों पर प्राणघातक हमला करके लगभग 12 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया है ? यदि हां, तो उक्त घटना की रिपोर्ट कब और किन-किन धाराओं में अंकित की गयी तथा अब तक अभियुक्तों के विरुद्ध कौन-कौन सी प्रभावी कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 19-3-1992 को लगभग 3.00 बजे अरुण कुमार सिंह उर्फ रविमणि सिंह आदि अनुसूचित जाति बस्ती में गालियां देते हुए आये । आपत्ति किये जाने के फलस्वरूप उक्त दोनों पक्षों के लोगों के मध्य विवाद हुआ ।

प्राप्त सूचना के अनुसार एक व्यक्ति को गम्भीर चोट आयी ।

प्रश्नगत मामले में दिनांक 19-3-92 को थाना हलियापुर पर मु० आ० सं० 25/92 अन्तर्गत धारा 147/436/352/304/323 भा० दं० वि० (3) अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किया गया ।

अभियुक्त अरुण कुमार सिंह को दिनांक 19-3-92 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गंया और शेष 7 अभियुक्तों द्वारा दिनांक 24-3-92 को न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण किया गया । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 6-4-1992 को आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

सचिवालय में कार्यरत विशेष सचिव, सचिव तथा प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा अपने आस्तियों एवं दायित्वों का विवरण न प्रस्तुत करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

*9–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सचिवालय में विशेष सचिव, सचिव तथा प्रमुख सचिव स्तर के कुल कितने अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने सचिवालय में नियुक्ति की तिथि को एवं तदुपरान्त आज तक अपने आस्तियों एवं दायित्वों का विवरण शासन को नहीं प्रस्तुत किया है ? क्या मुख्य मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16(2) के अन्तर्गत आई० ए० एस० अधिकारियों को प्रतिवर्ष अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होता है । इस समय सचिवालय में विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव के पदों पर तैनात 100 आई० ए० एस० अधिकारियों में से 49 अधिकारियों से यह विवरण प्राप्त होना शेष है । सभी अधिकारियों को उक्त विवरण तुरन्त उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

संबंधित अधिकारियों को पुनः कड़े निर्देश दिये जा रहे हैं कि 15-12-92 तक विवरण उपलब्ध करा दें अन्यथा आचरण नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

पुलिस विभाग में विभिन्न प्रकोष्ठों में 5 वर्ष का समय पूरा कराने के बाद पुलिस इंस्पेक्टरों के सिविल पुलिस में स्थानान्तरण न किये जाने के कारण

*10–श्री लाल जी वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस विभाग के विभिन्न प्रकोष्ठों में 5 वर्ष का समय पूरा कर लेने के बाद भी पुलिस इंस्पेक्टरों को सिविल पुलिस में स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि पूरी न करने वाले अनेक इंस्पेक्टरों के स्थानान्तरण किये गये हैं ? यदि हां, तो स्थानान्तरण का आधार क्या बनाया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपदीय शाखा में निरीक्षक, ना० पु० की रिक्ति उपलब्ध न रहने तथा 53 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण करने के कारण अजनपदीय शाखा में 5 वर्ष पूर्ण किये निरीक्षकों को जिला पुलिस में समायोजित करना सम्भव नहीं हो पाता है ।

यह सही है कि अजनपदीय शाखा में 5 वर्ष अवधि पूर्ण न किये गये कतिपय निरीक्षक, जिला पुलिस में नियुक्त हैं । निरीक्षकों के लिए अजनपदीय शाखा में नियुक्त न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि निर्धारित है ।

5 वर्ष की अवधि पूर्ण न किये कतिपय निरीक्षकों को प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में अजनपदीय से जिला पुलिस में स्थानान्तरित किया जाता है ।

प्रदेश में आतंकवाद की घटना से मृतकों की संख्या आश्रितों को दी गयी सहायता एवं आतंकवाद से निपटने के लिए शासन द्वारा किये गये उपायों का विवरण

*11–श्री सैय्यद कासिम–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जून, 1991 के बाद प्रदेश में आतंकवाद की घटनाओं में कितने लोगों की मौतें हुई हैं ? मृतकों के आश्रितों को शासन द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? आतंकवाद से निपटने के लिए शासन द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

उपलब्ध सूचनानुसार जुलाई, 1991 से अक्टूबर, 1992 की अवधि में प्रदेश में आतंकवाद की घटनाओं में 335 लोगों की मौतें हुई हैं ।

मृतकों के आश्रितों को शासन द्वारा रु० 50,65,000.00 (रुपये पचास लाख पैंसठ हजार) की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ।

आतंकवाद से निपटने के लिए शासन द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं । एक व्यापक योजना के अन्तर्गत आतंकवाद प्रभावित जनपदों में पुलिस एवं अभिसूचना विभाग की जनशक्ति, संसाधनों, संचार माध्यमों, अस्त्र-शस्त्रादि में वृद्धि करके उन्हें सुदृढ़ एवं सक्षम बनाया गया है । दो नयी टास्क फोर्स पी० ए०सी० वाहिनियों का गठन करके उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं संसाधनों/संचार माध्यमों एवं आधुनिक अस्त्र-शस्त्रादि से सुसज्जित करने का प्रयास किया गया है । प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय बलों को तैनात किया गया है । इसके अतिरिक्त केन्द्र से भी वांछित सहायता मांगी गयी है ।

जनपद एटा क्षेत्र के अन्तर्गत थाना पटियाली में पुलिस मुठभेड़ में डकैत नब्बा यादव एवं उसके गिरोह का सफाया किया जाना एवं पुलिस कर्मियों को पुरस्कार एवं प्रोन्नति

*12–श्री अवध पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा की पुलिस ने 10 मार्च, 92 को दिन के 11 बजे से 5 बजे तक पुलिस मुठभेड़ करके नब्बा यादव, डकैत गिरोह का सफाया किया, जिसमें 7 डकैत मारे गये? क्या निश्चित इनाम के अलावा उ० प्र० सरकार की तरफ से कोई भी अन्य पुरस्कार बहादुर पुलिस को नहीं दिया गया है ? क्या इस मुठभेड़ में सर्किल अफसर श्री चतुर्वेदी घायल हुए व क्षेत्र की जनता ने पुलिस का कई जगह अभिनन्दन किया और इनाम दिया ? क्या जनता ने स्वयं अपने पास से 1000 रु० इनाम दिया । क्या इस सराहनीय कार्य को करने वाले थानाध्यक्ष श्री आले हसन थाना सहावर तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मवीर सिंह को, जो इस गिरोह के सफाये के प्रमुख कर्ताधर्ता थे तथा एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ओ० पी० दीक्षित एवं एडीशनल एस० पी०, श्री धुसिया तथा सी० ओ० श्री बी० के० चतुर्वेदी को सरकार प्रमोशन देगी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10-3-92 को थाना पटियाली, जनपद एटा क्षेत्र के अन्तर्गत नब्बा उर्फ नबाब सिंह गैंग के साथ दिन के समय पुलिस मुठभेड़ हुई जो दिन की रोशनी में लगभग 6 घण्टे तक चली । इस मुठभेड़ में 7 बदमाश मौके पर मारे गये । घटना के संबंध में थाना पटियाली पर मु० अ० सं० 50 से 57/92 धारा 147, 148, 149, 307 भा० दं० वि० तथा 25/27 आर्म्स ऐक्ट का पंजीकृत हुआ । उक्त मुठभेड़ में प्रदर्शित वीरता के लिए पुलिस कर्मियों को पुरस्कार स्वरूप 10,000 रु० की धनराशि प्रदान किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं । मुठभेड़ में बहादुरी के लिए पुरस्कार देने के संबंध में कोई धनराशि निश्चित नहीं है ।

प्रश्नगत मुठभेड़ में श्री वी० के० चतुर्वेदी क्षेत्राधिकारी महरारा, जनपद एटा घायल हुए थे ? क्षेत्रीय जनता ने पुलिस कर्मियों का कई जगह अभिनन्दन कर प्रशंसा की थी ! क्षेत्रीय जनता ने इस प्रशंसनीय मुठभेड़ के लिए पुलिस कर्मियों को कुल रु० 12,512 का पुरस्कार प्रदान किया था जो कोषागार में जमा किया जा चुका है एवं इसकी स्वीकृति का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्नगत प्रकरण में थानाध्यक्ष, श्री आले हसन थाना सहावर तथा थानाध्यक्ष, श्री धर्मवीर सिंह को प्रोन्नत किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को इस प्रकार के मामलों में प्रोन्नति देने का प्राविधान नहीं है । आई० पी० एस० अधिकारियों की प्रोन्नति के विषय में भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित सेवा काल पूर्ण होने के उपरान्त ही विचार किया जा सकता है ।

उ० प्र० पुलिस पर कैलेण्डर वर्ष की तिमाही में लगाये गये फर्जी आरोप इनकाउन्टर/हिरासत में मौतों की संख्या एवं पुलिस की कथित हमलावर प्रवृत्ति पर नियंत्रण के संबंध में किये गये उपाय की जानकारी देने की मांग

*13–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कैलेण्डर वर्ष 1992 के माह अप्रैल, मई, जून की तिमाही में उ० प्र० पुलिस पर ऐसे कितने आरोप फर्जी एनकाउण्टर/हिरासत में मृत्यु के लगाये है, जिनमें मृत व्यक्ति का आपराधिक इतिहास तीन से कम मुकदमों का था ? सरकार ने पुलिस की कथित हमलावर प्रवृत्ति पर नियंत्रण के संबंध में क्या उपाय किये हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में अवैध रूप से आग्नेयास्त्र एवं धारदार हथियारों के निर्माण की रोकथाम की नीति

*14–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या सरकार भयमुक्त समाज एवं दंगा रहित प्रदेश की स्थापना के लिए प्रदेश स्तर पर अनाधिकृत रूप में आग्नेयास्त्र एवं धारदार हथियारों के निर्माण को प्रभावी ढंग से रोकने की कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार ऐसे लोगों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करेगी, विशेष जांच के दौरान पकड़ में आयेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

वर्तमान में प्रचलित आयुध अधिनियम एवं नियमावली में अवैध रूप से आग्नेयास्त्र एवं धारदार हथियारों की रोकथाम के लिए पर्याप्त व्यवस्था है । इनका प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से वर्तमान शासन द्वारा एक गोपनीय आदेश भी प्रसारित किया गया है ।

आग्नेयास्त्र के अवैध निर्माण के संबंध में जो अभियुक्त पकड़े जाते हैं उनके विरुद्ध प्रचलित आयुध अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाती है । अतः ऐसे व्यक्तियों की सूची प्रकाशित किये जाने की न तो आवश्यकता है और न ही कोई औचित्य है ।

*15–श्री गामा राम शास्त्री–

[नवें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजनैतिक दल विशेष के कार्यकर्ताओं को राम सनेही घाट बाराबंकी में गिरफ्तार किये जाने के कारण

*16–श्री इकबाल महमूद

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 29 अक्टूबर, 1991 को एक राजनैतिक दल विशेष के कार्यकर्ताओं को रामसनेही घाट, बाराबंकी में गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के काफिले के कुल 318 व्यक्तियों को धारा 151 जा० फौ० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था ।

शान्ति भंग की आशंका को देखते हुए उक्त गिरफ्तारियां की गयी थीं ।

आगरा में प्रस्तावित और शिलान्याशित स्व० डोरी लाल स्मृति सभागार के जे० पी० ग्रुप के साथ मिलकर निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव एवं निर्माण कार्य कराये जाने की मांग

*17–श्री विजय सिंह राणा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में प्रस्तावित और शिलान्याशित स्व० डोरी लाल स्मृति सभागार के जे० पी० ग्रुप के साथ मिलकर निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव अंतिम रूप से स्वीकृत हो गया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी संकुल एवं पांच सितारा होटल के निर्माण हेतु पर्यटन निगम को उपलब्ध करायी गयी भूमि श्रीमन्त जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि० को लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

निगम एवं श्रीमन्त जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि० के मध्य हुए अनुबन्ध के प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि उपलब्ध कराने की तिथि से श्रीमन्त जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि० को निर्माण कार्य 30 माह की अवधि के अन्दर पूर्ण कराया जाना है । अनुबन्ध प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 20 जुलाई, 1992 को श्रीमन्त जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि० को उक्त निर्माण कार्य हेतु भूमि सौंप दी गयी है ।

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्माल स्केल इण्डस्ट्री हेतु बैंक से प्राप्त ऋण पर ब्याज दिये जाने का प्रकरण

*18–श्री गंगा भक्त सिंह–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने सन् 1981 में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया सुल्तानपुर को यह लिख कर दिया था कि स्माल स्केल इण्डस्ट्री के अन्तर्गत बैंक जो ऋण उपलब्ध करायेगी उसमें ऋण प्राप्त कर्ता को केवल 4 प्रतिशत ब्याज ही देय होगा शेष ब्याज के रूप में खादी बोर्ड देगा ? यदि हां, तो क्या आज तक ब्याज उपादान के रूप में धन बैंक को दिया गया जबकि इस व्यय भार से उद्योग बन्द हो रहे हैं ? यदि धन दिया जायेगा, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की कताई मिल अकबरपुर के बन्द होने के कारण एवं उत्पादन की हुई क्षति तथा उसे पुनः चालू करने की योजना

*19–श्री राम लखन वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जनपद की कताई मिल अकबरपुर कब से और क्यों बन्द है तथा अब तक कितने उत्पादन की क्षति हुई है ? क्या उक्त मिल को पुनः चालू करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो मिल कब से उत्पादन शुरू कर देगी ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की अकबरपुर जनपद के फैजाबाद स्थित कताई मिल में दिनांक 11-6-90 से तालाबन्दी चल रही है ।

दिनांक 12 जून, 1990 से अगस्त, 1992 तक लगभग 1 करोड़ 61 लाख कि०ग्रा० सूत के उत्पादन की क्षति हुई है ।

मिल में श्रमिक स्थिति में सुधार शुरू होने तक उत्पादन शुरू करना सम्भव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारी संवर्ग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को भरे जाने की मांग

*20–श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारी संवर्ग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का आरक्षित कोटा पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित अनुभाग अधिकारियों तथा अनुभाग अधिकारी की रिक्त के विरुद्ध कार्य कर रहे इस संवर्ग के प्रवर वर्ग सहायकों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण पिछले दस वर्षों से इन वर्गों के लिए आरक्षित अनुभाग अधिकारी के पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो इन वर्गों के लिए कौन-कौन से अनुभाग रिक्त रखे गये हैं ? क्या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में अनुभाग अधिकारियों के पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरने की कार्यवाही सरकार कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० सचिवालय में अनुभाग अधिकारी संवर्ग के अनुसूचित जाति के अनुभाग अधिकारियों तथा अनुभाग अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अनुसूचित जाति के प्रवर वर्ग सहायकों को सम्मिलित कर अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूर्ण है । परन्तु अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो पाने के कारण अनुभाग अधिकारी संवर्ग में अनुसूचित जनजाति का कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका है । अनुसूचित जाति के अनुभाग अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अनुसूचित जाति के प्रवर वर्ग सहायकों की सूची (परिशिष्ट "क") संलग्न है ।

अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो पाने के कारण इस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए चार पद आरक्षित रखे गये हैं । उक्त पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं वरन् वरिष्ठतम् प्रवर वर्ग के सहायक अपने कार्य के अतिरिक्त अनुभाग अधिकारी के पद का कार्य भी कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें निर्धारित दर से मानदेय अनुमन्य है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 201–202 पर)

अतारांकित प्रश्न

1–श्री लीला राम शर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बम्बई से प्रकाशित ब्लिट्ज के अलीगढ़ स्थिति संवाददाता श्री शैलेन्द्र कुल श्रेष्ठ को आबकारी आयुक्त (सहायक) श्री रघुबीर सिंह द्वारा जान से मारने की धमकी एवं उसके खिलाफ की गयी कार्यवाही

2–श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई से प्रकाशित साप्ताहिक ब्लिट्ज के अलीगढ़ स्थिति संवाददाता श्री शैलेन्द्र कुलश्रेष्ठ को अलीगढ़ में आबकारी आयुक्त (सहायक) श्री रघुबीर सिंह ने 31 दिसम्बर की शाम को जान से मारने की धमकी दी थी ? यदि हां, तो क्या उनकी सुरक्षा हेतु शासन

ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उस दिन मारने की धमकी देने वाले सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ कोई मामला पुलिस में दर्ज कराया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत विषय में श्री कुलश्रेष्ठ द्वारा की गयी शिकायतों की जांच संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ जोन द्वारा भी करायी गयी थी । श्री रघुबीर सिंह सहायक आबकारी आयुक्त कथनानुसार श्री कुलश्रेष्ठ को जान से मारने की कोई धमकी श्री रघुबीर सिंह द्वारा नहीं दी गयी हैं । श्री रघुबीर सिंह ने इस संबंध में लिखित रूप से संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ जोन को अपने पत्र द्वारा सूचित किया है । श्री कुलश्रेष्ठ द्वारा सहायक आबकारी आयुक्त के विरुद्ध थाना स्तर पर इस प्रकार की कोई सूचना अंकित नहीं करायी गयी थी ।

पुलिस विभाग में अराजपत्रित अधिकारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में क्रिमिनल केस चलने पर उन्हें चार्ज पर रखने की प्रक्रिया में भिन्नता के कारण

3–श्री राम सरन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब पुलिस विभाग एक ही है तो क्या कारण है कि अराजपत्रित अधिकारी के खिलाफ न्यायालय में क्रिमिनल केस चलने पर उसे चार्ज पर नहीं रखा जाता, जबकि राजपत्रित अधिकारी को विभागाध्यक्ष बनाकर जनपदों में रखा जा सकता है ? किन नियमों के आधार पर एक ही विभाग को दो हिस्सों में मानते हुए प्रक्रिया में यह भिन्नता है ?

श्री कल्याण सिंह–

पुलिस विभाग में अराजपत्रित अधिकारियों को गुण व दोष तथा आयु-सीमा के आधार पर एवं न्यायालय में क्रिमिनल केस विचाराधीन रहने पर थाने के चार्ज से हटाये जाने की प्रक्रिया प्रचलित है । राजपत्रित अधिकारियों को क्रिमिनल केस लम्बित रहते हुए जनपदों में कार्यालयाध्यक्ष के रूप में नियुक्त न करने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, किन्तु नियुक्तियों के समय इसका ध्यान रखा जाता है कि अनुपयुक्त व्यक्ति को महत्वपूर्ण पदों पर न रखा जाय । वैसे भी राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती के स्रोत, इनकी सेवा शर्तें व उनके संबंध में लागू होने वाली नियमावलियां भिन्न-भिन्न हैं । अतः सेवा शर्तों में कुछ विभेद होना अस्वाभाविक नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर के सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम सिंह 'बागीश' निवासी ग्राम घरवासपर, थाना अदलहाट को जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत लाइसेंस को अविलम्ब जारी किये जाने की मांग

4–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह तथा श्री भागवत पाल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम सिंह "बागीश" निवासी-ग्राम-घरवासपर, थाना-अदलहाट ने आत्मरक्षार्थ एक रायफल लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और जिलाधिकारी मिर्जापुर ने सम्यक् जांचोपरान्त् शासन को लाइसेंस प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की है तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद जिलाधिकारी ने दिनांक 10-6-91 को लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत लाइसेंस अभी तक जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ? जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत लाइसेंस जारी न किये जाने के बारे में शासन की नीति क्या है ? क्या सरकार जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत लाइसेंस अविलम्ब जारी करने हेतु आवश्यक निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर से प्राप्त सूचनानुसार श्री राम सिंह "बागीश" को राइफल का लाइसेंस दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है । आयुध नियमावली, 1962 के अनुसार निर्धारित औपचरिकतायें ज्यों ही आवेदक द्वारा पूर्ण कर दी जायेंगी, उन्हें लाइसेंस निर्गत कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के थाना माण्डा के अन्तर्गत फर्जी पता दिखाकर आग्नेयास्त्र के लिए जारी लाइसेंस सं० 6881 की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

5–श्री राजेन्द्र सिंह (बिजनौर)–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के थाना माण्डा के अन्तर्गत फर्जी पता दिखाकर आग्नेयास्त्र का लाइसेंस नं० 6881 जारी कराया गया है ? यदि हां, तो क्या गलत पतों के आधार पर आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस देने के मामलों की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री हरिभान सिंह निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना सराय इनायत जनपद इलाहाबाद को बन्दूक का लाइसेंस संख्या–6881 थाना माण्डा जिला इलाहाबाद जारी किया गया है ।

संबंधित प्रकरण में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र इलाहाबाद जांच कर रहे हैं ।

वित्तीय वर्षों में राजकीय कालोनी बादशाह नगर लखनऊ के सोक पीटों एवं मेनहोलों की सफाई पर तथा आवासीय ब्लाकों की रंगाई/पुताई पर हुए व्यय का विवरण

6–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 89-90 , 90-91 तथा 91-92 में राजकीय कालोनी बादशाह नगर लखनऊ के सोक पीटों एवं मेनहोलों की सफाई पर कितना धन व्यय किया गया ? आवासीय ब्लाकों की बाहरी सतह की रंगाई/पुताई पर कितना व्यय किया गया ? किन-किन ब्लाकों की बाहरी सतह की रंगाई/पुताई की गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य में शिथिलीकरण तथा अनियमितता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत कालोनी में सोक पीटों एवं मेनहोलों की सफाई पर वित्तीय वर्ष 89-90, 90-91 तथा 91-92 में क्रमशः रुपया-शून्य, रुपया 5,462.00 एवं रुपया 9,456.00 व्यय किया गया ।

प्रश्नगत कालोनी के ब्लाकों की बाहरी सतह की रंगाई/पुताई पर वर्ष 89-90, 90-91 एवं 91-92 में क्रमशः रुपया शून्य, रुपया 1,39,491.00 तथा रुपया 19,102.00 मात्र व्यय किया गया ।

प्रश्नगत कालोनी के न्यू ब्लाक संख्या–1 से 7, यू टाइप के ब्लाक संख्या–1 से 19, टाइप–3 के दो ब्लाक तथा एल टाइप के ब्लाक संख्या–1 से 9 तक के बाहरी सतह पर पुताई करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तत्कालीन निदेशक, उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम तथा प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० लघु उद्योग निगम कानपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शासन को प्राप्त रिपोर्ट एवं कार्यवाही

7–श्री हरिवंश सहाय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन निदेशक, उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम तथा प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० लघु उद्योग निगम कानपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी अंतरिम जांच रिपोर्ट शासन को दिनांक 1-2-91 को अपर निदेशक, उ० प्र० सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ द्वारा प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में किन-किन बिन्दुओं पर प्रबन्ध निदेशक दोषी पाये गये हैं ? उस पर कौन सी कार्यवाही अब तक की गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

अभी जांच अंतिम रूप से पूर्ण नहीं हुई है, अतः सतर्कता विभाग के अनुसार जांच पूर्ण होने के पश्चात् इस संबंध में निर्णय लेना उचित होगा ।

8–श्री हरिवंश सहाय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन निदेशक, उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम तथा प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० लघु उद्योग निगम कानपुर के विरुद्ध चल रही खुली सतर्कता जांच को शासन ने दिनांक 13 मई, 1991 को स्थगित कर दिया है ? यदि हां, तो जांच का आदेश किन-किन कारणों से हुआ था ? क्या इनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया दोष प्रमाणित हो चुका है ?

श्री कल्याण सिंह–

तत्कालीन निदेशक, उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम तथा प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० लघु उद्योग निगम, कानपुर के विरुद्ध चल रही खुली सतर्कता जांच को शासन के आदेश दिनांक 15 मई, 1991 द्वारा स्थगित किया गया था ।

जांच के आदेश/प्रबन्ध निदेशक द्वारा पद का दुरुपयोग कर शासन को हानि पहुंचाने और भ्रष्टाचार आदि के आरोपों की जांच कराने हेतु हुए थे ।

जांच पूर्ण कराने के आदेश दिनांक 6-5-92 को पुनः दिये गये । चूंकि सतर्कता जांच अंतिम रूप से पूर्ण नहीं हुई है, जांच के निष्कर्षों के विषय में कोई सूचना देना सम्भव नहीं है ।

जनपद इटावा के थाना बैदपुरा के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन हेतु लगाये गये पत्थर पर एक अपराधी का नाम अंकित होने की शिकायत

9–श्री अशोक दुबे–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि थाना बैदपुरा जनपद इटावा के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन हेतु लगाये गये पत्थर पर एक ऐसे अपराधी का नाम अंकित है जिसके ऊपर उसी थाने में कई अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन व्यक्ति दोषी हैं ? प्रदेश सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इस गम्भीर त्रुटि को सुधारने हेतु तत्काल कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

थाना बैदपुरा के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन हेतु लगाये गये पत्थर पर अंकित है–''श्री राम सिंह यादव निवासी ग्राम हीरापुर के सतत प्रयास से उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम लि० द्वारा निर्मित थाना बैदपुरा के भवन का उद्घाटन माननीय श्री मुलायम सिंह यादव, मुख्य मंत्री, उ० प्र० सरकार के कर कमलों द्वारा दिनांक 22-3-91 चैत्र शुक्ल सप्तमी संवत् 2048 शुक्रवार को सम्पन्न हुआ ।'' उक्त राम सिंह यादव एक आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है ।

इस बिन्दु पर पुलिस महानिदेशक के माध्यम से जांच करायी जा रही है । आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायगी ।

प्रश्नकर्ता द्वारा जनपद बांदा के थाना-जसपुरा पैलानी में अराजक तत्वों द्वारा अवैध शस्त्र जनपद के बाहर बनने संबंधी पुलिस अधीक्षक बांदा को दिया गया पत्र एवं कार्यवाही

10–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रांक क 200722 दिनांक 15-11-91 जनपद बांदा के थाना-जसपुरा पैलानी में अराजक तत्वों द्वारा अवैध शस्त्र जनपद के बाहर से बनने संबंधी पुलिस अधीक्षक बांदा को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा कौन-कौन दोषी पाये गये ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना सागीपुर अन्तर्गत ग्राम पोथमपुर के श्री जगदम्बा प्रसाद पाल आदि द्वारा घटनाओं के संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को दिया गया पत्र एवं कार्यवाही

11–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना सागीपुर अन्तर्गत ग्राम पोथमपुर के श्री जगदम्बा प्रसाद पाल आदि ने दि० 27-1-92 एवं 1-2-92 को पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को दिनांक 17-12-91 व 25-1-92 को घटनाओं का संदर्भ करते हुए प्रभावी कार्यवाही के लिये पत्र दिया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उल्लिखित घटनाओं में बन्धुवा एवं बेगार प्रथा के सामाजिक एवं आपराधिक दोषी के प्रचलन के लक्षणों को देखते हुए कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । कथित पत्र दिनांक 27-1-92 एवं 1-2-92 को नहीं बल्कि दिनांक 23-12-91 एवं 10-2-92 को दिये गये । किन्तु श्री जगदम्बा प्रसाद पाल ने दिनांक 17-12-91 को थाना सांगीपुर पर मौखिक सूचना दी कि प्रतिपक्षी शमशेर सिंह, अरुण सिंह पुत्रगण विजयपाल सिंह निवासीगण ग्राम पीथापुर ने उसे घर से बुलाकर काम करने को कहा और उसके यह कहने पर कि अभी समय नहीं है उसे गालियां दी तथा लात घूसों से मारा, जिसके आधार पर एन० सी० आर० सं०-217/91 धारा-323/504 भा० दं० वि० उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कर न्यायालय के आदेश से विवेचना की गयी । विवेचना से

शांति भंग की आशंका पाये जाने पर दोनों पक्षों के विरुद्ध विरोधात्मक कार्यवाही की गयी जिसमें उभयपक्षों को धारा 116(3) जाप्ता फौजदारी में पाबन्द कराया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन था । पुनः थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ में श्री जगदम्बा प्रसाद पाल ने यह मौखिक सूचना दी कि दिनांक 25-1-92 को जब वह धारा–107/116 जा० फौ० में जमानत कराने एस० डी० एम० कोर्ट लालगंज जा रहा था तो प्रतिपक्षी जितेन्द्र सिंह, अरुण सिंह पुत्रगण विजय पाल सिंह व उनके सहयोगियों ने गाली गुप्ता देते हुए उसे हाकियों से मारा जिसके आधार पर थाना लालगंज पर एन० सी० आर० सं०-30/92 धारा 323/504 भा० दं० वि० पंजीकृत पर न्यायालय के आदेश से विवेचना की गयी तथा आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया । इस प्रकार श्री पाल के शिकायती पत्र से पूर्व दिये गये मौखिक सूचनाओं के आधार पर ही उक्त कार्यवाही कर ली गयी थी । थाना सांगीपुर पर पंजीकृत अभियोग के संबंध में दोनों पक्षों ने न्यायालय में समझौता कर लिया है । जिस मुकदमें में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है उसमें भी दोनों पक्षों ने गांव में सुलह कर ली है और तारीख पेशी पर न्यायालय में सुलह कर लेंगे ।

जांच से बन्धुवा अथवा बेगार प्रथा के लक्षण नहीं पाये गये । अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

12–श्री मुन्ना चौहान–

[निदेश सं० 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद नैनीताल में उग्रवादियों द्वारा कुछ पुलिस कर्मियों तथा प्राइवेट जीप चालक की हत्या एवं उक्त जीप चालक के आश्रित को मुआवजा दिये जाने की मांग

13–श्री भारत सिंह रावत–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 7 व 8 अगस्त, 1991 को नैनीताल जनपद में उग्रवादियों द्वारा कुछ पुलिस कर्मियों तथा पुलिस द्वारा किराये पर ली गयी प्राइवेट जीप के चालक की हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त जीप के चालक जो पुलिस की ड्यूटी पर था, के आश्रितों को भी एक लाख रुपया की धनराशि मुआवजे के रूप में दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

नियमों में मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये की धनराशि दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०, कानपुर द्वारा कपड़ों के संबंध में फर्म के साथ अनुबन्ध एवं कथित अनियमितता के कारण अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

14–श्री हरिवंश सहाय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०, कानपुर ने मार्च 1978 में अपने द्वारा आपूर्तित कपड़े को वर्गीकरण करने, ठप्पा लगाने संवेष्ठन एवं गांठों को बांधने के लिये किस

फर्म के साथ अनुबन्ध किया है ? वर्ष 1985-86 तथा 86-87 में कितनी गांठें तथा कपड़े वापस किये गये ? कितनी गांठें तथा कपड़ा दिनांक 31 दिसम्बर, 1991 तक वापस नहीं किया गया ? क्या समझौते में माल की समयबद्धता, आश्वासित तथा सुरक्षित वापसी के लिये कोई प्रतिभूति/बैंक प्रतिभूति नहीं ली गयी थी ? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार कौन-कौन अधिकारी हैं ? इनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम, कानपुर द्वारा 1978 में मेसर्स गोविन्द कलेंडरिंग कम्पनी, कानपुर एवं मे० जमुना वीविंग मिल्स, कानपुर से मात्र जनता वस्त्र की कलेंडरिंग एवं गांठों को बांधने के लिये अनुबंध किया था । वर्ष 1985-86 में मे० गोविन्द कलेंडरिंग कम्पनी, कानपुर द्वारा 2793 गांठें वापस की गयी एवं जमुना वीविंग मिल्स, कानपुर द्वारा 917.95 गांठें वापस की गयीं ।

मे० गोविन्द कलेंडरिंग, कानपुर के पास 820.54 गांठें एवं जमुना वीविंग मिल्स के पास 404 गांठें अवशेष थीं ।

जी नहीं ।

मे० गोविन्द कलेंडरिंग, कानपुर द्वारा नियमित रूप से माल वापस किया जा रहा है एवं किसी प्रकार का विवाद नहीं है ।

मे० जमुना वीविंग मिल्स, कानपुर द्वारा हथकरघा निगम में अनुबंध पत्र भरवाया था, जिसमें यह प्राविधान था कि माल का बीमा किया जायेगा जिसका प्रीमियम इकाई वहन करेगी तथा निगम को हुई किसी भी क्षति की प्रतिपूर्ति इकाई द्वारा की जायेगी ।

मे० जमुना मिल्स द्वारा निगम को क्षतिपूर्ति नहीं की गयी । निगम द्वारा उनके विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जिसके संबंध में पुलिस द्वारा मुंसिफ मजिस्ट्रेट, कानपुर के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है । मुकदमें की सुनवाई हो रही है ।

प्रश्न हीं नहीं उठता ।

जनपद आगरा में रायफल, बन्दूक रिवाल्वर/पिस्टल के जारी किये गये लायसेन्सों का विवरण

15–श्री विजय सिंह राणा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में जनवरी, 1988 से जनवरी, 1992 तक आग्नेययास्त्र-रायफल बन्दूक या रिवाल्वर/पिस्टल के कुल कितने नये लायसेन्स जारी किये गये हैं ? कुल कितने प्रार्थना-पत्र अभी लम्बित हैं ? लाइसेन्स प्राप्त करने की अवमुक्त श्रेणी अर्थात् वारिसी, चोरी/डकैती से प्रभावित आदि को इसी अवधि में कुल कितने लाइसेंस दिये गये हैं ? कुल कितने लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं के इन श्रेणियों में आवेदन लम्बित हैं ? इन्हें लाइसेंस जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में जनपद आगरा से कुल 583 आग्नेयास्त्र लाइसेंस जारी किये गये ।

उक्त अवधि के कुल 2651 प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ।

कुल 564 लाइसेंस निर्गत किये गये । कुल 788 आवेदन पत्र जांच कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण ।

लखनऊ में थाना गोमती नगर के थानाध्यक्ष द्वारा कसाडा लीजिंग एण्ड फाइनेन्स लि० के निर्दोष लोगों को जेल भेजने के कारण दोषी थानाध्यक्ष के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

16–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-1-92 को थाना गोमती नगर, लखनऊ में थानाध्यक्ष को कसाडा लीजिंग एण्ड फाइनेन्स लि० के डाइरेक्टर द्वारा एफ० आई० आर० की तहरीर दी गयी परन्तु थानाध्यक्ष ने मुकदमा न कायम करके दिनांक 15-1-92 को रात्रि 10 बजे उसी कम्पनी में मुखबिर खास की सूचना पर दबिश दी ? क्या थानाध्यक्ष ने 20 हजार रुपये लेकर कतिपय निर्दोषों को पकड़ा और उन पर अमानवीय अत्याचार किये तथा मु० अ० सं-10/92 धारा-406, 420, 467, 468 में उन निर्दोष कर्मचारियों को जेल भेज दिया ? क्या सरकार द्वारा उक्त दोषी पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15-1-92 को थानाध्यक्ष को यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र गोमती नगर के विवेक खण्ड में कसाडा लीजिंग एवं फाइनेंस लि० कम्पनी द्वारा जनता को स्कूटर आदि फाइनेन्स कराने के नाम पर ठगा जा रहा है । उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष गोमतीनगर द्वारा मौके पर जाकर कम्पनी के निदेशक मंडल व ब्रांच मैनेजर तथा अन्य कर्मचारियों से पूँछताछ करने पर यह पाया कि उक्त कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा कूट रचना करके जन साधारण को धोखा दिया जा रहा है । अतः इस आधार पर कम्पनी के निदेशक आदि के विरुद्ध मु० अ० सं० 10/92 धारा 467/468/406/420 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया । विवेचनोपरान्त उक्त अभियोग में दिनांक 7-2-92 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । जांच से थानाध्यक्ष द्वारा 20 हजार रुपये लेने तथा निर्दोष लोगों को फंसाने की बात प्रमाणित नहीं हुई । अतः उक्त पुलिस कर्मी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

जनपद बांदा के थाना कर्वी के ग्राम-करासेटी के श्री मुन्ना लाल सिंह एडवोकेट को सब इन्सपेक्टर पुलिस द्वारा उनको अपमानित करने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र पर कार्यवाही

17–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के थाना-कर्वी के ग्राम-करासेटी के श्री मुन्ना लाल सिंह एडवोकेट ने सब इन्सपेक्टर पुलिस द्वारा उनको अपमानित करने की घटना की टेलीफोनिक सूचना दिनांक 30-10-91 को पुलिस अधीक्षक बांदा को दी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता ने भी मुन्ना लाल का शिकायती पत्र दिनांक 31-10-91 के संदर्भ सहित मुख्य मंत्री उ० प्र० को दिया गया है जिसकी प्राप्ति स्वीकृति शासन में सी० एम० वी को/एम-3/45-265/पु०/91, दिनांक 19-11-91 को रजिस्टर में चढ़ाकर पुलिस अधीक्षक बांदा को भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्या उसी पत्र में पुलिस अधीक्षक, बांदा ने सब इन्सपेक्टर कर्वी से जांच के लिये आदेश भेजा है ? यदि हां, तो उक्त जांच का क्या औचित्य है ? क्या प्रश्नकर्ता का पत्र सदन के पटल पर रक्खा जायेगा ? क्या इसमें शासन स्तर से अब कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बांदा ने सूचित किया है कि उन्हें याद नहीं है । श्री मुन्ना लाल सिंह एडवोकेट नि० ग्राम कपसेटी थाना कर्वी का शिकायती पत्र शासन के मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र सं०:सी० एम० वी० को०/एम–3/45-265/पु०/91, दिनांक 19-11-91 के द्वारा भेजा गया दिनांक 25-11-91 को पुलिस अधीक्षक, बांदा के यहां प्राप्त हुआ था ।

प्रश्नगत पत्र जांच हेतु सब इन्सपेक्टर कर्वी को नहीं भेजा गया बल्कि उसे दिनांक 27-11-91 को पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा जांच हेतु प्रभारी निरीक्षक कर्वी को भेजा गया । उक्त पत्र के खो जाने के कारण मामले में विभागीय जांच के फलस्वरूप दोषी पाये गये कां० 110 ना० पु० श्री प्रहलाद सिंह को भर्त्सना प्रविष्टि प्रदान की गयी है । प्रश्नकर्ता से उक्त पत्र की प्रति पुनः उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हैं । प्रति उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री एस० के० सिंह, थानाध्यक्ष रुदौली, बाराबंकी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज एवं कार्यवाही करने संबंधी श्री पहाड़ी पुत्र मातादीन निवासी मो० गरियापार कस्बा व थाना-रुदौली का प्रार्थना-पत्र

18–श्री राम देव आचार्य–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस० के० सिंह थानाध्यक्ष रुदौली, जनपद-बाराबंकी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने संबंधी श्री पहाड़ी पुत्र मातादीन निवासी मो० गरियापार कस्बा व थाना–रूदौली, जनपद उपरोक्त का प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-2-92 पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये ।

जनपद जालौन में पुलिस और डकैतों के मध्य हुई मुठभेड़ें एवं डकैतों के पते तथा थाना कुठौन्द की पुलिस द्वारा ग्राम पारेन के जंगल में एक फर्जी मुठभेड़ की सी० आई० डी० द्वारा जांच कराये जाने की मांग.

19–श्री श्रीराम (जालैंन)–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में 1 जुलाई, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तक पुलिस एवं डकैतों के मध्य मुठभेड़ हुई है ? यदि हां, तो कितनी बार और कहां-कहां ? क्या उक्त अवधि में हुई मुठभेड़ों में कुछ डकैत पुलिस द्वारा मारे गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन तथा उनके नाम व पता क्या है ? उक्त मृतक डकैतों के विरुद्ध किस-किस थाने पर क्या-क्या अभियोग पंजीकृत थे ? क्या यह सत्य है कि माह अक्तूबर, 1991 में थाना कुठौन्द की पुलिस ने ग्राम पारैन के जंगल में एक डकैत को मारा था ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि कथित मृतक डकैत एक सीधा साधा नागरिक व इटावा जनपद का निवासी था ? क्या वह अपनी रिश्तेदारी ग्राम कोटा, मुस्तकिल, थाना कुठौन्द में आया था, जहां से दिन में पुलिस ने उसे पकड़ कर उक्त ग्राम के पास जंगल में फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उसकी हत्या की थी ? यदि हां, तो क्या इस मामले की सी० आई डी० द्वारा जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

10 मुठभेड़ हुई है ।

क्र०सं०	मुठभेड़ का स्थान	थाने का नाम
1	जंगल ग्राम अंगढेला की मडईया	रामपुरा
2	बगीचा ग्राम मंगरौल	कालपी
3	गोपाल पुरा बैरियर के पास	माधौगढ़
4	ग्राम कुइया की नहर के पास	कोतवाली उरई
5	ग्राम पारेन का जंगल	कुठौन्द
6	ग्राम कुसमरा	कदौरा
7	ग्राम कोड़ा किर्राई के पास मंदिर काल भैरों	सिरसाकलार
8	ग्राम छोटी करहिया का जंगल	सिरसाकलार
9	ग्राम लोहई के भूरी माता मंदिर के पास	सिरसाकलार
10	ग्राम मदेख के ट्यूबवेल के पास	कुठौन्द

जी हां ।

मारे गये डकैतों के नाम व पते इस प्रकार हैं :–

क्र०सं०	नाम	पता
1	राम शरण	राम शरण पुत्र रामसेवक नि० अंगदेला व मडाइयां थाना रामपुरा जनपद जालौन ।
2	मिक्खू उर्फ फूलसिंह	मिक्खू पुत्र लक्ष्मण केवट नि० ग्राम मैनपुर थाना कालपी जनपद जालौन ।

1	2	3
3	लल्लू बेटा	लल्लू बेटा पुत्र हुब्ब लाल चमार नि० ग्राम उमरी थाना कुठौन्द ।
4	ईश्वरदास	ईश्वरदास पुत्र जवाहर जोशी नि० ग्राम हीरापुर थाना व जिला जालौन ।
5	राम प्रकाश सैनी	राम प्रकाश सैनी पुत्र मोहन लाल सैनी नि० ग्राम सूपा थाना महोबा जिला हमीरपुर ।
6	भानु प्रकाश	भानु प्रकाश पुत्र सेवाराम नि० ग्राम ज्योरा थाना औरैय्या जनपद इटावा ।
7	प्रहलाद सिंह	प्रहलाद सिंह पुत्र लच्छीधर नि० ग्राम महदवां थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात ।
8	लाखन उर्फ सुरेश लोधी	लाखन उर्फ सुरेख लोधी पुत्र तुलाराम लोधी नि० ग्राम छोटी मडइयां थाना सिरसाकलार जनपद जालौन ।
9	वीरेन्द्र	वीरेन्द्र पुत्र मुहर सिंह लोधी नि० ग्राम विछावली थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात ।
10	चौकीदार	चौकीदार पुत्र बाबू सिंह नि० ग्राम बड़ी मडइयां थाना सिरसाकलार जनपद जालौन ।

† सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

कथित मृतक डकैत जनपद इटावा का जरूर रहने वाला था लेकिन उसके आपराधिक इतिहास (संलग्नक सूची का प्रस्तर–5) के आधार पर कहा जा सकता है कि कथित मृतक सीधा साधा नागरिक नहीं था ।

जी नहीं । उसे धर पकड़ कर नहीं बल्कि वह मुठभेड़ में मारा गया था ।

मृतक डकैत एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था इसलिये इस प्रकरण की जांच सी० आई० डी० से कराये जाने का औचित्य नहीं प्रतीत होता है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

---

† छापी नहीं गयी ।

जनपद बांदा के तहसील-थाना कर्वी के श्री राजबहादुर सिंह के शिकायती पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र सहित मुख्य मंत्री उ० प्र० तथा अन्य पुलिस अधिकारियों को भेजा गया शिकायती पत्र व कार्यवाही

20–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील/थाना कर्वी के श्री राज बहादुर सिंह के शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र सहित दिनांक 3-12-90 व 8-12-90 एवं 7-2-91 को मुख्य मंत्री उ० प्र०, डी० जी० पी० लखनऊ, आई० जी० इलाहाबाद, डी० आई० जी० झांसी, जिला अधिकारी बांदा व पुलिस अधीक्षक बांदा को अलग-अलग प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन शिकायती पत्रों पर अलग-अलग किसने, क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि इन शिकायती पत्रों में संबंधित सी० ओ० कर्वी द्वारा गैंगेस्टर ऐक्ट में चालान की धमकी का जिक्र था ? यदि हां, तो क्या संबंधित सी० ओ० कर्वी द्वारा गैंगेस्टर की कार्यवाही श्री सिंह के विरुद्ध की गयी है ? यदि हां, तो कब तथा इसका क्या औचित्य है ? क्या गैंगेस्टर के मुकदमें कायम किये जाने की जांच होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार डी० जी० पुलिस उ० प्र० के कार्यालय में श्री राज बहादुर सिंह के दिनांक 3-12-90 तथा 8-12-90 के प्रार्थना पत्र विधायक श्री राम प्रसाद सिंह के कवरिंग पत्र के साथ प्राप्त नहीं हुए। अतः इन पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता उनका केवल दिनांक 7-2-91 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ जिसे डी० आई० जी० झांसी परिक्षेत्र को जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु भेजा गया तथा डी० आई० जी० झांसी परिक्षेत्र द्वारा पुलिस अधीक्षक बांदा के माध्यम से इसकी जांच कराई गयी।

आई० जी० पुलिस इलाहाबाद जोन के कार्यालय में उपरोक्त तीनों प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए। अतः उन पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

डी० आई० जी० पुलिस झांसी परिक्षेत्र के कार्यालय में उपरोक्त तीनों प्रार्थना-पत्रों में से कोई प्रार्थना पत्र सीधे उनके कार्यालय में नहीं प्राप्त हुए हैं। प्रार्थना-पत्र दि० 7-2-91 डी० जी० पुलिस मुख्यालय के माध्यम से डी० आई० जी० झांसी को प्राप्त हुआ, जिसे पुलिस अधीक्षक बांदा को जांच/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक बांदा के कार्यालय में उक्त तीनों प्रार्थना पत्रों में से कोई भी प्रार्थना-पत्र सीधे नहीं प्राप्त हुए हैं। दिनांक 7-2-91 का प्रार्थना-पत्र उन्हें उच्च माध्यम से प्राप्त हुआ जिस पर जांच/आवश्यक कार्यवाही की गयी।

जिलाधिकारी बांदा के कार्यालय में उपरोक्त तीनों प्रार्थना-पत्रों में से कोई प्रार्थना-पत्र सीधे प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थना-पत्र दि० 7-2-91 उच्च माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसे पुलिस अधीक्षक बांदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया।

मुख्य मंत्री कार्यालय (विधायक कोष्ठक) की पंजी में प्रश्न में संदर्भित पत्र दि० 3-12-90 व 8-12-90 दर्ज नहीं है। वहां पर दि० 7-2-91 के दो पत्र प्राप्त हुए थे। जिन्हें सी० आई० डी० को जांच हेतु शासन द्वारा भेजा जा चुका है।

प्रश्नगत मामले में वास्तव में प्रश्नकर्ता/शिकायतकर्ता के पत्र निम्न प्रकार से प्राप्त हुए :–

श्री राज बहादुर सिंह का दिनांक 7-12-90 का पुलिस अधीक्षक बांदा को सम्बोधित व पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद को पृष्ठांकित शिकायतकर्ता का पत्र 2-12-90 पुलिस अधीक्षक बांदा को सम्बोधित व प्रश्नकर्ता के कबरिंग पत्र दि० 2-12-90 के साथ तथा महानिरीक्षक पुलिस उ० प्र० लखनऊ को सम्बोधित पुलिस महानिदेशक उ० प्र० लखनऊ को प्राप्त एवं प्रश्नकर्ता का दि० 7-2-91 का पत्र डी० जी० पी० लखनऊ को सम्बोधित श्री राज बहादुर सिंह के दि० 7-2-91 के पत्र के साथ डी० जी० पी० को प्राप्त हुआ । इन सभी पत्रों की जांच पुलिस अधीक्षक बांदा से कराई गयी । उनसे प्राप्त जांचाख्यानुसार आवेदक/शिकायतकर्ता के विरुद्ध मु० अ० सं० 610/90 धारा 147/148/149/392/506 भा० दं० वि० का अभियोग थाना कर्वी में पंजीकृत है । आवेदक अन्तर्प्रान्तीय दस्यु ददुआ गैंग का संरक्षणदाता है । जांच से प्रार्थना पत्र मात्र पेशबंदी में दिये गये पाये गये हैं, उनमें लगाये गये आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए । सी० आई० डी० को भेजे गये पत्रों की जांच प्रचलित है ।

आवेदक श्री राज बहादुर सिंह के प्रार्थना पत्र दि० 7-2-91 के पृष्ठ–3 पर यह अंकित किया गया है कि "मुझे सबक सिखाने में फर्जी गैंगेस्टर एक्ट की तैयारी है" आदि-आदि । पुलिस अधीक्षक बांदा की आख्या के अनुसार तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कर्वी द्वारा श्री राज बहादुर सिंह के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गयी, बल्कि श्री राज बहादुर सिंह के विरुद्ध तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कर्वी द्वारा उनके अपराधिक इतिहास के आधार पर नियमानुसार गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी इस संबंध में थाना कर्वी में मु० अ० सं० 304/91 धारा 3 उ० प्र० गैंगेस्टर ऐक्ट 1986 दिनांक 17-6-91 को पंजीकृत किया गया एवं उसमें विवेचनोपरान्त साक्ष्य के आधार पर आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया । चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अतः किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गयी ।

प्रश्नकर्ता का पुलिस विभाग में पदोन्नतियों के संबंध में हुई अनियमितताओं एवं आरक्षण कोटा पूरा किये जाने के संबंध में गृह मंत्री को भेजा गया पत्र एवं कार्यवाही

21–श्री राम औतार शाक्य–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-10-91 उन्हें प्राप्त हुआ जिसे वह मुख्य मंत्री कार्यालय से पत्रांक-सी० एम० वि० को० एम०-3-41-229/91-आ० के माध्यम से 14-10-91 को मुख्य सचिव को आख्या प्राप्त करने के लिये भेजा गया ? यदि हां, तो क्या उसमें पुलिस विभाग से आख्या प्राप्त हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार पुलिस विभाग में पदोन्नतियों के संबंध में हुई अनियमितताओं की कब तक जांच करायेगी ? क्या सरकार को ज्ञात है कि पुलिस विभाग उ० प्र० में इन्सपेक्टर डिप्टी एस० पी० एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों का अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा पूरा नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उनका कोटा पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

पुलिस विभाग से प्राप्त आख्या शासन स्तर पर समीक्षा में अपूर्ण पायी गयी । अतएव और आवश्यक विवरण प्राप्त किये जा रहे हैं ।

जनपद मैनपुरी के थाना बेबर में फर्जी मुठभेड़ दिखाकर राम किशुन निवासी पूरनपुर थाना भोगांव एवं मुन्ना निवासी गढ़िया किसनपुर थाना बेवर जिला मैनपुरी का मारे जाने विषयक प्रकरण

22–श्री राम औतार शाक्य–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद मैनपुरी के थाना बेवर में दिनांक 9-7-91 को फर्जी मुठभेड़ दिखाकर राम किशुन निवासी पूरनपुर थाना भोगांव एवं मुन्ना निवासी गढ़िया किसनपुर थाना बेबर जिला मैनपुरी को मारा गया था ? क्या यह सच है कि इस प्रकरण में उक्त मृतकों के विरुद्ध कायम अपराध संख्या-417/91 थाना बेबर में शासन के आदेश से सी० आई० डी० द्वारा तफ्तीश की जा रही है ? क्या यह सच है कि मृतक मुन्ना के भाई राम प्रसाद पुत्र पूसें लाल ने दिनांक 9-7-91 को ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को एवं 9-9-91 को मुख्य मंत्री जी को तथा फरवरी, 91 में गृह सचिव को भानु प्रताप सिंह पुत्र और सिंह, धर्म प्रताप सिंह व उदयभान सिंह पुत्रगण नरेन्द्रभान सिंह व ओम प्रकाश पुत्र नत्थू सिंह के विरुद्ध कत्ल का मुकदमा पंजीकृत कराने के प्रार्थना-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त राम प्रसाद की रिपोर्ट पर भानु प्रताप सिंह आदि के विरुद्ध मुकदमा कायम करवाकर अ० सं०-417/91 के साथ सी० आई० डी० द्वारा तफ्तीश करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 9-7-91 को राम किशन निवासी पूरनपुर थाना भोगांव एवं मुन्ना निवासी गढ़िया किशनपुर थाना बेबर मैनपुरी पुलिस मुठभेड़ में मारे गये ।

जी हां ।

मृतक मुन्ना के भाई राम प्रसाद पुत्र पूसे लाल का पत्र दिनांक 9-9-91 प्राप्त होने के पूर्व राम भरोसे के भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें धर्म प्रताप सिंह तथा उनके ग्रामवासियों द्वारा दुश्मनीवश राम किशन व मुन्ना की हत्या किये जाने के आरोप लगाये गये थे । शासन ने विचारोपरान्त अपराध संख्या-417/91 की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी है ।

अपराध शाखा की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि भानु प्रताप सिंह आदि को दोषी पाया जायेगा तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा ।

उ० प्र० सीमेन्ट निगम में समूह 'ग' के दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

23–श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सीमेन्ट निगम में कितने कर्मचारी समूह 'ग' के दैनिक वेतन पर कार्यरत थे ? क्या उनको नियमित (रेगुलर) किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० राज्य सीमेन्ट निगम में समूह ''ग'' के दैनिक वेतन पर 131 कर्मचारी कार्यरत हैं । दैनिक वेतन पर तैनात कर्मचारियों को पदों की रिक्तता व कार्य की आवश्यकता देखते हुए नियमित किया जाता है । इसके लिये समय सीमा इंगित करना संभव नहीं है ।

प्रदेश में पुलिस हिरासत में हुई मौतें एवं दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों को दी गयी सजा

24–डा० बृजभान यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 8 महीनों में प्रदेश में पुलिस हिरासत में कितने लोगों की मौतें हुई हैं ? इन हत्याओं में कितने पुलिसकर्मी दोषी पाये गये तथा उन्हें क्या सजा दी गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश में विगत 8 महीनों (सितम्बर 1991 से अप्रैल, 1992) में पुलिस हिरासत में दस घटनाओं में दस लोगों की मृत्यु हुई है ।

प्रथम दृष्टया 6 पुलिसकर्मी दोषी पाये गये । इनमें से तीन उपनिरीक्षकों व दो कांस्टेबुलों को निलम्बित व एक निरीक्षक थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया । इस संबंध में मुकदमें पंजीकृत हैं । 4 मामलों में मैजिस्टीरियल जांच, एक मामले में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच व तीन मामलों में क्षेत्राधिकारी द्वारा विवेचना जारी है ।

जनपद लखनऊ के सिविल पुलिस के कुछ सिपाहियों को सशस्त्र पुलिस में भेजा जाना एवं इन पुलिस कर्मियों को सिविल पुलिस में स्थानान्तरित न किये जाने के आदेश का क्रियान्वयन

25–श्री राम औतार शाक्य–

क्या गृह मंत्री बताने कीं कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सिविल पुलिस के कुछ सिपाहियों को दिनांक 21-5-90 से 6 माह के लिये सशस्त्र पुलिस में भेजा गया था और 6 माह की अवधि समाप्त होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ के आदेश सं०-प-184 दिनांक 26 फरवरी, 1991 के द्वारा सशस्त्र पुलिस के सिविल पुलिस में स्थानान्तरित करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो इन सिपाहियों का अभी तक सिविल पुलिस में स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के आदेश संख्या-प-184, दिनांक 26 फरवरी, 1991 के द्वारा जिन कांस्टेबुलों को सशस्त्र पुलिस से नागरिक पुलिस में स्थानान्तरित किया गया था, वे सभी नागरिक पुलिस में ही कार्यरत हैं ।

जनपद इलाहाबाद के बहरिया थाना अन्तर्गत ग्राम पतुल का मुकदमा सरकार बनाम राम अधार का वापस लिया जाना एवं दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

26–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के बहरिया थाना अन्तर्गत ग्राम पतुल की अपराध संख्या 11/87 मुकदमा नं० 876/90 सरकार बनाम राम अधार, शासन द्वारा दिनांक 24-1-91 को वापस लिया गया है ? यदि हां, तो इस मामले में दोषी पुलिस-जनों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त मुकदमा शासन द्वारा जनहित में वापस लिया गया । पुलिस जनों का दोष न पाये जाने से उनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद नैनीताल के थाना तल्लीताल के अन्तर्गत पटवांडागर स्थित वैक्सीन डिपो के इंजीनियरिंग यूनिट के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्थानयी पुलिस के मध्य चल रहे फौजदारी मुकदमें में नैनीताल की अदालत में मुकदमों के चलने की अवधि, पक्षकारों के नाम व पता व उसकी धाराओं के बिवरण दिये जाने की मांग

27–श्री महेन्द्र जैन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद नैनीताल के थाना तल्लीताल के अन्तर्गत पटवांडागर स्थित वैक्सीन डिपो के इंजीनियरिंग यूनिट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच या उनके विरुद्ध स्थानीय पुलिस के माध्यम से जुलाई, 1983 से मार्च 1986 तक शांति व्यवस्था संबंधी फौजदारी धारा 107/116/117 इत्यादि में नैनीताल के अदालत में कुछ मुकदमें चले हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त काल में मुकदमों के चलने की अवधि मुकदमों के पक्षकारों के नाम व पता तथा उनकी धाराओं का विवरण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 203 पर)

जिला वाराणसी थाना बड़ागांव के पूर्व एस० ओ० श्री जीवन लाल तिवारी, एस० आई० श्री ताहिर खां आदि पुलिस कर्मियों द्वारा फर्जी इनकाउन्टर एवं उनका निलम्बन एवं उन्हें बहाल करने वालों के बिरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

28–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या–235/83, धारा–147/148/201/218/302/ भा० दं० वि०, थाना÷बड़ागांव, जिला वाराणसी दिनांक 22-12-83 में अभियुक्त बड़ागांव के पूर्व एस० ओ० श्री जीवन लाल तिवारी, एस० आई० श्री ताहिर खां तथा अन्य सात पुलिस कर्मी फर्जी इनकाउन्टर दिनांक 1/12/1981 करने के अपराध में सरकार द्वारा अभियोग स्वीकार करने और अदालत वाराणसी में अभियोग दाखिल करने के बाद निलम्बित कर दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या आरोप-पत्र सी० बी०, सी० आई० डी० द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया है ? क्या यह सही है कि गलत आख्या पर सभी अभियुक्तों को पुनः पदारूढ़ करके प्रमोशन भी दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि ऐसा किया गया है तो क्या पुनः उन्हें निलम्बित करके दिया गया प्रमोशन वापस लेगी ? क्या सरकार अपराध अनुसन्धान शाखा, वाराणसी के खण्डाधिकारी, श्री अफजाल अहमद द्वारा तथ्यों को छिपा कर गोल-माल रिपोर्ट एस० एस० पी० गोरखपुर व डी० आई० जी०, गोरखपुर को देने की भी जांच करायेगी ? क्या सरकार के आदेश से फर्जी इनकाउण्टर पाये जाने पर ही उनका निलम्बन किया गया था ? यदि हां, तो अभियुक्तों को बहाल कराने में कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या उसकी भी जांच करके कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

29–श्री राम पाल वर्मा–

[दि० 29-10-92 को अता० प्र० सं० 181 द्वारा उत्तरित]

अयोध्या स्थित क्षतिग्रस्त काजी किदवा की मजार शरीफ की स्थिति एवं क्षतिग्रस्त करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी की मांग

30–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या स्थित काजी किदवा की मजार शरीफ जिसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया था क़ी अब क्या स्थिति है तथा उसे क्षतिग्रस्त करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार अयोध्या में काजी किदवा की मजार होने का कोई प्रमाण नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पिता, भूतपूर्व विधायक श्री लटूरी सिंह को सरकारी खर्चे पर अंगरक्षक उपलब्ध कराने की मांग

31–श्री अवध पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27 जनवरी, 92 को उनसे एनेक्सी भवन में मुलाकात कर प्रश्नकर्ता ने अपनी तथा अपने पिता श्री लटूरी सिंह यादव भूतपूर्व विधायक की सुरक्षा की मांग की थी ? क्या शासन ने अभी तक प्रश्नकर्ता को शैडो के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा के नाम पर कोई भी सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी ? क्या प्रश्नकर्ता के पिता को भी कोई भी सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के पिता के ऊपर वर्ष 1981 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्राणघातक हमला हुआ था, जिसमें प्रश्नकर्ता के पिता कई महीनों तक इलाज कराने के बाद ठीक हुए थे ? क्या सरकार प्रश्नकर्ता के पिता को सरकारी खर्चे पर शसक्त अंगरक्षक उपलब्ध कराने का आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शासन द्वारा एक अंगरक्षक शासकीय व्यय पर स्वीकृत किया गया है । इसके अतिरिक्त जनपद स्तर से स्थानीय व्यवस्था में दो सशस्त्र गार्ड भी उपलब्ध कराये गये हैं ।

जी नहीं ।

श्री लटूरी सिंह यादव पर वर्ष 1981 में इलाहाबाद में हमला हुआ था, जिसमें वह घायल हुए थे । श्री लटूरी सिंह यादव को शासकीय व्यय पर सुरक्षा देने का शासन द्वारा कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

लांस नायक स्व० श्री वीर सिंह पी० ए० सी० रुद्रपुर नैनीताल की रहस्यमय हत्या के संबंध में उनकी पत्नी श्रीमती अनीता देवी द्वारा मुख्य मंत्री एवं अन्य अधिकारियों को भेजे गये प्रार्थना-पत्र एवं पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन विषयक कार्यवाही

32–श्री जटा शंकर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लांस नायक स्व० श्री वीर सिंह 41137-31-वी०-वाहिनी पी० ए० सी० रुद्रपुर नैनीताल की रहस्यमय हत्या के संबंध में मुख्य मंत्री, गृह मंत्री, महानिदेशक पी० ए० सी० उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं सेना नायक 31-वी० वाहिनी पी० ए० सी० रुद्रपुर नैनीताल को

दिनांक 11-10-91 व 17-10-91 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं गार्ड द्वारा करायी गयी एफ० आई० आर० की छाया प्रति सहित श्रीमती अनीता देवी पत्नी लांस नायक स्व० श्री वीर सिंह द्वारा भेजा गया प्रार्थना-पत्र सी० आई० डी० जांच कराये जाने व रिपोर्ट दर्ज किये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, प्रश्नगत प्रकरण की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दी गयी है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

33–श्री जटा शंकर सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक प्रार्थना-पत्र श्रीमती अनीता देवी पत्नी लांस नायक स्व० श्री वीर सिंह 41137-वी वाहिनी रुद्रपुर नैनीताल द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पी० ए० सी० उत्तर प्रदेश एवं सेना नायक 31- वी० वाहिनी रुद्रपुर नैनीताल को रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 18-10-91 को भेजा गया था जिसमें प्रार्थिनी ने अपने पति के वेतन संबंधी समस्त सुविधायें सहित प्रति माह स्व० श्री वीर सिंह के रिटायरमेंट के समय तक, इसके पश्चात् श्री वीर सिंह को मिलने वाली पेंशन की मांग अपना व अपने बच्चों का जीवन-यापन करने के लिए की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 18-10-91 में श्रीमती अनीता देवी ने असाधारण पेंशन दिये जाने की मांग की थी । विभागीय स्तर पर विचारोपरान्त यह मामला असाधारण पेंशन दिये जाने योग्य न पाये जाने के कारण श्रीमती अनीता देवी को केवल पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गयी है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनी बादशाह नगर लखनऊ स्थित "यू" टाइप के आवासों में मकान अध्यासी यू-12/2 द्वारा मकान पुताई के संबंध में प्रेषित शिकायती पत्र पर कार्यवाही

34–श्री विजय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग की कालेनी बादशाह नगर लखनऊ स्थित "यू" टाइप के आवासों में सफेदी कार्य पूरा न करने के संबंध में माह मार्च, 1992 में मकान अध्यासी "यू"–12/2 द्वारा राज्य सम्पत्ति अधिकारी को शिकायत भेजी गयी थी और जांच विशेष कार्याधिकारी टेक्निकल द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा है और जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मकान नंबर "यू"–12/2 की पुनः पूर्ण रूप से पुताई करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत आवास के बरामदे, एक कमरा, शौचालय तथा बाउन्ड्रीवाल पर सफेदी नहीं की गयी । किचन एवं बाथरूम में सफेदी भी ठीक ढंग से नहीं की गयी । आवास के अध्यासी द्वारा आवास खाली उपलब्ध कराये जाने पर पूरे मकान की पुताई करायी जा चुकी है । अतः संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत आवास की पुताई सितम्बर, 92 में करा दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना बरेली जंक्शन पर चोरी के मामले में थानाध्यक्ष द्वारा मुल्जिमों के नाम सुरेन्द्र व बब्लू बताये जाने के बावजूद गिरफ्तार न किये जाने के कारण एवं सी० आई० डी० जांच किये जाने की मांग

35–श्री प्रताप सिंह सैनी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के 3सरे मंगलवार के अता० प्र० सं० 178 के उत्तर के संदर्भ मे क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मामले में सुरेन्द्र व बबलू मुल्जिमों को पकड़ने के लिए गांव चौबारी (बरेली) तथा दिल्ली के पतों पर कितने बार पुलिस गयी ? यदि नहीं, तो जी० डी० के अनुसार नवम्बर-दिसम्बर, 1991 में उक्त दोनों स्थानों पर तफ्तीस हेतु गयी पुलिस का विवरण क्या है ? क्या उक्त के संदर्भ में मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-7 नवम्बर, 1991 की रात्रि 12.20 बजे प्लेटफार्म की ड्यूटी पर कौन-कौन सिपाही थे ? क्या उक्त सिपाहियों की ही जानकारी में उक्त चोरी हुई है ? क्या मंत्री जी इसकी सी० आई० डी० जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 6/7 नवम्बर, 1991 की घटना के संबंध में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 295/91 में संदिग्ध अभियुक्त सुरेन्द्र व उसके भाई बबुआ पुत्रगण श्री सरनाम सिंह, जाति ठाकुर, निवासी ग्राम चौबारी, थाना कैण्ट, जनपद बरेली की तलाश में थाने से पुलिस 6 बार गयी । तफ्तीश हेतु भेजी गयी पुलिस का विवरण सी० आई० डी० जांच के बाद ज्ञात हो सकेगा । दिनांक 6/7 नवम्बर, 1991 की रात्रि 12 बजे प्लेटफार्म पर कान्स० 6223 राम चरन, 5870 हरीश प्रसाद, 6421 शाहिन अख्तर, 5663 अनिल कुमार त्यागी, 6679 भोला सिंह ड्यूटी पर कार्यरत थे, किन्तु इन कान्सटेबिलों की जानकारी में उक्त चोरी की घटना नहीं घटी । परन्तु कर्तव्य शिथिलता के दोषी ठहराये जाने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । जहां तक सी० आई० डी० द्वारा जांच कराये जाने का प्रश्न है, मा० सदस्य के पत्र दि० 11-6-92 के संदर्भ में सी० आई० डी० से जांच कराये जाने के आदेश दिनांक 26-6-92 को शासन द्वारा दिये गये हैं ।

36–श्री प्रताप सिंह सैनी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सुल्ताना उर्फ ओम निवास तथा बापू नामक बन्दरों से रिश्वत लोरी के मामले में श्री चरन सिंह थानाध्यक्ष बरेली जंक्शन के विरुद्ध मुकदमा

37–श्री प्रताप सिंह सैनी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 92 के चौथे मंगलवार 17-4-92 के अता० प्र० सं० 178 के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत श्री चरन सिंह थानाध्यक्ष के विरुद्ध दिनांक 8-12-91 के दोनों मुकदमों की प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है । क्या उसकी प्रतियां सदन के पटल पर रखते हुए मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त थानाध्यक्ष ने जमानत किस तिथि को तथा किस न्यायालय द्वारा करायी ? क्या इसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

38–श्री प्रताप सिंह सैनी–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद बांदा के तहसील कर्वी अन्तर्गत ए० सी० जे० एम०, कर्वी द्वारा प्रश्नगत वाद में बन्दूक कारतूस वापस करने के आदेश

39–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी अन्तर्गत ए० सी० जे० एम०, कर्वी ने वाद संख्या–1143/IX-91, सरकार बनाम हरी प्रसाद, धारा 25 आर्म्स ऐक्ट थाना-कर्बी ने अपने आदेश दिनांक 7-4-92 के द्वारा श्री जान्हवी पुत्र सिद्धू गोपाल, निवासी सभापुर, थाना सभापुर, जिला सतना, हाल मुकीम कोठिलहाई, थाना-कर्वी के आवेदन-पत्र पर दोनाली कारतूसों 12 बोर बन्दूक संख्या 3839 मय कारतूस आवेदक को वापिस करने का आदेश किया है जिसमें राज्य सरकार पक्षकार भी है तथा आदेश की प्रति एच० एच० ओ० कर्वी को अनुपालनार्थ अग्रसारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या अदालत के उक्त आदेश का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पृथ्वी पाल सिंह, ब्लाक प्रमुख, बिलग्राम, जिला हरदोई को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने के कारण

40–श्री लालजी वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पृथ्वी पाल सिंह, ब्लाक प्रमुख, बिलग्राम, जिला हरदोई हाल निवास मोहल्ला बगिया फजल इमाम, थाना कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री पृथ्वी पाल सिंह के निम्नांकित क्रिया कलापों से लोक व्यवस्था के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना के दृष्टिगत उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया था :–

(1) दिनांक 8-7-91 को श्री नरायन एवं श्री लज्जाराम, निवासी फर्रुखाबाद का 7-8 बदमाशों ने, जो हथियारों से लैस थे, अपहरण कर लिया । श्री पृथ्वी पाल सिंह ने मध्यस्थता कर रु० 50,000 की फिरौती पर श्री लज्जाराम की पकड़ छुड़वाई ।

(2) दि० 15/16-10-91 को श्री राम निवास उर्फ टिल्लू निवासी फर्रुखाबाद का बदमाशों ने अपहरण किया । श्री पृथ्वी पाल सिंह ने रु० 20,000 की फिरौती पर पकड़ छुड़वायी ।

(3) दि० 22-9-91 को श्री शिव कुमार निवासी फर्रुखाबाद का बदमाशों ने अपहरण किया तो इन्होंने रु० 32,000 पर पकड़ छुड़वाई ।

(4) दिनांक 10-10-91 को श्री राम सिंह का 7-8 बदमाशों ने अपहरण किया व उसकी पकड़ छुड़वाने के लिये श्री पृथ्वी पाल सिंह ने रु० 40,000 लिये और रु० 60,000 की मांग की तथा बाद में अपहृत राम सिंह को हरदोई के एक बदमाश के हाथ बेंच दिया ।

(5) दिनांक 25-11-1991 को श्री पृथ्वी पाल सिंह ने अपने साथियों सहित हथियारों से लैस होकर श्री अजीत सिंह का अपहरण किया व एक लाख की फिरौती की मांग की ।

श्री मुजफ्फर हसन, भूतपूर्व मंत्री उ० प्र० सरकार, निवास स्थान 5, त्रिलोकी नाथ रोड, लखनऊ को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा मकान खाली कराये जाने के संबंध में दोषी लोगों को दण्डित किये जाने की मांग

41—श्री अवध पाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुजफ्फर हसन, भूतपूर्व मंत्री, उ० प्र० सरकार जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं जिनका निवास स्थान 5, त्रिलोकी नाथ रोड, लखनऊ में है, को 51 वर्ष की आयु में दिनांक 29 मई, 92 को रात्रि में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा कर्मचारियों तथा अन्य बाहरी व्यक्तितयों को ले जाकर मकान से निकाल कर बाहर कर दिया गया था ? क्या उनका सामान सड़क पर फेंक दिया गया है जिससे उनका काफी सामान तथा टी० वी०, फ्रीज, अलमारी तथा क्राकरी टूट गयी तथा उनका जेवर व काफी सामान उक्त कर्मचारीं उठा लाये हैं ? क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह कार्यवाही किस अधिकारी के निर्देश पर हुई है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

स्थानीय पुलिस की सहायता से विभागीय अधिकारियों द्वारा दिनांक 29 मई, 1992 को श्री मुजफ्फर हसन एवं उनके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में प्रश्नगत आवास रिक्त कराया गया । आवास से निकाला गया सामान आवास के परिसर में श्री मुजफ्फर हसन के परिवार की उपस्थिति में रखा गया था, अतः किसी कर्मचारी द्वारा सामान उठा ले जाने का प्रश्न नहीं उठता है । श्री मुजफ्फर हसन द्वारा दायर अपील में न्यायालय के स्थंगनादेश प्रभावी न होने की लिखित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रश्नगत आवास रिक्त कराया गया था । अतः मामले में किसी विभागीय अधिकारी का दोष नहीं पाया गया है ।

जनपद फतेहपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) सैयद रियाज अहमद जाफरी को जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये जाने के औचित्य की जानकारी

42—श्री विजय पाल सिंह तोमर—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन द्वारा जनपद फतेहपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सीलिंग) सैयद रियाज अहमद जाफरी को सी० पी० सी० 1898 के अधिनियम 10(2) व सी० आर० पी० सी० 1973 के अधिनियम 20 (2) के अन्तर्गत शासन द्वारा शस्त्र नियम 2 एफ के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये गये थे ? यदि हां, तो किस तिथि को तथा उसका औचित्य क्या था ?

श्री कल्याण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति से संबंधित कार्यरत जिलाधिकारियों की संख्या

43–श्री इकबाल महमूद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति से संबंधित कितने जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 21-10-92 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में जिलाधिकारी के पद पर अनुसूचित जाति के 11 तथा अनुसूचित जन जातियों के 3 अधिकारी कार्यरत हैं। अखिल भारतीय सेवा में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण न होने के कारण इस संवर्ग में पिछड़ी जाति के अधिकारियों की सूचना नहीं रखी जाती।

राज्य मुख्यालय पर पत्रकारों को मान्यता देने में अनिवार्य प्राविधिक फण्ड की शर्त की छूट देने की मांग

44–श्री इकबाल महमूद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मुख्यालय पर पत्रकारों को मान्यता देने में अनिवार्य प्राविडेन्ट फण्ड की शर्त लघु एवं मध्यम समाचार-पत्र विशेषकर सहकारी क्षेत्र के समाचार-पत्र नहीं पूरी कर सकते हैं और न उन पर लागू होती है ? यदि हां, तो उन पत्रकारों को छूट देकर मान्यता जारी रखने अथवा मान्यता देने पर शीघ्र विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

प्रेस मान्यता नियमावली में प्राविडेन्ट फण्ड (अनिवार्य) का प्राविधान है जिसके आधार पर राज्य स्तरीय मान्यता स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमानुसार पात्र न होने के कारण।

जनपद इलाहाबाद के श्री तेजबहादुर पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम जोगापुर, थाना हण्डिया द्वारा अपनी पौत्री की हत्या किये जाने विषयक थाना हण्डिया में लिखायी गयी रिपोर्ट एवं दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किये जाने की मांग

45–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि श्री तेज बहादुर पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम जोगापुर, थाना हण्डिया, जनपद इलाहाबाद द्वारा अपनी पौत्री की हत्या किये जाने विषयक एफ० आई० आर० दिनांक 27-9-91 को थाना हण्डिया, जनपद इलाहाबाद में दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या हत्या के दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार श्री तेजबहादुर की सूचना पर थाना हण्डिया पर दिनांक 27-9-91 को मु०अ०सं० 535/91, धारा 302/506 भा० दं० वि० का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में संदिग्ध अपराधी हिन्छलाल, उप प्रधान ग्राम कुसारी को नामित किया गया था किन्तु सन्देह झूठा पाया गया। विवेचना से कोई अन्य अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया। मामले में दिनांक 21-2-92 को अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी है।

जनपद इलाहाबाद के श्री राम प्रसाद सिंह, प्रधान, ग्राम जोगापुर, पो० व थाना हण्डिया द्वारा उनको धमकाने संबंधी लिखायी गयी रिपोर्ट एवं उस पर की गयी कार्यवाही

46–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि श्री राम प्रसाद सिंह, प्रधान, ग्राम जोगापुर, पो० हण्डिया, जिला इलाहाबाद द्वारा उनको धमकाने विषयक कोई रिपोर्ट थाना हण्डिया जनपद इलाहाबाद में दिनांक 13-9-91 को दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री राम प्रसाद सिंह, प्रधान, ग्राम जोगापुर ने थाना हण्डिया पर कोई पिरोर्ट दर्ज नहीं करायी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सी० एम० ओ० कालोनी, सिविल लाईन, मिर्जापुर में कई आवासों में चोरी की घटना की रिपोर्ट कोतवाली में न दर्ज किये जाने विषयक गृह मंत्री को प्रेषित शिकायत पर कार्यवाही

47–श्री विजय पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 26, 27 जून, 1991 की रात्रि में सी० एम० ओ० कालोनी, सिविल लाईन, मिर्जापुर के कई आवासों में हुई चोरी की घटना तथा शहर कोतवाली, मिर्जापुर में इसकी रिपोर्ट न दर्ज करने की शिकायत, राज्य कर्मचारी महासंघ, शाखा मिर्जापुर द्वारा दिनांक 28-6-91 तथा दिनांक 9-7-91 को उन्हें प्रेषित की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त शिकायत के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही की जायेगी, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शिकायती पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी नगर से करायी गयी । जांच से सी० एम० ओ० कालोनी सिविल लाईन में किसी भी कर्मचारी के क्वार्टर में चोरी होने की घटना नहीं पायी गयी और न ही किसी प्रकार की कोई चोरी की सूचना, बतौर प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक या अन्य किसी के द्वारा देना पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

वाराणसी में साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये लोगों की संख्या एवं अन्य स्थानों पर हुए तनावों का विवरण

48–श्री विजय पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, 1991 के प्रारम्भ में वाराणसी में भड़के साम्प्रदायिक दंगों में कुल कितने व्यक्ति मारे गये ? इसी समय क्या प्रदेश के किन्हीं अन्य स्थानों पर भी साम्प्रदायिक तनाव पैदा हुए ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नोलिखित घटना की न्यायिक जांच प्रचलित है ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय द्वारा प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों का व्यापक स्तर पर विकास एवं योजनाओं के उद्देश्य का अनुपालन किये जाने की मांग

49–श्री विजय पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय के गठन के उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी था कि निदेशालय द्वारा प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों का व्यापक स्तर पर विकास तथा योजनाओं एवं परियोजनाओं का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण करना ? क्या इन उद्देश्यों का अनुपालन विगत दो वर्ष से लगातार तथा वर्तमान में उन उद्देश्यों का परिपालन पूर्ण रूप से हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उटता ।

श्री सर्वेश कुमार पाण्डे (हेल्थ सुपरवाइजर), प्रा० स्वा० केन्द्र, बरखेड़ा, जिला पीलीभीत निवासी जनपद हरदोई की शिकायत पर थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत के पांच पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा एवं कार्यवाही

50–श्री विजय पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वादी श्री सर्वेश कुमार पाण्डेय (हेल्थ सुपरवाइजर), प्रा० स्वा० के० बरखेड़ा, जिला पीलीभीत, मूल निवासी जनपद हरदोई की शिकायत पर प्राथमिक जांच के बाद शासन के आदेश पर पंजीकृत किये गये मुकदमा अप० सं० 122/87 का धारा 395 भा० दं० सं०, थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत के पांच पुलिस अभियुक्तगण के विरुद्ध जिनका द्वितीय अपर मुख्य दण्डाधिकारी पीलीभीत द्वारा सी० आई० डी० जांच की अंतिम आख्या के अनुसार प्रसंज्ञान लिया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उ० प्र० शासन से इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के स्पष्ट आदेश भी मार्च, 1991 में निर्गत किये जा चुके हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री सर्वेश कुमार पाण्डे (हेल्थ सुपरवाइजर), प्रा० स्वा० केन्द्र बरखेड़ा जिला पीलीभीत निवासी जनपद हरदोई के प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में शासन द्वारा दिये गये आदेशों के अन्तर्गत दिनांक 18-7-87 को थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत पर भा० दं० सं० की धारा 395 के अन्तर्गत पांच पुलिस अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग अपराध संख्या 122/87 पंजीकृत किया गया । सी० आई० डी० द्वारा की गयी विवेचना के आधार पर अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 4-1-89 को न्यायालय प्रेषित की गयी । इस अन्तिम रिपोर्ट पर अपर मुख्य दण्डाधिकारी द्वारा धारा 147, 323, 325, 342, 504 भा० दं० सं० के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया गया ।

जी नहीं ।

जनपद हरदोई के थाना बिलग्राम एवं थाना मल्लावां में दर्ज किये गये मुकदमों में चार्जशीट एवं फाइनल रिपोर्ट लगाया जाना

51–श्री विजय पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के थाना बिलग्राम एवं थाना मल्लावां में अगस्त, 1991 से नवम्बर, 91 तक कितने अपराध दर्ज किये गये ? कितने मुकदमों में क्रमशः चार्जशीट एवं फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों थानों में शान्ति भंग की सम्भावना का आधार बनाकर धारा 107/116/151 का दुरुपयोग करके उत्पीड़न की कार्यवाहियां की गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त अवधि में कितने ऐसे मामले दर्ज किये गये और उनमें कुल कितने लोगों के चालान किये गये ?

श्री कल्याण सिंह–

थाना बिलग्राम

74 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें से 38 अभियोगों में आरोप-पत्र एवं 36 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी ।

जी नहीं ।

35 मामले दर्ज किये गये जिनमें 358 व्यक्तियों का चालान किया गया ।

थाना मल्लावां

103 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें से 81 अभियोगों में आरोप-पत्र एवं 22 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी ।

जी नहीं ।

25 मामले दर्ज किये गये जिनमें 312 व्यक्तियों का चालान किया गया ।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना-अन्तू में कोतवाली द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 38/92 को विचारार्थ भेजा जाना एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

52–श्री राम लखन वर्मा--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना-अन्तू में कोतवाली द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 38/92, धारा 436, 506 के अन्तर्गत विचारार्थ भेजी गयी है ? यदि हां, तो वांछित अपराधियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हरीनाथ पुत्र राम स्वरूप मौर्य, निवासी ग्राम संडवा चन्द्रिका, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ की लिखित सूचना पर दिनांक 11-2-92 को ग्राम प्रधान श्री बजरंग बहादुर सिंह तथा उनके छोटे भाई अनन्त बहादुर सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली पर धारा 436/506, भा० दं० वि० का अभियोग पंजीकृत किया गया । घटना स्थल थाना अन्तू से संबंधित होने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट की मूल प्रति थानाध्यक्ष अन्तू को भेज दी गयी, जहां पर मु० अ० सं० 38/92 उक्त धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत कर विवेचना की गयी । विवेचना से मामले को फर्जी व झूठा पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी है ।

जनपद आगरा में नये थाने अथवा नई चौकियां खोलने के प्रस्ताव व स्थान का विवरण

53–श्री विजय सिंह राणा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में कुछ नये थाने अथवा नई चौकियां स्थापित करने के प्रस्ताव जिला मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उनके स्थान क्या-क्या हैं ? क्या यहां नये थाने अथवा चौकी खोली जा रही हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, जनपद आगरा के ग्राम कमतरी, सामरा तथा जौनई में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी एवं ट्रान्स यमुना कालोनी तथा ग्राम कोलारी में साधारण पुलिस चौकी स्थापित किये जाने विषयक प्रस्ताव शासन में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्राप्त हुए थे । सम्यक् परीक्षणोपरान्त प्रस्तावित पुलिस चौकियों की स्थापना का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद मैनपुरी में पुलिस उपनिरीक्षकों, थाना इन्चार्जों एवं पुलिस इन्सपेक्टरों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमें एवं निलम्बन का विवरण

54–श्री राम औतार शाक्य–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में इस समय कार्यरत किन-किन पुलिस उपनिरीक्षकों, थाना इन्चार्जों एवं पुलिस इन्सपेक्टरों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमें कायम हैं ? क्या किसी को आपराधिक मुकदमा कायम होने के कारण निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त पुलिस कर्मियों में कोई ऐसा भी सब इन्सपेक्टर है, जिस पर आपराधिक मुकदमा कायम होते हुए जमानत न करायी गयी हो और कार्य कर रहा हो ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद मैनपुरी में उप निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह सेंगर तथा थानाध्यक्ष श्री बृजभूषण शर्मा के विरुद्ध मु० अ० सं० 58ए/92 धारा–364/302 भा० द० वि०, थाना घिरोर, जनपद मैनपुरी में अभियोग पंजीकृत हुआ है ।

जी नहीं ।

थाना घिरोर में हुई मुठभेड़ में अभियुक्त मूला पुत्र अतर सिंह, निवासी ओय, थाना घिरोर मारा गया था । इस मृतक के भाई जगवीर सिंह द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया । इस मामले में चल रही विवेचना में अब तक ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे संबंधित थानाध्यक्ष व उप निरीक्षक के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जाय ।

उपरोक्त उप निरीक्षक तथा थानाध्यक्ष द्वारा अपराधिक मामला कायम होने के उपरान्त भी जमानत नहीं करायी गयी है और वे राजकीय कार्य में सेवारत हैं ।

उपर्युक्त उप निरीक्षक तथा थानाध्यक्ष के विरुद्ध स्थानीय जांच से कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो पाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गयी है । वर्तमान में इसकी जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर में प्रश्नगत अवधि में हत्याओं से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी से बरामद सम्पत्ति का विवरण

55–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर में 1 जुलाई, 1991 से 15 जून, 1992 तक कितनी हत्यायें, डकैती के अभियोग पंजीकृत किये गये हैं ? उनमें से कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनसे कितनी सम्पत्ति बरामद की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद गाजीपुर में प्रश्नगत अवधि में 56 हत्याओं के अपराध पंजीकृत हुए जिनमें 98 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । डकैती के 33 अपराध पंजीकृत हुए जिनमें 148 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये एवं रु० 2,00,949.66 की सम्पत्ति बरामद की गयी ।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा में मछली पालन विषयक पट्टे की पत्रावली की गुमशुदगी से संबंधित श्री मुरली मनोहर, रजिस्ट्रार कानूनगो एवं श्री जगत मोहन चपरासी के विरुद्ध पंजीकृत अपराध की विवेचना

56–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले के पुरवा तहसील से मछली पालन विषयक पट्टे की पत्रावली चोरी कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या मुकदमा चोरी का दर्ज हुआ है ? विवेचना के निष्कर्ष क्या हैं ? क्या विवेचना सी० आई० डी० से कराये जाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, उन्नाव जिले की पुरवा तहसील की मछली पालन विषयक पट्टे की पत्रावली श्री मुरली मनोहर, रजिस्ट्रार कानूनगो के झोले में थी । झोला कचहरी प्रांगण उन्नाव से दिनांक 26-5-92 को गायब हो गया था । उसी में रखी पत्रावली भी गायब हो गयी थी ।

जी नहीं, बल्कि पत्रावली की गुमशुदगी की सूचना दर्ज हुई थी ।

पत्रावली गुमशुदगी की जांच उप निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार तिवारी द्वारा की गयी । जांच से श्री मुरली मनोहर रजिस्ट्रार कानूनगो व जगत मोहन चपरासी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 409 भा० दं० वि० का पाया गया है । अतः इनके विरुद्ध दिनांक 16-11-92 को अपराध संख्या 1405/92 धारा 409 भा० दं० वि०, थाना कोतवाली, जनपद उन्नाव में पंजीकृत किया गया है, जो विवेचनाधीन है ।

जी नहीं ।

आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा तदर्थ नियुक्तियों का न किया जाना

57–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या–13-9-90(1)/का-1/1990, दिनांक 8 जून, 1990 द्वारा विभिन्न विभागों में तदर्थ नियुक्तियों को समाप्त करने के आदेश निर्गत किये गये थे ? क्या उक्त शासनादेश का अनुपालन शासकीय सचिवालय में तदर्थ नियुक्तियों के संदर्भ में किया जा रहा है ? यदि नही, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदनों में स्पष्ट असहमति विषयक टिप्पणी के बावजूद भी शासकीय सचिवालय में भारी संख्या में अनुबन्ध अथवा, नियत वेतन के स्थान पर पदों के वेऊँतनमान में तदर्थ नियुक्तियां गत दो वर्षों में की गयी हैं ? क्या इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों को उपर्युक्त 10 जून के शासनादेश के अनुपालन में 29 फरवरी, 1992 को समाप्त किये जाने के आदेश जारी करने और भविष्य में उक्त शासनादेश के अनुपालन में केवल अनुबन्ध अथवा निर्धारित वेतन पर ही तदर्थ नियुक्तियां किया जाना सुनिश्चित करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, किन्तु संदर्भित शासनादेश संख्या–13/9/90(1)का-1/1990, दिनांक 8 जून, 1990 द्वारा नहीं

बल्कि शासनादेश संख्या–13/33/90-का-1/1990, दिनांक 29-10-90 द्वारा पदोन्नति के माध्यम से तदर्थ नियुक्तियों पर तथा शासनादेश संख्या–20/1/91-कार्मिक–2, दिनांक 29-6-91 सपठित शासनादेशों दिनांक 17-7-91 व 26-9-91 में निहित आदेशों द्वारा सीधी भर्ती से तदर्थ नियुक्तियों पर पूर्णतः रोक लगी हुई हैं।

सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा गत दो वर्षों में सचिवालय में उनके नियंत्रणाधीन पदों में किसी भी पद पर तदर्थ रूप से कोई नियुक्त नहीं की गयी है।

शेष प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद कानपुर के थाना काकादेव के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश गुप्ता की पत्नी श्रीमती बीना गुप्ता के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था की मांग

58–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में थाना काकादेव के अन्तर्गत विगत 8-10-90 को श्री ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ गोपाल भईया एवं उनके अंगरक्षक की हत्या हुई थी ? क्या उसके पश्चात् उनके लघु भ्राता श्री अनिल कुमार गुप्ता उर्फ पप्पू चार्ली की हत्या का असफल प्रयास गोली मार कर विगत 2 अप्रैल, 91 को किया गया था ? क्या यह सही है कि इस गम्भीर हादसे में विगत सरकार द्वारा एक गारद गनर सहित अंगरक्षक प्रदान किये गये थे ? क्या इन दो वीभत्स घटनाओं के बाद भी मृतक की पत्नी व परिवार पर लगातार जान लेवा धमकी व घटनाओं की रिपोर्ट क्षेत्रीय थाने में दर्ज है ? क्या वर्तमान सरकार द्वारा जो विगत 21-3-92 तक अंगरक्षक प्रदान किया गया था, को अब हटा लिया गया है ? क्या पुनः अंगरक्षक हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई तथा उक्त परिवार की सुरक्षा के लिए शासन क्या व्यवस्था कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

जी हां।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता की पत्नी श्रीमती बीना गुप्ता को एक अंगरक्षक व निवास स्थान पर 3 कान्स० की गारद विगत सरकार द्वारा शासकीय व्यय पर प्रदान की गयी थी।

सम्पत्ति के स्वामित्व के विषय को लेकर निजी कारणों से श्रीमती बीना गुप्ता व उनके ससुर श्री गौरी शंकर गुप्ता व देवर आदि की ओर से एक दूसरे के विरुद्ध रिपोर्ट अंकित है।

श्रीमती बीना गुप्ता को वर्तमान सरकार द्वारा 21-3-92 तक अंगरक्षक प्रदान किया गया था। किन्तु अवधि समाप्त होने पर तथा आगे औचित्य न पाये जाने के कारण सुरक्षा अवधि नहीं बढ़ाई गयी।

श्रीमती बीना गुप्ता द्वारा पुनः अंगरक्षक प्रदान करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया था किन्तु उनको शासकीय व्यय पर सुरक्षा देने का औचित्य नहीं पाया गया है। श्रीमती बीना गुप्ता व उनके परिवार की सुरक्षा स्थानीय पुलिस द्वारा सामान्य पुलिस प्रबन्धों के अन्तर्गत की जा रही है।

अयोध्या को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु अधिग्रहीत भूमि का विवरण

59–श्री विजय पाल सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि अयोध्या को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कुल मिलाकर अब तक कितनी भूमि अधिग्रहीत की गयी है ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

अयोध्या को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कुल 68.8144 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी है ।

अयोध्या में राम चबूतरे को हटाने का प्रयास न किया जाना

60–श्री विजय पाल सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि अयोध्या के ऐतिहासिक साक्षी गोपाल, संकट मोचन मंदिरों एवं राम चबूतरे को ध्वस्त करने के प्रयासों को शासन द्वारा रोके जाने के क्या-क्या उपाय किये गये ? यदि उपाय नहीं किये गये, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अयोध्या में धार्मिक यात्रियों को सुविधा सुलभ कराने एवं अयोध्या के गौरव व सांस्कृतिक विरासत को बनाये रखने की परियोजना को गति प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर एवं 10 अक्टूबर, 1991 के अधीन विवादित ढांचे तथा उसके रास्ते को छोड़ते हुए 2.77 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया अधिग्रहण के पश्चात् राज्य सरकार को प्राप्त हुए अधिकारों के अन्तर्गत ऐसे निर्माण हटाये गये जो समतलीकरण में बाधाजनक थे ।

इसी श्रृंखला में साक्षी गोपाल काम्पलेक्स का मूर्ति वाला कमरा तथा उससे लगे कमरे को छोड़कर शेष भवन हटाया गया ।

संकट मोचन मंदिर के महन्त श्री राम आसरे दास ने लिखकर दिया था कि वे हनुमान जी की मूर्ति को, जिससे उनका भावनात्मक लगाव है, वहां से हटाकर अपने स्थान पर ले जाना चाहते हैं । महन्त श्री राम आसरे दास द्वारा हनुमान जी की मूर्ति को स्वेच्छा से हटा लिये जाने के पश्चात् अवशेष ढांचा हटा दिया गया ।

राम चबूतरे को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया ।

उपरोक्त कार्यवाही अयोध्या में धार्मिक यात्रियों को सुविधा सुलभ कराने एवं अयोध्या के गौरव व सांस्कृतिक विरासत को बनाये रखने के उद्देश्य से की गयी थी, अतः इसको रोकने के उपाय किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये समय का अनुपालन कराने हेतु निर्देशों का जारी किया जाना

61–श्री अतीक अहमद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय, (विधान भवन) स्थित विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों के लिये प्रतिदिन औसतन कार्य करने के लिये न्यूनतम कितने घन्टे

की समय सीमा निर्धारित है ? क्या इस संबंध में जारी शासनादेश की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त औसतन प्रतिदिन न्यूनतम कार्यावधि तक कर्मचारियों द्वारा कार्य करना सुनिश्चित करने के लिये शासन द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश सचिवालय नियम संग्रह के नियम 34 के अनुसार सचिवालय में सामान्य रूप से निर्धारित कार्यालय समय प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक है जिसमें नियम–55 के अनुसार 1 बजे से 3 बजे अपरान्ह के मध्य सचिवालय के कर्मचारी/अधिकारी आधे घंटे के स्वल्पाहार समय का उपयोग करेंगे ।

चूंकि उक्त व्यवस्था सचिवालय नियम संग्रह में दी हुई है, अतः उसके संबंध में अलग से कोई शासनादेश जारी नहीं किये गये हैं ।

सचिवालय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उक्त निर्धारित कार्यालय समय की पाबन्दी तथा स्वल्पाहार के लिये निर्धारित समय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं ।

जनपद सुल्तानपुर में नियुक्त नर्सिंग अर्दली स्व० श्री जय गोविन्द सिंह के आश्रित श्री गया बक्स सिंह के प्रकरण में दोषी अधिकारी श्री आर० एन० उपाध्याय को प्रतिकूल प्रविष्टि दिया जाना

62–श्री तेजभान सिंह–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि० 20-11-91 को सुल्तानपुर में नियुक्त नर्सिंग अर्दली जय गोविन्द सिंह की सेवाकाल में मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतकाश्रित के रूप में नौकरी पाने हेतु मृतक के पुत्र गया बक्स सिंह ने आवेदन किया था ? क्या उसे नौकरी दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस प्रकरण में दोष किसका है तथा शासनादेश क्या है ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस मामले में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी श्री आर० एन० उपाध्याय अधीक्षक को व्यक्तिगत पत्रावली में सचेत करने की प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा चुकी है ।

वर्तमान मंत्रिमंडल के मा० सदस्यों के आवासों के मरम्मत पर व्यय धनराशि का विवरण

63–श्री राम लखन वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान मंत्रिमंडल के सदस्यों के आवासों के मरम्मत, सजाने तथा फर्नीचर आदि पर अलग-अलग कुल कितना धन खर्च हुआ ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्तमान मंत्रिमंडल के मा० सदस्यों के आवासों में मरम्मत पर रुपया 10.18 लाख तथा साज सज्जा (फर्नीचर आदि) पर रुपया 56.24 लाख की धनराशि व्यय हुयी है ।

श्री मुलायम सिंह यादव के मंत्रिमंडल के कार्यकाल में मंत्रिपरिषद के कतिपय सदस्यों पर टेलीफोन, यात्रा एवं जलपान पर व्यय धनराशि की जानकारी

64–श्री राम लखन वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान मंत्रिमंडल के गठन से अब तक मंत्रि परिषद् के किन-किन सदस्यों पर कितना-कितना धन टेलीफोन, यात्रा तथा जलपान मद में खर्च हुआ ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रिमंडल के कार्यकाल में उनके मंत्रिपरिषद् के किन-किन सदस्यों पर कितना-कितना धन टेलीफोन, यात्रा तथा जलपान पर खर्च हुआ था ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर स्थित अपट्रान फैक्ट्री के प्रबन्धक श्री आर० पी० बंसल को कतिपय आरोपों में निलम्बित किया जाना

65–श्री बच्चा पाठक–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1991 को जौनपुर स्थित अपट्रान फैक्ट्री के प्रबन्धक को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या आरोप हैं ? उक्त अधिकारी के कार्यकाल में फैक्ट्री का आय-व्यय व उत्पादन क्या था तथा 5 जून के बाद उक्त फैक्ट्री का आय-व्यय तथा उत्पादन क्या है ? क्या 5 जून, 1991 के बाद जिस अधिकारी को उक्त पद पर नियुक्त किया गया उसको जनरल मैनेजर (सी० 3 पी०) द्वारा उसके उत्तम कार्य के लिये कोई पत्र संबंधित अधिकारी को लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । जौनपुर स्थित अपट्रान की फैक्ट्री के कार्य प्रबन्धक श्री आर० पी० बंसल को दिनांक 3-6-91 के कार्यालय आदेश संख्या-102 द्वारा जौनपुर से लखनऊ स्थानान्तरित किया गया था एवं कार्यालय आदेश दिनांक 8-6-91 के द्वारा निलम्बित किया गया था ।

श्री बंसल के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप थे :–

(1) नियोजक के व्यवसाय अथवा संपत्ति से संबंधित चोरी, धोखा-धड़ी, विश्वासघात अथवा बेइमानी ।

(2) व्यवस्था और अनुशासन के खिलाफ दुराचरण ।

(3) कार्य के प्रति लापरवाही ।

(4) कम्पनी के नियमों का उल्लंघन ।

(5) सेवायोजन में रहते हुए व्यक्तिगत व्यवसाय चलाना ।

(6) अनुशासन के प्रतिकूल कार्य, श्री आर० पी० बंसल का कार्यकाल मई, 1989 से जून, 1991 तक रहा । उनके कार्यकाल के आय-व्यय के माहवार आंकड़े प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है क्योंकि लेखे वार्षिक आधार पर तैयार किये जाते हैं । वर्ष 1989-90 में असंप्रेक्षित लाभ-हानि खाते के अनुसार जौनपुर फैक्ट्री की आय रु० 1977.39 लाख तथा व्यय रु० 1915.71 लाख रहा । वर्ष 1990-91 में अस्थायी लाभ-हानि खाते के अनुसार जौनपुर फैक्ट्री की आय रु० 1129.89 लाख तथा व्यय रु० 1125.31 लाख रहा । अप्रैल 91 से मार्च 92 तक की अवधि में फैक्ट्री की आय रु० 1231.75 लाख एवं व्यय रु० 1226.70 लाख रहा ।

श्री बंसल के कार्यकाल (मई 89-जून 91) में फैक्ट्री के माहवार उत्पादन का विवरण अनुलग्नक "क" पर तथा जून 91 से मार्च 92 की अवधि का माहवार उत्पादन विवरण अनुलग्नक "ख" पर संलग्न है ।

जी हां । महाप्रबन्धक सीईपी द्वारा नये अधिकारी श्री आर० एन० सारस्वत, कार्य प्रबन्धक, जौनपुर फैक्ट्री को उनके एवं सह कर्मियों के उत्तम कार्य के संबंध में उत्साहवर्धन हेतु दो पत्र दिनांक 25 जुलाई, 91 एवं 13 सितम्बर, 91 प्रेषित किये गये । जी नहीं, चूंकि उक्त पत्र फैक्ट्री के नियमित कार्य कलाप से संबंधित है । अतएव उन्हें सदन के पटल पर रखने से अपट्रॉन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ सकता है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 204–206 पर)

मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री खड़ग सिंह (खंजर सिंह) पुत्र रणधीर सिंह, श्री ईश्वरी पुत्र छेदा लाल बढ़ई, जिला एटा के नाम से निकाली गई पेंशन एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

66-श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री खड़ग सिंह (खंजर सिंह) पुत्र रणधीर सिंह अहीर, निवासी नगला बंदे, परगना आजमनगर, तहसील अलीगंज व श्री ईश्वरी पुत्र छेदा लाल बढ़ई, निवासी पश्चिमी थोक, गंज डुंडुवारा, तहसील पटियाली, जिला-एटा के नाम से फर्जी पेंशन, श्री सूखे पुत्र चोखे गड़रिया व श्री गौरी शंकर पुत्र धर्मजीत गड़रिया द्वारा राजनैतिक पेंशन कोषागार से निकाली जा रही है ? क्या यह सच है कि इस संबंध में जिलाधिकारी एटा द्वारा वर्ष 1990 व 1991 में जांच की जा चुकी है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

इन शिकायतों की जिला अधिकारी, एटा द्वारा जांच करायी गयी है । पहले इस मामले की जांच वर्ष 1977 में हुयी थी । दुबारा जांच वर्ष 91-92 में हुई है । इन दोनों बार की जांच के निष्कर्षों में भिन्नता होने के कारण जिलाधिकारी से स्थिति स्पष्ट करायी गयी है । उनकी रिपोर्ट आ जाने पर कार्यवाही की जायेगी ।

पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री राम औतार पुत्र सुखपाल, निवासी बलभद्रपुर, थाना जामो, जिला सुल्तानपुर का प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित महिलाओं को प्रताड़ित विषयक पत्र पर कार्यवाही

67–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री राम औतार पुत्र सुखपाल, निवासी बलभद्रपुर, थाना जामो, जिला सुल्तानपुर का दिनांक 12-8-91 का प्रार्थना-पत्र जो प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित तथा उप पुलिस अधीक्षक, गौरीगंज को प्राप्त कराया गया है, जिसमें महिलाओं को प्रताड़ित करने व एक रिश्तेदार से 700/- लेने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी, गौरीगंज द्वारा कराई गयी । जांच से उ० नि० श्री सच्चिदानन्द प्रसाद द्वारा अभियुक्त बैजनाथ को पूछताछ हेतु थाना पर लाने की पुष्टि हुई । इस आशय का विवरण अभियोग दैनिकी व जी० डी० में अंकित न करने के लिये विवेचक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद खीरी के पुलिस अधीक्षक द्वारा आतंकवादी क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना

68–श्री राम गोपाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खीरी जनपद आतंकवादी क्षेत्र होने के नाते शासन के पास पुलिस चौकियां खोलने का जो प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खीरी द्वारा प्रेषित किया गया है ? यह चौकियां (जैसे लगुचा बेहजम, लीलाकुआं लालपुर बाईपास) में कब तक कार्य करने लगेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद लखीमपुर खीरी में थाना खीरी के अन्तर्गत ग्राम लघुचा में तथा थाना नीमगांव के अन्तर्गत बेहजम में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापना के प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुए थे । दोनों रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों की स्थापना के प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त औचित्य नहीं पाया गया ।

इनके अतिरिक्त थाना फरधान के अन्तर्गत लीलाकुआं तथा थाना कोतवाली के अन्तर्गत लालपुर बाईपास में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी/उ० प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से शासन में प्राप्त नहीं हुआ है ।

सी० जे० एम०, उन्नाव द्वारा थानाध्यक्ष, खाला बाजार, लखनऊ को अकरम खां तथा आलम खां पर ईद के अवसर पर हुए प्राणघातक हमले की सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना एवं कार्यवाही

69–श्री मोहम्मद मुकीम तथा श्री राम औतार शाक्य–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी० जे० एम०, उन्नाव ने दिनांक 8-4-92 को थानाध्यक्ष, खाला बाजार, लखनऊ को अकरम खां तथा आलम खां पर ईद के दूसरे दिन हुए प्राण घातक हमले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कृत कार्यवाही की सूचना दिनांक 21-4-92 तक उनके न्यायालय को भेजने के लिये निर्देश दिये थे ? यादे हां, तो उक्त निर्देशों का पालन कर क्या खाला बाजार, थानाध्यक्ष द्वारा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर दी गयी है ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रमुख आरोप क्या हैं तथा आरोपी कौन-कौन हैं ? क्या मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि अब तक प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज आरोपियों को हिरासत में लिया गया था या नहीं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

चूंकि न्यायालय के आदेश प्राप्त होने के पूर्व ही प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका था । अतः न्यायालय के आदेश प्राप्त होने पर पुनः उन्हीं आरोपों के संबंध में

अभियोग पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं थी । न्यायालय द्वारा आदेशित प्रार्थना पत्र को विवेचना में समायोजित कर लिया गया था । प्रथम सूचना रिपोर्ट में मारने पीटने एवं गाली गलौज करते हुए, जान से मारने की धमकी देने के आरोप सर्वश्री लल्लू, जय किशन, भल्लू एवं गुड्डू पुत्रगण छिट्टू निवासी झोपड़पट्टी, ऐशबाग पुरानी कालोनी थाना खालाबाजार के विरुद्ध लगाये गये हैं ।

अभियुक्त जयकिशन एवं गुड्डू को दिनांक 6-4-92 को हिरासत में लिया गया था । विवेचना से अन्य किसी के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने पर कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रदेश में अभियोजन अधिकारियों तथा वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची एवं उनके रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने की मांग

70–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अभियोजन अधिकारियों तथा वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों की कोई ज्येष्ठता सूची तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या उसे सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उप निदेशक अभियोजन तथा वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों के कुल कितने पद दिनांक 15 जून, 1992 तक रिक्त हैं और उन पर कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

सूचना के विस्तार के कारण उसे सदन के पटल पर रखना व्यवहारिक नहीं है । मा० विधायक द्वारा सूची महानिदेशक अभियोजन के कार्यालय अथवा शासन के संबंधित विभाग में किसी कार्य दिवस में देखी जा सकती है ।

प्रश्नगत तिथि तक 37 पद रिक्त थे जिसमें से 2 पद जुलाई 1992 में भरे जा चुके हैं । शेष पदों पर नियुक्तियां पात्रता सूची में से पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर की जायेंगी ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम व थाना जामो के निवासी श्री चन्द्रिका प्रसाद सुत अलेखधारीन की दीवाल, पुलिस कर्मियों द्वारा गिराये जाने की शिकायत

71–श्री तेजभान सिंह–

प्रथम सत्र 91 के दूसरे मंगलवार के अता० प्रश्न 38 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले की जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो संबंधित लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शिकायतकर्ता को अपनी तरफ से कोई साक्ष्य देने का अवसर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

इण्डोगल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स कारपोरेशन लि०, जगदीशपुर, सुल्तानपुर के जनरल मैनेजर के विरुद्ध एफ० सी० ओ० के अन्तर्गत जांच

72–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी एवं उर्वरक निबन्धन अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 26-6-90 को इण्डोगल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स कारपोरेशन लि०, जगदीशपुर, सुल्तानपुर के जनरल मैनेजर के विरुद्ध एफ० सी० ओ० के अन्तर्गत कोई जांच की गयी थी तथा क्या कोई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट उक्त फैक्ट्री के विरुद्ध चौकी बी० एच० एल०, थाना बाजार शुक्ल, सुल्तानपुर में इसी तारीख में दर्ज कराई गयी है ? यदि हां, तो इस प्रकरण की विवेचना किसी अधिकारी ने की है ? क्या कोई चार्जशीट लगाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मामले की विवेचना थानाध्यक्ष, थाना बाजार शुक्ल, जनपद सुल्तानपुर द्वारा की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विवेचना से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

जनपद सीतापुर के ग्राम कुआमऊ, थाना मिश्रिख के हरिजन टनकाई की लाइसेन्सी बन्दूक पुलिस द्वारा जमा कराया जाना एवं उन्हें बन्द करने का कारण

73–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के ग्राम कुआमऊ, थाना मिश्रिख के हरिजन टनकाई की लाइसेन्सी बन्दूक दिनांक 5-6-92 को पुलिस द्वारा जमा करा ली गयी है और उसे झूठे मुकदमें में निर्दोष बन्द किया गया ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 5-6-92 को थाना मिश्रिख, जनपद सीतापुर के उ० नि० श्री सुरेन्द्र राय द्वारा मय हमराही फोर्स के साथ कार्य सरकार में ग्राम मिथौली के पास श्री टनकाई हरिजन पुत्र बलदेव, नि० कुआंमऊ, थाना मिश्रिख, सीतापुर की लाइसेन्सी बन्दूक की जांच की गयी । जांच के दौरान टनकाई के कब्जे से 2 अदद एल० जी० कारतूस 12 बोर अवैध बरामद हुआ । अतः मु० अ० सं० 165/92 धारा 25(1वी) आर्म्स एक्ट में टनकाई को बन्दी बनाकर दिनांक 5-6-92 को जेल भेजा गया तथा उसकी बन्दूक थाना मिश्रिख के मालखाना में दाखिल है । अभियोग विवेचनाधीन है । यह कहना गलत है कि टनकाई को निर्दोष बन्द कर दिया गया ।

श्री बाबू खां, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रेषित अध्यक्ष नगर पालिका, मिश्रिख तथा अन्य व्यक्तियों को पुलिस अधीक्षक, सीतापुर द्वारा प्रताड़ित किये जाने विषयक तार पर जांच तथा कार्यवाही

74–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि० 17-3-92 को बाबू खां, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रेषित अध्यक्ष, नगरपालिका, मिश्रिख तथा अन्य व्यक्तियों को पुलिस अधीक्षक रामनारायण सिंह, सीतापुर द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में कोई शिकायती टेलीग्राम उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त प्रेषित तार पर तत्काल जांच कराकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

टेलीग्राम में लगाये गये तथाकथित आरोपों की जांच पुलिस महानिदेशक, उ० प्र०, लखनऊ के माध्यम से करायी जा रही है ।

जनपद सीतापुर के कस्बा नीमसार के अनिल गुप्ता, रोहित दीक्षित, संचालक, कृषक सेवा सहकारी समिति के विरुद्ध पुलिस द्वारा मुकदमा कायम करने की जांच किये जाने की मांग

75–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के कस्बा नीमसार में दिनांक 4-6-92 को अनिल गुप्ता, रोहित दीक्षित, संचालक, कृषक सेवा सहकारी समिति, नीमसार जब समिति के कार्य कलापों के संबंध में उक्त समिति के सचिव से वार्ता के दौरान पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करके, उक्त संचालक मंडलों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करके हिरासत में ले लिया गया तथा थाना इंचार्ज रामशंकर द्वारा निर्मम पिटाई तमाम व्यक्तियों की मौजूदगी में की गयी ? यदि हां, तो सरकार इसकी उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 4-6-92 को श्री उमेश चन्द्र वर्मा, प्रबन्ध निदेशक, किसान सेवा सहकारी समिति, नीमसार ने थाना मिश्रिख पर सूचित किया कि उक्त दिवस पर करीब 12 बजे उक्त सहकारी समिति पर अनिल कुमार गुप्त व श्री राम किंकर पांडे तथा रोहित दीक्षित लाठी, डन्डों से लैस होकर पहुंचे तथा प्रबन्धक, उमेश चन्द्र वर्मा को डन्डों से मारा तथा समिति के कागजों को फाड़ दिया, सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया तथा जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी । श्री उमेश चन्द्र वर्मा की उक्त लिखित तहरीर पर मु० अ० सं० 162/92 धारा 353/332/504/506/भा० द० वि० बनाम अनिल कुमार गुप्ता आदि चार नफर पंजीकृत किया गया । मामले में साक्ष्य मिलने पर नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त अनिल कुमार गुप्त व रोहित दीक्षित को गिरफ्तार करने हेतु गिरफ्तारी के दौरान आवश्यक बल प्रयोग किया गया । विवेचना के पश्चात् पर्याप्त साक्ष्य होने पर विवेचक द्वारा आरोप पत्र चारों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जयराम माली के नाम से उपचार हेतु दिये गये अनुदान को हड़प लिया जाना

76–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के सातवें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मीरानपुरा के निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० जयराम माली के नाम से शासन द्वारा उपचारार्थ 4000/- का अनुदान चिकित्सा कार्य हेतु दिया जाना तथा उक्त धनराशि का भुगतान स्व० जयराम माली का निधन हो जाने के उपरान्त कर्मचारियों द्वारा निकाल कर हड़प कर लिये जाने की जांच जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा कराये जाने और जांचोपरान्त दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कराने की बात कही गयी है ? यदि हां, तो प्रश्नगत मामले में जांचोपरान्त किसे दोषी पाया गया है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कराये जाने सहित क्या-क्या कार्यवाही करायी गयी है ?

श्री ऐजाज रिजवी–

जी हां । इस प्रकरण की जांच अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), फैजाबाद द्वारा की गयी । जांच के अनुसार संबंधित लिपिक की लापरवाही के कारण गलत व्यक्ति को भुगतान कर दिया गया था, क्योंकि इस जनपद में जयराम नाम के तीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे थे । जानकारी होने पर प्रश्नगत धनराशि 4,000/- का भुगतान सही व्यक्ति स्व० जयराम माली के एक मात्र उत्तराधिकारी उनके पुत्र को करा दिया गया है । इस लापरवाही के लिये संबंधित लिपिक की चरित्र पंजी में भर्त्सनात्मक

प्रविष्टि कर दी गयी है और उसे इस कार्य से हटा दिया गया है । अन्य दो व्यक्तियों जिसने अनाधिकृत रूप से अनुदान प्राप्त किया तथा जिसने इनकी पहचान की थी, के विरुद्ध भी कार्यवाही के लिये जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है ।

जनपद आजमगढ़ कचहरी में वकीलों व पुलिस के मध्य हुई घटना की जांच रिपोर्ट एवं दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

77–श्री राम लखन वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25 जनवरी, 1983 तथा 4 फरवरी, 1983 को जनपद आजमगढ़ कचहरी में वकीलों व पुलिस के मध्य हुई घटना की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच आयोग की रिपोर्ट में कौन-कौन से लोग घटना के लिये दोषी पाये गये हैं ? दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच आयोग के प्रतिवेदन में श्री आर० बी० भाष्कर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, श्री नन्द किशोर ए० डी० एम०, श्री सी० बी० सतपथी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सी० ओ०, जी० डी० नौटियाल सी० ओ० सिटी, नरेन्द्र प्रताप सिंह आर० आई०, बी० एन० सिंह, उप निरीक्षक तथा कान्स० मुहर्रिर इफ्तखार खां दोषी पाये गये ।

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश में वर्तमान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कार्यरत सरकारी वकीलों तथा ए० पी० ओ० की जनपदवार सूची

78–श्री राम लखन वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कितने सरकारी वकील तथा ए० पी० ओ० अनुसूचित जाति तथा अनसूचित जनजाति के कार्यरत हैं ? जनपदवार उनकी संख्या क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्तमान में इस प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के 45 सरकारी वकील तथा 127 सहायक अभियोजन अधिकारी कार्यरत हैं ।

कार्यरत ऐसे सरकारी वकीलों तथा सहायक अभियोजन अधिकारियों की जनपदवार सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 207–209 पर)

पर्वतीय क्षेत्रों हेतु स्वीकृत, परिव्यय एवं अवमुक्त की गयी धनराशि

79–श्री लीला राम शर्मा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1991-92 में पर्वतीय क्षेत्रों हेतु कितनी परिव्यय धनराशि स्वीकृत हुयी थी ? माह दिसम्बर, 91 तक उसके विपरीत कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी ? शेष धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी ?

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (श्री पूरन चन्द्र शर्मा)–

वर्ष 1991-92 में उत्तरांचल क्षेत्र के लिये रुपया 26000.00 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया था तथा मूल आय-व्ययक में रु० 24721.89 लाख का प्राविधान था जिसके विपरीत दिसम्बर 1991 तक 19020.690 लाख की स्वीकृतियां निर्गत की गयीं तथा 31 मार्च 1992 तक शेष स्वीकृतियां जारी कर दी गयीं ।

श्री राज किशोर सिंह, तत्कालीन विधायक एवं नेता, विधायक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का कक्ष संख्या 90 बी ब्लाक दारुलशफा के अध्यासी को स्थायी आवंटन आदेश देने विषयक पत्र पर कार्यवाही

80–श्री अफजाल अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राज किशोर सिंह, तत्कालीन विधायक एवं नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पत्र दिनांक 7-3-89 के संदर्भ में तत्कालीन मंत्रिमंडल ने किसी अधिकारी को कक्ष सं०-90 बी ब्लाक दारुलशफा में या अन्य किसी विधायक निवास या आफिसर्स हास्टल में विशेष सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत आवंटित करने का निर्देश राज्य सम्पत्ति विभाग को दिया था? यदि हां, तो वर्णित आदेश क्या था ? क्या उक्त आदेश का अनुपालन कराते हुए राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा संबंधित अध्यासी को स्थायी आवंटन आदेश दिया है ? यदि नहीं, तो आदेश का अनुपालन न करने हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? कक्ष सं०-90 बी ब्लाक के अध्यासी को सदस्यों की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में स्थायी आवंटन आदेश कब तक उपलब्ध करा देंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री राज किशोर सिंह, तत्कालीन विधायक एवं नेता, विधायक दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पत्र दिनांक 7-3-89 के संदर्भ में तत्कालीन मा० मंत्री, राज्य संपत्ति विभाग ने विधान परिषद सचिवालय के एक सहायक श्री आदित्य कुमार दुबे को विधायक निवास-2 (पुराना) का कक्ष संख्या-90 या अन्य किसी करीब स्थान पर आवंटित करने का आदेश दिया था ।

सामान्यतया विधायक निवासों में बाहरी कर्मचारियों को आवास आवंटित नहीं किये जाते, परन्तु प्रश्नगत मामले में विशेष परिस्थितियों में उपर्युक्त कक्ष दिनांक 3-4-89 के आदेश द्वारा मात्र तीन माह के लिये श्री दूबे के पक्ष में आवंटित किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थायी आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में शासन द्वारा पर्यटन केन्द्र के रूप में उन्हें विकसित करने की योजना

81–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने ऐसे स्थान हैं जिनमें पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उन्हें पर्यटन केन्द्र के रूप में उन्हें विकसित करने की शासन की योजना है ? उक्त पर्यटन केन्द्रों को विकसित करने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या सुविधायें प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं ? जनपद टिहरी गढ़वाल में पर्यटन विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए कितने केन्द्र स्थान चयनित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

जी हां ।

शासन द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल हेतु पर्यटन विकास की निम्नवत् योजनायें स्वीकृत की गयी हैं ।

(1) मुनि-की-रेती (शीशमझाड़ी) में 120 शैय्या का पर्यटक आवास गृह निर्माण ।

(2) पर्यटक आवास गृह धनौल्टी का विस्तार ।

(3) कद्दूखाल से सुरकन्डा देवी तक मार्ग का सुधार ।

(4) सुरकन्डा देवी मंदिर का सुधार ।

(5) विकास खण्ड जखौली में मैठाणीदेवी मंदिर तक पहुंच मार्ग एवं पाइप रेलिंग निर्माण ।

(6) सेम मुखेम मंदिर का सौन्दर्यीकरण ।

(7) हटकुणी मंदिर पोणीवासर में मंदिर सुरक्षा दीवार एवं आगणन खड़न्जा मार्ग का निर्माण ।

(8) बूढ़ाकेदार से धुत्तू ट्रेकिंग मार्ग अनुरक्षण एवं खड़न्जा निर्माण ।

(9) धुत्तू से पवालीकांठा ट्रेकिंग मार्ग अनुरक्षण पर खड़ंजा निर्माण ।

(10) घंटाकरण मंदिर का सौन्दर्यीकरण ।

(11) धुत्तू में 20 शैय्या का पर्यटक आवास गृह निर्माण ।

(12) गंगी में 20 शैय्या के पर्यटक आवास गृह का निर्माण ।

(13) रीह में 20 शैय्या के पर्यटक आवास गृह का निर्माण ।

(14) ब्यासी में सुलभ शौचालय का निर्माण ।

(15) देवप्रयाग में सुलभ शौचालय का निर्माण ।

(16) साकिनीधार में मार्गीय सुविधा निर्माण ।

(17) आगराखाल में मार्गीय सुविधा का निर्माण ।

उपरोक्तानुसार जनपद टिहरी गढ़वाल के 17 स्थानों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु विभिन्न कार्य करवाये जा रहे हैं ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर (थत्यूड़) में नागटिब्बा को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने एवं जौनपुर (थत्यूड़) से नागटिब्बा तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने की मांग

82–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर (थत्यूड़) में पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र नागटिब्बा नामक स्थान है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वहां यातायात की सुविधा न होने के कारण पर्यटकों को अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं ? क्या नागटिब्बा को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने तथा थत्यूड़ से नागटिब्बा तक मोटर मार्ग बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त मोटर मार्ग का निर्माण करके उक्त स्थल नागटिब्बा का विकास पर्यटन केन्द्र के रूप में किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

जी हां । जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर (थत्यूड़) में थत्यूड़ से 21 कि० मी० की दूरी पर नागटिब्बा स्थित है । यह रमणीक एवं आकर्षक स्थल है ।

वर्तमान में इस स्थल के लिये मंसूरी से थत्यूड़ तक (35 कि० मी०) मोटर यातायात उपलब्ध है । थत्यूड़ से देवलसारी 7 कि० मी० तथा देवलसारी से नागटिब्बा 14 कि० मी० पैदल मार्ग से पहुंचा जा सकता है ।

जी नहीं । वर्तमान में यहां पर मोटर मार्ग के निर्माण की कोई भी योजना पर्यटन विभाग के माध्यम से प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता । कारण यह है कि यह स्थल मुख्यतया (ट्रैकर्स) पथारोहियों के लिये प्रसिद्ध है । यह क्षेत्र बाज, देवदार-चीड़ आदि के सघन वन से आच्छादित है ।

श्री रघुनन्दन प्रसाद पाण्डेय ग्राम व पोस्ट हिंसरियाखाल टिहरी गढ़वाल के पत्र के संदर्भ में हिंसरिया खाल के निकट पुरानी गुहा को पर्यटन स्थल बनाने के संबंध में सचिव पर्यटन द्वारा कृत कार्यवाही

83–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन मंत्री द्वारा रघुनन्दन प्रसाद पांडेय ग्राम व पोस्ट हिंसरियाखाल टिहरी गढ़वाल के पत्र के संदर्भ में हिंसरियाखाल के निकट एक पुरानी गुहा को पर्यटन स्थल बनाने हेतु सचिव पर्यटन को दिनांक 6-8-91 को वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो अब तक उक्त गुहा को पर्यटन केन्द्र बनाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

जी हां ।

उक्त स्थल तथा गुहा के पर्यटक विकास के संबंध में उसके ऐतिहासिक नैसर्गिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि की जानकारी की जा रही है तथा पर्यटकों के गमनागमन, भविष्य में उनकी वृद्धि की सम्भावना तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का परीक्षण व निरीक्षण कराया जा रहा है ।

श्री गांधी आश्रम, मगहर, बस्ती को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बस्ती के माध्यम से कत्तिन सेवा केन्द्र बनाने के लिये स्वीकृत अनुदान की राशि

84–श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, मगहर, बस्ती को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बस्ती के माध्यम से शासन द्वारा वर्ष 88-89, 89-90 में कत्तिन सेवा केन्द्र बनाने के लिये अनुदान स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो यह अनुदान की राशि कितनी है तथा उसकी उपयोगिता में गांधी आश्रम द्वारा कहां-कहां कत्तिन सेवा केन्द्र भवन निर्माण किये गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में पत्रकारों की पेंशन योजना से आच्छादित पत्रकारों की संख्या

85–श्री राम लखन वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में पत्रकारों की पेंशन योजना लागू कर दी गयी है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ? इस योजना से अब तक प्रदेश में कितने पत्रकार आच्छादित हो चुके हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

विस्तृत ब्यौरा संलग्न है ।

इस योजना के तहत दिनांक 15-8-92 तक कुल 143 पत्रकार आच्छादित हो चुके हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 210-212 पर)

86–श्री तेजभान सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बांदा के थाना जसपुरा में शिवपूजन पुत्र श्री मंगीलाल केवट निवासी महिला डेरा थाना जसपुरा द्वारा तेजी एवं लापरवाही से जीप चलाने एवं कमतू नामक व्यक्ति की मृत्यु विषयक मुकदमा का विवरण

87–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना जसपुरा में मु० आ० स० 133/91 धारा 297/304 ए/427 आई० पी० सी० के अन्तर्गत शिव पूजन पुत्र श्री मंगीलाल केवट निवासी महिला डेरा थाना जसपुरा द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जिसमें तेजी एवं लापरवाही से जीप नं० एम० आई० टी० 233 से कमतू नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी ? क्या उक्त जीप को तथा ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कमतू के परिवारजनों को दुर्घटना क्लेम दिलाया गया तथा उस मुल्जिम का पता लगाया गया जिसकी जीप थी ? यदि हां, तो जीप के मालिक व ड्राइवर का क्या नाम है तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कार्यवाही होगी, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । श्री शिवपूजन पुत्र मंगीलाल केवट निवासी महिला डेरा थाना जसपुरा द्वारा मु० अ० सं०-133/91 धारा 279/304ए/427 पंजीकृत कराया गया था किन्तु उपरोक्त मुकदमें में क्योंकि वादी ने ड्राइवर का नाम अज्ञात लिखाया था तथा जीप नम्बर भी अन्दाज से लिखाया था । जीप संख्या एम० आई० टी० 233 व ड्राइवर का नाम तथा पता विवेचना के दौरान ज्ञात न हो पाने के कारण जीप व ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका । पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग बांदा के कार्यालय द्वारा भी अवगत कराया गया कि वाहन संख्या एम० आई० टी० 233 उनके कार्यालय में पंजीकृत नहीं है ।

पुलिस अधीक्षक बांदा के अनुसार मु० अ० सं० 133/91 धारा-279/304 ए/427 भा० द० वि० थाना जसपुरा की प्रथम सूचना रिपोर्ट में जीप प्रेस की नं०-एम० आइ० टी० 233 अंकित कराया गया था जिसके आधार पर जनपद बांदा व निकटवर्ती जनपद हमीरपुर, कानपुर, फतेहपुर एवं इलाहाबाद में तलाश व जानकारी कराई गई किन्तु पता नहीं चल सका । प्रेस में चलने वाली हमीरपुर व बांदा की जीपों के बारे में भी जानकारी करने पर उक्त जीप की पुष्टि नहीं हो सकी । थानाध्यक्ष जसपुरा को निर्देश दिये गये हैं कि वे मध्य प्रदेश परिवहन विभाग से भी उक्त जीप के बारे में ज्ञात करके तुरन्त रिपोर्ट दें ।

मृतक कमतू के परिवार जनों ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है । अतः क्लेम के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद के पूर्व जिला अधिकारी द्वारा अपने कार्यकाल में की गयी गम्भीर राजस्व क्षति/नियुक्तियों में हेराफेरी आदि के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

88–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पांचवें मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 121 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त फैजाबाद मंडल द्वारा किन-किन बिन्दुओं की जांच, किस प्रकार से की गयी तथा प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र के साथ संलग्नकों से संबंधित शिकायतकर्ताओं व पक्षकारों में किसके किसके साक्ष्य लिये गये ? किन-किन अभिलेखीय साक्ष्यों को जांच में शामिल किया गया । अपूर्ण एवं एक तरफा कथित जांच कराये जाने के नाम पर मामले को समाप्त कर देने का क्या औचित्य है जबकि शिकायतों में अनेक महत्वपूर्ण और गहन विश्लेषणीय मामले शामिल हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत शिकायती पत्र पर तत्कालीन आयुक्त, फैजाबाद मंडल ने संबंधित जिलाधिकारी से आख्या प्राप्त करके तथा उनके कार्य के विषय में अपनी धारणा के अनुसार शिकायतों को निराधार पाया था । अभिलेखों में किसी के साक्ष्य लिये जाने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है ।

89–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद फैजाबाद के थाना-खण्डासा (अमानीगंज) में श्री राम आसरे उप निरीक्षक तथा कां० मोहर्रिर श्री प्रेम नारायण दूबे की तैनाती एवं उनके कार्यकाल में हुई घटनायें

90–श्री विश्वनाथ–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे मंगलवार दिनांक 24-3-92 के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम आसरे उप निरीक्षक का निलम्बन बहाल करने का आधार क्या है और इनकी नियुक्ति हल्का नं० 4 में किस दिनांक से की गयी ? अब तक इनके कार्यकाल में हल्का नं० 4 में कुल कितनी अपराधिक घटनायें घटित हुई हैं ? उक्त अपराधिक घटनाओं के लिये क्या उक्त पुलिस उप निरीक्षक जिम्मेदार हैं ? यदि हां, तो उप निरीक्षक के विरुद्ध अब क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

91–श्री राम औतार शाक्य–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अभियोजन विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों की संख्या एवं उनका विनियमितीकरण

92–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, 1972 से 1 जुलाई, 1979 की अवधि में अभियोजन विभाग में कितने सहायक अभियोजन अधिकारी तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये हैं ? उनमें से कितने सहायक अभियोजन अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें विभागीय जांच लम्बित होने के आधार पर विनियमितीकरण नियमावली, 1979 अथवा विनियमितीकरण नियमावली, 1984 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विनियमित नहीं किया गया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि कितने ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध 8 वर्ष से भी अधिक समय से विभागीय जांच लम्बित है ? उनके जांच अधिकारी कौन हैं ? इतने समय तक जांच लम्बित रहने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

351

कोई नहीं ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बलिया में कोतवाली शहर थाने में दहेज के लिए हुई हत्या एवं उत्पीड़न से संबंधित पंजीकृत अभियोग एवं अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाना

93–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में कोतवाली शहर थाने में 1 सितम्बर, 1991 से 31 मार्च, 1992 की अवधि में दहेज के लिए हत्या एवं उत्पीड़न से संबंधित कितने अभियोग पंजीकृत किये गये हैं ? उनमें से कितने मुकदमें ऐसे हैं, जिनमें अभियुक्त या अभियुक्तगण सरकारी प्रतिष्ठानों/निगमों/विभागों अथवा शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी हैं ? इन अभियुक्तों में से कितने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये एवं 48 घण्टे से अधिक जेल में निरुद्ध रह चुके हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

उक्त अवधि में थाना कोतवाली जनपद बलिया में दहेज के लिए श्रीमती माधुरी पत्नी राजीव कुमार मिश्र की हत्या का एक मुकदमा अपराध संख्या–9/92 धारा 498ए/304बी तथा 3/4 दहेज अधिनियम, दिनांक 6-1-92 को पंजीकृत हुआ ।

उक्त वाद में अभियुक्त राजीव कुमार मिश्र जनपद मऊ में जूनियर इंजीनियर के पद पर तथा उसका पिता अभियुक्त विपिन बिहारी मिश्र मुरली मनोहर इण्टर कालेज बलिया में प्रधानाचार्य हैं ।

उपर्युक्त वाद में सभी अभियुक्त दिनांक 7-1-92 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार होकर 48 घण्टे से अधिक समय तक जेल में रहे । सभी अभियुक्तों की दिनांक 27-2-92 को सेशन जज बलिया के न्यायालय से जमानत हो गयी ।

ए बी सी ब्लाक एवं अन्य विधायक निवासों में अधिकारी/कर्मचारी व व्यवस्था अधिकारी के निवास करने की अवधि एवं आवास आवंटित करने के नियम

94–श्री अफजाल अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ए बी सी ब्लाक एवं अन्य विधायक निवासों में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी व व्यवस्था अधिकारी कितने दिनों से निवास कर रहे हैं ? उनको किन नियमों के अन्तर्गत आवास आवंटित किया गया है ? क्या सभी दीगर प्रकार के अध्यासियों से विधायक निवासों को खाली कराकर उनको आफिसर्स हास्टलों में आवास आवंटित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो 90 बी ब्लाक दारुलशफा के अध्यासी के परिवार को परेशान व उत्पीड़न करके मकान खाली कराने का औचित्य क्या है ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन विभिन्न विधायक निवासों में रह रहे अधिकारियों/कर्मचारियों/ व्यवस्थाधिकारियों का विवरण संलग्न हैं ।

सामान्यतया विधायक निवासों में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास आवंटित नहीं किये जाते हैं । किन्तु समस्त विधायक निवासों में उपलब्ध अध्यासन क्षमता दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की संख्या से अधिक हैं अतः आवासीय सुविधा का सदुपयोग करने के उद्देश्य से विभिन्न विधायक निवासों में मा० विधायकगण के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों जिनमें अधिकारी/कर्मचारी व व्यवस्थाधिकारी भी सम्मिलित हैं, को आवास आवंटित किये गये हैं ।

पुनश्च नियमों में भी इस संबंध में कोई विपरीत प्राविधान नहीं है ।

जी नहीं । सम्पूर्ण आवासीय सुविधा का सदुपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकहित में ऐसा करना उचित नहीं है ।

90-बी दारुलशफा के अध्यासी श्री आदित्य कुमार दुबे सहायक विधान परिषद् सचिवालय को उक्त आवास मात्र तीन महीने के लिए शासन द्वारा दिनांक 3-4-89 के आदेश द्वारा आवंटित किया गया था । तीन माह की अवधि व्यतीत होने के बाद श्री दुबे का अध्यासन अनधिकृत हो गया । अतः श्री दुबे द्वारा प्रस्तुत याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप नियमानुसार विधिक कार्यवाही करके ही श्री दुबे को उक्त आवास से बेदखल किया जा रहा है । किसी प्रकार के उत्पीड़न का प्रश्न नहीं उठता है ।

कोई नहीं । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त कक्ष पर श्री दुबे का अध्यासन अनधिकृत है ।

---

† छपा नहीं गया ।

विधायक निवास–2, के अध्यासी के आवास के संदर्भ में राज्य सम्पत्ति अधिकारी को सम्बोधित डा० जेड० ए० अहमद, सांसद के पत्र पर कार्यवाही

95–श्री अफजाल अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति अधिकारी को सम्बोधित डा० जेड० ए० अहमद, सांसद दिनांक 29-1-92 का पत्र तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 9-4-92 सम्पत्ति अनु०–2 एवं व्यवस्था अधिकारी विधायक निवास–2 बी ब्लाक दारूलशफा को पृष्ठांकित मंत्री, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय महासंघ सचिवालय, सम्बद्ध भा० मजदूर संघ तथा मा० कु० मानवेन्द्र सिंह सदस्य विधान परिषद् एवं सचेतक भा० ज० पा० विधान मंडल दल के पत्र दिनांक 12-3-92 मुख्य मंत्री को 90 बी ब्लाक विधायक निवास–2 के अध्यासी के आवास के संदर्भ में प्रपत्र सहित प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो समस्त प्रपत्रों को सदन के पटल पर रखते हुये क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्णित तथ्य क्या थे ? क्या सम्बन्धित अध्यासी को संशोधित आदेश उपलब्ध कराते हुये डिस्टर्ब न करने के लिये व्यवस्थाधिकारी को आदेश कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उल्लिखित तीनों पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न हैं । इनमें कक्ष † सं०–90 बी दारूलशफा का आवंटन श्री दुबे के पक्ष में बनाये रखने पर बल दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त कक्ष का आवंटन श्री दुबे के पक्ष में विशेष परिस्थितियों में केवल तीन माह के लिए दि० 3-4-89 को किया गया था । उक्त आवंटन तीन माह की अवधि के बाद ही समाप्त हो गया था ।

जनपद बांदा के श्री भइयादीन निवासी दुरेड़ी, थाना मटौन्ध को सवर्णों द्वारा प्रताड़ित किये जाने [illegible] पर कार्यवाही

96–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के 7वें मंगलवार में उत्तरित अता० प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के संदर्भ में सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के ग्राम दुरेड़ी थाना मटौन्ध के निवासी श्री भइयादीन (चमार) की सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था की गयी ? क्या पुलिस महानिरीक्षक वि० जांच लखनऊ से जांच करायी गयी ? क्या यह सत्य है कि गांव के सवर्ण लोगों द्वारा प्रताड़ित करके गांव छोड़ने के लिए उन्हें विवश किया जा रहा है ? जांच किस तारीख को हुई तथा सुरक्षा व्यवस्था क्या की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार आवेदक श्री भइयादीन की सुरक्षा के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष मटौन्ध को आदेशित किया गया है कि इस गांव पर सतर्क दृष्टि रखें और साथ ही सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति आवेदक व उसके परिवार वालों अथवा अन्य किसी गरीब और निर्बल वर्ग के लोगों को परेशान न करे । उक्त गांव में समय-समय पर पुलिस गश्त की व्यवस्था की गई है । थानाध्यक्ष को यह भी निर्देशित किया

---

† छापा नहीं गया ।

गया है कि वह स्वयं समय निकालकर गांव में आते-जाते समय भइयादीन व उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त प्रार्थी व उसके परिवारजनों की सुरक्षा हेतु स्थानीय थाना मटौन्ध द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 107/116 व 151 सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत चालान किया गया है ।

जी हां ।

जांच से यह सत्य नहीं पाया गया कि गांव के सवर्ण लोगों द्वारा प्रताड़ित करके गांव छोड़ने के लिए श्री भइयादीन व उसके परिवारजनों को विवश किया जा रहा है, बल्कि आवेदक तथा उसका लड़का धनार्जन करने हेतु दिल्ली गये हुए हैं ।

पुलिस अधीक्षक बांदा के स्तर पर जांच अधिकारी द्वारा दि० 17-8-92 को तथा विशेष जांच प्रकोष्ठ, उ० प्र०, लखनऊ के स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक, विशेष जांच द्वारा दि० 13-10-92 को जांच सम्पन्न की गई । आवेदक व उसके परिवारजनों की सुरक्षा व्यवस्था उपरोक्तानुसार की गई है ।

जिला देवरिया के ग्राम धर्म खार दुबे, थाना खामपार में नवयुवक की हत्या, मारपीट की घटनायें एवं शान्ति व्यवस्था हेतु की गयी कार्यवाही

97– श्री हरिवंश सहाय–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम धर्म खार दूबे, थाना खामपार जिला देवरिया में माह जून, 1992 के प्रथम सप्ताह में किसी नवयुवक की हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो क्या इस गांव में एक साल के अन्दर कितने मारपीट की घटनाएं हुईं ? शान्ति व्यवस्था कायम हेतु कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । दिनांक 6/7 जून, 1992 की रात्रि में हरिकिशन पुत्र कल्लू नामक युवक की हत्या कर दी गयी थी ।

एक वर्ष में ग्राम धर्मखार दूबे में मारपीट की कुल 4 घटनायें हुई हैं ।

शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु समय-समय पर निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है । साथ ही सतर्क दृष्टि रखी जा रही है ।

प्रादेशिक इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन यू० पी० लिमिटेड (पिकप) में परियोजना अधिकारी पद पर कार्यरत श्री वी० एस० दूबे के चयन की वैधानिकता

98–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक इण्डस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन यू० पी० लिमिटेड (पिकप) में परियोजना अधिकारी पद पर कार्यरत श्री वी० एस० दूबे का चयन वर्ष 1990 में एक खुले साक्षात्कार में हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन में मेटालार्जिकल इंजीनियरिंग के बी० ई० अथवा बी० टेक० योग्यता मांगी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्या श्री दूबे जो मेटालार्जिकल इंजीनियरिंग से बी० टेक० है की नियुक्ति वैधानिक है ? यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन उ० प्र० पिकप लि० में वर्ष 1990 में परियोजना अधिकारी पद के लिए कोई साक्षात्कार नहीं हुआ था ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज के थाना जामों के मौजा सूरतगढ़ के ग्राम पधरौली व पूरे रनजीत के निवासी फुलझारी पुत्री महावीर द्वारा पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का सत्य न पाया जाना

99–श्री तेज भान सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को फुलझारी पुत्री महावीर एवं अन्य निवासी ग्राम पधरौंली व पूरे रनजीत मौजा सूरतगढ़ थाना जामो तहसील गौरीगंज जिला सुल्तानपुर का दिनांक 11-6-92 को कोई पत्र मिला था ? यदि हां, तो क्या उसमें किसी पुलिस कर्मचारी की शिकायत थी ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? क्या प्रश्नकर्ता का भी कोई पत्र थाने पर मिला ? यदि हां, तो क्या मुकदमा कायम किया गया ? क्या प्राथमिकी दर्ज की गयी ? यदि हां, तो किस धारा में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उप निरीक्षक, श्री सुदर्शन राम के विरुद्ध मारने पीटने एवं अभद्र व्यवहार किये जाने के आरोप लगाये गये थे ।

प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच करायी गयी । जांच से उप निरीक्षक श्री सुदर्शन राम के विरुद्ध मारने पीटने अथवा किसी के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जांच से बनवारी तथा फुलझारी आदि का विवाद भूमि की फसल का पाया गया । दोनों पक्षों ने सम्मानित व्यक्तियों के समक्ष तय किया गया कि न्यायालय के फैसले तक अपने-अपने भाग पर काबिज रहेंगे तथा विवादित गेहूं के सबंध में तय हुआ कि कटाई मड़ाई का पैसा देकर फुलझारी आदि अपने-अपने हिस्से का गेहूं आदि ले लें । दोनों पक्षों के मध्य शान्ति कायम रखने हेतु 107/116 दं० प्र० सं० की कार्यवाही की जा चुकी है ।

मुरादाबाद के हथकरघा निगम के परियोजना में पी० ओ० द्वारा विक्रय न किया जाना

100–श्री ऊदल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद हथकरघा निगम के परियोजना में पी० ओ० ने लाखों रुपये की जनता धोती बेच दी और उसे पुलिस ने पकड़ा ? क्या उसकी जांच एम० डी० हथकरघा निगम उत्तर प्रदेश से करायी जा रही है ? ऐसा क्यों ? क्या इस मामले में पुलिस ने प्रोजेक्ट अफसर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम की पूर्व प्रबन्ध निदेशक श्रीमती सुनन्दा प्रसाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

101–श्री ऊदल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व हथकरघा निगम उत्तर प्रदेश के एम० डी० श्रीमती सुनन्दा प्रसाद के कार्यकाल में निगम में गबन भ्रष्टाचार तथा अनियमितता करोड़ों रुपये का किया गया था उसकी जांच विजिलेंस से करायी जा रही थी ? यदि हां, तो उसमें कितने अधिकारी/कर्मचारी संबंधित थे ? क्या यह सही है कि उस वक्त के वे सभी अधिकारी व कर्मचारी वहीं पर हैं और उनकी पदोन्नति भी क़र दी गयी है, ऐसा क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम की तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोपों की खुली जांच सतर्कता अधिष्ठान से करायी जा रही है । जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही यह ज्ञात हो सकेगा कि उसमें कितने अधिकारी/कर्मचारी संबंधित हैं ?

मेसर्स आदर्श बुनकर सहकारी समिति लि० वाराणसी को सप्लाई का आदेश

102–श्री ऊदल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री ने एक अर्ध० शा० प० सं०–सी० एम० वि० को० एम 1/व 37-139/92, दिनांक 2 अप्रैल, 92 के द्वारा मेसर्स आदर्श बुनकर सहकारी समिति लि० साहित्य नाका रामनगर, वाराणसी को सप्लाई देने के संबंध में लिखा गया कि हथकरघा निगम उ० प्र० केवल अंगीकृत बुनकरों के माध्यम से ही समिति रूप में उत्पादन का कार्य परियोजनाओं के माध्यम से कराया जाता है और सहकारी समिति के उत्पादन व क्रय का कार्य यूपिका द्वारा किया जाता है ? इस समिति की समस्या हेतु यूपिका को लिखा भी गया है ? यदि हां, तो यूपिका ने इस समिति की समस्या का समाधान किया कि नहीं ? कितने मीटर इस समिति का माल उन्होंने खरीदा ? क्या यूपिका को यह भी लिखा गया था कि यूपिका द्वारा कृत कार्यवाही सें प्रश्नकर्ता को भी अवगत कराया जायेगा ? क्या यूपिका ने प्रश्नकर्ता को अवगत कराया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

यूपिका श्रेणी–"क" की समिति से ही व्यापार करती है जबकि मे० आदर्श बुनकर सहकारी समिति लि० नाका-रामनगर, वाराणसी न तो संस्था की सदस्य ही हैं और न ही "क" श्रेणी के अन्तर्गत चयनित है । अतएव उक्त समिति "क" श्रेणी के लिए निर्धारित अर्हतायें जब तक पूर्ण नहीं करती तब तक संस्था को उन्हें आपूर्ति आदेश देना नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत अपराधियों के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों का विवरण

103–श्री गया चरन दिनकर–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में आर्म्स ऐक्ट के तहत वर्ष 91 में (2 जनवरी, 91 से 31 दिसम्बर, 91 तक) कुल कितने अपराधियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किये गये ? क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उनमें अनु० जाति/अनु० जनजाति पिछड़े वर्ग अल्प संख्यक एवं सवर्णों के विभिन्न थानान्तर्गत कितने पंजीकृत अपराधी उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बांदा में आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत वर्ष 1991 में 2 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तक कुल 688 अपराधियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किये गये ।

इन 688 अपराधियों में 120 अनुसूचित जाति, 14 अनुसूचित जन जाति, 295 पिछड़ी जाति, 33 अल्प संख्यक वर्ग, 224 सवर्ण जाति के हैं । इसके अतिरिक्त दो अपराधी ऐसे हैं जिनकी जाति का पता नहीं चल सका ।

जनपद इटावा के थाना इकदिल में प्रश्नगत व्यक्तियों के विरुद्ध नामजदगी का गलत पाया जाना

104–श्री धर्मपाल यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा के थाना इकदिल में राम लखन पुत्र श्री श्याम बिहारी, सन्तोष पुत्र राम लखन, बेबी पुत्री राम लखन के खिलाफ दिनांक 28-9-91 को पट्टीदारों द्वारा झूठा मुकदमा 307 अंकित कराया गया है ? क्या यह भी सच है कि मुल्जिमान सन्तोष 16 वर्षीय नाबालिग है ? क्या यह भी सत्य है कि विपक्षियों द्वारा राम लखन के घर आग लगा दी थी ? जिसकी सूचना जिलाधिकारी इटावा को दी थी तथा टेलीग्राम करके शासन को भी अवगत कराया था ? क्या सरकार इसकी जांच कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, बल्कि दिनांक 18-5-90 को उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध श्री राम सिंह पुत्र गया प्रसाद, निवासी पचदेवरा द्वारा मु० अ० सं० 104/90 धारा 307/504/506 भा०द० वि० पंजीकृत कराया गया था । विवेचनोपरान्त अभियुक्त राम लखन व संतोष के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 1-4-92 को न्यायालय प्रेषित किया गया । कुमारी बेबी पुत्री राम लखन की नामजदगी गलत पायी गयी ।

जी नहीं, दिनांक 18-5-90 को अभियुक्त सन्तोष की उम्र 20 वर्ष थी ।

इस संबंध में श्री राम लखन द्वारा दिनांक 28-9-91 को श्री राम सिंह व 7 अन्यों के विरुद्ध थाना इकदिल पर मु० अ० सं० 219/91 धारा 147/436 भा० दं० वि० पंजीकृत कराया गया था जो विवेचना से झूठा पाया गया । मामले में दिनांक 24-11-91 को अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित कर दी गयी है ।

पुनः जांच कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

जनपद बुलन्दशहर थाना-अगौता, ग्राम-रहीमपुर बहनवा के श्री अब्बास पुत्र सद्दीक द्वारा की गयी शिकायत की जांच

105–श्री धर्मपाल यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के निवासी ग्राम रहीमपुर बहनवा थाना अगौता के श्री अब्बास पुत्र सद्दीक को थानाध्यक्ष अगौता द्वारा पकड़कर कुछ पैसे भी लेकर उसे थाने से छोड़ दिया गया था जिसकी सूचना दिनांक 1-2-92 को एस० डी० एम० को दी गयी थी ? क्या सरकार इसकी जांच कराने व मुकदमा दर्ज कराकर थानाध्यक्ष को दण्डित करने का कष्ट करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत, थाना-पूरनपुर के थानाइंचार्ज श्री जीतेन्द्र पाल यादव के आश्रित को सेवा में लिये जाने की मांग

106–श्री धर्मपाल यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जीतेन्द्र पाल यादव थाना इन्चार्ज थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत की हत्या आतंकवादियों द्वारा माह अप्रैल 92 में की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी सेवा में लिया है और पैसे की सहायता उनके परिवार को दी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री जितेन्द्र पाल यादव थाना इंचार्ज, पूरनपुर की हत्या आतंकवादियों द्वारा दिनांक 20-4-92 को कर दी गयी थी ।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने अवगत किया है कि मृतक आश्रितों की ओर से सेवायोजित किये जाने से संबंधित प्रस्ताव अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री जितेन्द्र पाल यादव के परिवार को पर्सनल जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपये का भुगतान पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा दिनांक 20-5-92 को कर दिया गया है तथा पुलिस बेनीफिट फण्ड के अन्तर्गत रु० 3,000 बैंक ड्राफ्ट पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 1992 को भेज दिया गया है । इसके अतिरिक्त श्री यादव के आश्रितों को एक लाख रुपये की अनुग्रह धनराशि एवं वोनीवोलेन्ट फण्ड से आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग–6 में विचाराधीन है ।

जनपद बाराबंकी स्थित देवां शरीफ को उ० प्र० पर्यटक केन्द्र के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 1992-93 में धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव

107–श्री छोटे लाल यादव–

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी में स्थित देवां शरीफ उ० प्र० का पर्यटक केन्द्र घोषित है ? यदि हां, तो पर्यटक केन्द्र घोषित किये जाने की तिथि क्या है ? पर्यटक केन्द्र घोषित होने के बाद से वर्तमान समय तक कितना धन पर्यटक विभाग द्वारा उक्त स्थान पर व्यय किया गया है तथा वर्ष 1992-93 में कितना धन व्यय करने का प्रस्ताव हैं ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

पर्यटन स्थल घोषित करने हेतु कोई औपचारिक आदेश पर्यटन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा हेतु पर्यटन स्थलों का विकास किया जाता है जिसके अन्तर्गत देवां शरीफ बाराबंकी में यात्री निवास की योजना वर्ष 1981-82 में स्वीकृत की गई थी जिस पर रु० 7.04 लाख की धनराशि व्यय की गई है । वर्ष 1992-93 में रु० 4.00 लाख के प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जनपद बस्ती के कस्बा बभनान स्थित गांधी आश्रम खादी भण्डार में आन्दोलनकारी छात्रों द्वारा लूटपाट

108–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1989 तथा 1990 में आरक्षण विरोधी आन्दोलन में गांधी आश्रम बभनान बस्ती में डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस डकैती में ग्राम प्रधान महरागौरा विकास खण्ड छपिया जिला गोण्डा की लाइसेंसी बन्दूक का प्रयोग उनके परिवार द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रधान का एक अपराधिक इतिहास है ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 16-12-89 को जनपद बस्ती के कस्बा बभनान स्थित गांधी आश्रम खादी भण्डार में आन्दोलनकारी छात्रों द्वारा ताला तोड़कर सामान तथा नकदी की लूटपाट की गई थी ।

जी नहीं । विवेचना से उक्त काण्ड में ग्राम प्रधान महरागौरा की लाइसेन्सी बन्दूक का प्रयोग उनके परिवार द्वारा किये जाने की बात प्रकाश में नहीं और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया था । अतः ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं । ग्राम प्रधान महरागौरा का जनपद बस्ती के अभिलेखों के अनुसार कोई अपराधिक इतिहास नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली के अभाव में नियमित प्रोन्नतियों पर प्रतिबन्ध

109–श्री विजेन्द्र कुमार–

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सांस्कृतिक कार्य विभाग तथा इसके अन्तर्गत आने वाले कार्यालयों की सेवा नियमावली बन गयी है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? सेवा नियमावली के अभाव में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर चयन का क्या आधार है ? क्या विभागीय कर्मचारियों को प्रोन्नति का अवसर प्राप्त हो रहा है ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावलियां बनाई जाने तथा उसके प्रख्यापन की स्थिति संलग्नक में दर्शायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

चयन सेवा नियमावली के अनुसार ही होना आवश्यक है । जैसा कि संलग्नक में दर्शायी गई स्थिति से ज्ञात होगा, शासन द्वारा सेवा नियमावलियां यथाशीघ्र प्रख्यापित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है । सेवा नियमावलियों के प्रख्यापित होने के बाद उनके अनुसार ही नियमित रूप से प्रोन्नतियां की जा सकेंगी । वर्तमान में तदर्थ प्रोन्नति पर प्रतिबन्ध होने के कारण सेवा नियमावली के अभाव में नियमित प्रोन्नतियां नहीं की जा रही हैं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 213-214 पर)

जनपद आगरा के पर्यटन क्षेत्रीय कार्यालय हेतु भवन/भूमि का क्रय न किया जाना

110–श्री विजय सिंह राणा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के पर्यटन क्षेत्रीय कार्यालय हेतु भवन/भूमि कब व कितने रुपये में खरीदी गयी ? उक्त भूमि का विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज कब हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

क्षेत्रीय कार्यालय हेतु कोई भवन/भूमि क्रय नहीं की गयी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ में सहायक निदेशक (संरक्षण) के पद पर नियुक्ति

111–श्री विजेन्द्र कुमार तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत उ० प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ में सहायक निदेशक (संरक्षण) के पद पर सीधी नियुक्ति की गयी है ? क्या उक्त पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आता है ? यदि हां, तो उक्त अवैधानिक नियुक्ति के चयन का आधार क्या है ? क्या नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थी उक्त पद की निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हतायें रखता है ? यदि हां, तो क्या अर्हताओं का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो उक्त अवैधानिक नियुक्ति क्यों की गयी है ? क्या अभ्यर्थी इससे पूर्व कहीं कार्य करता था ? यदि हां, तो सहायक निदेशक संरक्षण के पद पर नियुक्ति करके पुनः दोहरा लाभ देने का क्या औचित्य है ? क्या वर्तमान में उक्त पद पर कार्यरत व्यक्ति को हटाकर निर्धारित अर्हताओं वाले विभागीय अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ में सहायक निदेशक (संरक्षण) के पद पर सीधी नियुक्ति माह सितम्बर, 1991 में की गयी है ।

उक्त पद लोक सेवा आयोग की परिधि का है । मानवीय आधार पर निर्धारित अर्हताओं में छूट देते हुए तथा साथ ही संबंधित व्यक्ति की अच्छी शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा उसको प्रश्नगत पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी । अतः संबंधित व्यक्ति की अर्हताओं का विवरण सदन के पटल पर रखने तथा इस नियुक्ति के अनियमित होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां ।

संबंधित व्यक्ति को सहायक निदेशक (संरक्षण) के पद पर नियुक्ति प्रदान करना औचित्यपूर्ण था । अतः उसको दोहरा लाभ दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उत्तरांचल में स्वीकृत योजनाओं के लम्बित होने का विवरण

112–श्री लीला राम शर्मा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति न मिलने के कारण उत्तरांचल में कितनी स्वीकृत योजनायें कितनी लागत की लम्बित पड़ी है ? वह कब से लम्बित हैं ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर के थाना मिश्रिख के ग्राम बीबीपुर में बाजार हटाने के संबंध में श्री अशोक कुमार स० वि० स० के पत्र पर जांच

113–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर थाना-मिश्रिख के ग्राम-बीबीपुर में तारीख 7-2-92 को पुलिस द्वारा बाजार की लूटपाट की गयी ? क्या इस संबंध में श्री अशोक कुमार, सदस्य, विधान सभा (सजपा), मलिहाबाद द्वारा दिनांक 13-4-92 को भेजा हुआ पत्र डी० आई० जी० रेंज, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि जांच नहीं करायी गयी, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां ।

प्राप्त सूचना के आधार पर आवेदक मदन मोहन श्रीवास्तव व उनके अन्य साथियों ने ग्राम बीबीपुर में लगभग 20 वर्षों से लग रहे पुराने बाजार को हटाकर शंकर जी के मन्दिर के पास बाजार लगवाने का प्रयास किया गया । जिस पर थाना मिश्रिख के पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त प्रकरण के संबंध में समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, किन्तु वे लोग नहीं माने और पुलिस बल पर फायर कर दी । आत्म सुरक्षा हेतु पुलिस ने भी रिवाल्वर से तीन फायर किये और आवेदक मदन मोहन श्रीवास्तव तथा राम किंकर पाण्डे को आवश्यक बल प्रयोग कर मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया । रामेश्वर की लाइसेंसी बन्दूक मय कारतूस मौके पर छूट गयी जिसे नियमानुसार पुलिस ने कब्जे में ले लिया ।

इस संबंध में उप निरीक्षक श्री लालता प्रसाद सोनकर की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण मदन मोहन श्रीवास्तव व सोलह नफर के विरुद्ध मुकदमा संख्या 35/92 धारा 147/148/149/307/120 बी भा० दं० वि० तथा शस्त्र की बरामदगी के संबंध में मु० अ० सं० 36/92 धारा 30(1) बी शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत है । दोनों अभियोगों की विवेचना प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर की कोतवाली मिश्रिख में निरीक्षकों की नियुक्ति

114–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में वर्तमान में कितने इंस्पेक्टर नियुक्त हैं ? शहर कोतवाली सीतापुर व कोतावाली मिश्रिख में उपरोक्त नियुक्ति कब से नहीं की गयी ? क्या सरकार उक्त कोतवाली में इन्सपेक्टरों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में जनपद सीतापुर में 7 निरीक्षक नियुक्त हैं ।

निरीक्षक का पद थाना कोतवाली सीतापुर में दिनांक 3-2-92 से 4-8-92 तक तथा थाना कोतवाली मिश्रिख में दिनांक 8-3-92 से 2-10-92 तक रिक्त रहा । तैनाती के फलस्वरूप निरीक्षकों ने थाना कोतवाली, सीतापुर में दिनांक 5-8-92 को तथा थाना कोतवाली मिश्रिख में दिनांक 3-1-92 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर के थाना खैराबाद के थानाध्यक्ष श्री अशोक तिवारी के स्थानान्तरण को स्थगित किया जाना

115–श्री सुखदेव –

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि श्री अशोक तिवारी, थानाध्यक्ष खैराबाद, जनपद सीतापुर में लगभग 8 वर्षों से तैनात हैं ? सीतापुर में इनके विरुद्ध अनेक शिकायतें होने पर भी इनका स्थानान्तरण अन्यत्र न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण जनपद सीतापुर से बाहर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री अशोक तिवारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप जांचोपरान्त प्रमाणित नहीं हुए हैं । पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ द्वारा श्री तिवारी का स्थानान्तरण दिनांक 6-8-92 को जनपद सीतापुर से लखनऊ कर दिया गया था, जिसे उन्हीं के आदेश दिनांक 18-9-92 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर 3 माह के लिए स्थगित किया गया है ।

जनपद मऊ के थाना चिरैयाकोट के ग्राम मिर्जापुर निवासी श्री राम दुलारे सिंह पुत्र श्री महातम सिंह पर प्राण घातक हमले की जांच में आरोपों का प्रमाणित न होना

116–श्री श्रीराम सोनकर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम दुलारे सिंह पुत्र श्री महातम सिंह ग्राम मिर्जापुर, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ के ऊपर दिनांक 29-10-91 को प्राणघातक हमला किया गया ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि थानाध्यक्ष श्री के० एन० त्रिपाठी द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त के संदर्भ में अपर आयुक्त (प्रशासन) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ने थानाध्यक्ष चिरैयाकोट को श्री राम दुलारे सिंह के प्रार्थना-पत्र पर थानाध्यक्ष चिरैयाकोट इनश्योर एक्शन अण्डर रूल्स आदेश दिया और आदेश की प्रति भी उक्त थाने पर उपलब्ध करा दी गयी ? यदि हां, तो मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं,

तो क्या उपरोक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज न किये जाने के संदर्भ में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराकर अब अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री.राम दुलारे सिंह के ऊपर दि० 29-10-91 को प्राणघातक हमले की कोई.सूचना सम्बन्धित थाने पर प्राप्त नहीं हुई थी ।

श्री के० एन० त्रिपाठी दिनांक 29-10-91 को थानाध्यक्ष, चिरैयाकोट के पद पर कार्यरत नहीं थे । अतः उनके द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । अपर आयुक्त (प्रशासन), गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर का प्रश्न में सन्दर्भित पत्र थाना चिरैयाकोट पर प्राप्त नहीं कराया गया । श्री राम दुलारे सिंह ने दिनांक 29-10-1991 नहीं वरन् 30-9-91 को अपने ऊपर हुए कथित हमले के संबंध में विभिन्न तिथियों को शिकायती पत्र उच्चाधिकारियों को दिये थे परन्तु वह रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पर नहीं आये । जांच से प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए । अतः अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया । वर्णित परिस्थिति में किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । घटना असत्य पायी गयी । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के थाना हण्डिया के ग्राम गोन्दौरा के निवासी श्री जगदम्बा प्रसाद एवं श्री कमला शंकर तिवारी के प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में अतिक्रमण हटाये जाने का प्रयास

117–डा० बृज भान यादव---

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के हण्डिया थाने के प्रभारी निरीक्षक श्री अमर बहादुर सिंह ने 21-6-92 व 22-6-92 की रात में गोन्दौरा ग्राम के अनेक हरिजनों को नाजायज ढंग से मारा पीटा है ? जिससे उस गांव के लोग कई दिनों तक पलायन कर गये तथा आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल ने इस पूरे विषय की जांच करके थाने के प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह---

श्री जगदम्बा प्रसाद एवं श्री कमला शंकर तिवारी निवासी ग्राम गोन्दौरा के प्रार्थना-पत्र पर परगनाधिकारी, गोन्दौरा के आदेश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक, हण्डिया दिनांक 20-6-92 को ग्राम गोन्दौरा गये थे । वहां अनुसूचित जाति के कुछ लोग चबूतरा, नांद, खूंटा एवं मड़हा डाल कर आवेदक की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे । जब उन्हें अतिक्रमण हटाने को कहा गया तो वे प्रतिरोध करते हुये मार-पीट पर आमादा हो गये । अतः पुलिस ने हस्तक्षेप करके अवैध कब्जा हटवा दिया एवं श्री रामदुलारे एवं श्री बनारसी को धारा 151 जा० फौ० के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया । किसी को नाजायज ढंग से मारा-पीटा नहीं गया ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के थाना तिन्दवारी के अन्तर्गत अपराध, हत्या व चोरी की घटित पंजीकृत घटनाओं का विवरण

118–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना तिन्दवारी के अंतर्गत माह मई, 1992 से जून, 1992 में कुल कितने अपहरण, लूट, चोरी, हत्या के अपराध हुए हैं ? थाना तिन्दवारी के अंतर्गत ग्राम माटा, ग्राम गोखारही, गिरगहनी व सिंहपुर में उक्त दो माह के अन्तर्गत डकैतों द्वारा लूट डकैती अपहरण हुए हैं जिसमें मु० अ० सं० 108/92 धारा 147/148/323/506/386 आई०पी०सी० में दर्ज हुआ जिसमें अपहरण हुआ था तथा फिरौती देकर वापसी हुई।इसी तरह मु० अ० सं० 131/92 धारा 323/286/504/506/147/148/365 आई० पी० सी० थाना तिन्दवारी पर दिनांक 21-6-92 को कमलेश सिंह अपहृत द्वारा लिखायी गयी थी, पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या थाना तिन्दवारी पुलिस की उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी तथा अपहरण कर्त्ताओं को गिरफ्तार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

आलोच्य अवधि में अपहरण, लूट, चोरी व हत्या के 6 अभियोग थाना तिन्दवारी में पंजीकृत हुये हैं ।थाना तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम माटा, गोखरही, मिरगहनी व सिंहपुर में घटित अपराध मु० अ० सं० 108/92 धारा 147/148/323/506/386 भा० द० वि० का दि० 31-5-92 को थाने पर पंजीकृत हुआ । उक्त अभियोग वादी श्री उमेश प्रसाद यादव निवासी ग्राम माटा, थाना तिन्दवारी द्वारा लिखाया गया था । विवेचना के दौरान अभियुक्तों का पता न चलने पर अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट दि० 5-7-92 को प्रेषित की गई जो न्यायालय में विचाराधीन है । इस मुकदमें में अभियुक्तों ने श्री उमेश प्रसाद यादव निवासी ग्राम माटा, थाना तिन्दवारी को रात्रि में ट्यूबवेल पर सोते समय पकड़ लिया था और रुपया 5000 (रुपया पांच हजार मात्र) नगद व कुछ जेवरात लेकर छोड़ा था । मु० अ० सं० 131/92 धारा 147/148/149/323/504/506/365 भा० द० वि० का अभियोग दिनांक 21-6-92 को श्री कमलेश सिंह निवासी ग्राम सिंहपुर, थाना तिन्दवारी द्वारा लिखाया गया था । अपहृत वापस आ गया है । अब तक की विवेचना से अभियुक्तों का पता नहीं चल सका है । अभियुक्तों का सही पता चलने पर उनकी गिफ्तारी शीघ्र की जायेगी । अभियुक्तों का पता लगाने व गिरफ्तार करने हेतु पुलिस प्रयासरत है । उक्त मुकदमें की विवेचना अभी प्रचलित है ।

119–श्री महेन्द्र सिंह भाटी––

[मा० सदस्य का स्वर्गवास होने के कारण हटाया गया]

जनपद आजमगढ़ के थाना मेंहनगर में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

120–श्री श्रीराम सोनकर––

क्या गृह राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु० अ० सं० 26ए/89 धारा-147.148. 149.323.308.504 थाना मेंह नगर, जनपद आजमगढ़ में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त मुकदमा की विवेचना एस० आई० एस० द्वारा की जा रही थी ? क्या तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ ने सी० आई० डी० द्वारा जांच किये जाने की संस्तुति शासन को भेजी है ? क्या बिना शासनादेश के ही विवेचना रोक दी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उपरोक्त

अभियोग में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम की पूर्व निदेशक के विरुद्ध सतर्कता जांच

121-श्री ऊदल--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व एम० डी०, हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश (सुनन्दा प्रसाद) के खिलाफ करोड़ों रु० का गबन, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत पर उनके खिलाफ चल रही विजिलेंस की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि बहुत से अधिकारी हथकरघा निगम के सुपरसीड करा कर उनका प्रमोशन किया गया है ? क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी उक्त मामले से संबंधित है ?

श्री कल्याण सिंह--

उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम की पूर्व प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध चल रही सतर्कता की जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है । हथकरघा निगम के अधिकारियों को सुपरसीड कर प्रबन्ध निदेशक, हथकरघा निगम का प्रमोशन नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर स्थित उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम के महा प्रबन्धक, उप महा प्रबन्धक तथा मुख्य विपणन प्रबन्धक द्वारा बुनकर कोआपरेटिव सोसाइटी तथा व्यक्तिगत बुनकरों को दिया गया क्रय आदेश

122-श्री ऊदल--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 92 में हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश (कानपुर) से वाराणसी निगम के एम० डी० व डिप्टी जी० एम० तथा और कौन-कौन अधिकारी वाराणसी गये थे ? क्या इन लोगों ने किसी सोसाइटी (बुनकर कोआपरेटिव) तथा व्यक्तियों को हथकरघा निगम द्वारा सिल्क सलवार सूट, बनारसी साड़ी कतान आदि खरीदने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो वह कितने लाख रु० का आदेश है ? इन लोगों के वहां पर आने जाने में कितना रु० टी० ए० व डी० ए० में खर्च किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

दिनांक 3-5-1992 को हथकरघा निगम के महा प्रबन्धक, उप महा प्रबन्धक तथा मुख्य विपणन प्रबन्धक (नाथ) वाराणसी गये थे । निगम के प्रबन्ध निदेशक वाराणसी नहीं गये थे ।

जी हां । बुनकर कोआपरेटिव सोसाइटी तथा व्यक्तिगत बुनकरों को रु० 4.99 लाख का क्रय आदेश दिया था । उक्त दौरे में महा प्रबन्धक द्वारा रु० 692.90 एवं मुख्य विपणन प्रबन्धक द्वारा रु० 787.00 टी० ए० एवं डी० ए० में खर्च किया गया तथा उप महा प्रबन्धक द्वारा यात्रा-भत्ता बिल अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति/अनु०जन जाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमें तथा अभियुक्तों को जेल भेजे जाने का विवरण

123–श्री गया चरन दिनकर––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 91 में एक जनवरी, 91 से 31 दिसम्बर, 91 तक प्रदेश में कितने अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसूचित जाति/अनु० जन जाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 89 के तहत मुकदमें पंजीकृत किये गये ? क्या पंजीकृत अपराधी स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल पहुंचाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

एक जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तक 12.303 अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत मुकदमें पंजीकृत किये गये ।

उपरोक्त 12.303 अभियुक्तों में से 3.321 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका है तथा 8982 अभियुक्त हाजिर अदालत हुए ।

प्रदेश में अग्निशमन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की मांग

124–श्री अरविन्द प्रताप सिंह––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में अग्निशमन अधिकारियों के कितने पद कब से रिक्त हैं तथा उनके रिक्त पड़े रहने के क्या कारण हैं और भविष्य में कब तक इन पदों को भरा जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अग्निशमन अधिकारी भी उप पुलिस अधीक्षक की भांति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की परिवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें भी उप पुलिस अधीक्षकों की भांति वरिष्ठ वेतनमान दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अग्निशमन विभाग में अग्निशमन अधिकारियों के 11 पद वर्तमान समय में रिक्त हैं । यह सभी पद दिनांक 1-11-89 से रिक्त हैं । अग्निशमन अधिकारियों के रिक्त पदों को शत-प्रतिशत निचले संवर्ग से अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों को प्रोन्नत करके भरे जाने का प्राविधान है । वर्तमान समय में कोई भी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी उक्त पद पर प्रोन्नत हेतु निर्धारित सेवा (अर्हता) पूर्ण नहीं करते हैं जिसके कारण कोई भी पात्र अधिकारी प्रोन्नत हेतु उपलब्ध नहीं है । पात्र एवं उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध हो जाने के उपरान्त ही अग्निशमन अधिकारियों के उक्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा ।

अग्निशमन अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक की भांति पूर्णतया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य नहीं करते हैं बल्कि जिन 13 जनपदों में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद स्वीकृत हैं उन जनपदों में अग्निशमन अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण में कार्य करते हैं और शेष जनपदों में पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं ।

अग्निशमन अधिकारी का पद अराजपत्रित है जबकि उप पुलिस अधीक्षक का पद राजपत्रित है । इस प्रकार अग्निशमन अधिकारी का पद उप पुलिस अधीक्षक के समतुल्य नहीं है । अतः अग्निशमन अधिकारी को उप पुलिस अधीक्षक की भांति वरिष्ठ वेतनमान दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

शान्ति भंग की सम्भावना में भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे तथा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी

125–श्री हरिवंश सहाय–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान यूनियन के कितने कार्यकर्ताओं को दिनांक 23-6-92 को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया ? उनकी मांगें क्या थीं ? उनकी गिरफ्तारी का कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

भारतीय किसान यूनियन के 285 कार्यकर्ताओं को लखनऊ में दिनांक 23-6-92 को गिरफ्तार किया गया था ।

उनकी मांगें निम्नवत् थीं :–

(1) कृषकों से लेवी के गेहूं की खरीद मूल्य में वृद्धि की जाय ।

(2) पानी, बिजली व खाद को सस्ते मूल्यों पर कृषकों को उपलब्ध कराया जाय ।

(3) गोमती नगर में एल० डी० ए० द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा संबंधित व्यक्तियों को शीघ्र दिया जाये ।

(4) टेल्को कम्पनी जिस भूमि पर निर्मित हो रही है उसका मुआवजा अधिक व शीघ्र दिया जाय ।

(5) कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से कृषकों को आलू का अधिक मूल्य दिलाया जाय ।

शांति भंग होने का अन्देशा होने के कारण यह गिरफ्तारियां की गयी थीं ।

जनपद मैनपुरी में आग्नेयास्त्रों के दिये गये लाइसेन्सों का विवरण

126–श्री बाबू राम यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मैनपुरी जनपद में आग्नेयास्त्रों के कितने लाइसेंस मार्च, 92 से 25 जून, 92 तक दिये गये ? इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिन पर इसी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में अपराधिक मामले विचाराधीन हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

मैनपुरी जनपद में मार्च, 92 से 25 जून, 92 तक 101 आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस दिये गये इनमें से केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध एक अपराधिक मामला विचाराधीन है ।

जनपद बलिया के थाना उभांव के थानाध्यक्ष श्री लालमणि वर्मा की नियुक्ति तथा उत्पीड़न की जांच में आरोपों का प्रमाणित न होना

127–श्री रमाकान्त यादव–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में तैनात सब इंसपेक्टर एवं थानाध्यक्ष, उभांव, श्री लालमणि वर्मा को जनपद में कब-कब, किस-किस थाने पर तैनात किया गया ? उन्हें किस-किस थाने से, कब-कब पुलिस लाइन या अन्य किसी थाने पर नियुक्त किया गया और कब-कब मुअत्तल किया गया है ? क्या सरकार निलम्बन के कारणों की जांच करते हुए उन्हें किसी अन्य विभाग में भेजेगी ? क्या उनके द्वारा किये जा रहे जनता के उत्पीड़न व गैर कानूनी कार्यों की सरकार जांच करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार उप निरीक्षक, ना० पु० एवं थानाध्यक्ष, उभांव श्री लालमणि वर्मा को दिनांक 19-9-89 से 12-9-90 तक थानाध्यक्ष, सुखपुरा, दिनांक 13-9-90 से 10-7-91 तक थानाध्यक्ष, रेवती, दिनांक 11-7-91 से 21-3-92 तक थानाध्यक्ष, सिकन्दरपुर तथा दिनांक 13-4-92 से थानाध्यक्ष, उभांव नियुक्त किया गया । थानाध्यक्ष श्री वर्मा को थाना सिकन्दरपुर से दिनांक 22-3-92 को तथा थाना उभांव से 1-7-92 को पुलिस लाईन, बलिया नियुक्त किया गया है तथा इस जनपद में इन्हें निलम्बित नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस संबंध में करायी गयी जांच में कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है ।

जनपद बलिया के सब इंसपेक्टर श्री आर० डी० चौहान का स्थानान्तरण

128.–श्री रमाकान्त यादव–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद मैं तैनात सब इंसपेक्टर श्री आर० डी० चौहान का वर्ष 1985 से दिनांक 25-6-92 तक कब-कब स्थानान्तरण आदेश किन-किन कारणों से हुआ है ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री चौहान का स्थानान्तरण जी० आर० पी० में कब हुआ था और उक्त स्थानान्तरण आदेश को कितने दिनों तक रोका गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद बलिया में नियुक्त उप निरीक्षक (ना० पु०) श्री राम दयाल प्रसाद चौहान का स्थानान्तरण वर्ष 1985 से दिनांक 25-6-92 तक प्रशासनिक आधार पर दो बार किया गया था तथा दिनांक 4-10-92 को जनपद बलिया से कार्यमुक्त कर दिया गया है ।

श्री राम दयाल प्रसाद चौहान, उप निरीक्षक (ना० पु०), जनपद बलिया का स्थानान्तरण दिनांक 30-6-89 को जी० आर० पी० हुआ था । उक्त स्थानान्तरण आदेश को रोका नहीं गया था ।

जनपद गाजियाबाद स्थित उ० प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाई हिन्डन मोटल के प्रबन्धक द्वारा अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध लिखाई गयी रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

129–श्री महेन्द्र जैन–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम की गाजियाबाद स्थित इकाई हिन्डन मोटल के प्रबन्धक ने दिनांक 15-3-92 को थाना सिंहनी गेट, गाजियाबाद पर अपराध संख्या 299 में कुछ अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट करायी थी ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष द्वारा प्रश्नगत मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रश्नगत मामले में एक माह से अधिक का समय बीत जाने के उपरान्त अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

विवेचना के दौरान सुरेन्द्र व रविदत्त शर्मा को दिनांक 16-3-92 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । अभियुक्त योगेश पंडित, अनिल कुमार, गिरीश कुमार दिनांक 17-3-92 को हाजिर अदालत होकर जेल

भेजे गये । विवेचना से सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर दिनकं 20-3-92 को आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपर जिलाधिकारी (परि०), फर्रुखाबाद के विरुद्ध शासन स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय

130–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अपर जिलाधिकारी (परि०), फर्रुखाबाद ने रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 3-3-92 के द्वारा मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को व उसकी प्रतिलिपियां मा० मुख्य मंत्री, मा० राजस्व मंत्री व अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की है, जिसमें जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा अनियमित रूप से जिलाधिकारी (परि०) के अधिकार अन्य अधिकारियों में निहित करने की शिकायत करते हुए किये गये अनियमित कार्यों का विवरण दिया है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और उसके संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (परियोजना), फर्रुखाबाद से ऐसा एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था । इसमें जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद पर यह आरोप लगाया गया था कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के फण्ड्स का दुरुपयोग करने का विरोध करने पर जिलाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से उनके अधिकार स्थापित करके अन्य अधिकारियों को दे दिये गये हैं ।

उक्त शिकायती पत्र की प्राप्ति के पूर्व ही जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा की गयी शिकायतों के आधार पर शासन स्तर पर अपर जिलाधिकारी (परियोजना) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ करने का निर्णय लिया जा चुका था । अधिकारी को आरोप पत्र भी दिया जा चुका है । दिनांक 3-3-92 के प्रश्नगत शिकायती पत्र के संदर्भ में संबंधित अपर जिलाधिकारी (परियोजना) से उच्चाधिकारियों तथा भारत सरकार से सीधे पत्र-व्यवहार करने के लिये स्पष्टीकरण भी मांगा गया है ।

शस्त्र विक्रेता द्वारा व्यवसायिक लाइसेन्स प्रपत्र–13 की शर्त संख्या–7 के आधार पर शस्त्र विक्रय व हस्तान्तरण

131–श्री विजय पाल सिंह तोमर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शस्त्र विक्रेता द्वारा व्यवसायिक लाइसेंस पर जो खरीद व बिक्री की जाती है, प्रपत्र 13 की शर्त 7 के अन्तर्गत केवल फार्मों पर बने लाइसेंस पर ही की जा सकती है ? क्या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रार्थना पत्र पर स्वीकृत देने के उपरान्त प्रार्थना-पत्र पर शस्त्र विक्रेता द्वारा शस्त्र की बिक्री व खरीदारी की जा सकती है ? शस्त्र की खरीददारी व बिक्री के प्रार्थना पत्र पर किये आदेशों के अन्तर्गत प्रपत्र 13 की शर्त 7 में प्रपत्रों में कार्यालय द्वारा इन्द्राज करना अनिवार्य है अथवा नहीं ? क्या शस्त्र लाइसेंसों का लाइसेंस कार्यालय में लगभग एक वर्ष पूर्व जमा हो गया हो तो एक वर्ष बाद शस्त्र बेचने की अनुमति पर बिना लाइसेंस पर शस्त्र विक्रेता द्वारा शस्त्र खरीदा जा सकता है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री कल्याण सिंह–

आयुध नियमावली, 1962 के अन्तर्गत निर्धारित शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस प्रपत्र-13 की शर्त संख्या–7 के अनुसार शस्त्र विक्रेता किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ जिसके पास प्रपत्र-3, 4, 5, 7 अथवा 8 में लाइसेंस हो, को आग्नेयास्त्र का विक्रय अथवा हस्तान्तरण कर सकता है ।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रार्थना-पत्र पर स्वीकृति देने के उपरान्त शस्त्र विक्रेता द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत लाइसेंस पर ही शस्त्र की बिक्री अथवा क्रेता (लाइसेंसी) द्वारा खरीद की जा सकती है ।

निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत लाइसेंस के आधार पर क्रेता द्वारा प्रस्तुत किये गये लाइसेंस पर कार्यालय द्वारा इन्द्राज किया जाना अनिवार्य है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में सलीमुज्जफर मालिक फर्म फतेहपुर आर्म्स स्टोर एण्ड कं० शस्त्र विक्रेता के विरुद्ध विचाराधीन कार्यवाही तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना

132–श्री विजय पाल सिंह तोमर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद फतेहपुर में सलीमुज्जफर मालिक फर्म फतेहपुर आर्म्स स्टोर एण्ड कं० शस्त्र विक्रेता के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर ने जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर को दिनांक 16-12-88 को रिपोर्ट भेजी थी ? क्या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सलीमुज्जफर मालिक फर्म फतेहपुर आर्म्स स्टोर एण्ड कं० के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आज तक अंतिम तिथि तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभी तक कोई निर्णय लिया गया हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जनपद फतेहपुर से प्राप्त सूचनानुसार तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंसी को कारण बताओ नोटिस दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फर्म के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है ।

133–श्री विजय पाल सिंह तोमर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में सलीमुज्जफर मालिक फर्म फतेहपुर आर्म्स स्टोर एण्ड कं० ने प्रपत्र 13 के लिये प्रा० पत्र अनुसूची 3 प्रपत्र "क" के स्तम्भ 5 (ग) में क्या दर्शाया ? क्या उस समय सलीमुज्जफर के पिता श्री अजहर हसन के पास प्रपत्र 13 का लाइसेंस या उसके अतिरिक्त श्री अजहर हसन के पास और किन-किन प्रपत्रों पर लाइसेंस थे, व अजहर हसन के अन्य दूसरे लड़कों के नाम किन-किन प्रपत्रों पर लाइसेंस थे ?

श्री कल्याण सिंह–

यह लाइसेंस दिनांक 5-6-76 को जारी किया गया ।

"नहीं" अंकित है ।

इस अंश के कतिपय बिन्दु न्यायालय के विचाराधीन है अतः इस संबंध में कोई टिप्पणी करना न्यायोचित नहीं होगा ।

134–श्री विजय पाल सिंह तोमर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सलीमुज्जफर मालिक फर्म फतेहपुर आर्म्स स्टोर एण्ड कं० जनपद फतेहपुर में शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस प्रपत्र 13 में किस जिला मजिस्ट्रेट ने दिया ? श्री बृज किशोर, जिला मजिस्ट्रेट के पत्रावली में अंतिम आदेश क्या हुए ? श्री बृज किशोर, जिला मजिस्ट्रेट के बाद जनपद फतेहपुर में शासन द्वारा दूसरे जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसकी हुई ? क्या प्रपत्र 13 का लाइसेंस शासन द्वारा नियुक्त किये गये जिला मजिस्ट्रेट ने दिया है ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री सलीमुज्जफर मालिक फर्म फतेहपुर आर्म्स स्टोर एण्ड कं०, फतेहपुर को प्रपत्र-13 में शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस किसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं स्वीकृत किया गया बल्कि जनपद फतेहपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार तत्कालीन अतिरिक्त जिला मजिस्टेट श्री सै० रियाज अहमद जाफरी द्वारा स्वीकृत किया गया जो आयुध नियमावली के नियम–2 (एफ) (11) के अन्तर्गत सक्षम थे ।

इस संबंध में उनके द्वारा कोई आदेश नहीं अंकित किये गये ।

श्री शम्भू नाथ, आई० ए० एस० की नियुक्ति हुयी ।

जी नहीं ।

135–श्री विजय पाल सिंह तोमर–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद फतेहपुर में शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंसी अजहर हसन एण्ड सन्स से संबंधित प्रकरण न्यायालयाधीन तथा स्वीकृत लाइसेंस का नवीनीकरण

136–श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंसी अजहर हसन एण्ड संस को आरोपित नोटिस (क) की प्रपत्र 11 व 12 व 13 सभी लाइसेंस श्री अजहर हसन के नाम थे ? क्या श्री अजहर हसन की मृत्यु की सूचना नहीं दी गयी ? यदि हां, तो नोटिस किस दिनांक को और किस आधार पर दी गयी ? क्या फर्म के पार्टनरों द्वारा मृत्यु की सूचना 3-4-82 को दी जा चुकी थी ? जबकि प्रपत्र 11 व 12 शासन द्वारा जारी किये गये, जो अजहर हसन के नाम नहीं थे, सरकार गलत व क्षति पहुंचाने वाले लिपिकों व अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

यह प्रकरण न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट की कार्यवाहियों से संबंधित हैं । अतः इस पर कोई टिप्पणी करना न्याय संगत नहीं होगा ।

137–श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में मे० अजहर हसन एण्ड संस के शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस प्रपत्र 11 व 12 की दूसरी प्रतिलिपि जिला स्तर से नियमों के विरुद्ध किस दिनांक को जारी किया और दोनों प्रपत्रों का रिन्यूवल किस सन् तक हुआ और किन-किन लिपिकों और अधिकारी द्वारा किया गया ? क्या जिला स्तर से दूसरी प्रतिलिपि प्रपत्र 11 व 12 जो जारी की गयी थी, उस पर नवीनीकरण किया जा सकता है ? यदि हां, तो किस नियम से ? यदि नहीं, तो सरकार उन लिपिकों व अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद फतेहपुर से प्राप्त सूचनानुसार श्री अनीस अहमद पुत्र अजहर हसन प्रो० मेसर्स अजहर हसन एण्ड संस, फतेहपुर के नाम शासन द्वारा स्वीकृत शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंस प्रपत्र-11 एवं 12 की द्वितीय प्रतियां दिनांक 23-12-83 को जारी की गयी तथा इनका नवीनीकरण भी वर्ष 1985 तक जिला स्तर पर किया गया । श्री अखलाख अहमद तत्कालीन शस्त्र लिपिक तथा श्री जगदीश राय तत्कालीन प्रभारी अधिकारी, आयुध द्वारा उक्त लाइसेंस प्रपत्र–i1 एवं 12 की द्वितीय प्रति जिला स्तर से जारी की गयी तथा श्री चन्द्र भूषण सिंह तत्कालीन शस्त्र लिपिक तथा श्री ए० के० सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिकारी आयुध द्वारा इन प्रपत्रों का नवीनीकरण किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

138-141–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

[मा० सदस्य का स्वर्गवास हो जाने के कारण हटाये गये]

जनपद मुरादाबाद नगर में मस्जिद को मंदिर में तबदील संबंधी प्रकरण

142–श्री जाहिद हुसैन–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में नगर मुरादाबाद में दंगे के दौरान नगर की दो मस्जिदें चार चांद और हुजूर वाली मस्जिद को मंदिर में तबदील कर दिया गया था ? क्या सरकार इन दोनों मस्जिदों को पुनः वापस करने के लिये कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार इस संबंध में कोई भी घटना प्रकाश में नहीं आयी है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

143–श्री लीला राम शर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

144–श्री गामाराम शास्त्री–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद बाराबंकी स्थित यू० पी० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी में नियुक्त श्रमिकों का विवरण

145–श्री छोटे लाल यादव–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पिनिंग मिल, बाराबंकी में पहली पाली, दूसरी पाली एवं तीसरी पाली में कुल कितने श्रमिक हैं ? इनकी उपस्थित का प्रतिशत योजना क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

यू० पी० स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बाराबंकी इकाई में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पाली में क्रमशः 663,701 एवं 673 श्रमिक नियुक्त हैं ।

उक्त इकाई में श्रमिकों की उपस्थित का औसत प्रतिशत प्रतिदिन 67% है ।

जनपद सुल्तानपुर में जिला चिकित्सालय में कार्यरत नर्स द्वारा हलफनामा दायर किया जाना

146–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 91 में थाना कोतवाली सुल्तानपुर में अनु० जाति की किसी युवती ने जो जिला चिकित्सालय में नर्स के पद पर कार्यरत थी, बलात्कार की रिपोर्ट लिखायी थी जिसमें जिला चिकित्सालय के डाक्टरों को नामजद किया गया था ? यदि हां, तो प्राथमिकी में किन-किन लोगों का नाम था ? धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रासीक्यूट्रिक्स ने किन-किन लोगों का नाम बताया था ? नामजद लोगों ने अपनी जमानत कब करायी ? यदि नहीं करायी, तो सम्प्रति विवेचना किस स्तर पर है तथा जांच में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमती सुशीला देवी, ए० एन० एम०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कादीपुर द्वारा इस तरह की रिपोर्ट लिखाई गयी थी ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में डा० आर० पी० सिंह, चिकित्साधिकारी, टी० बी० क्लीनिक, सुल्तानपुर तथा डा० ए० पी० सिंह, डिप्टी सी० एम० ओ०, सुल्तानपुर को नामजद किया गया था ।

धारा 164 दं० प्र० सं० के बयान में डा० ए० बी० सिंह व डा० आर० बी० सिंह को नामजद किया गया था ।

श्रीमती सुशीला देवी ने एक हलफनामा लगाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया । अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी । अतएव नामजद व्यक्तियों द्वारा जमानत कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

साक्ष्य के अभाव में प्रश्नगत मामले की विवेचना अंतिम रिपोर्ट लगाकर दिनांक 31-12-90 को समाप्त कर दी गयी है ।

जनपद एटा में कार्यरत सी० एम० ओ० के शिकायती पत्र की जांच में कथित व्यक्ति की पुष्टि न होना

147–श्री हृदय नारायण दीक्षित तथा श्री अवध पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों का रिश्तेदार बताकर वरिष्ठ अधिकारियों को धमकाने संबंधी कितनी घटनायें/सूचनायें एस० पी०, एटा को माह अप्रैल, मई, 92 में प्राप्त हुई हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सी० एम० ओ०, एटा ने दिनांक 19-5-92 को पुलिस अधीक्षक, एटा को अपने पत्रांक सी-3/92 द्वारा स्वयं के उत्पीड़न की, इसी प्रकार की शिकायत भी की है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र के आधार पर कोई एफ० आई० आर० दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो उसकी धारायें क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत विषय के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा का एक शिकायती पत्र दिनांक 19-5-92 पुलिस अधीक्षक, एटा को प्राप्त हुआ ।

जी हां । उक्त शिकायती-पत्र के आधार पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है । शिकायती-पत्र की जांच कराई गयी । जांच से कथित व्यक्तियों द्वारा धमकी दिये जाने की बात की पुष्टि नहीं हुई ।

जनपद एटा के शीतलपुर के निवासी श्री मलखान सिंह यादव द्वारा अलीगंज तिराहे पर किए गये अनाधिकृत निर्माण को हटाया जाना

148–श्री अवध पाल सिंह –

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-6-92 को श्री मलखान सिंह यादव, निवासी शीतलपुर, जनपद एटा की अलीगंज तिराहे पर एटा शहर में बनी हुई दुकान, जिसका नक्शा पी० डब्लू० डी० से मंजूर है, पुलिस कोतवाली, शहर एटा की पुलिस ने गिरा दिया है ? क्या सरकार इसकी जांच करा कर दोषी पुलिस जनों को दण्डित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मलखान सिंह यादव निवासी शीतलपुर, एटा ने अलीगंज तिराहे पर पी० डब्लू० डी० की जमीन पर अवैध कब्जा करके दुकान बनाई थी । इस संबंध में वर्ष 1985 में परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मलखान सिंह के विरुद्ध धारा 13(2) रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा भी चला एवं न्यायालय द्वारा मलखान सिंह के विरुद्ध अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के आदेश हुए थे । न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उक्त अवैध कब्जा हटवाया गया था ।

प्रश्नगत मामले में पुलिस कर्मियों का कोई दोष नहीं पाया गया । अतः उन्हें दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा स्थित राम लीला ग्राउण्ड से श्री अजीज बाबा को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना

149–श्री अवध पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-6-92 को रात्रि 10 बजे से सुबह 3 बजे तक राम लीला ग्राउण्ड, एटा में गुण्डों द्वारा अजीज बाबा का सामान लूटने/तोड़ने तथा बैरीकेटिंग की बल्लियों को लूटने का काण्ड किया गया ? क्या मंत्री जी इसकी एफ० आई० आर० दर्ज करा कर सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अजीज बाबा को राम लीला ग्राउण्ड पर कुछ अवधि के लिये राम लीला कमेटी के कुछ सदस्यों ने स्थान दे दिया था । दिनांक 7-6-92 को राम लीला ग्राउण्ड में श्रीकृष्ण लीला के आयोजन हेतु आपसी सहमति से श्री अजीज बाबा को वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित करा दिया गया ।

इस संबंध में मार-पीट अथवा लूट-पाट के विषय में श्री अजीज बाबा अथवा किसी अन्य के द्वारा कोई सूचना अथवा रिपोर्ट स्थानीय थाने पर अंकित नहीं करायी गयी है । मामले में सी० आई० डी० जांच कराने का औचित्य प्रतीत नहीं होता ।

जनपद एटा शहर में श्री रघुनाथ सिंह यादव को मार-पीट करने के संबंध में जेल भेजा जाना

150–श्री अवध पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के शहर एटा में दिनांक 7-6-92 को 8 बजे रात्रि में, श्री रघुनाथ सिंह यादव किरायेदार मकान नं० 29, डाक-बंगलिया, एटा, जो 1970 से किरायेदार थे और जिनके पास किराये की रसीदें पत्र व्यवहार की चिट्ठियां नगर पालिका द्वारा प्रेषित असेसमेन्ट वर्ष 1980 से दिखाया गया है, इसी मकान का वर्ष 1986/87 का बिजली का मुकदमा भी इन पर चला है तथा लोक अदालत द्वारा भी इन्हें किरायेदार माना गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि दिनांक 7-6-92 को रात्रि 8 बजे पुलिस तथा कुछ गुण्डों ने सुनियोजित तरीके से इनका समस्त सामान लूट लिया और इन्हें घर से बेघर कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-6-92 को रात्रि 8 बजे प्रश्न में उल्लिखित श्री रघुनाथ सिंह यादव का सामान पुलिस अथवा गुण्डों द्वारा लूटे जाने की पुष्टि नहीं हुई है बल्कि श्री रघुनाथ सिंह यादव द्वारा श्री देवेश के घर में घुस कर मार-पीट के संबंध में स्थानीय थाने पर मुकदमा अ० सं० 315/92 अन्तर्गत धारा 452/323/504/506 भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ । इस संबंध में अभियुक्त रघुनाथ सिंह यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ।

उक्त अभियोग की विवेचना के मध्य श्री यादव द्वारा अपनी किरायेदारी की पुष्टि में अपने पक्ष में संदर्भित कागजात अथवा इस प्रकार का कोई प्रमाण-पत्र स्थानीय पुलिस के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा श्री यादव को किरायेदार मानने के संबंध में कोई आदेश स्थानीय पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है ।

मामले में कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया । अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के समस्त थानों पर थानाध्यक्षों की तैनाती का विवरण

151–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत कुल कितने थाने हैं ? माह अप्रैल, 1991 से माह अप्रैल, 1992 तक प्रत्येक थाने पर एक वर्ष में कितने थानाध्यक्षों की तैनाती की गयी है ? उनके नाम और पते क्या हैं ? प्रत्येक थानाध्यक्ष कितने दिनों तक एक थाने पर तैनात रहा ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद देवरिया में कुल 32 थाने हैं ।

विवरण संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 215-218 पर)

जनपद फतेहपुर में स्थित मे॰अजहर हसन एण्ड सन्स के शस्त्र विक्रेता के लाइसेंस के नवीनीकरण में फेरबदल करने की जांच

152–श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मे० अजहर हसन एण्ड सन्स, शस्त्र विक्रेता, फतेहपुर को प्रपत्र 13 की दूसरी प्रतिलिपि 1982 में जारी की गयी जिसका नवीनीकरण 1985 तक किया गया तथा-कथित आरोप कि लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस में फेरबदल की गयी है, 1982 के पश्चात् जिन लिपिकों व अधिकारियों ने नवीनीकरण किया है, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

इस प्रकरण में जांच कर नियमानुसार उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बांदा की तहसील कर्वी के ग्राम खोह के निवासी श्री गुलाब सिंह के शिकायती पत्र की जांच तथा शिकायतों का निराधार पाया जाना

153–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा की तहसील कर्वी के गांव खोह के गुलाब सिंह का शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-10-91 लोक शिकायत अनुभाग–1 मुख्य मंत्री को दिया गया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस प्रकरण में कोई कर्मचारी दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पाई गईं । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के हण्डिया के अन्तर्गत ग्राम टेला (लाल का पूरा) निवासी श्री घनश्याम हरिजन की पत्नी की दहेज हत्या से संबंधित अभियुक्तों को जेल भेजा जाना

154–डा० बृजभान यादव–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के हण्डिया थाने के अन्तर्गत टेला (लाल का पूरा) गांव में 19-5-92 की रात घनश्याम हरिजन की पत्नी जला कर मार डाली गयी तथा हण्डिया के प्रभारी निरीक्षक श्री अमर बहादुर सिंह ने शुरू में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किया और बाद में बड़े अधिकारियों के निर्देश से जब प्रथम सूचना लिखी गयी तो भी अपराधियों को छोड़ दिया ? इस प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 27-5-92 को वादी श्री मूलचन्द पुत्र श्री बंशीलाल, निवासी कारीगांव, थाना गोपीगंज, जनपद वाराणसी द्वारा थाना हण्डिया पर लिखित सूचना दी गयी कि उसकी लड़की मुनक्का देवी की दहेज के कारण टेला ग्राम, थाना हण्डिया, जिला इलाहाबाद में उसके ससुराल वालों द्वारा हत्या कर दी गयी है, जिसके आधार पर थाना हण्डिया में मु० अ० सं० 155/92 धारा 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह प्रकरण दहेज हत्या का है । अतः दिनांक 31-5-92 को अभियोग धारा 304बी/201 भा० दं० वि० में परिवर्तित कर उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया । हत्या दिनांक 18-5-92 को हुई थी । घटना से संबंधित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिनांक 31-7-92 को जेल भेजा गया तथा दो के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की जा रही है । यह सत्य नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अंकित की गयी और अपराधियों को छोड़ दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

155–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

[मा० सदस्य का स्वर्गवास होने के कारण हटाया गया]

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की गाजियाबाद स्थित हिण्डन मोटल के तत्कालीन लेखाकार द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच में शिकायतों की पुष्टि न होना

156–श्री महेन्द्र जैन–

क्या पर्यटन विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम की गाजियाबाद स्थित इकाई हिण्डन मोटल के तत्कालीन लेखाकार ने दिनांक 25-2-91 को इकाई के प्रबन्धक द्वारा लेखा संबंधी नियमों की अवहेलना तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में लेखाधिकारी/प्रबन्ध निदेशक/ प्रधान प्रबन्धक तथा कम्पनी सचिव उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को कोई शिकायती पत्र भेजा था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि प्रबन्धक ने उक्त शिकायत की जानकारी होने पर शिकायतकर्ता का इतना गम्भीर उत्पीड़न किया कि उसने पर्यटन विभाग की नौकरी छोड़ दी ? यदि हां, तो सरकार प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी हां ।

शिकायती पत्र पर जांच करायी गयी । जांच में शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई ।

हिण्डन मोटल गाजियाबाद के तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार श्री राकेश कुमार जैन स्वयं अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कर कार्य से अनुपस्थित हो गये । कथित उत्पीड़न के आरोप जांच में सिद्ध नहीं हो पाये ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं के कतिपय व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान किया जाना

157–श्री राम खिलाड़ी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से जनपद बदायूं में किन-किन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की गयी है ? क्या यह व्यक्ति विशिष्ट श्रेणी में आते हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बदायूं में शासन द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की गयी है :–

1–श्री राम सेवक सिंह, विधायक, भा० ज० पा०,

2–श्री स्वामी चिन्मयानन्द, सांसद, भा० ज० पा०,

3–श्री बनवारी सिंह यादव, विधायक, स० जा० पा०,

4– श्री राम खिलाड़ी सिंह, विधायक, जनता दल,

5–श्री ओमकार सिंह यादव, विधायक, जनता दल,

6–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, पंचायत मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन,

7–श्री ऋषिपाल सिंह, एम० एल० सी०, जनता दल,

8–श्री कृष्णवीर सिंह, विधायक, जनता दल,

9–श्री अवनीश कुमार सिंह, विधायक, भा० ज० पा०,

10–श्री ओम प्रकाश मथुरिया, अध्यक्ष, नगरपालिका,

11–श्रीमती प्रमिला भदवार मेहरा, पूर्व विधायिका,

12–श्रीमती पुष्पा देवी, पूर्व विधायिका,

13–श्री भोला शंकर मौर्य, विधायक, कांग्रेस (आई०),

14–श्री अंगन लाल ।

शासन द्वारा बनायी गयी सुरक्षा व्यवस्था संबंधी नीति वास्तविक जीवनभय पर आधारित एवं आवश्यकता परक है । अतः यह आवश्यक नहीं है कि सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति विशिष्ट श्रेणी के ही हों ।

जनपद मैनपुरी के थाना करहल निवासी श्री रामरूप वर्मा तथा श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा की हत्या से संबंधित मुल्जिमों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाना

158–श्री अवध पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि अपराध संख्या 138/92 दिनांक 10-4-92 थाना करहल, जनपद मैनपुरी में दिनांक 26-6-92 तक किसी भी मुल्जिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है जबकि मृतक रामरूप वर्मा

तथा राजेन्द्र कुमार वर्मा निवासी थाना जैथरा जो श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा मंत्री लोधी महासभा, एटा के भाई तथा भानजे थे, की 28-3-92 को पकड़ हो गयी थी और 9-4-92 की रात्रि में हत्या कर दी गयी जिसका अपराध 10-4-92 को थाना करहल में दर्ज हुआ ? क्या सरकार मुल्जिमानों को गिरफ्तार कर तत्काल कार्यवाही करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

थाना करहल में दिनांक 10-4-92 को श्री राजपाल सिंह, निवासी माछरपुर, थाना करहल द्वारा दो लाशें नदी के किनारे पड़ी होने की सूचना दी गयी । उक्त सूचना के आधार पर थाना करहल, जनपद मैनपुरी पर मु० अ० सं० 138/92 अन्तर्गत धारा 302/201 भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ । लाशों की पहचान के लिए उनकी फोटो समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया गया । प्रकाशित फोटो को देखकर श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा निवासी नगला लीलाधर, एटा थाना करहल पर आकर दोनों मृतकों में से एक को अपना सगा भाई राम रूप तथा दूसरे को अपना भान्जा राजेन्द्र कुमार वर्मा होना बताया और यह भी बताया कि दिनांक 28-3-92 को गौरी शंकर उर्फ दरोगा निवासी रठेरा, मैनपुरी के साथ मृतक गये थे जो उनके यहां प्रायः आता जाता था । गौरी शंकर उर्फ दरोगा की काफी तलाश की गयी, न मिलने पर उसके विरुद्ध कुर्की (धारा 82/83) की कार्यवाही की गयी । दिनांक 27-8-92 को मफरूरी में उसके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

कोयले पर आधारित औद्योगिक इकाइयों को कायले की आपूर्ति

159–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कोयले पर आधारित औद्योगिक इकाइयां तथा ईंट-भट्टा आदि कोयले का उपयोग करने वाले लघु उद्योगों को कोयले की आपूर्ति किए जाने की नीति क्या है ? क्या कोयले का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों की सहकारी समितियों द्वारा निजी उपयोग के लिए कोयला सीधे मंगाए जाने विषयक पूर्ववर्ती सरकार की नीति में परिवर्तन कर पुनः कोल एजेन्ट नियुक्त करने का निर्णय शासन ने लिया है ? यदि हां, तो कोल एजेन्ट नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

कोयले पर आधारित औद्योगिक इकाइयों को कोयले की आपूर्ति कोल इण्डिया द्वारा किये गये लिंकेज के आधार पर कोयला रेलवे वैगन के माध्यम से सीधे आपूर्ति की जाती है । इसके अतिरिक्त इकाइयों को त्वरित आपूर्ति हेतु विभिन्न जनपदों में उ० प्र० लघु उद्योग निगम लि०, प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन व निजी संस्थाओं के माध्यम से डम्पों की स्थापना कर कोयले की आपूर्ति की जाती है । कोयला उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है जिनका पंजीकरण उद्योग विभाग अथवा महानिदेशक, पूर्ति एवं निपटान निदेशालय द्वारा किया जाता है ।

ईंट भट्ठों हेतु कोयले की स्पान्सरिंग ईंट भट्ठों के मालिकों व उनकी सहकारी समितियों, प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन, उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम तथा इनसे सम्बन्धित अन्य शीर्षस्थ संस्थाओं के पक्ष में की जाती है । कोयले के आयात एवं वितरण के लिए जनपदों को केन्द्र बिन्दु माना गया है और जिलाधिकारियों की संस्तुति होने पर कोयले की स्पान्सरिंग की जाती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देबरिया के पडरौना में प्रकाशित साप्ताहिक तथा पाक्षिक एवं दैनिक पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण

160–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि पडरौना, देवरिया जनपद में कुल कितने साप्ताहिक, पाक्षिक एवं दैनिक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं ? उनमें से कितने भारत सरकार के रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर से मान्यता प्राप्त हैं और प्रकाशन की सभी अर्हताएं पूरी करते हैं ? क्या सूचना विभाग द्वारा उक्त जनपद में विज्ञापन देने एवं उ० प्र० में परिवहन सुविधाओं में भेदभाव बरता जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिह–

पडरौना, जनपद देवरिया से कुल तीन समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं । इनमें से दो साप्ताहिक और एक पाक्षिक समाचार पत्र है ।

एक साप्ताहिक समाचार पत्र तथा एक पाक्षिक समाचार पत्र भारत सरकार के रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर से पंजीकृत है । भारत सरकार के रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर कार्यालय में समाचार पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन की अर्हतायें पूरी करने पर पंजीकरण किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर के थाना ललौली के मजरा गनेशपुर के निवासी श्री भगवान सरन पुत्र बड़कू व राजाराम पुत्र राम रतन द्वारा हत्या काण्ड में जांच

161–श्री विजय पाल सिंह तोमर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद फतेहपुर में भगवान सरन पुत्र बड़कू व रामराज पुत्र रामरतन, नि० गनेशपुर, मजरे बनू, थाना ललौली, जिला फतेहपुर जुलाई, 1990 में एक हत्या काण्ड में 302 के मुल्जिम थे ? क्या इन लोगों ने अपने-अपने शस्त्र मरम्मत हेतु सलीमुज्जफर मालिक फर्म फतेहपुर आर्म्स स्टोर एण्ड कं० के यहां जमा किया था ? क्या सलीमुज्जफर मालिक फर्म फतेहपुर आर्म्स स्टोर को प्रपत्र 11 मे शस्त्र मरम्मत का लाइसेंस प्राप्त है ? क्या सलीमुज्जफर के द्वारा मरम्मत के लिए शस्त्र लेने का अधिकार है ? यदि हां, तो किस लाइसेंस के द्वारा ? यदि नहीं, तो सरकार शस्त्र विक्रेता के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? क्या शस्त्र विक्रेता के विरुद्ध संलग्न रसीद जो शस्त्र मरम्मत हेतु शस्त्र विक्रेता ने जारी किया था सहित शिकायती पत्र दिनांक 27-1-92 अमरनाथ द्वारा भेजी गयी है, शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

इसकी जांच करायी जा रही है ।

जी नहीं ।

श्री सलीमुज्जफर को मरम्मत हेतु शस्त्र जमा करने का अधिकार नहीं है । मामले की जांच करायी जा रही है ।

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

162–श्री अभिमन्यु सिंह–

[नियम 28(7) के अन्तर्गत निरस्त]

जनपद फतेहपुर के व्यवसायी श्री अनीस अहमद पुत्र श्री अजहर हसन मे० अजहर हसन एण्ड सन्स के नाम लाइसेंस स्वीकृत किया जाना

163–श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में शस्त्र व्यवसायिक लाइसेंसी श्री अनीस अहमद द्वारा प्रपत्र 11 व 12 में अनीस अहमद के स्थान पर मे० अजहर हसन एण्ड सन्स बढ़ाया गया है ? क्या अब इन लाइसेंसों में अनीस अहमद के नाम नहीं हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, शासन द्वारा दिनांक 22-9-70 को स्वीकृत प्रपत्र–11 के लाइसेंस के स्तम्भ–2 में निम्नलिखित के नाम लाइसेंस स्वीकृत किया गया था :–

"श्री अनीस अहमद पुत्र श्री अजहर हसन मे० अजहर हसन एण्ड सन्स, आर्म्स डीलर्स, लाला बाजार रोड, फतेहपुर सिटी, उ० प्र०" तथा दिनांक 29-11-71 को स्वीकृत प्रपत्र–12 के लाइसेंस के स्तम्भ–2 में निम्नलिखित के नाम लाइसेंस स्वीकृत किया गया था :–

"श्री अनीस अहमद पुत्र श्री अजहर हसन मे० अजहर हसन एण्ड सन्स, आर्म्स डीलर्स, लाला बाजार रोड, फतेहपुर सिटी, उ० प्र०" उक्त लाइसेंसों की द्वितीय प्रतियां दिनांक 23-12-83 को जिला स्तर से जारी की गयीं जिनमें प्रपत्र–11 के लाइसेंस के स्तम्भ–2 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया किन्तु प्रपत्र–12 के लाइसेंस के स्तम्भ–2 में निम्नलिखित के नाम लाइसेंस स्वीकृत दर्शाया गया ।

"मे० अजहर हसन एण्ड सन्स, आर्म्स डीलर्स, लाला बाजार रोड, फतेहपुर सिटी, उ० प्र० (श्री अनीस अहमद, पार्टनर)" ।

जनपद वाराणसी की तहसील भदोही के ग्राम सभा छनौरा में वर्णित आराजी के विवाद का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन

164–श्री दुलारे लाल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा छनौरा, तहसील भदोही, जनपद वाराणसी की आराजी संख्या 213 पर तथा 170/2 पर पुलिस द्वारा थानाध्यक्ष, सुरियावां तथा चौकी इंचार्ज दुर्गागंज की मिलीभगत से अनाधिकृत रूप से कब्जा करा दिया गया तथा आ० स० 170/2 पर कब्जे का प्रयास का काम जारी है ? यदि हां, तो क्यों तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, अनधिकृत कब्जा अथवा उसके प्रयास का आरोप सत्य नहीं है । वस्तुतः आराजी संख्या 213 चकबन्दी में चक आउट होने के बाद भी उसकी पैमाइश नहीं हुई कि यह भूमि कहां पर है । मामले के एक पक्षकार श्री मुन्नी लाल के अनुसार यह आराजी वहां है जहां द्वितीय पक्ष श्री भगेलू का मकान है । किन्तु यह मकान लगभग 40–50 वर्ष पुराना है, जहां वे अपने परिवार एवं मवेशी सहित आबाद हैं । चूंकि यह मामला दीवानी न्यायालय से संबंधित है, अतः दोनों पक्षों को न्यायालय में चाराजोई करने

को कहा गया है । आराजी संख्या 170 पर श्री फूल चन्द एवं श्री मुन्नी लाल के मध्य विवाद चल रहा है जो विचाराधीन न्यायालय है ।

जनपद पीलीभीत के उर्दू रूदादे चमन के सम्पादक श्री शकीलुर्रहमान शमसी द्वारा दर्ज एफ० आई० आर० पर थानाध्यक्ष द्वारा विवेचना

165–श्री राम लखन वर्मा–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत के उर्दू अखबार रूदादे चमन के सम्पादक श्री शकीलुर्रहमान शमसी के घर उनकी अनुपस्थिति में हथियार बन्द गुण्डों द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 1992 की रात करीब 8.30 बजे हमला बोल कर उनकी माता पत्नी आदि को घायल कर दिया गया ? क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस (इंस्पेक्टर कोतवाली श्री शुक्ला) की लापरवाही/उदासीनता के कारण उसकी एफ० आई० आर० नहीं दर्ज की गयी और न ही मेडिकल रिपोर्ट करायी गयी ? क्या डी० एम०/एस० पी० द्वारा हस्तक्षेप के बाद में रिपोर्ट लिखी गयी ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा दोषी पुलिस कर्मी को क्या दण्ड दिया गया ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री शकीलुर्रहमान शमसी के पुत्र श्री वजीउर्रहमान शमसी द्वारा दिनांक 7-4-92 को रात्रि 9.25 बजे थाना कोतवाली पर लिखायी गयी रिपोर्ट के आधार पर मु० अ० सं० 165ए/92 धारा 395/397 भा० दं० वि० पंजीकृत होकर विवेचना थानाध्यक्ष सुनगढ़ी द्वारा की जा रही है ।

यह सत्य है कि श्री वजीउर्रहमान शमसी की मौखिक सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा प्राथमिकी अंकित नहीं की गयी जो बाद में,लिखित प्रार्थना-पत्र देने पर पंजीकृत किया गया । चूंकि चोट स्पष्ट दिखायी नहीं दे रही थीं इस कारण वादी पक्ष द्वारा ही चिकित्सा परीक्षण कराने से मना कर दिया गया था ।

जी नहीं ।

लिखायी गयी रिपोर्ट के आधार पर मु० अ० सं० 165ए/92 अन्तर्गत धारा 395/397 भा० दं० वि० विवेचनाधीन है ।

प्रभारी निरीक्षक कोतबाली की भूमिका के संबंध में क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच करायी गयी ? जांच में कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया ।

जनपद कानपुर नगर की कोतवाली में श्री मन्नू लाल निषाद द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट की विवेचना में अपराधों का प्रमाणित न होना

166–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर थाना कोतवाली नगर में दिनांक 21-8-91 घटना स्थल जिला परिषद् मीटिंग हाल कानपुर नगर में मु० अ० सं० 373/91 व दिनांक 27-8-91 समय 19.05 थाना कोतवाली शहर में मन्नू लाल निषाद वादी ने रिपोर्ट श्री विनोद सिंह आदि के नाम दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मुल्जिमों को

गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जायेगा, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मामले की विवेचना करायी गयी, जिसमें अपराध प्रमाणित नहीं हुआ । अतः अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी ।

जी नहीं, अपराध प्रमाणित न होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के थाना लोनार के वर्तमान थानाध्यक्ष श्री मुईन अहमद द्वारा मुकदमों की विवेचना का विवरण

167–श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर)–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के थाना लोनार में वर्तमान थानाध्यक्ष श्री मुईन अहमद द्वारा कितने मुकदमें की तफ्तीस की गयी ? उनमें से कितने मुकदमों में चार्जशीट और कितने मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त सब इन्सपेक्टर द्वारा की गयी तफ्तीसों में उनकी बदनीयती के प्रमाण भी उभरकर आये हैं ? यदि नहीं, तो क्या इसकी छानबीन करवाकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री मुईन अहमद, थानाध्यक्ष लोनार ने दिनांक 12-5-92 को थाने का कार्यभार ग्रहण किया तब से अब तक 7 मुकदमों की विवेचनायें की गयीं ।

उपरोक्त 7 मुकदमों में से 4 अभियोगों में उनके द्वारा आरोप-पत्र प्रेषित किया गया तथा शेष अभियोग अभी विवेचनाधीन हैं ।

पर्यवेक्षण से बदनीयती का कोई प्रमाण प्रकाश में नहीं आया । पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर ही अभियोग निस्तारित किये गये हैं ।

किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

जिला फैजाबाद के अकबरपुर निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० जयराम माली का निधन एवं उसके नाम से निकाली गयी राशि की जांच

168-श्री बच्चा पाठक–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के सातवें गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–171 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित जांच पूरी हो गयी ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ? यदि नहीं, तो किस अधिकारी द्वारा जांच करायी जा रही है ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां, जांच पूर्ण हो गयी है । जांच आख्यानुसार संबंधित लिपिक की लापरवाही के कारण गलत व्यक्ति को भुगतान कर दिया गया था, क्योंकि फैजाबाद जनपद में जयराम नाम के तीन स्वतंत्रता संग्राम

सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे थे । यह भुगतान श्री मनोज कुमार मेहरोत्रा एडवोकेट की पहचान पर किया गया था । जानकारी होने पर प्रश्नगत धनराशि रु० 4,000 का भुगतान सही व्यक्ति स्व० जयराम मन्नी के एक मात्र उत्तराधिकारी उनके पुत्र को करा दिया गया है ।

जनपद बांदा स्थित उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक बबेरू में कार्यरत सहायक फील्ड आफीसर श्री जैसीराम द्वारा शाखा प्रबन्धक के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट तथा संबंधित वाद न्यायालय के विचाराधीन

169–श्री गया चरन दिनकर

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22-6-92 को उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक बबेरू जनपद बांदा के शाखा प्रबन्धक ने अनुसूचित जाति के कर्मचारी सहायक फील्ड आफीसर श्री जैसीराम को मारा पीटा एवं अपमानित किया है ? क्या उक्त घटना की रिपोर्ट प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बबेरू द्वारा दिनांक 22-6-92 की बजाय 24-6-92 को दर्ज की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मु० अ० सं० 323/504/506 आई० पी० सी० व धारा 3 (1) अनुसूचित जाति/ अनु० जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की निष्पक्ष जांच कराकर शाखा प्रबन्धक को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वादी श्री जैसीराम ने घटना की तहरीरी सूचना दिनांक 24-6-92 को थाने पर दी थी जिस पर मु० अ० सं० 216/92 धारा 323/504/506 भा० सं० वि० 3 (1) (9) अनु० जाति/जनजाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम पंजीकृत हुआ । इस प्रकार अभियोग के पंजीयन में विलम्ब वादी की तरफ से ही किया गया । इस अभियोग में विवेचना उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 20-8-92 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

चूंकि मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । अतः इस संबंध में किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जनपद बांदा स्थित उ० प्र० राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक के शाखा प्रबन्धक श्री सियाराम शरण दीक्षित का न्यायालय में आत्म समर्पण

170–श्री गया चरन दिनकर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु० अ० सं० 216/92 धारा 223. 504. 506 आई० पी० सी० कोतवाली बबेरू जनपद बांदा से संबंधित अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रभारी निरीक्षक पुलिस अधीक्षक की ओर से संबंधित अभियुक्तों की तलाश जारी है ? यदि नहीं, तो क्या मुल्जिम बागी है ? क्या स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वादी श्री जैसीराम, सहायक फील्ड आफीसर उ० प्र०, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक शाखा बबेरू जनपद बांदा की तहरीरी सूचना पर दिनांक 24-6-92 को थाना कोतवाली बबेरू पर मु० अ० सं० 216/92 धारा 323/504/506 भा० दं० वि० व धारा 3 (1) (9) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम बनाम श्री सियाराम शरण दीक्षित, शाखा प्रबन्धक, उ० प्र० राज्य कृषि

सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक बबेरू के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था । अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास काफी किया गया किन्तु वह गिरफ्तार नहीं हो सका था । अभियुक्त दिनांक 3-7-92 को न्यायालय में आत्म समर्पण करके जमानत पर मुक्त हो गया था । मुकदमें की विवेचना के उपरान्त आरोप-पैत्र संख्या 123 दिनांक 20-8-92 को प्रेषित किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद आजमगढ़ व रामपुर में घटित साम्प्रदायिक दंगों का विवरण

171–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ और रामपुर जिलों में जून 1992 के आखिरी हफ्ते में हुए साम्प्रदायिक दंगों में कौन-कौन दोषी पाया गया है ? क्या कोई अधिकारी/पुलिस कर्मी भी दोषी पाये गये है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार माह जून 1992 के अन्तिम सप्ताह में जनपद रामपुर में साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुये, बल्कि 4 अलग-अलग अपराधिक घटनायें हुईं, जिन्हें असामाजिक तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक रंग देने का असफल प्रयास किया गया ।

जनपद आजमगढ़ के थाना जहानगंज के ग्राम जगदीशपुर में दिनांक 26-6-92 को दो सम्प्रदायों के गुटों के बीच तनाव का मामला परिलक्षित हुआ । इसमें दोनों ओर से 43 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराये गये दोनों मुकदमों में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

इन घटनाओं में कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया ।

172–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[3रे बुधवार में अतारांकित प्र० सं० 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

173–श्री तेज भान सिंह–

[सीमित महत्व एवं अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के थाना-उदयपुर के ग्राम-सेमरा में गोविन्द पुत्र सूरजदीन तथा गोविन्द की पत्नी की मृत्यु के सम्बन्ध में विवेचना

174–श्री तेज भान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 4-5-92 को ग्राम सेमरा, थाना उदयपुर, जिला प्रतापगढ़ में गोविन्द पुत्र सूरजदीन तथा गोविन्द की पत्नी की लाश मिली थी ? यदि हां, तो मृत्यु का कारण पुलिस को क्या बताया गया था ? क्या पुलिस ने उस मामले को हत्या के रूप में दर्ज किया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या लाश का पंचनामा कराया गया था ? यदि हां, तो पुलिस ने पंचनामा किस आधार पर कराया ? दो-दो लाशें मिलने पर भी पोस्टमार्टम न कराये जाने का कारण क्या रहा है ? उक्त पंचनामें के समय मृत्यु का कारण क्या बताया गया था ? क्या उस पर प्राथमिक रूप से डाक्टर की राय ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में उक्त दिनांक को प्रेषित श्री सूरजदीन, ग्राम सेमरा, प्रतापगढ़ का पत्र उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या शिथिलता हेतु दोषी पुलिसजन दण्डित होंगे तथा मुकदमें की पुनः विवेचना होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूरज प्रकाश पुत्र रामलाल के पत्र, दिनांक 22-7-92 द्वारा यह शिकायत प्राप्त हुई कि दि० 5-5-92 की रात्रि में गोविन्द एवं उसकी पत्नी सरोज कुमारी की मृत्यु हुई थी । उक्त पत्र के आधार पर भा०द०वि० की धारा 302/201 के अन्तर्गत मु०अ०सं० 99/92 पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गयी । किन्तु दोनों मृतकों के शव उनके पिता एवं ग्रामवासियों द्वारा आपसी पंचायत करके जला दिये गये थे । अतः पोस्टमार्टम का समय न मिला और मृत्यु का कारण प्रकाश में न आ सका । विवेचना प्रगति पर है जिसके पूर्ण होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

श्री मोहन सिंह परवाल को राज्य सम्पत्ति द्वारा आवंटित आवास का कब्जा न दिये जाने का कारण

175–श्री लाल जी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री मोहन सिंह, परवाल राज्य कर्मचारी को राज्य सम्पत्ति विभाग उ० प्र० शासन द्वारा दिनांक 17 जून, 1991 को आवासीय कालोनी, टिकैत राय तालाब, लखनऊ में भवन सं० आर० एस० 2/337 आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो उन्हें अभी तक आवास पर कब्जा न दिए जाने के क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उ० प्र० राजकीय कर्मचारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली में केवल राजकीय कर्मचारियों के लिये ही आवास आवंटन की व्यवस्था है । श्री मोहन सिंह परवाल, राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं है तथा उनके पक्ष में किया गया आवास आवंटन आदेश मात्र एक सप्ताह के लिये ही वैध था जो आवंटित आवास में कब्जा न मिलने के फलस्वरूप स्वतः निष्प्रभावी हो गया । श्री सिंह के पात्र न होने के कारण पुराने आवंटन आदेश को पुनर्जीवित करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद बलिया के थाना-उभांव के थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर जांच

176–श्री राज नारायण बिन्द, श्री रमाकान्त यादव तथा श्री छोटे लाल यादव-

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र श्री भूक्खन पुत्र रामवृक्ष सा० सहियां, थाना उभांव, जनपद बलिया के संलग्न प्रार्थना पत्र सजपा विधान मण्डल दल के पत्रांक संख्या–785/दिनांक 4-6-92 के साथ गृह सचिव को, जिसमें थानाध्यक्ष, उभांव की अनियमितताओं का विवरण था, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, बल्कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-6-92 के साथ प्रार्थी भुक्खन पुत्र रामवृक्ष का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी जांच कराई गई । जांच से थानाध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गये आरोप असत्य पाये गये हैं ।

जनपद बांदा के ब्लाक चित्रकूट के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बहुल्य ग्रामों को शस्त्र लाइसेंस देने की मांग

177–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के ब्लाक चित्रकूट अन्तर्गत राजस्व गांव मेवई लराब, भवई पहरा, अनुसूचित जाति प्रधान गांव है तथा विगत मई में दिनांक 17 मार्च, 26 मई, 92 तथा 25 मई, 92 को सामूहिक रूप से दो. तीन एवं छः घरों में वहां लूट की घटनाएं घटी हैं, जिनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या अनुसूचित गांव बहुल्य आबादी के लिए आत्मसुरक्षा हेतु लाइसेंसो को दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि क्या इन गांवों के अनुसूचित जाति के कितने लोगों के आवेदन पत्र एतदर्थ विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उनका निस्तारण किया जाएगा ? क्या इन्हें शस्त्र लाइसेंस में प्राथमिकता दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

इन गांवों में प्रश्न में उल्लिखित तिथियों में सामूहिक लूट की कोई घटना नहीं हुई ।

अनुसूचित जाति बहुल्य आबादी के ग्रामों के लिये आत्म सुरक्षा हेतु अलग से लाइसेंस दिये जाने की शस्त्र अधिनियम/नियमों में व्यवस्था नहीं है । अतः ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है ।

अनुसूचित जाति के शस्त्र लाइसेंस के सम्बन्ध में सर्व श्री मोतीलाल व रामबहोरी के मात्र दो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं; जिन्हें शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त किसी अन्य अनुसूचित जाति के व्यक्ति का आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद बांदा की तहसील कर्वी के अन्तर्गत आने वाले अम्बेदकर ग्रामों को आत्म सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस देने की मांग

178–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी अन्तर्गत आने वाले अम्बेदकर गांवों की अनुसूचित जाति की आबादी के लोगों को सामूहिक आत्म सुरक्षा हेतु गांव में चार-चार, पांच-पांच लोगो को आर्म्स लाइसेंस दिये जाने की प्राथमिकता पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक शस्त्र लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अम्बेदकर गांव के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिये जाने हेतु शासन द्वारा अलग से कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं । जिला मजिस्ट्रेट, बांदा से प्राप्त सूचनानुसार तहसील कर्वी के ग्राम रामपुर माफी मजरे भारतपुर, ग्राम खेरिया तथा ग्राम जारोमाफी अम्बेदकर ग्राम चयनित हैं । इन गांवों में क्रमशः 4, 7 तथा 1 व्यक्ति द्वारा ही शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं । इन आवेदन-पत्रों की जांच करायी जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रत्येक प्रकरण पर गुणावगुण के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद सीतापुर के थाना मिश्रिख के अन्तर्गत फर्जी मुठभेड़ की जांच

179–श्री गया चरन दिनकर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के मिश्रिख थानान्तर्गत दिनांक 10-2-81 को श्री गिरीश चन्द्र एवं अन्य दो व्यक्तियों की हत्या पुलिस द्वारा किये जाने की शिकायत पर अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग की जांच से 40 व्यक्तियों को दोषी पाया गया था ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि गृह पुलिस अनुभाग–4 के पत्र सं०–332 जी आई/आठ-4-101(3)वी/81, दिनांक 18 नवम्बर, 1983 द्वारा शिकायतकर्ता श्री जयदयाल श्रीवास्तव, संग्रह अमीन पो० हिमायूपुर (सीतापुर) को फर्जी सूचना भेजी गयी थी ? क्या जांच में पाये गये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

अपराध शाखा की जांच से फर्जी मुठभेड़ में पुलिस तथा जनता के 20-20 व्यक्ति दोषी पाये गये जिसमें से जनता तथा पुलिस के एक-एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है । शेष दोनों पक्षों के कुल 19-19 व्यक्तियों के विरुद्ध 21-1-89 एवं 19-11-90 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के थाना मधुबन के ग्राम बहरामपुर निवासी श्री सुरेन्द्र नाथ चौरसिया को आग्नेयास्त्र के लाइसेंस देने की मांग

180–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नयी सरकार ने आग्नेय शस्त्रों के लाइसेंस देने हेतु क्या नीति बनायी है ? क्या डकैती पड़ने पर भुक्तभोगी परिवार वालों के यहां सरल रूप से लाइसेंस देने हेतु सरकार की नीति में कोई आधार शामिल है ? यदि हां, तो क्या श्री सुरेन्द्र नाथ चौरसिया, ग्राम-बहरामपुर, थाना-मधुबन, जनपद-मऊ के घर किस तिथि को डकैती पड़ी थी ? क्या श्री चौरसिया ने आग्नेयशस्त्र के लाइसेंस हेतु जिलाधिकारी को कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या उसे लाइसेंस मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

आग्नेयास्त्रों के नये लाइसेंस जारी करने पर शासन द्वारा दिनांक 16-12-85 को प्रतिबन्ध लगाया गया था । इस प्रतिबन्ध से समय-समय पर कतिपय श्रेणी के आवेदकों को छूट प्रदान की गयी । शासन की वर्तमान नीति के अनुसार मुख्यतया ऐसे आवेदकों, जिनके पास पूर्व में कोई शस्त्र लाइसेंस न हो, के आवेदन-पत्रों पर, सामान्यतः एक शस्त्र लाइसेंस (राइफल को छोड़कर) स्वीकृत करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट सक्षम हैं ।

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुरेन्द्र नाथ चौरसिया नामक कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सुरेन्द्र कुमार चौरसिया हैं, जिनके घर दिनांक 19/20 मई, 1991 को डकैती पड़ी थी ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

181–श्री जाहिद हुसैन–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद बांदा की ओरन चौकी के अन्तर्गत फर्जी इनकाउण्टर की अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा विवेचना

182–श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में ओरन चौकी के प्रभारी श्री उमाशंकर सिंह आदि ने 5 नवम्बर, 90 को ग्राम चौसढ़, थाना बिसण्डा में एक फर्जी इनकाउण्टर किया था, जिसकी जांच परगना अधिकारी, अतर्रा ने करके यह सूचना दिनांक 5 जून, 91 को अपराध संख्या–158/91 धारा 147/148/149/302 आई० पी० सी० के तहत दर्ज करवायी थी ? यदि हां, तो श्री उमाशंकर सिंह व उनके सहयोगी पुलिसजनों के विरुद्ध जो कि उक्त फर्जी इनकाउण्टर में सम्मिलित थे, क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 4-6-92 को श्री एस० एन० त्रिवेदी तत्कालीन परगना मजिस्ट्रेट अतर्रा जनपद बांदा द्वारा जांचोपरान्त मु० अ० सं० 158/91 धारा 147/148/149/302 भा० दं० वि० बनाम श्री उमाशंकर सिंह चन्देल चौकी इंचार्ज ओरन, थानाध्यक्ष बिसण्डा श्री ब्रम्हा सिंह बिसेन अन्य कर्मचारी गणों व जनता के व्यक्ति श्री भोपाल सिंह आदि के विरुद्ध चौकी ओरन थाना बिसण्डा में पंजीकृत कराया गया था । इस मुकदमें की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग, इलाहाबाद द्वारा की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य यार्न कं० बांदा में कार्यरत लिपिकों का स्थानान्तरण

183–श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि उ० प्र० राज्य यार्न कं०, बांदा में शासनादेश के विपरीत संयुक्त प्रबन्ध निदेशक ने अपने पद का दुरुपयोग करके कई लिपिकों का स्थानान्तरण कर दिया है, जिस पर कई लिपिकों ने माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी उन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया ? यदि हां, तो सरकार ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० राज्य यार्न बांदा में जून, 1990 में 9 लिपिकों का तथा अगस्त, 1990 में 10 लिपिकों का स्थानान्तरण प्रबन्ध निदेशक के आदेश द्वारा मिल के प्रमाणित स्थाई आदेशों के अन्तर्गत किये गये थे । अतः संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के द्वारा अपने पद के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की शर्तें संबंधित लिपिक पूरी नहीं करते थे। इसलिए उन्हें पुनः कार्य भार ग्रहण नहीं कराया गया।

जनपद बाराबंकी के थाना रामसनेहीघाट में स्थित ग्राम बहरेलाडीह में मारपीट करने के संबंध में श्री ओंकार सिंह के विरुद्ध आरोप न्यायालय में प्रेषित किया जाना

184–श्री तीरथ राज–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के तृतीय बुधवार (6 मार्च, 1991) हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–71 के उत्तर के संबंध में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओंकार सिंह आदि ने न्यायालय में आत्म समर्पण किस तिथि को किया ? ओंकार सिंह आदि के विरुद्ध वाद पंजीकृत होने एवं न्यायालय में आत्म समर्पण करने के मध्य पुलिस अभिरक्षा में किन-किन तिथियों एवं किन-किन स्थानों पर चिकित्सीय परीक्षण कराये गये ? ओंकार सिंह आदि के विरुद्ध वाद पंजीकृत होने की दशा में पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण के दौरान ओंकार सिंह आदि को हिरासत में लेकर न्यायालय में क्यों नहीं प्रस्तुत किया ? इस समस्त परिवाद में दोषी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री ओंकार सिंह आदि द्वारा न्यायालय में दिनांक 24-8-90 को आत्म समर्पण किया गया था। अभियोग पंजीकृत होने के पश्चात् श्री ओंकार सिंह आदि कभी भी पुलिस अभिरक्षा में नहीं रहे हैं। अतः चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ओंकार सिंह आदि का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 13-8-90 को हो चुका था जबकि उनके विरुद्ध मु० अप० सं० 192ए/90 दिनांक 19-8-90 को पंजीकृत हुआ था। इसलिए मुकदमा पंजीकृत होने के बाद चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान हिरासत में लेकर न्यायालय' में प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्नगत प्रकरण में कोई पुलिस अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के अन्तर्गत संयुक्त चिकित्सालय कर्वी के अधीक्षक के ऊपर घटित घटनाओं के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर जांच की मांग

185–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत संयुक्त चिकित्सालय, कर्वी के अधीक्षक के ऊपर घटित घटनाओं का उल्लेख करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 17-1-92 को मुख्य मंत्री, उ० प्र० शासन को, उनकी पत्नी के शिकायती पत्र को संलग्न करके भेजा गया पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अधीक्षक, संयुक्त स्वास्थ्य केन्द्र कर्वी ने दिनांक 11-8-91 को थाना कर्वी में रपट दर्ज करायी है ? यदि हां, तो अपराध संख्या व धारायें कौन-कौन सी हैं ? क्या अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस मामले के अपराधी लाइसेंसी हैं ? यदि हां, तो क्या इनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अधीक्षक, संयुक्त अस्पताल, कर्वी के विरुद्ध दिनांक 4-12-91 को अपराधिक मुकदमा कायम किया गया

है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच अपराध अनुसन्धान शाखा से करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । जांच से शिकायती प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप असत्य पाये गये । दिनांक 11-8-91 को डा० हरगोविन्द गुप्ता, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्वी ने अपने ही अस्पताल के चिकित्सक डा० वी० के० सक्सेना तथा पड़ोसी श्री मुकुल अग्रवाल के विरुद्ध मु० अ० सं० 410/91 धारा 352/504/506 भा० दं० वि० थाना कर्वी पर पंजीकृत कराया ।

अभियोग अभी विवेचनाधीन है ।

इस प्रकरण के अभियुक्त डा० वी० के० सक्सेना के पास कोई लाइसेंस नहीं है । दूसरे अभियुक्त श्री मुकुल अग्रवाल लाइसेंसी है और उनके पास एन० पी० बोर राइफल का लाइसेंस है । इस घटना में शस्त्र के प्रयोग का कोई उल्लेख नहीं है, अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी । अग्रिम कार्यवाही विवेचना में पाये गये तथ्यों के अनुसार की जायेगी ।

श्री शिव सम्पत पुत्र श्री बेला प्रसाद निवासी ग्राम बरदारा थाना राजापुर, जनपद बांदा द्वारा अपर जिलाधिकारी कर्वी को सम्बोधित एक प्रार्थना-पत्र, जो जांच हेतु क्षेत्राधिकारी, कर्वी के माध्यम से प्रभारी निरीक्षक कर्वी द्वारा जांच के उपरान्त दिनांक 4-12-91 को मु० अ० सं० 634/91 धारा 304ए/506 भा० दं० वि० डा० हरगोविन्द गुप्ता व अन्य के विरुद्ध थाना कर्वी पर पंजीकृत कराया गया ।

डा० हरगोविन्द गुप्ता के अनुरोध पर निष्पक्ष कार्यवाही हेतु इस अभियोग की विवेचना दूसरे थाने के उ० नि० द्वारा करायी जा रही है । विवेचक को निर्देश दिये गये हैं कि वे मुकदमें की विवेचना निष्पक्षता से करें । वर्तमान विवेचक मुकदमें की विवेचना निष्पक्षता से कर रहे हैं एवं विवेचना लगभग पूर्ण हो चुकी है अतः इस अभियोग की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग से कराये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता ।

कर्ण प्रयाग, नैनीसैंण मोटर मार्ग को पूरा कराने की मांग

186-श्री रमेश पोखरियाल–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को ज्ञात है कि कर्ण-प्रयाग, नैनी सैंण मोटर मार्ग जो कि विगत कई वर्षों से बन रहा है, पर किसी प्रकार का वन अधिनियम संबंधी कोई विवाद नहीं है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग अभी तक क्यों नहीं बन सका है ? क्या किसी सुनिश्चित समयावधि में उक्त मार्ग पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

वर्तमान में वन अधिनियम संबंधी कोई विवाद नहीं है । मार्ग के प्रथम 3 कि०मी० का कार्य वन अधिनियम लागू होने के पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया था । शेष के समरेखण में नाप भूमि के अतिरिक्त राज्य भूमि पड़ती थी जो पूर्व में वन अधिनियम की परिधि में आती थी । राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 21-7-89 द्वारा राज्य भूमि को वन अधिनियम की परिधि से बाहर कर दिये जाने के उपरान्त आगे का कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है । सितम्बर, 1992 तक 21.80 कि०मी० मार्ग पूर्ण कर लिया गया है । 1.20 कि०मी० में कार्य प्रगति पर है । अन्तिम दो कि० मी० में स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा विवाद उत्पन्न कर दिया गया है । अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी सुनिश्चित समयावधि में कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा यह कहना कठिन है ।

जनपद पौड़ी एवं चमोली में निर्माणाधीन मोटर मार्ग को पक्का करने की मांग

187–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर मार्गों पर तारकोल बिछाने की क्या प्रक्रिया है ? ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर कितने समयान्तराल से तारकोल बिछाये जाने का प्राविधान है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पौड़ी एवं चमोली दोनों जनपदों में कुल कितने कि०मी० सड़क बन चुकी हैं ? उनमें से कितने प्रतिशत सड़कों को अभी तक पक्का हो जाना चाहिए था और कितनी हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

उत्तरांचल क्षेत्र में तात्कालिक आवश्यकता एवं धन की उपलब्धता के आधार पर मोटर मार्गों पर तारकोल बिछाये जाने की प्रक्रिया है ।

जनपद पौड़ी में कुल 1964 कि० मी० मोटर मार्ग में से 706 कि० मी० मार्ग बन चुका है जो कुल लम्बई का 36 प्रतिशत है । शेष कार्य निर्माणाधीन है ।

इसी प्रकार जनपद चमोली में कुल 1104 कि० मी० मोटर मार्ग में से 539 कि० मी० मार्ग बन चुका है जो कुल लम्बाई का 40 प्रतिशत है । शेष कार्य निर्माणाधीन है ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास हेतु तनकपुर पंचजवेश्वर मोटर मार्ग को काली नदी के किनारे -किनारे बनाने की मांग

188–श्री लीला राम शर्मा––

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटकों को बढ़ावा देने हेतु तथा जनपद पिथौरागढ़ के विकास हेतु तनकपुर पंचजवेश्वर मोटर मार्ग, काली नदी के किनारे-किनारे बनाये जाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक उक्त मार्ग बनाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा––

जी नहीं ।

जनपद पिथौरागढ़ में जौलजीवी मदकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ली गयी भूमि का मुआवजा देने की मांग

189–श्री लीला राम शर्मा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जौलजीवी मदकोट मोटर मार्ग जिला–पिथौरागढ़ में निर्मित हो चुका है ? क्या आज तक उन काश्तकारों को उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु ली गयी उनकी भूमि का मुआवजा मिला है ? यदि नहीं, तो उनको मुआवजा कब तक मिल जायेगा तथा मुआवजा इतनी लम्बी अवधि तक न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा––

जी हां । निर्माण खण्ड अस्कोट के अन्तर्गत जौलजीवी मदकोट मोटर मार्ग 7.50 कि० मी० का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है शेष मार्ग भारत सरकार (ग्रेफ) द्वारा बनाया गया है ।

जी हां । राज्य सरकार द्वारा बनाये गये मार्ग के भूमि का मुआवजा निर्माण खण्ड अस्कोट द्वारा परगनाधिकारी धारचुला के माध्यम से वर्ष 1978 में भुगतान किया जा चुका है ।

ग्रेफ (भारत सरकार) द्वारा बनाये गये मार्ग का भूमि अर्जन की औपचारिकता पूरी की जा रही है। इसके बाद प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

जनपद फैजाबाद के कुर्की बाजार में परिवहन निगम की बस दुर्घटना के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही

190–श्री राम लखन वर्मा––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के कुर्की बाजार में परिवहन निगम की बस से हुई दुर्घटना के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-7-91 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दुर्घटना में लापता व्यक्ति के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त दुर्घटना में मृतकों के नाम व पते क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह––

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सोनभद्र स्थित गोविन्दपुर वनवासी आश्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध शिकायतों की जांच

191–श्री तीरथ राज––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोनभद्र, जनपद स्थित गोविन्दपुर वनवासी आश्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध शिकायत पर सन् 1977 में जनता पार्टी सरकार के उपमंत्री श्री बाबूलाल वर्मा द्वारा जांच की गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट से क्या सदन को अवगत कसाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? भ्रष्टाचार वहां पर सिद्ध होने पर, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

जी हां। तत्कालीन मा० उप मंत्री जी द्वारा निरीक्षण किया गया था।

उक्त जांच रिपोर्ट (निरीक्षण रिपोर्ट) अपूर्ण होने के कारण उसमें प्रेषित बातों की विस्तृत जांच गोपनीय रूप से कराने का अनुरोध माननीय उप मंत्री जी द्वारा किया गया था। इसलिये अपूर्ण जांच रिपोर्ट से सदन को अवगत कराने का औचित्य नहीं प्रतीत होता है।

माननीय उप मंत्री जी की अपेक्षानुसार गोपनीय जांच कराये जाने पर कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा किसी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है। तदोपरान्त 12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री यदुनाथ सिंह का सदन से निष्कासन

श्री अध्यक्ष––

मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं।

श्री नरेश अग्रवाल––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि 311 पर पहले सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

नियम-311 पर व्यवस्था दे दी है ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल--

[xxx]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

एक शब्द नहीं लिखा जायेगा ।

(श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये)

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल--

आप पुनर्विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष--

पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह--

प्रधानमंत्री जी से क्या-क्या बातें हुईं यह कल्याण सिंह जी जान सकते हैं ।

(घोर व्यवधान)

"सिया राममय सब जग जानी" इसमें राजेन्द्र कुमार गुप्त जी कुछ नहीं बता सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं नियम-299 के अन्तर्गत आदेशित करता हूं कि यदुनाथ सिंह जी सदन का त्याग करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप स्थान ग्रहण करें अथवा सदन त्याग करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी--

नियम 300 मे दिया है इसकी सूचना ले लें ।

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री यदुनाथ सिंह, श्री कैलाश नाथ सिंह यादव तथा श्री विजय सिंह राणा के समझाने पर वापस अपने स्थान पर चले गये ।)

श्री यदुनाथ सिंह के सदन से निष्कासन की वापसी

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

सदन त्याग करने का निर्देश मैं वापस ले रहा हूं । क्योंकि इन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है । सदन नियमों के अनुसार चले इसमें मुझे कड़ाई करनी पड़ेगी तो क्षमा करियेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल--

"इंगित किया" आदेश वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

वापस ले लिया है ।

व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो जजमेंट हुए है जो प्रधानमंत्री जी से बात हो रही है वह कल्याण सिंह जी से हो रही है उसको नेता सदन जानते हैं नेता सदन बैठे थे लेकिन अब नेता सदन, सदन में उपस्थित नहीं है इससे पूरे संविधान की अवमानना हुई है । गुप्त जी क्या बतायेंगे ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मंत्रि परिषद् का सामूहिक दायित्व होता है और कोई भी मंत्री उत्तर दे सकता है ।

(घोर व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह--

नेता सदन पहले सदन में उपस्थित थे और वह भाग खड़े हुए ।

श्री अध्यक्ष--

मैं नियम–301 की सूचनायें ले रहा हूं सदन के संज्ञान में लाने हेतु मुझे 20 सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

(व्यवधान)

नियम 311 की सूचनाओं के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा करा लें । पूरा प्रदेश जल रहा है, पूरे देश के सामने संवैधानिक संकट है । इस स्थिति में अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री का वक्तव्य सामने आ जाये ।

श्री अध्यक्ष–

जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में नियम 56 में भी सूचनायें आई हैं । तो नियम 56 का क्रम आने दीजिये । नियम 311 की सूचनायें हमने निरस्त की हैं लेकिन नियम 56 में इनको ले लेंगे । मैं चाहता हूं कि सदन व्यवस्थित ढंग से चले ।

* नेता विरोधी दल (कुं० रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि सारी कार्यवाही स्थगित करके इस पर चर्चा करा लें ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 नवम्बर, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए श्री यदुनाथ सिंह, श्री गामाराम शास्त्री, श्री स्वामी नाथ यादव, श्री कृष्ण किंकर सिंह, श्री विजय पाल सिंह, डा० बृजभान यादव, श्री हृदय नारायण दीक्षित की 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं ।

चूंकि श्री गामाराम शास्त्री, श्री कृष्ण किंकर सिंह, श्री विजय पाल सिंह उपस्थित नहीं हैं । अतः प्रतीक्षा सूची के माननीय सदस्य श्री हरेन्द्र सिंह, श्री हरबंश सहाय की सूचनायें स्वीकार की गयीं ।

(सदन की सहमति से सभी सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गयीं ।)

जनपद मथुरा निवासी कु० कटोरी देवी की समस्याओं के समाधान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह–

[मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है कि कु० कटोरी देवी बी० ए० एल० टी०, नि०-जन०मथुरा जो विधान सभा के सामने 9 दिसम्बर, सन् 1981 से संघर्षरत हैं, तब से कितनी सरकारें आयीं गयीं, लेकिन एक अदद महिला का दुःख दर्द इस राम रोटी इंसाफ और नारी का सम्मान करने वाली सरकार अभी तक कोई उनकी समस्याओं का निदान नहीं कर पायी जबकि इनका नाम गिनीज बुक में सन् 86 से आ रहा है ।]

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न का ध्यान आकर्षित कर कु० कटोरी देवी के समस्त समस्याओं का समाधान कर उन्हें न्याय दिया जाय । ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उ० प्र० सिंचाई विभाग के अंश कालिक कूप चालकों की दयनीय स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी नाथ यादव–

[महोदय, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग नलकूप खण्डों के अन्तर्गत कूप चालकों की नियुक्ति शासन के आदेशानुसार अंशकालिक रूप में किया जा रहा है जबकि पूर्व में नियुक्ति स्थायी कूप चालकों को अच्छा वेतनमान दिया जा रहा है ।

एक ही कार्य के लिये उसी जगह पर कार्यरत एक कर्मचारी को अच्छा वेतनमान तथा दूसरे को मात्र 550.00 रु० ही दिया जाय, कहां का न्याय है । इस प्रकार से सिंचाई कार्य क्षमता बाधित हो रही है तथा कर्मचारियों में काफी असंतोष पैदा हो गया है । इस कारण नलकूपों की सिंचाई क्षमता भी घटती जा रही है इससे किसानों को रवी और खरीफ की फसल के समय काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है ।

अंशकालिक कूप चालकों की दयनीय दशा बिगड़ती जा रही है । 550/- रुपये से बढ़ती महंगाई में उनके परिवार का भरण पोषण सम्भव नहीं है । बच्चों की पढ़ाई लिखाई तथा दवा आदि के लिये यह धनराशि अत्यन्त ही अल्प है ।

इस असंतोष के कारण उत्तर प्रदेश की कृषि चौपट हो रही है । अंशकालिक कूप चालकों को कम से कम 1200/- रु० मासिक देने के पश्चात् इनकी स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद में सिरसा पुल का निर्माण न होने तथा घाट का ठेका निजी ठेकेदारों को देने से उत्पन्न जनाक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० बृजभान यादव–

[महोदय, आपका ध्यान इलाहाबाद जनपद के सिरसा पुल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इस घाट पर प्रतिवर्ष गंगा के दोनों ओर आने-जाने के लिये पीपे का पुल निर्मित किया जाता है । इस पुल पर लोक निर्माण विभाग सामान्य दरों से वाहन एवं यात्रियों का शुल्क प्रतिवर्ष लगाता था । इस वर्ष अभी पुल का निर्माण नहीं हो पाया लेकिन घाट का ठेका निजी ठेकेदारों को दे दिया गया है । ठेकेदार विद्यार्थियों से निर्धारित शुल्क 40 पैसे की जगह 1.50 रु० प्रति विद्यार्थी नाव से पार उतारने का लेता है । इसके अतिरिक्त सामान को साथ ले जाने के लिये कोई शुल्क नहीं लगना चाहिये लेकिन यह भी लिया जाता है । नाव पर सदैव निर्धारित मानकों से ज्यादा यात्री चढ़ाये जाते हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को आर-पार आने-जाने में आये दिन ठेकेदारों से वाद-विवाद होता रहता है तथा ठेकेदार के आदमियों द्वारा कभी-कभी यात्रियों से जबरन गुण्डागर्दी करके धन वसूल भी किया जाता है, जिससे क्षेत्र में व्यापक असंतोष है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तथा औचित्य के प्रश्न पर अनुमति चाहता हूं ।]

जनपद उन्नाव के कतिपय अंचलों में पुलिस अत्याचार बढ़ने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[मान्यवर, उन्नाव जिले में पुलिस अत्याचार की घटनायें तेजी से बढ़ रही हैं। जांच में क्षेत्राधिकारी औपचारिकताओं का निर्वहन नाम मात्र करते हैं। इसलिये पुलिस हिरासत में हुई एक हत्या के सिलसिले में जिला बी० एस० पी० ने प्रदर्शन भी गत माह किया था।

असोहा थाने के ग्राम-कालूखेड़ा में 20-10-92 को सुशीला देवी पासी की पुलिस वालों ने पिटाई की, प्रकरण आई० जी० तक गया मगर जांच नहीं हुई। माह अगस्त, 1992 में मो० इस्लाम उर्फ पुत्तन निवासी हिलौली की पिटाई व ग्राम सभा खेड़ा नरीचक थाना मौरावां के श्री हरी प्रसाद को अगस्त 16, 1992 में थाने में अवैधानिक निरुद्ध व उनसे घूस का लिया जाना भी 20 अगस्त, 92 को एस० पी० को प्रेषित हुआ मगर जांच नहीं हुई।

थाना मौरावां के ग्राम रामदास खेड़ा के बाबूलाल पासी का घर पुलिस की साजिश से गिराने की शिकायत 4-7-92 को और हिलौली के ब्लाक प्रमुख इजहार अहमद अंसारी को बन्द करने व अपमानित करने की शिकायत 11 जुलाई, 1992 को डी० आई० जी० लखनऊ से की गयी फिर पुलिस 26 अगस्त, 92 को लोहिया छात्र वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष वी० पी० शास्त्री को उठा ले गयी और 4 दिन बन्द रखा। 27 अगस्त को उन्नाव शहर की स्टेट बैंक रोड पर सीता देवी के जेवर छीने गये। मो० गौर आलमगीर खां की लाटरी की दुकान उन्नाव शहर में लूटी गयी। बांगरमऊ में एक जीप चालक को पुलिस ने अक्तूबर, 1992 में मरणासन्न दशा तक पीटा। माखी थाने की पुलिस के उत्पीड़न के खिलाफ व्यापारियों ने हलफनामें दिये। मा० राज्य मंत्री गृह के आकस्मिक निरीक्षण के समय उन्नाव कोतवाली की जी० डी० अनियमित पाई गयी। एक ओर जघन्य अपराध बेतहाशा बढ़े हैं और दूसरी ओर पुलिस उत्पीड़न से जन रोष है।

अविलम्बनीय लोक महत्व की अराजकता की इस समस्या को सदन की जानकारी में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बंशीखेड़ा स्थित ऐतिहासिक गुम्बद की मरम्मत करवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हरेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम-बंसीखेड़ा में स्थित ऐतिहासिक गुम्बद बहुत ऊंचा है तथा यह गुम्बद आबादी के बीच में स्थित है। यह गुम्बद ऐतिहासिक महत्व का गुम्बद है। गुम्बद पुराना व कमजोर होने के कारण कभी भी गिर सकता है तथा इसके गिरने से जन व धन हानि हो सकती है पिछले दिनों इस गुम्बद की थोड़ी सी मरम्मत भी हुयी है जो अपर्याप्त है। गुम्बद की पूर्ण मरम्मत कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं आपकी अनुज्ञा से सम्मानित सदन में इस अति लोक महत्व के विषय को रखकर सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः मैं आपकी अनुज्ञा से सम्मानित सदन में इस अति लोक महत्व के विषय को रखकर सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

देवरिया जिलान्तर्गत यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन यूनिट, भटनी द्वारा सैकड़ों दुकानों को उजाड़े जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिवंश सहाय–

[महोदय, देवरिया जिलान्तर्गत यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन यूनिट भटनी ने विगत 4 नवम्बर, 1992 को नूरीगंज भटनी में सैकड़ों दुकानों को उजाड़ दिया तथा लूट-पाट किया । मुमताज की बाउन्डरी तोड़ दी गयी तथा उनका कब्र गिरा दिया गया । पांच विकलांगों की गुमटियों को मिल में उठाकर ले गये। लगभग 40 पेड़ों को काटा गया । इस काम से 50 से ऊपर गरीब बेरोजगार हो गये ।

अस्तु माननीय सरकार के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उजाड़े गये दुकानदारों को पुनः बसाया जाय तथा विकलांगों की क्षति पूर्ति की जाय ।]

राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में मुख्य मंत्री द्वारा भाग न लिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, यह विधान सभा संविधान के अन्तर्गत ही गठित है और इसी के अन्तर्गत यह सरकार बैठी है और मान्यवर, इस विधान सभा में विधायिका का भी गठन संविधान के तहत ही किया गया है । इसलिये यह संविधान के नियम, कानून के अन्तर्गत ही चलनी चाहिये । जिस संविधान की शपथ लेकर आप इस सदन में बैठे हैं और मंत्री हैं मुख्य मंत्री हैं उन्होंने भी शपथ ली है कि हम संविधान के तहत ही कार्य करेंगे और उसके विपरीत कार्य नहीं करेंगे । संविधान के तहत यह सरकार बनी है । लेकिन अफसोस है कि जो मुख्य मंत्री जी का आचरण रहा है वह संविधान के विपरीत रहा है । एन० आई० सी० की मीटिंग हुयी, राष्ट्रीय एकता परिषद् में पूरे देश से आमंत्रित सदस्य जो थे वह गये । लेकिन मुख्य मंत्री जी ने, जिन्होंने संविधान की शपथ ले रखी है, इन्होंने उसका बहिष्कार किया । तो यह जो मुख्य मंत्री का कार्य हैं यह अपने में एक प्रश्न उपस्थित करता है कि क्या किसी राज्य के मुख्य मंत्री को यह अधिकार है कि संविधान के अन्तर्गत जो उसने शपथ ली है उसके विपरीत आचरण कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो यह निर्विवाद है कि मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह ने जो आचरण किया है वह संविधान के विपरीत किया है और मान्यवर, अगर विपरीत आचरण किया है तो उनको सरकार में बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं रह गया है । इसीलिये यह नियम 300 में आता है । मुख्य मंत्री और इस सरकार को एक मिनट भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है ।

श्री अध्यक्ष–

संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन किया है यह बता दें ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो राष्ट्रीय एकता परिषद् बनी है वह संविधान के अन्तर्गत बनी है । संविधान की जो मूल भावना है और जो संविधान के द्वारा केन्द्र को अधिकार प्रदत्त किये गये हैं उसके अन्तर्गत राष्ट्रीय एकता परिषद् गठित हुई है और अगर कोई उसकी अवहेलना करता है तो यही माना जायेगा कि संविधान की मूल भावना का वह व्यक्ति या सरकार उल्लंघन कर रही है, अवमानना कर रही है ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जो संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हुआ है उसके संबंध में संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने को औचित्य के प्रश्न तक ही सीमित रखें।

श्री प्रमोद तिवारी–

जो संविधान के विपरीत कार्य किया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

संविधान के विपरीत तमाम कार्य हैं लेकिन अगर उसका इस सदन की कार्यवाही से संबंध नहीं है तो वह नियम 300 में नहीं आता है, जरा इसका ध्यान रखें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अगर यह नियम 300 में आयेगा नहीं तो सुन क्यों रहे हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 153 के अन्तर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और 154 में राज्यपाल को शक्ति दी जाती है तथा अनुच्छेद 163 में मंत्रि-परिषद को गठित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 36-51 के बीच सरकार के क्या कार्य और दायित्व हैं उनकी संविधान में व्याख्या की गयी है। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई तो मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री होने के नाते, उसके सदस्य होने के नाते आमंत्रित किया गया, उनको किसी दल विशेष होने के नाते आमंत्रित नहीं किया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद् एक अत्यन्त गम्भीर विषय पर वार्ता कर रही है। इससे सम्पूर्ण सदन प्रभावित होता है। इसमें मुख्य मंत्री को जाना चाहिये था और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये थी। चूंकि मुख्य मंत्री कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री सदन के अन्दर कुछ कहते हैं और सदन के बाहर कुछ कहते हैं। वहां पर इन्होंने घोषणा की थी कि हम विवादित स्थल को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे और हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जिससे न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो। आज उत्तर प्रदेश सरकार को न्यायालय ने नोटिस दे दिया है कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा के लिये कौन सा कदम उठाने जा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप ग्रह्यता पर आवें।

श्री प्रमोद तिवारी–

कहीं पर कोई ऐसी स्थिति न हो, जिससे रक्तपात हो। मुख्य मंत्री जी वहां पर गये थे, जहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप गुण और दोष पर आ जायें।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोका-टोकी होने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, ये नियम-कानून तो जानते नहीं हैं, ये क्या बतायेंगे ? मान्यवर, अनुच्छेद 36 से 54 के अन्तर्गत सरकार को क्या कार्य करना है, यह दिया हुआ है । मान्यवर, आपसे ज्यादा जानकार कोई नहीं है । मुख्य मंत्री जी अगर वहां गये होते, तो ये स्थिति स्पष्ट करते, दूसरों के विचार सुनते, केन्द्र सरकार के विचार सुनते, दूसरे मुख्य मंत्रियों के विचार सुनते ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, जिससे सदन का कार्य प्रभावित होता है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अनुच्छेद 36 से 54 तक (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसको पढ़ लिया है । यह 36 से 54 वाले कोई ऐसे अनुच्छेद नहीं हैं, जिससे कि सदन का कार्य प्रभावित हो सके ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक जो बुलाई गयी थी, वह इसलिये बुलाई गयी थी, जिससे कि न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन न हो । मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में माननीय मुख्य मंत्री इसलिये नहीं गये कि उनकी कथनी और करनी में अन्तर है, जिससे कि उनकी सारी असफलतायें छिप जायं । प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि मंदिर बन जाय, मस्जिद भी सुरक्षित रहे । मान्यवर, जिस दिन मंदिर बन जायेगा, उस दिन इनकी सरकार अपंग हो जायगी, इसलिये ये इसको नहीं सुलझाना चाहते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करा ली जाय ।

(घोर व्यवधान)

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने यह औचित्य का प्रश्न उठाया है । मान्यवर, मेरी बात सुन लें इतनी देर में मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं चर्चा नहीं करा रहा हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं मान्यवर, चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं जितनी बात कहूंगा, तर्क के साथ कहूंगा और सत्य कहूंगा। मैं जो भी बात कहूंगा, इस संविधान की सीमा के बाहर कोई भी बात नहीं कहूंगा।

(व्यवधान)

मान्यवर, संविधान का अनुच्छेद 163(1) देख लें, जिसमें राज्यपाल को सलाह देने के लिये मंत्रि-परिषद का गठन किया गया है, जिसके मुखिया मुख्य मंत्री होंगे। मान्यवर, उस संविधान के अन्तर्गत जो मुख्य मंत्री बनाये गये, जो सरकार बनी है, उसमें यह कहीं नहीं दिया है कि मुख्य मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मुख्य मंत्री पार्टी की हैसियत से कार्य करेंगे या मुख्य मंत्री की हैसियत से कार्य करेंगे, या पार्टी के नेता की हैसियत से कार्य करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी, पहले नियम 300 पढ़ लें, तब बतावें।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, इसमें आप देख लें, इसमें लिखा है कि औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा।

श्री अध्यक्ष–

इसमें है कि संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, आप 163(1) में आइये इसमें है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिये मंत्रिपरिषद (1) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करें उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिये एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा।

श्री अध्यक्ष–

इसमें सदन कहां से आ गया ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इसमें उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का है।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, यहां जवाबदेही का उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का है और मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्य मंत्री होता है तो मैं इस मारे कह रहा हूं कि सदन को इस मारे बनाया गया है कि मुख्य मंत्री 163(1) में शपथ लेने के बाद प्रदेश को चलायेंगे और जब उसमें यह घोषणा होती है कि उनके मंत्री कारसेवा में जायेंगे तो संविधान का उल्लंघन निश्चित रूप से होगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, जब इन्हें एकता परिषद् में बुलाया गया था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता के रूप में नहीं बुलाया गया था एक मुख्य मंत्री के रूप में बुलाया गया था । इन्होंने संवैधानिक कार्यो का उल्लंघन किया है । आप 356 में पढ़ लीजिये इसमें दिया हुआ है जब संविधान का उल्लंघन करें तो इनके अधिकार को छीनकर राज्यपाल को दे दिया जाय । श्रीमन्, मुख्य मंत्री संविधान का उल्लंघन करते रहें, दायित्वों का पालन न करें, इस सदन के प्रति उत्तरदायी न हो तो 356 लग जायेगी तो न यह सदन रहेगा, न आप रहेंगे और न हम रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी पहले से अवसर मांग रहे थे ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, आप [x x x] व्यवस्था के प्रश्न पर मुझे बोलन दें ।

मान्यवर, भारत की संविधान का एक प्रस्तावना है न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता । इसके खिलाफ इनका कार्य हो रहा है जिससे भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना को खतरा पैदा हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह क्या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री यदुनाथ सिंह–

[x x x]

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

[x x x]

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग बैठ जायं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप 164(2) देख लीजिये, मैं उस पर बोल रहा था ।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह जो बातें हैं, सिर्फ संविधान के अनुच्छेदों से ही सब नहीं होता है, परम्परायें भी कुछ होती हैं, सिर्फ अनुच्छेदों का ही आधार नहीं लिया जाता है । इस पीठ से भी तमाम निर्देश होते हैं । अगर कोई मंत्री गलत घोषणा कर देता है तो इस पीठ से उसकी आलोचना होती है । आपके कक्ष में भी तमाम ऐसे निर्णय हो जाते हैं, जिनके विरोध में हम यहां कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्थायें हैं परम्परायें हैं वह कम महत्वपूर्ण नहीं होती हैं । मान्यवर, विधान सभा के इतिहास में बहुत से निर्देश सरकार को दिये गये हैं अध्यक्ष पीठ से । भले ही कोई विषय संविधान के अनुच्छेदों से तकनीकी दृष्टि से संबंध न रखता हो लेकिन परम्पराओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाला है तो उस पर अध्यक्ष पीठ से निर्देश होते हैं ।

मान्यवर, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन सभी राष्ट्रीय दलों की राय से हुआ था, अन्य संगठनों की राय से हुआ था ताकि जो राष्ट्रीय महत्व का कोई प्रश्न है उस पर एक जगह बैठकर विचार हो सके और एक आम सहमति बन सके । हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री उसमें विशेष आमंत्रिती सदस्य हैं । मान्यवर, यह जो विषय उपस्थित किया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उपस्थिति किया गया है कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में जो वहां विशेष आमंत्रिती सदस्य के रूप में है वे वहां उस बैठक में क्यों नहीं गये? मान्यवर, यह जो मुख्य मंत्री जी उसमें नहीं गये, उन्होंने प्रदेश की जनता की, राष्ट्रीय एकता की भावना की, लोकतांत्रिक परम्पराओं की खुले तौर पर अवमानना की है, मर्यादा को नष्ट किया है, ऐसे मुख्य मंत्री के संबंध में आपकी पीठ से निर्देश दिया जाना चाहिये । मान्यवर, इन्हें एक मिनट भी इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस बैठक में न जाकर एक तरह से पूरे राष्ट्र को इससे अलग करने की कोशिश की है । इस कुर्सी की मर्यादा को, उस बैठक में न जाकर नष्ट किया है । यह जो नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न है इस पर आपको निर्देश देना चाहिये ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करा रहा हूं, आप लोग बैठ जायं । अब इसमें किसी बात की आवश्यकता नहीं रही ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आपने कह दिया कि यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आ रहा है । संविधान में तीन व्यवस्थायें हैं–विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका । विधायिका में विधान सभा होगी, विधान सभा में विधान सभा के अध्यक्ष होंगे, नेता सदन और नेता विरोधी दल होंगे । नेता सदन होंगे वह प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो जब मुख्यमंत्री नेता सदन होंगे तो उसमें सीधे-सीधे सदन का हस्तक्षेप माना जायेगा। इसमें सदन कहीं से तो आ ही रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन के नेता सदन भी हैं जब वे सदन के नेता हैं, तो सदन प्रभावित हो रहा है, इसलिये यह नियम 300 के अन्तर्गत आता है । यह आपका कहना कि इसमें सदन का हस्तक्षेप नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री जी नेता सदन के रूप में सदन में बैठे हैं इसलिये सदन का हस्तक्षेप है । इसमें मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की जनता के अलावा सदन का अपमान भी किया है नेता सदन के रूप में और जब से इस विधान सभा का गठन हुआ है माननीय नेता सदन की इस कुर्सी को जितनी हानि पहुंची है उतनी किसी और मुख्य मंत्री ने नहीं की है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

श्री राम गोविंन्द चौधरी–

नेता सदन की हैसियत से यह सदन का सीधा हस्तक्षेप है ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

(व्यवधान)

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय सदस्यों को बहुत शांति के साथ सुना है और मैं यह अपेक्षा करता हूं कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं सभी माननीय सदस्य मेरी बात को भी बहुत शांति के साथ सुनने की कृपा करेंगे । श्रीमन् यहां पर कुछ प्रश्न उठे हैं । प्रश्न उठाया गया कि प्रदेश में शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, कृपया इनसे कहें कि ग्राह्यता पर ही बोलें ।

श्री अध्यक्ष–

किस प्रकार से यह ग्राह्य न किया जाये इस पर तो यह बोल सकते हैं, आप पहले कृपया इन्हें सुन लें ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मुझसे माननीय नेताओं ने और माननीय सदस्यों ने यह अपेक्षा की थी कि मुझे सदन में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये । मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो कुछ भी प्रश्न उठाये गये हैं उनके संबंध में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बहुत संक्षेप में स्थिति स्पष्ट कर दूं। मैं सबसे पहले जो राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की बैठक में नहीं गया और जिसके संबंध में यह कहा जा रहा है कि संविधान का उल्लंघन हुआ, कानून टूट गया और इस सदन की गरिमा टूट गयी तो इस संबंध में कहना चाहता हूं। श्रीमन् 13 नवम्बर, को जब आपराधिक न्याय प्रशासन की बैठक थी, प्रधान मंत्री जी ने उस बैठक का उद्घाटन किया था तो मैंने एक जिज्ञासा व्यक्त की थी कि क्या अयोध्या प्रकरण पर कोई राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की बैठक बुलाने का विचार बन रहा है, जैसा कि मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है। यदि यह विचार बन रहा है तो मैं समझता हूं कि इससे इस समस्या का समाधान नहीं हो पायेगा बल्कि यह उलझ जायेगी मुझसे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि ऐसा कोई विचार नहीं है और अगर ऐसी कोई बात होगी, तो पहले आपसे परामर्श कर लूंगा। श्रीमन् फिर 18 नवम्बर को मेरी उनसे मुलाकात हुयी, सायंकाल 6 बजे से 7 बजे के बीच, प्रधान मंत्री जी थे, रक्षा मंत्री जी थे। फिर 19 तारीख को सायंकाल मुलाकात हुयी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक दिन रुक जाइये, मैं रुक गया। दूसरे दिन की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी थे, गृह मंत्री जी थे और रक्षा मंत्री जी थे, चौथा मैं था। तब भी मैंने स्पष्ट कहा था कि इस तरह से इस प्रकरण पर बैठक बुलाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इस बैठक में जो भाषण होंगे, जो कुछ बातें कही जायेंगी, उससे समस्या सुलझने के बजाय और उलझेगी ही। प्रधानमंत्री जी ने तब भी कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरे दल के नेता माननीय अडवाणी जी से उनकी बात हुयी थी, उन्होंने कहा कि मैं महसूस करता हूं कि ऐसी बैठक का कोई औचित्य नहीं है और बैठक नहीं बुलाई जायेगी।

श्री यदुनाथ सिंह–

अडवाणी जी के कहने पर जा सकते हैं, प्रधान मंत्री जी के कहने पर नहीं।

(सत्ता पत्र के कई सदस्यों द्वारा बीच में टोका-टाकी करने पर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

इसके बावजूद श्रीमन् एन० आई० सी० की बैठक बुला ली गयी। बैठक के ठीक एक दिन पूर्व मेरे पास गृह मंत्री जी का पत्र आया और मैंने गृह मंत्री जी के पत्र का उत्तर भी दे दिया और उसको मैं आज और अधिक जोर देकर कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय एकीकरण परिषद है, उसकी इस अयोध्या के प्रकरण पर दो दफे बैठक हो चुकी है, समय इस बात का साक्षी है कि दोनों बैठकों में यह किसी प्रकार के समाधान की दिशा में दो कदम भी नहीं बढ़ सके। आज इस एन० आई० सी० का जो उपयोग हो रहा है, वह इस समस्या के समाधान को खोजने के लिये नहीं है, उसे एक भाजपा राजनीतिक विरोधी मंच का स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एन० आई० सी० का उपयोग राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है। मैं जानता हूं और मैंने अपने पत्र में भी लिखा है कि इसकी दो बार बैठकें हो चुकी हैं और सभी दलों के नेताओं की बात आ चुकी हैं, सभी जानते हैं, हमको क्या कहना है और यह भी सभी जानते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिये इतने बड़े फोरम पर फिर विचार करके देश का वायुमंडल और तिक्त ही होगा, इसका कोई समाधान नहीं होगा और इस नाते से मैंने स्पष्ट किया।

श्री प्रमोद तिवारी–

परिषद्, भाजपा विरोधी हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश विरोधी नहीं, यह दोनो अलग-अलग बातें हैं।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ टोका-टाकी करने पर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन् हम बहुत गम्भीरता के साथ कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो राष्ट्रीय समस्या उपस्थित है, उसका सम्यक् समाधान निकलना चाहिये । लेकिन मैंने दो बार एन० आई० सी० की मीटिंग में भाग लेकर देख लिया है कि वहां पर समस्या का समाधान खोजने के बजाय समस्या उलझे कैसे, बार बार एक ही प्रकार के भाषण हुये उनमें कोई अन्तर नहीं, सोच में कोई अन्तर नहीं, एप्रोच में कोई अन्तर नहीं । एक प्रकार से राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् को पिछले कुछ दिनों से अयोध्या परिषद् बना दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी एक चीज स्पष्ट कर दें, सारा सदन ही नहीं मैं समझता हूं सारे प्रदेश की जनता इस बात को जानने के लिये इच्छुक है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् ने अपनी कल की बैठक में कोई समाधान ढूंढ लिया या नहीं, अगर ढूंढ लिया है तो वह क्या है, वह भी बता दें । (व्यवधान) पहले माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी बात समाप्त कर लें (व्यवधान) जब आपके नेता बोलते हैं तो इधर से कोई व्यवधान नहीं होता है (व्यवधान) कृपया सुन तो लें विषय गम्भीर है आपने स्वयं कहा, माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर आ जाने दीजिये ।

श्री यदुनाथ सिंह–

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर) मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । (व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, प्रश्न आपने माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछा है, आपने ऐसे व्यक्ति से पूछा है जो स्वयं राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में गया नहीं तो जो वहां गया नहीं उनको पता कैसे होगा कि वहां कोई समाधान निकला कि नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

कोई सूचना आ गयी होगी ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय यदुनाथ सिंह जी कृपया आप बैठ जायं, आप जैसे वरिष्ठ सदस्य को यह शोभा नहीं देता ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आपने जो जिज्ञासा व्यक्त की है, मुझसे जो जानना चाहा है उसका उत्तर मैं दे दूंगा । पहले मैं एक बात कह दूं आज मुझे अपने मित्रों पर दया आ रही है जिन्होंने साहबानों प्रकरण पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय की धज्जियां उड़ा दीं आज वह हमें संविधान और कानून की शिक्षा देते हैं (व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान उत्पन्न होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह उचित नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री जी को अपनी बात कहने का अधिकार है । आपको विरोध करना है तो प्रजातांत्रिक ढंग से, नियमानुसार कर लें लेकिन व्यवधान उत्पन्न न करें । व्यवधान उत्पन्न करने की मैं अनुमति नहीं देता (व्यवधान) यह उचित नहीं है आप कृपया शांत रहे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, दो बातें जानना चाहता हूं, कि जो बातें यहां इन्होंने कही । (व्यवधान) मुझे उस पर आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं दिखाई दी (व्यवधान) उनका अपने विचार व्यक्त करने का तरीका है । (व्यवधान) माननीय अग्रवाल जी कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

औचित्य के प्रश्न पर मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात रखी है । आपने एक प्रश्न पूछा ।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं इसलिये आप बैठ जायें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने यहां पर नियम 301 के अन्तर्गत हमसे जानकारी प्राप्त किया कि संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ है । हम लोगों ने इसे बताने का प्रयास किया और हम जानना चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी जब जबाब देंगे तो यह वह बतायेंगे कि यह ग्राह्य क्यों नहीं है ? मेरा कहना है मान्यवर, मुख्य मंत्री जी यह बता दें कि संविधान के तहत यह दी हुई सूचना ग्राह्य क्यों नहीं है ?

मान्यवर, मुझे आप संविधान के तहत सुन लें और यदि चर्चा करा रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी के हत्यारों को इस देश में रहने का क्या अधिकार है ?

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

मैं आप लोगों को अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(श्री स्वामी नाथ यादव, श्री प्रमोद तिवारी और कई सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारे लगाने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें और व्यवधान न पैदा करें ।

(सदन के वेल में आये सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, श्री प्रमोद तिवारी और श्री नरेश अग्रवाल ने जो सूचना नियम 300 के अन्तर्गत दिया है उसकी ग्राह्यता पर मैंने इन माननीय सदस्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्यों को भी सुना । मेरे विचार में यह मामला नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिये मैं इसको अग्राह्य घोषित करता हूं । लेकिन चूंकि कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्री के राष्ट्रीय एकता परिषद् में न जाने के बारे में यहां अपनी जिज्ञासा प्रकट की है इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी को निर्देश देता हूं कि वह सदन के सामने बता दें कि क्यों नहीं गये ?

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, ...

(घोर व्यवधान)

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इनके बोलने के पहले आप यह बता दें कि नियमावली के किस नियम में आपने इनको बोलने की आज्ञा दी है । आप नियम बता दें । मुख्य मंत्री को किस नियम के अन्तर्गत आपने इजाजत दी है, किस संहिता में दी है ? यह आप पहले बता दें, तभी यह बोलें । चूंकि आपने मेरी नोटिस को रद्द कर दिया है, इसलिये आपको यह बताना आवश्यक हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल–

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री को बोलने का आपने निर्देश दिया और जब वह बोलने के लिये खड़े हो गये तो यह उनको बोलने नहीं दे रहे हैं । यह तो आपके निर्देशों के पालन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं । इस पर आप व्यवस्था दें और मुख्य मंत्री जी को बोलने दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री तो स्वयं बैठ गये ।

* श्री राम कुमार शुक्ल–

जब बोलने नहीं दे रहे थे, तो वह क्या करते ?

(घोर व्यवधान)

(पक्ष और विपक्ष दोनों के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जाइए और सदन चलने दीजिये । माननीय नेता विरोधी दल के खड़े होने पर जब मुख्य मंत्री जी स्वयं बैठ गये, तो अब आप भी बैठ जाइए ।

(घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं पहले आपसे एक आग्रह कर रहा था । आपने माननीय मुख्य मंत्री जी को यह कहा है, यह निदेश दिया है कि वह यह बतायें कि वह क्यों नहीं राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में गये । लेकिन यदि आप कार्यवाही निकाल कर देख लें, जहां तक मैंने सुना है मुख्य मंत्री जी एक बार नहीं कई बार और अनेक बार यह स्पष्ट कह चुके हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह क्यों नहीं एकता परिषद् की बैठक में गये थे और उसकी पूरी व्याख्या उन्होंने कर दी है । तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपके सामने नियम 56 और नियम 300 में भी यह विषय लगा हुआ है और उसमें इस पर विस्तृत चर्चा होनी है ! तो जब इस पर विस्तृत चर्चा होनी है और चूंकि आपको निर्देश देना है कि यह 300 में आता है या नहीं, और मुख्य मंत्री जी को जो कुछ कहना था, कह दिया है और जब और कुछ कहना होगा तो नियम 56 में जब उठायेंगे तो वह विधिपूर्वक और विस्तार से उसका जवाब दे देंगे, इसलिये इस समय इनकी आवश्यकता नहीं है ।

(घोर व्यवधान के मध्य भाग गये और अपनी बात से पीछे हट गये की आवाजें)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, नेता सदन होने के नाते कभी भी खड़े हो सकते हैं और जब नियम 300 की सूचना के बारे में कोई बात आई और उसमें वह स्वयं खड़े हो गये तो फिर उनके बोलने में बाधा डाली गयी । तो उनके अब बोलने में बाधा डालने का कोई औचित्य नहीं है और उन्हें अनुमति देने का कोई प्रश्न नहीं है । नेता सदन कभी भी बोल सकते हैं इसलिये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, जब आपका निर्देश हो गया तो मुझे आपके निर्देश का पालन करना ही है और हमारे माननीय प्रमोद तिवारी जी कुछ कहें और उनकी कही बात का उत्तर न दिया जाय तो यह उचित नहीं है वह कहेंगे कि दोस्ती किस बात की । श्रीमन्, अभी हमारे बारे में यह कहा गया कि जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, उन्हें देश में रहने का हक नहीं है । पहले तो मैं यह कह दूं कि इस आरोप का न मालूम कितनी बार खण्डन हो चुका है कि राजनैतिक कारणों से इस तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं । मैं इसका उल्टा ही कह दूं कि जो महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धान्तों की सुबह से शाम तक छः बार हत्या कर रहे हैं, उन्हें इस देश में रहने का क्या हक है ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गई)

लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रमोद तिवारी जी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि भले ही महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धान्तों की हत्या कर लें मैं उनसे यह नहीं कहूंगा । मैं तो परमात्मा से कहूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे । श्रीमन्, जिन परिस्थितियों में यह एन० आई० सी० की मीटिंग बुलाई गयी, मैंने उन परिस्थितियों का संक्षेप में ब्यौरा दिया । आज एन० आई० सी० की मीटिंग में जो भाषण हुए हैं उनसे वातावरण और खराब हुआ है ।

केन्द्र सरकार ने अगर इस गवाही के लिये यह बैठक बुलाई है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को भंग करेंगे । तो मान्यवर, हम इस प्रकार की धमकियों से डरते नहीं हैं । हमने जिस काम को करने का जिम्मा लिया है, हम उसे पूरा करेंगे । यह राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न है । हम उसको पूरा करेंगे । उस पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा । श्रीमन्, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि साढ़ें पांच घन्टे तक चली इस एन० आई० सी० की मीटिंग में इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका बल्कि और उलझा दिया गया है । इस साढ़े पांच घन्टे की बहस का उद्देश्य राजनैतिक रहा है कि किस प्रकार से भाजपा को कोसा जाय । मेरा दृढ़ मत है और मैंने गृह मंत्री, नई दिल्ली को भी कहा है कि दो-दो बार बैठक हो चुकी है, मैं भाषण सुन चुका हूं अपना उत्तर दे चुका हूं । इस मीटिंग से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है । आज यह बात सत्य साबित हो गयी । मैंने इसीलिये इस प्रकार की मीटिंग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी । इस तरह से मैंने कोई संविधान का उल्लंघन नहीं किया है । इसे राजनैतिक स्तर पर ज्वलनशील प्रश्न बना दिया गया है । यह किसी जात-मजहब, धर्म का प्रश्न नहीं हैं । इसे राजनैतिक मुद्दे का प्रश्न बना दिया गया है । अगर आदमी ठण्डे दिल से बैठे तो निश्चय ही समस्या का इतना सही समाधान निकल सकता है जिसे सब लोग मान सकेंगे । मैं प्रधानमंत्री जी व गृह मंत्री को बता चुका हूं परन्तु कोई सुनने को तैयार नहीं है ।

एन० आई० सी० की मीटिंग होनी है तो आज पंजाब जल रहा है, उसके बारे में होनी चाहिए । जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, उसके बारे में विचार करने के लिए यह मीटिंग होनी चाहिए । आसाम में दंगे धधक रहे हैं, बंगलादेश से घुसपैठिये यहां आकर हमारे देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, इसके लिए क्यों नहीं यह मीटिंग बुलाई जाती है । पूरे देश का ऐसा हाल हो रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं सारे के सारे दल विचार करते हैं, क्यों विचार करने से कतराते हैं । मीटिंग से कुछ नहीं होना था इसलिए कुछ नहीं हो सका । उल्टा इस मीटिंग से मामला और उलझ गया है ।केन्द्र की सरकार इस मामले को सुलझाने के बजाय टकराव के रास्ते पर जाना चाहती है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमसे सहमति ली है । सी० आर० पी० टुकड़ियां भेजी जा रही हैं । केन्द्र सरकार बिना हमारे मांगे, बिना हमारी सहमति के फोर्सेज भेज रही है । जब हम आतंकवाद से निपटने के लिए मांगते हैं, 80 कम्पनी हमने मांगी, तो आज तक 43 कम्पनी दी हैं, उसे ज्यादा कुछ नहीं दिया है । उत्तर प्रदेश की सीमा में भारत सरकार अपनी सारी फोर्सेज को भेज रही है । क्या केन्द्र की सरकार उत्तर प्रदेश में गृह युद्ध लाने की कोशिश कर रही है ? मैं आश्वस्त करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में अशान्ति पैदा नहीं होने दी जायेगी । उत्तर प्रदेश की शान्ति व्यवस्था को आज भी कोई खतरा नहीं है । अशान्ति नहीं है अगर अशान्ति है तो विपक्ष के नेताओं में है, एन० आई० सी० की कमेटी में है । अशान्ति है तो लोक सभा में है । अयोध्या में कहीं कोई अशान्ति नहीं है ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

हमने किसी प्रकार का किसी संविधान का उल्लंघन नहीं किया है जो लोग कहते हैं रक्तपात हो जायेगा तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी ताकत की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे । कुछ ताकतें ऐसी हैं जो प्रदेश को दंगों की आग में उलझाना चाहती हैं हम दंगे नहीं होने देंगे ।

(घोर व्यवधान)

मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न एन० आई० सी० की कमेटी में जाने या न जाने का नहीं है । राम जन्म भूमि के प्रकरण का अहम् सवाल है इसको यह उलझाना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

माननीय वर्मा जी ने एक बात कही है। श्रीमन्, इन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है ये लामबन्द हो रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि जितना विपक्ष है यह एक पार्टी बना ले। उत्तर प्रदेश की विपक्ष की सब पार्टियां मिलकर एक मंच बना लें एक मंच पर सारी विपक्ष पार्टी होगी और एक खेमे में भाजपा होगी तो जनता को भी सुविधा हो जायेगी कि स्पष्टवादी विचारधारा वाली पार्टी को चुने या दिगभ्रमित विपक्ष को चुने।

(व्यवधान)

श्रीमन्, एक मंच बनाने के लिए एक कामन सेक्टर चाहिए माननीय वर्मा जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मेरी बात पर वह विचार कर लें सब पार्टियों को एक पार्टी में मर्ज कर दें और उसका एक नाम रख दें अगर आपको नाम न आये तो नाम मैं बताये देता हूं उसका नाम खिचड़ी पार्टी रख दें। जो कामन चीजें होती हैं वह चार चीजें होती हैं एक कामन फैक्टर है कन्फ्यूजन का, दिगभ्रम का–

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मुझे स्पष्टीकरण का समय दे दीजियेगा।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

आज जितनी पार्टी हैं तथा कथित सेक्युलरिज्म के नाम पर अपना हिन्दू विरोधी चरित्र उजागर कर रही हैं। तुष्टिकरण की नीति अपना रही हैं। दिगभ्रमित हिन्दू विरोधी रवैया अपना रही हैं।

(घोर व्यवधान)

तुष्टिकरण की नीति यह पार्टियां अपना रही हैं तो इसमें कृपा करके एक पार्टी बना लें और उसका नाम खिचड़ी पार्टी रख लें।

(व्यवधान)

हमने किसी संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। हमने विवेक से काम लिया है इसीलिए एन० आई० सी० की बैठक में जाने की हमने उपयोगिता नहीं समझी यह हमने संविधान के तहत ही किया है।

(श्री प्रमोद तिवारी के पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री राम कुमार शुक्ल–

ग्राह्यता पर बोल चुके हैं अब कितनी बार बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय शुक्ला जी कृपया शान्त रहें, माननीय मुख्य मंत्री जी और मा० संसदीय कार्य मंत्री जी अपने दल के लोगों को भी शान्ति से बैठाने का कष्ट करें । मा० मुख्य मंत्री जी के विचार हमने सुने और अब अगर श्री तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं तो उनको सुनना तो चाहिए ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह सदन चलेगा तो शान्तिपूर्वक ही चलेगा ऐसा न हो कि आप लोगों में से हमें किसी को इंगित करना पड़े ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से सिर्फ दो स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ।

(शोर)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण के रूप में दो बातें जानना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी को निमंत्रण आया था जो उनसे गृह मंत्री जी ने आग्रह किया था वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में किया था या भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में । मान्यवर, स्थिति यह है कि 31.8 प्रतिशत जनादेश पाये हुए लोग उधर बैठे हैं और 61.2 प्रतिशत लोग इधर बैठे हैं । इन्होंने वहां न जाकर उत्तर प्रदेश का अपमान किया है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

केन्द्र की सरकार को कितने प्रतिशत जनादेश प्राप्त है यह बता दें ।

(शोर)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आपसे भी, मुख्य मंत्री जी से और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसी परम्परा न बनायें । रूलिंग पार्टी के लोगों का जो व्यवहार है वैसा कभी अपने जीवन में मैंने नहीं देखा है । जिस तरह से आपके आदेशों की अवहेलना यह लोग कर रहे हैं ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा । अभी मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे तो बड़े अनुशासित बैठे थे लेकिन जब प्रमोद जी बोल रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही है । अगर हाउस नहीं चलाना चाहते हैं, अगर इसका फैसला कर लिया है कि सदन नहीं चलने देंगे तो वह करवा दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दो स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में निमंत्रण दिया गया था या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में था तो–उन्होंने सम्पूर्ण विपक्ष को विश्वास में क्यों नहीं लिया ? जहां तक बहुमत का प्रश्न है 31.8 प्रतिशत बहुमत इनके साथ है और 62.2 प्रतिशत बहुमत इधर बैठा है। महात्मा गांधी की बात इन्होंने कही कि हमने उनके विचारों की हत्या की। कांग्रेस के लोग विपक्ष के लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं लेकिन यह वह दल है, उनकी हत्या का आरोप इस दल पर है। जहां तक मंदिर मस्जिद का प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद् ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस का दृष्टिकोण है कि मंदिर बने, लेकिन मस्जिद की कीमत पर कोई मंदिर न बने। यह कांग्रेस की नीति रही है। इन्होंने कहा कि सब लोग एक हो जायं और सब लोग एक होकर चुनाव लड़ लें। आपने पार्टी का नाम भी बता दिया।

श्री अध्यक्ष–

खिचड़ी पार्टी।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, खिचड़ी पार्टी के सदस्य आप भी रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कभी किसी मिली-जुली सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हुई है। मान्यवर, उसी खिचड़ी पार्टी के कच्चे चावल ये न होते तो ये लोग निकाल कर इनको बाहर भी न फेंकते। मान्यवर, उच्चतम न्यायालय ने इनसे यह जानकारी की है कि विवादित स्थल की सुरक्षा के लिए 2.77 एकड़ की सुरक्षा के लिए ये क्या कदम उठा रहे हैं ? इस 2.77 एकड़ के लिए न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत सुरक्षा के लिए कौन सा कदम उठा रहे हैं ? अगर इनमें हिम्मत हो, साहस हो, तो विधान सभा भंग करके उत्तर प्रदेश के मैदान में आ जायं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम कुमार शुक्ल, आप कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री, कल्याण सिंह ने जो अपना अन्तिम भाषण दिया है, उसमें इनकी आवाज बिल्कुल दबी हुई थी और इनका तबलची भी उस तरह से तबला नहीं बजा रहा था। मान्यवर, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् में ये गये कि नहीं.....(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

सुरक्षा परिषद् नहीं है, एकता परिषद् है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, राष्ट्रीय एकता परिषद् में गये कि नहीं गये।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अगर आप में साहस हो, तो आप उत्तर प्रदेश विधान सभा को भंग करके उत्तर प्रदेश के मैदान में आ जायं, चुनाव करा लीजिये । मान्यवर, आज ये उत्तर प्रदेश विधान सभा में अपना त्याग-पत्र दे दें या अपनी विधान सभा को सस्पेंड कर दें । अगर इनमें साहस है, तो अकेले-अकेले लड़ें, खिचड़ी पार्टी न बनायें, अगर इनमें हिम्मत हो, तो त्याग-पत्र देकर आ जायं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय प्रमोद तिवारी जी ने 300 में बयान दे दिया और आपने उस पर अपनी व्यवस्था दे दी । श्रीमन्, यह विधान सभा के मुख्यता 3 पार्ट हैं पक्ष विपक्ष और सर्वोच्च कुर्सी पर जिस पर निष्पक्ष रूप से आप हैं । आप इस विवाद पर दिलचस्पी ले रहे थे मुझको ऐसा लगा । श्रीमन्, माननीय नेता सदन ने विपक्ष को चुनौती दी आपके सामने आकर ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरी बात को सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आपने पार्टी और मोर्चा बनाने की राय दे दी विपक्ष ने उस चुनौती को स्वीकार किया तो आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि माननीय नेता सदन को यह निर्देश दे कि इस्तीफा देकर गवर्नर को सलाह दें और विधान सभा को भंग कर विधान सभा का चुनाव हो । मान्यवर, आपकी कुर्सी निष्पक्ष है और आपके सामने दोनों पक्ष और विपक्ष ने चुनौती दे दिया हो इनको निर्देशित करें कि गवर्नर को इस्तीफा देकर विधान सभा भंग हो जाय और चुनाव हो जायं और इसका कोई सर्वमान्य हल निकल जाय, इसका फैसला आप करवा दें ।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर,जवाब आने दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप नियम 56 के उत्तर में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आप मुझे अनुमति दे दें, उत्तर नहीं देंगे तो हमारे मित्र अप्रसन्न हो जायेंगे । मुझे मुख्य मंत्री के नाते से निमंत्रण मिला था । उसमें मुख्य मंत्री के नाते से ही गृह मंत्री जी को यह लिखते हुए कि

उस बैठक में जाना कोई उपयोगी नहीं है, इन्कार कर दिया । जब मैंने ऐसा किया तो कोई संविधान का उल्लंघन नहीं किया, कानून का उल्लंघन नहीं किया । यह हमारा संवैधानिक अधिकार है कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं जाना है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

[xxx] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री नरेश अग्रवाल जी ने मेरी अनुमति के बिना जो कहा है वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री कल्याण सिंह–

एक बड़ा प्रमुख और राजनैतिक प्रश्न खड़ा किया गया कि मैं इस्तीफा दे दूं और विधान सभा भंग करने की घोषणा कर दूं, राज्यपाल से जाकर मिलूं । (व्यवधान)

श्रीमन्, मुझे इतना कहा है । इस्तीफा देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता और विधान सभा को भंग करने का भी प्रश्न नहीं होता इसके कारण हैं दो-तीन । पहला कारण है कि पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है और पांच साल तक, पूरे पांच साल तक प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम हमको सौंपा है इसके साथ-साथ हमको राम मंदिर बनाने का भी जनादेश दिया है । यह सरकार पूरे पांच साल तक चलेगी और राम मंदिर बनायेगी ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, शान्ति बनाये रखें ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । 1980 के चुनाव में यह नहीं चुनकर आये थे, मैं चुनकर आया था ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी की बात पूरी हो जाने के बाद ही कुछ बोल लीजियेगा । अभी बैठ जायं ।

श्री यदुनाथ सिंह–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा, जितना कहा है निकाल दिया जायेगा ।

नोट–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, दूसरा कारण यह है कि यह सरकार विधि विधान के अनुसार चल रही है संविधान के अनुसार चल रही है ।

(इसी मध्य श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अध्यक्ष–

आप अपने आसन पर वापस जांय । जब मैं अनुमति दूंगा तभी माननीय यदुनाथ जी आप बोलेंगे ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, सदन इसीलिए अव्यवस्थित है कि चुनौती दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं । अवसर के अनुसार गम्भीरता बनायें, विपक्ष के पास सत्ता पक्ष को उत्तेजित करने का अस्त्र है, सत्तापक्ष के पास विपक्ष को उत्तेजित करने का अस्त्र है । इसलिए दोनों पक्षों से निवेदन है कि कोई उत्तेजित न हो, गम्भीरता से सुनें ।

श्री कल्याण सिंह–

एक तीसरा कारण यह है कि यह सरकार जनहित के कार्यों में लगी हुई जनता के कार्यों को कर रही है इसलिए इस्तीफा देने का प्रश्न नहीं पैदा होता है और विधान सभा को भंग करने का भी प्रश्न नहीं पैदा होता है । एक चौथा कारण और है हम यह नहीं चाहते हैं कि सामने विपक्ष के जो साथी बैठे हुए है

श्री प्रमोद तिवारी–

वे उधर आ जायें ।

श्री कल्याण सिंह–

इतनी जल्दी घर जाकर बैठ जायं और विपक्ष इतना कमजोर हो जाय । क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर चुनाव हो गये तो जो सामने विपक्ष के साथी बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इनमें से दो तिहाई दुबारा चुनकर नहीं आयेंगे । हम तो 222 से 300 होकर आ जायेंगे इन सब बातों का प्रमाण है, आपने 25 सितम्बर की रैली को देखा होगा ।

श्री यदुनाथ सिंह–

आपकी चुनौती को मैं स्वीकार कर रहा हूं । हमारी पार्टी स्वीकार कर रही है ।

श्री कल्याण सिंह–

उसमें जनता ने भा०ज०पा० के प्रति, भा०ज०पा० की इस सरकार के प्रति प्रमाण दे दिया कि उसका कितना अटूट विश्वास है और वहीं 19 तारीख को जो आपकी रैली हुई उसमें स्थिति यह थी कि लाखों की जो बातें कही जा रही थी, उसमें साढ़े दस हजार भी लोग नहीं थे ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

1 लाख 41 हजार थे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

आप [x x x] बोल रहे हैं, एक लाख इकतालीस हजार लोग थे यह आपके ए०डी०एम० की रिपोर्ट है उन्होंने कहा है ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

यह हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं यह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, 19 तारीख को जो लोग आये थे वह अपनी मर्जी से आये थे और जो माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि साढ़े दस हजार लोग आये थे तो वह गलत है । सरकारी आंकड़ों के हिसाब से एक लाख इक्तालीस हजार लोग आये थे । मान्यवर, यह प्रदेश में खून खराबा कराना चाहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते हैं, यह कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नये चुनाव नहीं करा रहे हैं इसलिये मैं और मेरा दल इस सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

पहले नियम 300 की सूचना हो जाने दीजिये, फिर आपका व्यवस्था का प्रश्न सुनेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह हाऊस दो आदमियों से ही चल रहा है ?

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये मैं अगली सूचना ले रहा हूं। मैं श्री हृदय नारायण दीक्षित जी का नाम पुकार रहा हूं। आप लोग कृपया नियम से चलने दीजिये।

श्री विजय सिंह राणा–

क्या अभी तक सभी बातें नियमों के तहत हो रही थीं क्या दो आदमियों से पूरा हाऊस चलेगा ? क्या हमें स्पष्टीकरण पूछने का भी अधिकार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष–

यह अधिकार आपको है लेकिन मेरा यह अधिकार है कि मैं किसको सुनूं ? आप लोग कृपया अपने स्थानों पर बैठ जायें। मैं अगली सूचना ले रहा हूं। अभी और भी सूचनायें हैं उसमें मैं आपका ध्यान रखूंगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मुझे केवल दो स्पष्टीकरण पूछने दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की अगली सूचना ले रहा हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा। माननीय राणा जी आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, आपकी बात शिरोधार्य है, लेकिन आपने सत्ता पक्ष की बात हम लोगों को सुनवाई, इसके बाद श्री प्रमोद तिवारी को पूरा समय दिया। यदि कोई सदस्य 1-2 मिनट का स्पष्टीकरण चाहता है तो उसे पूछने का अधिकार है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इन्हें एलाऊ कर दें।

श्री अध्यक्ष–

मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नियम 56 में सूचनायें आयी हैं, मैं चाहता था कि पहले नियम 56 ले लूं, उसके बाद आपकी बात सुन लूंगा।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, इनको थोड़ा सुन लें, उसके बाद अपनी व्यवस्था दें।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

एक-एक मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा स्पष्टीकरण दो बिन्दुओं पर है । पहला तो यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पूरे भाषण में बार-बार यह कहा कि राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में एक ऐसा वातावरण बन गया है, जिसमें उनका जाना उचित नहीं था । मान्यवर, राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में उत्तर प्रदेश की शान्ति व्यवस्था, इसके अस्तित्व का प्रश्न ही उपस्थित होता है, तो उसकी बैठक में न जाना, इनके भागने वाला प्रयास नहीं था । जो मुद्दा उत्तर प्रदेश के वर्चस्व से जुड़ा है, उस प्रश्न को दोबारा लाने में इन्हें क्या कठिनाई थी ? दूसरी बात मुख्य मंत्री जी ने कही कि लोकतंत्र हमारे साथ है, यही बात मुलायम सिंह यादव जी ने भी कही थी । मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि भाजपा जनमत लेकर आयी है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जनमत तो राम मंदिर का मिला था, भाजपा को कहां मिला था, इसलिए इन दोनों मुद्दों पर राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में बार-बार इस प्रश्न को उठाने में इन्हें क्या कठिनाई थी ?

* श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें जनता ने चुना है और हम जनहितकारी कार्य कर रहे हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त सबसे बड़ा संकट प्रदेश के काश्तकारों पर खाद का है, यूरिया और डी० ए० पी० का । खासतौर से डी० ए० पी० का । यह कहते हैं कि हम जनहितकारी कार्य कर रहे हैं । यदि इन्होंने डी० ए० पी० खाद उपलब्ध करा दी होती और जैसे सभी प्रदेशों ने इस पर लगने वाला सेल्सटैक्स माफ कर दिया है, उसको माफ कर दिया होता, तो मैं मानता कि आप जनहितकारी कार्य कर रहे हैं । डी० ए० पी० की आप व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं और इस पर सें टैक्स माफ क्यों नहीं कर रहे हैं ? इसका आप स्पष्टीकरण दिलवाने की कृपा करें ।

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, हमने माननीय मुख्य मंत्री जी के संभाषण को बड़े गौर से सुना । उनके भाषण से ऐसा लग रहा था कि वह बड़े हताश हैं और ऐसा लग रहा था कि उनकी स्थिति उस शुतुरमुर्ग की तरह है । जब कोई आखेटक उसे शिकार के लिए दौड़ाता है और दौड़ते-दौड़ते जब वह थक जाता है तो वह अपना सिर बालू में धंसा देता है । इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी आज एकता परिषद् से भागने की बात करते हैं । मंदिर-मस्जिद के मुद्दे के संबंध में माननीय श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह जी ने कहा था कि यह मामला दो ही तरीके से हल हो सकता है । एक तो यह कि सभी लोग व सभी पार्टियां आपस में बैठकर एक सर्वमान्य हल निकाल लें । जिसके लिए एकता परिषद् का निर्माण भी किया गया। दूसरा तरीका यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा, उस पर सभी लोग दृढ़ रहेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान कभी कुछ आता है और कभी कुछ आता है । कभी वह कहते हैं कि विवादित ढांचे की पूरी सुरक्षा की जायेगी और कभी कहते हैं कि हमने यह कहा ही नहीं । आज इस विवादित ढांचे के बारे में प्रदेश व देश चिंतित है । सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, उससे एक संवैधनिक संकट उत्पन्न

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो गया है । इसलिए इस पर आप क्या कहना चाहते हैं ? दूसरा, विवादित ढांचे की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है, इसका आप जवाब दें ? पूरी स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री कैलाशनाथ सिंह यादव–

मान्यवर, श्री वर्मा जी ने जो आपत्ति उठायी है, उसका तो आप जवाब दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री वर्मा जी ने जो विषय उठाया है, वह विषय से हटकर है । मैं उसका जवाब दिलवा दूंगा ।

(माननीय मुख्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

* श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, नियम–56 में आप उत्तर दिलवा दीजिये । इस समय इसे यहीं पर समाप्त कीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

यही तो मैं भी कह रहा था कि नियम–56 में इसका उत्तर उन्हें मिल जायेगा ।

सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमाली के नियम 14 का अनुपालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

(श्री हृदय नारायण दीक्षित का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, नियम–300 के अन्तर्गत जो मैंने नोटिस दी है, यह इसलिए भी गम्भीर हो जाता है कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पांच साल के लिए.....

श्री अध्यक्ष–

आप केवल ग्राह्यता पर बोलें । 5 साल हो या एक साल यह तो विषयान्तर है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आप कह दें कि यह नियम के अन्तर्गत नहीं आता है । आप नियमावली के नियम 14 को देख लें । मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी अभी कह रहे थे कि उनकी पार्टी को पांच साल सरकार चलाने के लिए जनादेश मिला है । मान्यवर, जब किसी पार्टी की सरकार को जनादेश मिलता है तो वह संविधान के उपबन्धों के अधीन कार्य करती है । आप अवगत हैं उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान के उपबन्धों के आधार पर काम नहीं कर रही है । यह सरकार की प्रतिबद्धता है कि वह नियमों के अनुसार काम करें, संविधान के अनुसार काम करे और उसकी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है कि उसका विधान सभा के प्रति उत्तरदायित्व होना । जब माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वे इस विधान सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं रहते और यह सरकार एक नया बहाना खोज लेती है । विधान सभा के सत्र के सम्बन्ध में नियम 14 का मैं उल्लेख कर रहा था मैंने लिख कर भी आपको इस सम्बन्ध में भेजा है । जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसने इस विधान सभा के इस आदरणीय मंच की खुली अवहेलना की है । सत्र साल में 90 दिन चलना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा अभी कहा कि सरकार 5 साल चलेगी अगर हम मान लें चलेगी तो श्रीमन् नवम्बर में हम आपके समक्ष भाषण कर रहे हैं दिसम्बर का एक महीना रह गया है अभी तक आप देख लें यह सदन 40 दिन भी नहीं चला । माननीय मुख्य मंत्री जी जब इधर बैठते थे तो कहते थे कि यह सदन काफी चले यहां से उधर की दूरी काफी नहीं है उसी तरह से जब संसदीय कार्य मंत्री जी इधर से कहा करते थे सदन काफी दिन चले । माननीय मुख्य मंत्री जी अपने बयान बदलते रहते हैं जब यहां बैठते थे कुछ और कहते थे, जब वहां बैठते हैं तो कुछ और कहते हैं और जब बाहर होते हैं तो कुछ और कहते हैं, कहते हैं खून की नदियां बह जायेंगी ।

6 मार्च 1991 की इस आदरणीय सदन की कार्यवाही की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं उसके पृष्ठ 114 में जब माननीय मुख्य मंत्री जी कल्याण सिंह जी यहां बैठते थे उन्होंने जो कहा उसे मैं आपकी अनुमति से पढ़ रहा हूं जितने दिन अधिक सदन चलेगा, इससे विपक्ष के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को यहां सदन में उठायेंगे और कुछ नीतिगत बातें भी यहां उठाने का उनको तथा सभी दलों के नेताओं को मौका मिलेगा और सरकार को भी अपनी बात कहने का। चूंकि सदन ही एक ऐसा स्थल है जहां प्रदेश की जनता की समस्याओं को दूर करने का और गलत बात को स्पष्ट करने का मौका मिलता है आदि यह पूरा पैरा है तो उन्होंने कहा है कि यह सदन अधिक दिन चलना चाहिये । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह कहेंगे कि विपक्ष के लोग बड़ा शोर शराबा करते हैं । तो इस सम्बन्ध में दूसरे पैरा में वह कहते हैं सदन व्यवस्थित ढंग से चले, शांतिपूर्वक चले और इसमें सभी दलों के माननीय सदस्यों और नेताओं की जिम्मेदारी है तथा विपक्ष के साथ ही साथ सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि ज्यादा शोर शराबा उसी समय होता है जब शासन से स्पष्ट उत्तर नहीं आता है ।

तो अभी आपने देखा होगा पूरे सदन में सत्ता पक्ष से जै श्रीराम का चीतकार हुआ । जब माननीय कल्याण सिंह जी जब यहां से बोलते थे तो कहते थे कि सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि शोर शराबा उस समय होता है जब शासन का स्पष्ट उत्तर नहीं आता है तो यह कल्याण सिंह जी की बात है मेरी नहीं । आज ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गयी कि शासन पक्ष से स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है और इधर के लोग गलत चिल्ला रहे हैं ।

देश के इतिहास में पहली बार यह हुआ है आपने स्वयं व्यक्तिगत रूप से जब अध्यक्ष ने उचित समझा पत्र लिखा, आपकी इच्छा हुई कि सदन चले पत्र लिखा । आपकी इच्छा पूरे सदन की इच्छा होती है । सरकार ने इस पीठ की इच्छा को नजरअंदाज कर दिया । पूरे प्रदेश में ऐसा वातावरण बन गया, माननीय अध्यक्ष और विपक्ष के लोगों की इच्छा हुई कि विधान सभा का सत्र चले । तो इस सरकार ने विधान सभा के इस मंच के प्रति आदरभाव नहीं समझा, संविधान का आदर नहीं किया, लोक तांत्रिक परम्पराओं का आदर नहीं किया । लोक तांत्रिक परम्पराओं से जो जुड़ा हुआ विषय है उससे इनका कोई मतलब नहीं है । मैं एक मिनट और लूंगा मैं एक बात कहना चाहता हूं । एक लड़के के संरक्षक ने अपने बच्चे को डांटा कि तुम फेल कैसे हो गये इतनी बुरी तरह से तुम कैसे फैल हो गये कि प्रिंसिपल तुम्हें निकाल रहे है । तो बच्चे ने कहा कि मैं एक ही विषय में फेल हुआ हूं । तो संरक्षक ने कहा और का क्या हुआ तो उसने कहा कि और में परीक्षा ही नहीं दी । उसी तरह से इनकी स्थिति है क्योंकि एक ही विषय मंदिर को लेकर यह आये थे उसमें फेल हो गये बाकी विषय जैसे अराजकता को ठीक करना, शासन व्यवस्था को ठीक करना, जनता को राहत देना तथा विधान सभा के प्रति उत्तरदायित्व आदि सभी विषयों पर उन्होंने परीक्षा ही नहीं दी । यह सरकार असफल हो गयी है और यह विषय पहले से मा० अध्यक्ष और सदन के संज्ञान में है । नियम 14 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है "साधारणतया" । तो जब उत्तर देंगे तो बता देंगे कि ऐसी क्या असाधारण परिस्थितियां थीं कि सदन 90 दिन से कम चला, इस पर आप व्यवस्था दे दें ।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

(इस समय 2 बजकर 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य उन्नाव अध्यापक न रहे हों लेकिन अध्यापकों के नजदीक रहे हैं, इसलिए उन्होंने अध्यापक वाली बात कह दिया । मेरा ऐसा इरादा नहीं कहने का था कि मैं कहूं कि प्रतिपक्ष शोर शराबा करता है लेकिन गिल्टी व्यक्ति स्वयं कह देता है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जैसा मा० मुख्य मंत्री के भाषण का यहां उल्लेख किया गया, इसलिए मैं सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी समझता हूं, उससे अलग नहीं होऊंगा । वहां पर बैठकर कहता था और यहां पर बैठकर भी उसी तरह हम सोचते हैं और मा० सदस्यों से अपेक्षा करते हैं कि उस तरह का आचरण न करें ।

मान्यवर, यह सही है कि नियम 14 की आपने बात उठायी लेकिन उसका उत्तर भी उन्होंने स्वयं दे दिया और कहा कि हम यह कहेंगे कि साधारणतया, तो साधारणतया का मतलब क्या होता है, यह वह जानते हैं । मान्यवर, हमारा इरादा पूरी तरह से अधिक से अधिक दिन और अधिक से अधिक समय तक शान्त वातावरण में यहां चर्चा हो जिसका उदाहरण पिछला बजट सेशन है जिसमें हम सब ने मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में रात को अधिक देर तक बैठकर सदन की कार्यवाही चली, जो एक कीर्तिमान है, जिससे हम और आप अपनी बातों को यहां सदन में कह सकें ।

हमारे पास आंकड़े हैं 1980 से 1991 तक जिसके अनुसार 48, 43, 50, 36 और 1991 में 23 दिन सत्र चला, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था । इसलिए इस चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इसमें कोई असहमति नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक सदन चले और सभी लोग मिलकर यहां अपनी बात कह सकें । लेकिन परिस्थितियों के अनुसार ज्यादा से ज्यादा हम बिजनेस लेने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा अपना इरादा रखते हैं । इसलिए इस समय काम रोक कर चर्चा की जाये यह उचित नहीं है । नियम 14 हमारे लिए नियमावली में कोई अपरिहार्य और मैन्डेटरी नहीं है, इसलिए इस समय इस पर चर्चा होने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्री हृदय नारायण दीक्षित ने प्रश्न उठाया कि सदन व्यवस्थित और 90 दिन चले इस पर आप व्यवस्था देंगे लेकिन उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि विधान सभा के उपवेशन 90 दिन जो नहीं हो रहे हैं उसके संबंध में विधान सभा अध्यक्ष ने सरकार को पत्र लिखा कि वर्षाकालीन, शरदकालीन सत्र बुलाये जायें लेकिन उनके पत्र के बाद भी सरकार ने सदन आहूत नहीं किया, इसके बाद इस संबंध में सफाई देने की बात नहीं रह जाती है । इसलिए मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय का पत्र संसदीय कार्य मंत्री को कब लिखा, और किस आधार पर उसे अमान्य कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष–

मा० अध्यक्ष जी के पत्र का यहां उल्लेख करना उचित नहीं है । संविधान के अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत विधान सभा का सत्र बुलाने का अधिकार मा० महामहिम राज्यपाल को प्राप्त है । जो प्रश्न माननीय दीक्षित जी ने उपस्थित किया है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उसका जवाब भी दिया है इस .....(व्यवधान) पहले आप इस पर मेरी व्यवस्था सुन लें । संविधान के अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत विधान सभा का सत्र बुलाने का अधिकार महामहिम राज्यपाल जी को प्राप्त है । सत्र के उपवेशनों की संख्या निर्धारित होती है और उसी के अन्तर्गत सदन के उपवेशन होते हैं । इसमें किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है । अतः इसे अस्वीकार किया जाता है । राम औतार शाक्य जी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जो विषय यहां पर उठाया गया....

श्री उपाध्यक्ष–

आपके प्रश्न पर व्यवस्था हो गयी है, अब कृपा करके आप बैठ जायं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था संवैधानिक और नियमों के अनुकूल है, किन्तु यहां पर प्रश्न सिर्फ यह था कि विधान सभा के अध्यक्ष के पत्र को समुचित आदर इस सरकार ने क्यों नहीं दिया ? मंत्री जी इसका उत्तर भी देने जा रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप लोग बैठ जायं। माननीय राम औतार शाक्य जी।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मुश्किल तो यह है कि जब आप स्वयं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं ?

सदन में अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों का शासन द्वारा समयबद्ध तरीके से अनुपालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री राम औतार शाक्य–

उपाध्यक्ष जी, अभी श्री हृदय नारायण दीक्षित जी नियम 300 के अन्तर्गत चर्चा कर रहे थे, लगभग उन्हीं नियमों से संबंधित मैं अपनी बातों को भी रखना चाहता हूं। इस आदरणीय सदन में आदरणीय सदस्यों द्वारा नियम 300, नियम 56 और नियम 51 में जो सूचनायें दी जाती हैं, उनका एक समय सीमा के अन्दर परिपालन होना चाहिए। उन पर माननीय पीठ से जो निदेश दिये जाते हैं, उनके अनुसार उनका कार्यान्वयन नहीं होता है, उसकी भावना के अन्तर्गत उनका पालन नहीं होता है। यह एक गम्भीर प्रश्न है। इस तरह की गलत परम्परायें बनने से एक गलत इतिहास बनेगा। तो हम यहां पर बैठ कर जिन स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण करते हैं, उन स्वस्थ परम्पराओं का अनुपालन भी उसी भावना से समयबद्ध तरीके से होना चाहिए।

मान्यवर, आपके पीठ की गरिमा भी इसी में है कि पीठ से दिये गये सारे निर्देशों का सही-सही अनुपालन किया जाये। मैं इस संबंध में आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। सन् 92 के प्रथम सत्र में मेरे द्वारा एक सूचना दी गयी थी, जिनका आज तक न तो कोई जवाब आया है और न उस पर शासन की ओर से कोई कार्यवाही की गयी है। 12 मई, 92 को नियम 51 में मेरे द्वारा यह सूचना दी गयी थी। फिर मेरे ही द्वारा 13-5-92 को नियम 56 में जनपद सीतापुर की पुलिस की जानलेवा पिटाई के कारण जिला कारागार में श्री रमाकान्त शुक्ला की मृत्यु के संबंध में एक सूचना दी गयी थी। उसमें आपने निर्देश दिया था कि सरकार कार्यवाही करके कृत कार्यवाही से माननीय सदस्य को अवगत कराये। लेकिन इस पर न कुछ हुआ न सूचना मिली। इसके पीछे जो कारण है वह तो समझ में आने वाला है, यह सीतापुर का मामला था यानी माननीय संसदीय कार्य मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र का मामला था। इसलिए जानबूझकर इस मामले को दबाया गया है और जानबूझकर पीठ के निर्देश का उल्लंघन किया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके अतिरिक्त संख्या 1517 पर प्रदेश में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत था । सारे प्रदेश में ऐसी सारी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत हो चुका है, किन्तु उसको न तो अनुदान दिया गया और न देने के बारे में शासन ने कोई अपनी स्थिति स्पष्ट की है । इसी तरह संख्या 1261 पर जो है, उच्च न्यायालय लखनऊ की खण्ड पीठ के निर्देशों का जिला एवं पुलिस प्रशासन, बुलन्दशहर द्वारा कथित रूप से अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के संबंध में था । इसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पीठ द्वारा याचिका नं० 20 सन् 1992 दिनांक 25-4-92 को जनपद बुलन्दशहर की पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा श्री यशपाल सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, खुर्जा, ग्राम कलापुरी थाना खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर को गनर व सुरक्षा व्यवस्था न प्रदान किये जाने के संबंध में था । इसकी सूचना सरकार को दी गयी थी, किन्तु आज तक इन एडवोकेट को कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं प्रदान की गयी है । यह विधायिका प्रजातंत्र का तीसरा अंग होता है । यहां पर हम अपनी भावनायें और जन आकाक्षांओं को लेकर आते हैं और हम यहां पर जन समस्याओं को लाते हैं । इस तरह से कई प्रकरण यहां माननीय सदन के संज्ञान में हैं । मैं आपकी पीठ है यह औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगता हूं । सारे नियमों का कड़ाई के साथ पालन किया जाय । सरकार इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय सदस्य ने विस्तार के साथ अपनी बात कही और आरोप भी लगाने की चेष्टा की है । माननीय सदस्य ने जिस समय अपनी सूचना दी थी उस समय कदाचित इन बातों का सही उल्लेख किया होता तो मैं उसको देखकर, समझकर सही उत्तर दे सकता । जिन बातों को उन्होंने यहां पर अभी कहा है, प्रश्न के माध्यम से वह जानकारी नहीं मांगी गयी थी । माननीय सदस्य की जो सूचना है उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है कि कौन सी घटना है, क्या बात उठायी गयी है, या उत्तर देने के लिए शासन की तरफ से निर्देश दिये गये हैं, इस तरह की बातों का उसमें कोई जिक्र नहीं है । अभी इन्होंने जो यह प्रश्न उठाया है, उसकी ग्राह्यता पर बोले हैं तो उसमें इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है कि संविधान के किस अनुच्छेद व प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के किस नियम के तहत वह आता है । इस तरह से बिना पूरी जानकारी के उत्तर तो दे पाना सम्भव नहीं है । सदन में वाक् स्वातंत्र्य है, उसी के तहत इन्होंने आरोप लगाये हैं । यह जिम्मेदारी है । मैं इसका पूरी तरह से प्रतिवाद करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने जिन बिन्दुओं को उठाया है यदि उन बिन्दुओं पर अध्यक्ष पीठ से कोई व्यवस्था दी गयी है तो शासन का कर्तव्य है कि वह उसका अनुपालन सुनिश्चित कराये ।

शासन द्वारा प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैंने विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1992 के प्रथम बुधवार के लिए एक अतारांकित प्रश्न लगाया था उसके संबंध में माननीय सिंचाई मंत्री जी ने कहा वह मान्यवर, पूरे सदन के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया है, अवमानना की गयी है, जो कि निन्दनीय है ।

मान्यवर, जवाब में माननीय मंत्री जी ने भेजा कि माननीय सदस्य, माननीय राज्य मंत्री जी के कमरे में जाकर जवाब ले लें । मान्यवर, जबकि कोई भी प्रश्न जब एजेण्डा मे आ जाता है तो वह पूरे सदन की सम्पत्ति बन जाता है परन्तु माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो यह कहा कि माननीय सदस्य माननीय राज्य मंत्री के कमरे में जाकर कार्यवाही देख लें, पूरे सदन के अधिकारों की अवमानना है । इसके बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं व इसके साथ ही साथ यह भी चाहता हूं कि यह सरकार जो इस तरह से माननीय सदस्यों के प्रश्न के उत्तर में अधिकारियों को संरक्षण दे रही है उसके संबध में भी व्यवस्था दी जाय । यह सरकार अपने अधिकारियों को संरक्षण दे रही है जिससे हम जन प्रतिनिधि अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भी काम करने में असहाय हैं क्योंकि अधिकारी जानते हैं कि हमारी खामियां सरकार में दब जायेंगी । मान्यवर, हम लोग प्रश्नों के माध्यम से उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को यहां उजागर करते हैं परन्तु इस तरह के जवाब से हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है । मेरा आपसे निवेदन है कि सब सदस्यों के अधिकारों को पहले रखा जाय इसको मैं औचित्य के माध्यम से उठाता हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर प्रश्न के उत्तर से किसी माननीय सदस्य का समाधान नहीं हुआ है तो हमारे यहां नियम 49 के अन्तर्गत उस पर चर्चा हो सकती है । आप का प्रश्न क्या था, क्या जानकारी आप चाहते थे, इसकी जानकारी यदि हमारे पास होती तो उत्तर देने में सहूलियत रहती । माननीय सदस्य ने 300 में यह प्रश्न उठाकर केवल लांछित करने का प्रयास किया है । अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो नियम 49 में चर्चा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं इसमें उठाने का कोई प्रश्न नहीं होता है ।

श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

मैंने नम्बर लगाया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है सिंचाई मंत्री जी द्वारा उन्हें यह उत्तर दिया गया कि वह इसके बारे में राज्य मंत्री के कक्ष में आकर जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो क्या इस तरह का उत्तर देना उचित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं उसी पर बात रख रहा था । इनका अतारांकित प्रश्न के बारे में था । इसमें ऐसा उत्तर नहीं आना चाहिए था । इसमें हमारे सामने पूरी स्थिति नहीं है इसलिए हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं दे सकते हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय सदस्य को यह बुला लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इस बात को नहीं कहा जाना चाहिए यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है माननीय सदस्य अगर चाहें तो नियम 49 में चर्चा की मांग कर सकते हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

इतना संरक्षण माननीय सदस्य को दे दें कि यह बुलाकर उनको बता दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह क्यों परेशान हैं हमारी इनकी तो मुलाकात होती रहती है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री कृपया इसका विवरण मंगवा कर माननीय सदस्य के पास भिजवा दें।

नियम 56, 51 तथा 301 की सूचनाओं का निर्धारित अवधि में शासन द्वारा उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे पूर्व सदस्य ने भी इसी तरह का सवाल आपके संज्ञान में लाया है नियम 300 के अन्तर्गत। हमारे पूरे सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं इसी से सदन बनता है और हमको यह अधिकार मिलता है कि हम कुछ जनता के जो ऐसे सवाल होते हैं जिनको व्यक्तिगत रूप से या शासन स्तर के लोगों से मिलकर व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों से मिलकर करा लेते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको सदन में रखने के विभिन्न नियम होते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 14 (1) में अध्याय चार में एक निर्देश शासन को दिया है कि जिस नियम में हम अपनी बात एवं जनता की बात रख सकते हैं। नियम 301 ऐसा नियम है। नियम 51 में शासन का ध्यान आकर्षित करते हैं, नियम 56 में ग्राह्यता पर सुनते हैं शेष पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हैं उसमें साफ निर्देश दिया गया है कि विभिन्न प्रश्नों को जो स्वीकार करते हैं उसका उत्तर एक माह के अन्दर या एक सप्ताह के अन्दर संबंधित मंत्री के हस्ताक्षर से संबंधित प्रतिनिधि के पास पहुंच जायेगा। पिछले सत्र में इस बात को उठाया था कई बार हमने देखा है हमेशा कई प्रतिनिधियों ने यह सवाल उठाया है आपकी कुर्सी से भी इस शासन को कई बार निर्देशित किया गया है कि एक माह के अन्दर प्रतिनिधि को उत्तर अवश्य भेज दिये जाने चाहिए। श्रीमन् एक पुस्तिका कल मिली इसमें सबके नाम जो प्रश्न थे नियम–301 के अन्दर प्रश्न भी हैं कि फलां-फलां प्रस्ताव होगा इसमें यह भी है कि फलां तारीख तक उत्तर दे देंगे। यह 26 नम्बर पर है मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जनपद मऊ में कई गांवों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। श्रीमन् इसका उत्तर 27.3.92 तक हमको दे देना चाहिए। श्रीमन् इसमें ऐसा लगता है कि जांच के कारण विलम्ब हुआ है। मैं आपके साथ लम्बा समय लूं यह उचित नहीं है। मान्यवर, पिछले सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत 8-9 सवाल स्वीकृत हुए थे, उनमें एक का भी उत्तर मा० मंत्री जी के हस्ताक्षर से प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत से 51 के अन्तर्गत और नियम 56 के अन्तर्गत भी कई सवाल हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया संक्षेप में कहें।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

आप लोग सत्ता पक्ष के हैं। आप व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी से कार्य करवा लेते हैं। लेकिन जो मैं नियमों के अन्तर्गत अपनी बात इस सदन में रखूं उसका उत्तर आज तक न मिले यह बड़े दुख की बात है। श्रीमन् हम लोग कहां जाकर अपनी बात करेंगे, किससे कहेंगे ? कई बार आपकी पीठ से निर्देश हो चुका है इसका उल्लंघन सत्तापक्ष के लोग कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री के मंत्रिमण्डल के लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप निर्देश दें जिससे सवालों के जवाब प्राप्त हो सकें।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस बात की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है । मान्यवर, सब सूचनाओं का उत्तर शासन द्वारा यथासमय दे दिया गया है । मैंने 5 बार दस्तावेज सदन के पटल पर रखा है, उससे यह साफ है कि जितनी भी सूचनायें नियम 301 मे मिली है उन सबको खुद मैंने माननीय सदस्यों को भिजवायी हैं । यह हो सकता है कि इनमें माननीय मंत्री के हस्ताक्षर न हों । उत्तर भेजने में देरी हुई इसलिये इसके लिये मैं खेद प्रकट करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने जो विवरण दिये हैं । इस संबंध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और निर्देश दिया जाता है कि वह पीठ से दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

नियम 301, 51 तथा 56 की सूचनाओं पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री स्वामीनाथ यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी की तरह मेरा भी औचित्य का प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत है । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि जब सारी सूची हमारे पास उपलब्ध कराई जा रही है तो क्या माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के पास पहले तो यह सदन यह निश्चित है कि माननीय सदन को कार्यवाही से सम्बन्धित ही सवालों पर संविधान के अनुच्छेद के सवालों पर औचित्य का प्रश्न बनता है । तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपकी पीठ से दिये गये निर्देशों का पालन इस सरकार के द्वारा 6 महीने के अन्दर हुआ है ।

मान्यवर, आपका भी दायित्व है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर जो हमने नियम 301 के अन्तर्गत उठाये हों, 15 दिन या एक महीने का समय अधिकतम लेना चाहिये । मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस नियम का पालन करते हुए नियम 301, नियम 56, जिस पर शासन का ध्यान आपने आकृष्ट किया उनका उत्तर शासन ने समय से नहीं दिया मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि माननीय सदस्य ने कोई विवरण नहीं दिया । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का यह दायित्व है कि आपकी पीठ से दिये गये निर्देशों का पालन वह सुनिश्चित ढंग से करायें । अगर वह पूरा नहीं करा पा रहे हैं तो माननीय सदस्यों के हित की रक्षा नहीं हो पायेगी । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । नियम 56 के अन्तर्गत प्रतापगढ़ में कोआपरेटिव बैंक में खुली लूट के विषय में मामला उठाया गया था । उस पर आपकी पीठ से निर्देश होने के बावजूद उसमें लापरवाही की जा रही है ।

मान्यवर, यह सरकार न केवल माननीय सदस्यों के और सदन के अधिकारों की अवमानना कर रही है बल्कि संविधान भी तोड़ रही है । न्याय पालिका के आदेशों की अवहेलना कर रही है । आपकी पीठ से दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर रही है । यह सरकार अगर हमारे अधिकारों की अवमानना करे तो कोई अफसोस की बात नहीं है लेकिन यह आपकी पीठ से दिये गये आदेशों की अवहेलना करने के लिये कृतसंकल्प है और प्रतिज्ञा करके बैठी है । नियम 56 और नियम 301 की तो अवहेलना हो ही रही है नियम 51 में सदन के अंतिम दिन 13 मई, 1992 को जितनी सूचनायें नियम 51 के अन्तर्गत आयीं और उन पर आपकी पीठ से निर्देश भी हुए लेकिन सरकार ने उन निर्देशों का पालन नहीं किया । मुख्य मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी का कहना है कि जब सदन चलता है तो जनता की समस्यायें सामने आती हैं और कार्य आगे बढ़ता है लेकन अगर उस संबंध में आपकी पीठ से दिये गये निर्देशों की

अवहेलना की जाय तो मैं समझता हूं कि सदन के माध्यम से जो हम जनता की सेवा करना चाहते हैं वह नहीं हो सकेगी । हमारे तथा अन्य माननीय सदस्यों के द्वारा उठाये गये मामलों पर जो आपकी पीठ से निर्देश किये गये हैं अगर उनका पालन नहीं किया गया तो क्या यह औचित्य का प्रश्न नहीं है ; मेरे इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें अगर नहीं करते हैं तो इस सदन में इससे बड़ा और कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनेगा और सरकार सारी कार्यवाही को दबा कर बैठ जायेगी । मेरा प्रश्न सदन की कार्यवाही से संबंधित और सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली से संबंधित है । इसको स्वीकार करें सम्पूर्ण सूचनाओं को अपने कक्ष में देख लें कि सरकार ने जबाव दिया है या नहीं ताकि जन समस्याओं का समाधान हो सके ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से जब कभी कोई निर्देश दिया जाता है तो शासन की ओर से उसका पूरा-पूरा अनुपालन कराने का प्रयास किया जाता है । मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है कि अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया । जिस बात की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया प्रतापगढ़ के कोआपरेटिव बैंक के मामले में आपके निर्देशों का पूरा पालन किया गया है । लेकिन अगर कोई बात की जानकारी है उनके पास तो उसको दिखवा लिया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने जो प्रश्न उठाया उस पर मेरी व्यवस्था सुन लें ।

श्री स्वामीनाथ यादव–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि दिखवा लेंगे । मान्यवर, चाहे इसको औचित्य का प्रश्न बनावें या चाहे सरकार के पक्ष में फैसला दें । सदन के अंतिम दिन 13 मई, 92 को दिये गये आपके निर्देशों का पालन नहीं किया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने कहा था कि शासन की ओर से सभी निर्देशों का पूरा पालन कराने का प्रयास किया गया है । माननीय सदस्य के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैंने कहा कि अगर कोई बात कहेंगे तो दिखवा लेंगे । इस पीठ से दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है और किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में जो विवरण दिया है, उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाय ।

(श्री हरि नारायन को पुकारे जाने पर और उनके न खड़े होने पर)

माननीय हरि नारायन जी की सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये मैं इसको अस्वीकृत करता हूं ।

श्री जागेश्वर प्रसाद–

[× × ×]

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप जो बात उठा रहे हैं, वह व्यवस्था के रूप में नहीं आती है । माननीय जागेश्वर जी, आप कृपया बैठ जायं ।

(घोर व्यवधान)

माननीय जागेश्वर जी, जो कुछ कह रहे हैं, वह नहीं लिखा जायगा ।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिभार नियमावली, 1992 †

वन एवं पर्यावरण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 4497/14-4-92-1(16)-80, दिनांक 22 अप्रैल, 1992 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश वन निगम अधिभार नियमावली, 1992 को उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा-24 के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (3) की उपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 1988,89,एवं 90)†

वित्त, संस्थागत वित्त,संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1988, 31 मार्च, 1989 एवं 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्षों के लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण ††

वित्त, संस्थागत वित्त,संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (नवम् संस्करण) के निदेश 14(3)के अनुसार विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 (दिनांक 10 फरवरी, 1992 से 13 मई, 1992 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण शुद्धि-पत्र सहित सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1987-88†

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (डा० सुरजीत सिंह डंग)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापी नहीं गयीं ।

†† छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ का स्थित पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा [वर्ष 1989-90] ††

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ का स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा वर्ष 1989-90 को भण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11)की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (1986-87)(चौदहवां प्रतिवेदन) †

पंचायती राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 1986-87 (चौदहवां प्रतिवेदन) को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(इस समय 2 बजकर 56 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डिस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्ष 1985-86) †

वन एवं पर्यावरण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1985-86 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 68वां प्रतिवेदन†

श्री सोमांश प्रकाश–

मैं, सभापति, आश्वासन समिति उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 68वां प्रतिवेदन, जो सिंचाई विभाग के वर्ष 1980 से वर्ष 1989 तक के आश्वासनों से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 69वां प्रतिवेदन

श्री सोमांश प्रकाश–

मैं, सभापति, आश्वासन समिति उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 69वां प्रतिवेदन, जो ग्राम्य विकास विभाग के वर्ष 1981 से 1990 तक के तथा ऊर्जा विभाग के वर्ष 1981 से वर्ष 1990 तक के आश्वासनों से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन †

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं, सभापति, याचिका समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†† छापा नहीं गया।

† छापा नहीं गया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 नवम्बर, 1992 की बैठक में सदन के दिनांक 24 नवम्बर, 1992 से 26 नवम्बर, 1992 तक के अधिवेशनों के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है जो पढ़ी मानी गयी :–

[नवम्बर, 1992

24 मंगलवार

1–वित्तीय वर्ष 1992-93 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण–आधा दिन ।

2–विधायी कार्य–

(क) निम्नलिखित प्रस्ताव का माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुतीकरण :–

"चूंकि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992 जो विधान सभा द्वारा 28 फरवरी, 1992 को पारित किया गया था और विधान परिषद् को पारेषित किया गया था, के संबंध में सचिव, विधान सभा द्वारा इस सदन को दिनांक 29 अक्तूबर, 1992 को संविधान के अनुच्छेद 197 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 150 के उप-नियम (1) के अधीन सूचना दी गयी है कि विधान परिषद् के समक्ष रखे जाने के पश्चात् 3 माह की अवधि व्यतीतं हो जाने पर भी उक्त विधेयक विधान परिषद् द्वारा वापस नहीं किया गया है,

अतः संविधान के उक्त अनुच्छेद के उक्त नियम 150 के उपनियम (1) की अपेक्षा के अनुसार मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992 उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पुनः पारित किया जाय । "

(ख) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण:–

(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा ।

(2) उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा ।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(3) उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा ।

(4) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा ।

(ग) निम्नलिखित संकल्प का न्याय तथा विधायी मंत्री द्वारा प्रस्तुतीकरण :–

"यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा "भारत का संविधान" में प्रस्तावित संशोधन का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) के अन्तर्गत आता है, अनुसमर्थन करता है ।"

25 बुधवार

1–निधन के निदेश (प्रश्नकाल के उपरान्त)

2–विधायी कार्य–

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घण्टा । (अनन्तिम रूप से)

3–(1) नियम 103 के अन्तर्गत श्री सुरेश प्रताप गांधी, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा–

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश की ग्राम सभाओं की भूमि को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सामूहिक चरागाहों तथा वनौषधियों के उत्पादन के लिये आवंटित कर आरक्षित किया जाय ।"

(2) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा –

"इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद मऊ के नत्थूपुर निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय एवं महिला विद्यालय की स्थापना की जाय ।"

(3) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा–

"इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु इस क्षेत्र के मधुबन में उद्योगों की स्थापना की जाय ।"

(4) नियम 103 के अर्न्तगत श्री श्याम नारायण तिवारी, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा–

"इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद महाराजगंज में त्वरित विकास के लिये वहां विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाय ।"

(5) नियम 103 के अर्न्तगत श्री श्याम देव राय चौधरी, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा–

"इस सदन का यह सुविचारित मत है कि काशी नगरी को धार्मिक नगरी घोषित किया जाय ।"

(6) नियम 103 के अर्न्तगत श्री श्याम नारायण तिवारी, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा–

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल के गोरखपुर, महराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा इलाहाबाद में इस वर्ष वर्षा न होने के कारण उन्हें सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय ।"

26 गुरुवार विधायी कार्य ।]

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

प्रथम सत्र 1992 के चौथे मंगलवार के अतरांकित प्रश्न संख्या 1992 का संशोधित उत्तर

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मैं विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के चौथे मंगलवार को श्री विशम्भर प्रसाद निषाद सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 192 के उत्तर के संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या 166 के अन्तर्गत सदन को देता हूं ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना पढ़ी हुई मानी गयी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[विधान सभा प्रथम सत्र, 1992 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–192 का उत्तर मा० मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा निम्न प्रकार दिया गया था :–

प्रश्न	उत्तर
192–क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई बांदा के पत्रांक ग–503497/92. दिनांक 16-12-91 प्रश्नकर्ता द्वारा प्राप्त कराया गया है ?	जी नहीं ।
यदि हां, तो अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?	प्रश्न नहीं उठता ।

2–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 8 अप्रैल, 1992 द्वारा दी गयी सूचना पर जांच कराई गई । जांच आख्या के आधार पर प्रश्नगत विधान सभा प्रश्न का जो उपरोक्त उत्तर दिया गया था, वह असत्य पाया गया सही उत्तर निम्न प्रकार है :–

प्रश्न	उत्तर
क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई बांदा के पत्रांक ग–503497/92. दिनांक 16-12-91 प्रश्नकर्ता द्वारा प्राप्त कराया गया है ?	जी हां ।
यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही गयी	प्रश्नगत पत्र द्वारा वांछित सूचनायें श्री एस०आर० आर्य, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रखण्ड, बांदा के अ० शा० पत्र सं०77/ल० सिं०/एस० टी०/92-93. दिनांक 18-8-1992 द्वारा मा० विधायक को उपलब्ध करा दी गयी है ।

3–प्रश्नगत विधान सभा प्रश्न का गलत उत्तर दिये जाने के लिये गिरधारी लाल, पतरौल, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रखंड बांदा को दोषी पाया गया और उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान कर

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दी गयी है । भविष्य में मा० सदन के समक्ष सही उत्तर प्रस्तुत करने के लिये सख्त निदेश भी जारी कर दिये गये हैं ।]

उत्तरांचल क्षेत्र के लिये पृथक उप सेवा संवर्ग के गठन के संबंध में वक्तव्य

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र के लिये पृथक उपसेवा संवर्ग के गठन के सम्बन्ध में माननीय मंत्रि परिषद् ने अभी हाल में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया .....

श्री अध्यक्ष–

इसको पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[जिसके अन्तर्गत सरकारी सेवाओं में उत्तरांचल क्षेत्र के लिये श्रेणी "ख" "ग" व "घ" के पदों के लिये एक पृथक से उप-संवर्ग का गठन किया गया है । यह निर्णय उत्तरांचल क्षेत्र के समस्त आठ जनपदों यथा-अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल, उत्तर काशी के लिये लागू होगा । प्रथम चरण में उत्तरांचल उप संवर्ग 31 विभागों (अनुलग्नक) के श्रेणी-2 के पदों तक सीमित रखा जायेगा । उत्तरांचल क्षेत्र में पदों को भरने के लिये पहले वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विकल्प मांगा जायेगा और विकल्प के आधार पर उनकी वहां नियुक्ति कर दी जायेगी । समय-समय पर होने वाली भविष्य की रिक्तयों में, जहां सीधी भर्ती का प्राविधान है, वहां चयन करते समय विज्ञापन/अधिसूचना में ही उत्तरांचल क्षेत्र की रिक्तियों को इंगित कर दिया जायेगा और तदनुसार चयन/नियुक्ति की जायेगी । जो पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, उनमें समय-समय पर होने वाली पदोन्नति हेतु उत्तरांचल उप-संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी ही पात्र होंगे । यह निर्णय फिलहाल 31 विभागों पर लागू होगा और भविष्य में आवश्यकतानुसार अन्य विभाग भी शामिल किये जा सकेंगे ।

2. उपरोक्त पृथक उप-संवर्ग के गठन संबंधी सेवानियमावली सुसंगत नियमों के अन्तर्गत प्रख्यापित करने की कार्यवाही अलग से की जा रही है ।

विभागों की सूची	अनुलग्नक
(1) उद्योग विभाग	
(2) लघु एवं ग्रामीण उद्योग विभाग	
(3) भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	
(4) ऊर्जा विभाग	
(5) कृषि विभाग	
(6) ग्राम्य विकास विभाग	
(7) पंचायती राज विभाग	
(8) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग	
(9) पशुपालन विभाग	

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(10) मत्स्य विभाग
(11) सहकारिता विभाग
(12) दुग्ध विकास विभाग
(13) क्षेत्रीय विकास विभाग
(14) आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा विभाग
(15) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
(16) होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग
(17) नगर विकास विभाग
(18) प्राविधिक शिक्षा विभाग
(19) परिवहन विभाग
(20) पर्यटन विभाग
(21) राजस्व विभाग (चकबन्दी, भूमि अध्याप्ति तथा रिकार्ड आपरेशन संगठनों को छोड़कर)
(22) लोक निर्माण विभाग
(23) शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा सहित)
(24) प्रौढ़ शिक्षा विभाग
(25) श्रम विभाग
(26) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग
(27) सिंचाई विभाग
(28) सूचना व जनसम्पर्क विभाग
(29) समाज कल्याण विभाग
(30) महिला कल्याण विभाग (बाल विकास योजनाओं सहित)
(31) युवा कल्याण विभाग]

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कौंसिल के निर्वाचन का कार्यक्रम तथा उसमें कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों को मनोनीत करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

सदन को सूचना है ।

(1) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के 4 सदस्य, (2) नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के 2 सदस्य तथा (3) उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये विधान सभा के 2 सदस्य, जिनमें एक महिला सदस्य होगी, के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है–

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि माननीय सदन के द्वारा माननीय अध्यक्ष को यह अधिकृत कर दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष–

पहले मैं इसे पूरा कर दूं।

(क) नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय	गुरुवार, 26 नवम्बर, 1992 को अपराह्न 4.00 बजे तक
(ख) नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय	शुक्रवार 27 नवम्बर, 1992 को अपराह्न 3.00 बजे (सचिव विधान सभा के कक्ष में)
(ग) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय	बुधवार, 9 दिसम्बर, 1992 को अपराह्न 4.00 बजे तक
(घ) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान	बुधवार, 23 दिसम्बर, 1992 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

उक्त निकायों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों संबंधी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय के समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है, यह परम्परा रही है कि सदन में यह प्रस्ताव हुआ है कि ये विभिन्न जो चुनाव होने हैं इसमें आप दलीय नेताओं से सलाह करके सबको मनोनीत करने का आपको अधिकार दिया जाता है और जो मनोनीत किये जायेंगे वह इस सदन द्वारा निर्वाचित माने जायेंगें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सभी नेताओं के साथ बैठ लीजिये, हम लोग तो आप पर विश्वास करते हैं लेकिन उनसे पूछ लीजिये जो आपमें विश्वास नहीं करते हैं आपके पत्र को मना कर दिया था, उनसे पूंछ लीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह तो सदन की परिपाटी रही है यह तो सदन कीं जितनी स्थाई समितियां हैं उसमें आपको समय-समय पर अधिकार मिलता रहा है इसमें मैं स्वयं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन आपको इसके लिये अधिकार देता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री लाल जी वर्मा तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और जिसका श्री प्रमोद तिवारी जी ने समर्थन किया गया है से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1992†

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1992†

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री कर (तृतीय संशोधन) विधेयक 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री कर (तृतीय संशोधन) विधेयक 1992 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा विधेयक, 1992†

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 1-12-1992 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति और लेखा परीक्षा विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से निदेश संख्या 15 के अन्तर्गत 8 सूचनायें चयनित की गयी हैं। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की है, जो दिनांक 19 नवम्बर 1992 को हुए लाठी चार्ज के संबंध में है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अत्य दुःख के साथ इस सरकार के फासिस्टवादी रवैये के बारे में सदन में आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं। मुझे बड़ा दुख होता है, लोकतंत्र में यह सभी का अधिकार है कि अपने दुख को अपनी परेशानियों को जनता की परेशानियों को शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये कहे।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महाबीर प्रसाद जी के नेतृत्व में 19 नवम्बर को स्व० इन्दिरा गांधी जी की पुण्य तिथि पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन की पूर्व सूचना जिलाधिकारी लखनऊ को दे दी गयी थी। झंडेवाला पार्क से लगभग 3 बजे सायंकाल यह प्रदर्शन के लिये जुलूस उठा उसमें मैं स्वयं भी सम्मिलित था और हमारे माननीय विधायकगण भी थे। इस जुलूस की सबसे खास बात यह थी कि जिस वक्त झंडे वाले पार्क से यह जुलूस चलना था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने सभी को यह सौगंध दिलायी थी कि अहिंसात्मक ढंग से प्रदर्शन किया जायेगा। हम लोगों का जुलूस शांतिपूर्वक ढंग मे आगे बढ़ा। शांतिपूर्ण होने का उदाहरण यह था कि रास्ते में सैकड़ों दुकानें खुली हुई थीं। अमीनाबाद से चलकर लालबाग के बीच में हजारों दुकानें खुली हुई थी और कहीं पर कोई आपत्तिजनक घटना नहीं घटी। शांतिपूर्वक आगे बढ़ते रहे लालबाग में जब पहुंचे तो वहां पर अवरोध उत्पन्न करके रोकने का प्रयास किया गया। हमारी पार्टी पूरी तरीके से शांति और अहिंसा में विश्वास करती है। उन प्रदर्शनकारियों में तमाम स्वतंत्रता सेनानी, भू० पू० मंत्रिगण, विधायकगण और कांग्रेस पार्टी के नेता और पदाधिकारीगण भी थे। मैं महाबीर प्रसाद जी के साथ ही आगे था। वहां कहा गया कि आप लोगों को विधान भवन नहीं जाने देंगे। मैंने कहा कि मैं तो विधान सभा का सदस्य हूं मुझे जाने का अधिकार है मुझे जाने दीजिये अध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिये हैं और उनके निर्देश के तहत मुझे वहां जाने का अधिकार है। लेकिन राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सरकार ने, जो मदान्ध हो गयी है, वहां लोगों ने कहा कि हम अध्यक्ष के आदेश का पालन नहीं करते हैं अध्यक्ष के ऐसे बहुत से आदेश होते हैं हम आपको नहीं जाने देंगे।

(सत्ता पक्ष की ओर से 'यह झूठ है' की आवाजें)

श्री प्रमोद तिवारी–

जिनकी झूठ से पैदाइस होनी है, वह झूठ ही समझेंगे।

मान्यवर, ऐसा प्रदर्शन शांतिपूर्वक कभी नहीं हुआ था उस प्रदर्शन में जब हम लोग वहां तक पहुंचे तो माननीय मुख्य मंत्री जी के इशारे पर पुलिस ने रोक लिया और आगे जाने नहीं दिया कहा गया कि यह अस्थायी जेल बन गयी है लालबाग में और यहीं पर गिरफ्तारी दे दीजिये। हम लोगों ने सोचा कि जेल में जाना चाहिये लेकिन जैसे ही जेल में जाने के लिये आगे बढ़ने लगे, अकारण बर्बर लाठी चार्ज कर दिया गया और उसमें तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को चोटें आयीं शर्म आनी चाहिये इस सरकार को, इनके कांस्टेबिलों ने महिलाओं पर लाठी से प्रहार किया, यह मैंने देखा है। यह बात आपने अखबारों मे जरूर पढ़ी होगी। मान्यवर, जिस समय हमारा जुलूस अहिंसात्मक ढंग से चल रहा था, हम जेलों मे जा रहे थे उस समय लाठी चार्ज किया गया तो इस लाठी चार्ज का उस समय कोई औचित्य नहीं था। मान्यवर, यह जुलूस कल्याण सिंह की असफलताओं के खिलाफ था, जो महंगाई बढ़ी थी,

उसके खिलाफ था, छात्रों पर जो अत्याचार हुए थे उसके खिलाफ था, जो खाद की बात कर रहे हैं और जो केन्द्र ने खाद दे रखी है और उसे यह सरकार आज ब्लैक में बेच रही है, उसके खिलाफ था, बिजली के बढ़े हुए दामों के खिलाफ था, इटवा कांड के खिलाफ था, राम कोला में जो किसानों पर अत्याचार हुआ था उसके खिलाफ था तो इन सब असफलताओं के विरुद्ध यह जुलूस था और उस पर इन्होंने अकारण ही लाठी चार्ज करवाया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है । उसमें प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाबीर प्रसाद जी स्वयं मैं और श्री नरेश अग्रवाल जी थे उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया और उसमें हमें चोटें आयीं । मान्यवर, अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस समय सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ...

(व्यवधान)

अगर इनमें जरा भी शर्म है तो यह चुप हो जायें । मान्यवर, मैं इनकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार का लाठी चार्ज हुआ वैसा कभी नहीं हुआ होगा । जलियावाला बाग के समान लाठी चार्ज हुआ । चारों ओर से घेरकर हम लोगों पर लाठी चार्ज किया गया उसमें कई भूतपूर्व मंत्री थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन लोगों को गम्भीर चोटें आयीं । वहां पर एक पत्रकार ने जब अतिरिक्त जिलाधिकारी, श्री दिवाकर त्रिपाठी से पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया था एक लाख इक्तालीस हजार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जुलूस शांतिपूर्वक था वहां पर लोग इसलिये आये थे कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे । तो इस सरकार ने अमानुषिक कार्य किया है । यह एक अत्यंत गम्भीर मसला है, यह लोकतंत्र की हत्या है । इन्होंने यह कार्य करके अपने फासिस्ट चेहरों को उजागर कर दिया है । इनका अहिंसा, लोकतंत्र और न्यायपालिका में कोई विश्वास नहीं रह गया है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इनके इशारे पर लाठी चार्ज नहीं हुआ है तो उसकी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करा दें और इस कल्याण सिंह की सरकार का इस्तीफा ले लें ।

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि समस्त कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करवा दें । यदि आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं घायलों की सूची मेरे पास है, उसको पढ़ना चाहता हूं । एक बात राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से कहना चाहता हूं कि इनके आदरणीय नेता दीन दयाल उपाध्याय के नाम से एक सरकारी अस्पताल है, वहां से इन्जरी रजिस्टर मंगवा लें और उसमें देख लें । हमारे पार्टी के अध्यक्ष, श्री महाबीर प्रसाद जी, स्वयं मुझे और माननीय विधायक, श्री नरेश अग्रवाल को चोटें आयीं हैं वह उसमें अंकित हैं । अगर यह समझते हैं कि यह कांग्रेसजनों पर लाठी चार्ज कराकर हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं तो यह इनकी भूल है । हम लोगों की यह परम्परा रही है, जैसा कि गांधी जी ने और इन्दिरा गांधी जी ने कहा था कि हम लोगों की चाहें जान चली जायें पर हम लोग आखिरी समय तक लड़ेंगे तो हम उन्हीं परम्पराओं का निर्वाह कर रहे हैं । तो मान्यवर, आप इसकी ज्यूडिशियल जांच करवा दें ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि इस सदन की यह परम्परा रही है कि जो देखकर आता है उसकी बात सच मानी जाती है और यह जो कहेंगे सुनी सुनायी बात कहेंगे । एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन विधायकों को चोट लगी है अगर वह कुछ कहना चाहें तो उनकी बात भी सुनने की कृपा करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन् एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, यही हाल भारतीय जनता पार्टी का हो गया है । तो मान्यवर, राष्ट्रमाता इन्दिरा गांधी के जन्म दिन पर, इन्हें तो राजमाता ही याद होगी, हम कांग्रेसजनों ने इस संकल्प के साथ यह प्रदर्शन किया ।.....

वन एवं पर्यावरण मंत्री (डा० सरजीत सिंह डंग)–

कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं और इन्दिरा जी को राष्ट्रमाता कहने लगे हैं तो यह बात ठीक नहीं है, थोड़ा सोच विचार करके बोलें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

यह 12 बजे के बाद बोल रहे हैं, इनको सुन लिया जाय । तो मान्यवर, जिस प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, उसमें हमारा संकल्प यह था कि हम शान्ति में विश्वास करते हुए, इस विवेकशून्य, नेत्रविहीन सरकार की 16 महीने में प्रदेश की जनता के साथ की गयी ज्यादतियों को उजागर करेंगे, इसकी सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी को दी गयी थी । मान्यवर, इटवा में मुकीम भाई ने एस० डी० एम और कालाबाजारियों के खिलाफ आवाज उठाई तो मुकीम भाई को बन्द कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

जबकि मान्यवर, इनकी पार्टी के दो-दो विधायक जिप्पी तिवारी और मित्तल ने एस० डी० एम० से जो व्यवहार किया ....

श्रीं अध्यक्ष–

यह विषयान्तर है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं मिसाल इसलिये दे रहा हूं क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अन्तर है, इन्होंने दो तरफे मानक की नीति अपनाई है । श्रीमन् लोकतंत्र में प्रदर्शन करना मना नहीं है । यह सही है कि वहां धारा 144 लगी थी । आप सी० आर० पी० सी० पढ़ लें, उसमें है कि यदि 5 से ज्यादा व्यक्ति हैं तो 144 लागू होती है । लेकिन मैं तो विधायक था और अकेले जाना चाहता था, हमको रोकने का कौन सा अधिकार इनको मिल गया । मैं अपने दायित्व का निर्वाह करने जा रहा था, उस पर भी रोक दिया । मान्यवर, मैंने छात्र जीवन से लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन हम हाफ पैन्ट पहन कर नहीं लड़े हैं, हमने लाठी पकड़ी नहीं, लाठी खाई है । कांग्रेस का जन्म ही लाठी से हुआ है । श्रीमन् इस लाठी में हमारे बुजुर्ग कांग्रेसजन मारे गये, महिलायें मारी गयीं, सत्यता की जानकारी आप अखबारों की फोटो देखकर कर लें । मैं एक बात चेतावनी के साथ कहना चाहूंगा कि यदि आज न्यायिक जांच की घोषणा नहीं की गयी, दोषी कर्मचारियों को दंडित करने की घोषणा नहीं की गयी तो राजेन्द्र गुप्त जी, यदि परसों तक छुट्टी नहीं की गयी तो कल अवश्य छुट्टी मिलने वाली है । हम कांग्रेसजन शान्ति में विश्वास करते हैं, हम अशान्ति में विश्वास नहीं करते, इसलिये मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि न्यायिक जांच की घोषणा करवायें तथा दोषी कर्मचारियों को दंडित करायें ।

श्री अमरेश चन्द्र पांडेय–

मान्यवर, मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । अभी राष्ट्र माता की बात आई, उस पर मुझे कोई बहस नहीं करनी है, लेकिन देश ही नहीं, अपितु विदेश की सबसे बड़ी महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी थीं । इस बात को समाजवादी लोग भी मानते हैं और बड़े-बड़े नेताओं ने उन्हें बड़ा नेता माना है । खुद इन लोगों ने इन्हें मां दुर्गा माना है, अटल बिहारी बाजपेयी के भाषण इसके साक्ष्य हैं, उन्होंने इन्हें उपाधि दी थी । उन्हीं इंदिरा जी के जन्म दिन पर कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हमने जो आयोजन किया था इस प्रदेश के सवालों को लेकर किया था । मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं । आपके पीछे पूज्य बापू जी का चित्र लगा हुआ है । हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ तो उसके बाद महात्मा गांधी जी ने हिन्दुस्तान की जनता को यह अधिकार दिया कि जनता के सवालों को लेकर सरकार के विरुद्ध हम खड़े हो सकते हैं, अनशन कर सकते हैं और सत्याग्रह कर सकते हैं । परन्तु हमारे शांतिपूर्ण

आन्दोलन पर इस सरकार ने लाठी चार्ज करवाया । इससे हमारे संवैधानिक अधिकारों पर चोट हुई है और महात्मा गांधी जी की भावनाओं के विपरीत कार्य हुआ है । हमारी पार्टी के कई माननीय सदस्य घायल हो गये । श्री प्रमोद तिवारी जी घायल हुए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री महाबीर प्रसाद जी घायल हुए, श्रीमती मोहिसिना किदवई जी घायल हुईं, श्रीमती शीला दीक्षित जी घायल हुईं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घायल हुए । इन्हीं स्वंतत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग व बलिदान के वजह से ही आपको आज इस कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । इसलिये मान्यवर, मेरी आपमे मांग है कि इस पर आप न्यायिक जांच कराने के आदेश देने का कष्ट करें ।

* श्री सुधीर–

मान्यवर, संविधान के तहत किसी भी दल को सरकार के खिलाफ जन समस्याओं के निवारण हेतु शांतिपूर्ण ढंग से आन्दोलन करने का अधिकार प्राप्त है । इसी क्रम में कांग्रेस दल ने 19 नवम्बर को झंडे वाला पार्क से एक प्रदर्शन का आयोजन किया और जो शांतिपूर्ण ढंग से विधान सभा की तरफ को आ रहा था । यह बी० जे० पी० की सरकार जो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है और छात्र विरोधी है, ने अपने ताकत के बल पर हमारे प्रदर्शन को दबाने का प्रयास किया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस के द्वारा बर्बर लाठी चार्ज करवाया और उसे रोका गया, जिससे कांग्रेस के कई लोगों को चोटें आईं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी चोटें आईं । इसलिये आपका संरक्षण चाहते हुए, निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से लोकतांत्रिक परम्पराओं को पुलिस के बल पर रोकने का जो कुचक्र सरकार ने किया उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय और सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय । साथ ही आप यह भी आश्वासन दें कि इस तरह के कदम भविष्य में नहीं उठाये जायेंगे ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, श्री प्रमोद तिवारी जी ने इस आदरणीय सदन को बहुत सही जानकारी दी कि जिस समय प्रदर्शनकारी चले तो उनको बाबू महाबीर प्रसाद जी ने, जिनका मैं भी स्वयं सन्मान करता हूं, सबसे प्रतिज्ञा करवाई थी कि कोई भी अनुशासनहीनता नहीं करेगा । परन्तु मुझे दुख हैं कि बाबू महाबीर प्रसाद जी के निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह झूठ है । इसे हम कैसे सुन लें ?

श्री अध्यक्ष–

आप ही की बात को सब लोग सुनें, यह कैसे हो सकता है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।

(नारे लगाते रहे)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं । मैं अब यह सोच रहा हूं कि यदि किसी विषय पर एक पक्ष कोई बात करता है परन्तु दूसरा पक्ष बात नहीं सुनता तो पहले पक्ष ने जो बात कही है, उसे मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा । आपने सही कहा या गलत परन्तु दूसरे पक्ष की भी तो बात सुननी चाहिये । दूसरे की बात न सुनना तो अनुचित बात है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह जो बोलें, सच बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अगर सच्चाई का ठेका कुछ ही लोगों ने ले लिया है तो हम मजबूर हैं । मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं । उसके बाद जैसा आपका निर्देश होगा, उसका पालन होगा । तो यह तय हुआ था कि झंडा वाले पार्क में सभी प्रदर्शनकारी जो सम्पूर्ण प्रदेश से आये हैं एकत्रित होंगे उसके बाद जुलूस बनाकर दयानिधान पार्क आयेंगे और वहां पर सभा करेंगे तो इस वादे पर अनुमति दी गयी थी (व्यवधान) हमें इस बात पर दुख है कि माननीय महावीर प्रसाद जी के निर्देशों का पालन नहीं हुआ । माननीय प्रमोद तिवारी जी का कहना है कि दुकानें खुली थी कोई लूट पाट नहीं हुई तो उस दिन वृहस्पतिवार था (व्यवधान)

(समय 3 बज कर 20 मिनट)

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं यह बताना चाहता हूं यह कह रहे है कि वृहस्पतिवार को अमीनाबाद बन्द रहता है लेकिन हजारों लोग फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप सुन लें आपका कहना है कि वृहस्पतिवार को पगडंडी पर दुकानें लगाते हैं हम आपकी बात को मान लेते हैं । यह शासन कल्याण सिंह जी का है वह जमाना लद गया जब नागपुर की घटना हुई आपने सुना होगा आज जनता स्वयं जागरूक हो गयी है प्रदर्शनकारियों का साहस नहीं कि इन भोले भाले लोगों को लूट लें, उनकी दुकानों को लूट लें । (व्यवधान)

आगे दया निधान पार्क के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं माननीय तिवारी जी को स्मरण होगा यह निर्णय हुआ है जो कांग्रेस सरकार के जमाने का है कि इस विधान सभा के आस पास के परिसर में कितनी दूरी तक प्रदर्शनकारी नहीं आयेंगे, यह आपका ही निर्णय था । तो दया निधान पार्क में आने के बाद वहां पर लगे बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया तो उस प्रयास में किसी के जूते या पैर फंस गये और गिर पड़े और उसमे किसी को चोट भी आई हो वहां पर किस तरह से व्यवहार किया मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो उसमे चोट आई होगी । मान्यवर, वहां पर उस समय जो ड्यूटी पर लोग थे उन्होंने चेतावनी दी, मना किया और कहा कि आपने सभा कर ली है, भाषण दे दिये है अब आप श्रीमान जी आगे न जायं हमारे कर्मचारी और अधिकारी विवश थे उनको गिरफ्तार करना पड़ा । तो उस पर यह कहना कि कल्याण सिंह जी के निर्देश पर हुआ यह गलत है माननीय कल्याण सिंह प्रदेश की नीतियां बताते हैं, व्यवस्था बताते हैं यह हमारा काम नहीं है कि उसका पालन कैसे हो किसी के कल्चर में मुख्य मंत्री का यह काम रहा होगा कि वह रोज-रोज की घटनाओं के

सम्बन्ध में डिक्टेशन दे । मान्यवर, हमारी जानकारी है कि उसमें इतनी उग्रता आ गयी कि तोड़-फोड़ शुरू हो गयी बसे आदि आज भी देखी जा सकती है । संयम से नहीं रोका होता तो स्थिति और बिगड़ जाती। हमने भी प्रदर्शन किये हैं, उनका जेल जाने का कार्यक्रम रहा होगा, हम भी जेल गये हैं । जेल जाने का सर्टिफिकेट चाहते हैं तो वह दे देंगे । पांच छः हजार लोगों का कीर्तिमान बनाना चाहते हैं तो वह सर्टिफिकेट ले सकते हैं । आप करें कि जनता के दुख दर्द के बारे में शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं तो आज सरकार के विरुद्ध कोई असंतोष नहीं है । आपकी बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने के बाद भी थोड़े लोग आये तो इसमें हम क्या करें । अब हम संख्या कैसे बढ़ा देते । इसलिये जो हुआ उसकी स्थिति स्पष्ट किया । जो तय हुआ था उसका आप लोगों ने अनुपालन नहीं किया । इसलिये इसमें न कोई न्यायिक जांच और न सी० आई० डी० जांच की ही आवश्यकता है । इस प्रकार कार्यस्थगन प्रस्ताव का कोई आधार नहीं बनता है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जबसे सदन बना है तबसे यह परम्परा रही है कि नेता विरोधी दल या अन्य नेताओं को आप सुनते हैं लेकिन इस मामले में एक बयान वह दे रहे हैं तो दोषी हैं और दूसरी तरफ जो इधर से बयान आ रहा है वह भुक्तभोगियों का है जो हमने बरदाश्त किया है उसको कह रहा हूं, इसलिये इसमें एक चीज हो सकती है या तो उनका कथन सत्य है या हमारा कथन सत्य है, इसलिये इसमें न्यायिक जांच कराना आवश्यक हो गया है । मान्यवर, आप इसकी न्यायिक जांच करवा लें और यदि उनका कथन सत्य हो जायेगा तो हम त्यागपत्र दे देंगे अन्यथा वह इस्तीफा दें ।

मान्यवर, मैं वह चित्र दे सकता हूं जो इनकी पुलिसजनों ने निर्दोष महिलाओं और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं पर लाठियां बरसायी हैं, इसलिये इसकी न्यायिक जांच करायें जिससे सच्चाई सामने आ जाये । मैं संसदीय कार्य मंत्री को बताना चाहता हूं कि यह शांतिप्रिय दल है और इस पर आप द्वारा चलाई गयीं लाठियां ही आपके कफन की तैयारी हैं । जिस तरह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है उससे आपकी सरकार नहीं चल पायेगी और आपकी सरकार नहीं रहेगी । इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच करवायें और अधिकारियों का ट्रान्सफर करने के निर्देश दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इसकी न्यायिक जांच अवश्य करायें जिससे दोषी लोगों को दण्ड मिल सके ।

श्री अध्यक्ष–

यह अधिकार मुझे नहीं है ।

(श्री सोमांश प्रकाश जी का नाम पुकारने पर)

(व्यवधान)

आप लोग बैठ जायें । मैंने सोमांश प्रकाश जी का नाम पुकार लिया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप मेरी मांग नहीं मान रहे हैं, इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, आज प्रदेश का और सारे देश का जो महत्वपूर्ण विषय है, उस पर आपने निदेश दिया था, जोकि प्रदेश की गम्भीरतम समस्या है यानी जो अयोध्या का सवाल है । आपने उसके बारे में निदेश दिया था कि उसको प्राथमिकता के आधार पर हम ले लेंगे । इस पर नेता विरोधी दल के हस्ताक्षर हैं । इस सदन में प्रश्नकाल में (व्यवधान) हम इस पर आपकी व्यवस्था का इन्तजार कर रहे थे और इससे पूरा प्रदेश संबंधित है और इससे बड़ा कोई सवाल हो ही नहीं सकता है, इसलिये आपको तो इसको पहले लेना चाहिये था ...

श्री अध्यक्ष–

कुछ छोटे छोटे मामले प्रश्न और हैं पहले उनका निस्तारण हो जाये । अभी एक मामला आपका है । उसमें तो समय ज्यादा लगेगा ।

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, मेरी सूचना गन्ने के ऊपर थी, उसका नम्बर कब आएगा ?

श्री अध्यक्ष–

मैं उसको एक-एक करके पढ़ दूंगा । जरा आप प्रतीक्षा कर लीजिये ।

श्री सोमांश प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश की एक महत्वपूर्ण और गम्भीर समस्या की और आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस समय पूरे प्रदेश के किसानों पर बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रही है । उसके उपयोग के खाद की कीमत इतनी बढ़ गई है कि वह बाजार से उसे नहीं खरीद पा रहा है । इसी तरह डीजल की कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसको सिंचाई का पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है । इस तरह से आज किसानों की लूट हद दर्जे की हो रही है और उनके उत्पादन की कीमत कतई बढ़ी नहीं है । इस पर आप कहेंगे कि यह तो केन्द्र सरकार का विषय है । किन्तु आपकी इस प्रदेश में सरकार है और आपको किसानों का जनादेश मिला है । इसलिये आपको प्रबन्ध करना चाहिये । आज उसे खाद मिल नहीं रही है और खाद की कीमत इतनी ज्यादा है कि वह खाद खरीद नहीं पा रहा है और जो मिल भी पा रही है (इस समय 3 बजकर 38 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।) वह उसे बाजार में मिलावटी खाद मिल रही है । आपके गोदाम आज खाली पड़े हैं। इसलिये आप ऐसी व्यवस्था करें–चाहे सब्सिडी दें या प्रदेश सरकार अन्य कोई प्रबन्ध करे । किसी भी तरह का ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये, जिससे किसान अपनी रवी की फसल में खाद डाल सके । खाद आज जब उसके पहुंच के बाहर हो रहा है तो आने वाले उत्पादन पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा । इससे खाद्यान्न की यानी अनाज की कीमत बढ़ेगी । जब ज्यादा पैदावार नहीं होगी तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी इससे प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान होगा । इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि यह जो लोक महत्व का प्रश्न है इस पर जनहित में चर्चा करा ली जाय, सारे विषयों को रोक कर । इस विषय पर पूर्ण तरीके से ध्यान दिया जाय ।

(श्री स्वामी नाथ यादव के खड़े होने पर "व्यवधान")

श्री रामगोविन्द चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष जी यह जो सूचना दी गई है, इस पर अभी मुझे भी कहना है.....

श्री उपाध्यक्ष–

जो सूचना दी गई है, उस पर जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, मै उनके नाम ले रहा हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मैंने इस पर आपके यहां लिखकर दिया था और जब नेता विरोधी दल ने तय कर दिया कि.....

श्री उपाध्यक्ष–

देखिये, यह आपके और नेता विरोधी दल के बीच का मामला है ।

श्री विजय सिंह राणा–

खाद के मामले में हमने भी दिया है ।

नेता, विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

ठीक है मान्यवर, राणा जी ने भी दिया है और लाल जी वर्मा ने भी दिया है, आप इनको भी दो-दो मिनट सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इसके बाद जैसा कि आज सुबह तय हुआ था, वह जो संविधान का उल्लंघन हुआ है अयोध्या में, वहां पर एक विस्फोटक स्थिति सरकार ने पैदा कर दी है । उस समय यह तय किया गया था सर्वप्रथम इसको ही लिया जायेगा । मेरा कहना है कि इसके बाद में आप अयोध्या मसले को ले लेंगे। श्री विजय सिंह राणा और श्री लाल जी वर्मा दोनों के नाम हैं ।

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

राणा जी आप कृपया बैठ जायं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आपने सबको सुन लिया है । खाद के संबंध में मेरी भी सूचना है । मुझे भी इसमें दो मिनट सुन लीजिये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, विजय सिंह राणा जी को भी सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष-

श्री स्वामी नाथ यादव जो, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप कृपया बैठ जायं ।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस वर्ष किसानों के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति गुजरी है । यह शायद आज से पहले स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई थी । जब किसान अपने खेतों में बीज डालने के लिये तैयार खड़ा था और अपनी वर्ष भर की कमाई को उसमें लगाने जा रहा था । जैसा कि आप स्वयं किसान हैं और किसान के दुःख दर्द को अच्छी तरह से समझते होंगे कि रबी की फसल की जो कमाई होती है वह उसे खरीफ की फसल मेंऔर खरीफ की फसल की जो सारी कमाई थी वह उसे रबी की फसल में लागत के रूप में लगाने जा रहा था । मान्यवर, किसान खेत तैयार करके बीज बोने जा रहा था वह खेतों में खड़ा था कि डीजल और खाद के दाम बढ़ा दिये गये । उसके पीठ में पीछे से छुरा भोंक दिया गया । यह बात सही है कि इसके लिये केन्द्र की सरकार अपने में जिम्मेदार है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से जो कर्ज हिन्दुस्तान लेता है तो उसके बदले में यह अनुबन्ध देना पड़ता है कि खाद की कीमत नहीं बढ़ने देंगे लेकिन कर्जा जब चुकाने की बारी आती है तो यह कीमत बढ़ा दी जाती है ।

जब हमारे चौधरी साहब हुआ करते थे तो वह कहते थे कि जो कर्जा हिन्दुस्तान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से लेता है उसका भार किसानों को वहन करना पड़ेगा । इससे पहले जो हुआ होगा वह मैं नहीं जानता लेकिन आज जरूर यह सामने स्थिति नजर आ रही है कि कीमतें बढ़ी हैं उससे साफ जाहिर है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर केन्द्र सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा । यह आज कोई नई बांत नहीं है । जब केन्द्र में खाद के दाम बढ़ायें जाते थे तो प्रदेश सरकार इतनी ही छूट बढ़ाकर पुराने रेट पर खाद उपलब्ध कराया करती थी

इस प्रदेश की सरकार ने जो किसानों की सरकार है, किसानों के साथ बड़ा विश्वासघात किया है, जब किसान खेत में बीज डालने के लिये तैयार खड़ा था तो इसने उसकी पाठ में छुरा भोंका है । कोई छूट नहीं दी गई है । दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है कि खाद पुराने रेट पर विक्रेताओं के पास जमा थी । काले बाजार में खुलेआम पुलिस और प्रशासन की सहायता से खाद बिकवाने का काम किया गया है । मैंने अपने यहां हैडक्वार्टर में पुलिस प्रशासन से बात की तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त की । पुरानी खाद नये दाम पर बेची जा रही थी । इसलिए मान्यवर, किसानों के सामने दोहरी व्यवस्था खड़ी हो गयी है । बिजली, खाद और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं । किसान खेतों में फसल पैदा करने के लिए खड़ा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री विजय सिंह राणा–

ऐसी स्थिति में प्रदेश की सरकार को छूट देकर खाद पुरानी कीमत पर उपलब्ध करानी चाहिए । किसान खून के आंसू रो रहा है । किसान की आज दयनीय स्थिति हो गई है । आप जानते हैं कि किसान की वर्ष भर की रोजी-रोटी पढ़ाई लिखाई और सारा का सारा खर्चा इसी फसल पर निर्भर करता है । फसल बोने के लिए किसान खेत में खड़ा हुआ है तो सरकार ने कीमत बढ़ा दी । वह खाद का प्रयोग कम कर रहा हैं क्योंकि उस खर्चे को वहन करना उसके वश के बाहर होगा । किसान पूरी मात्रा में फसल को खाद नहीं दे पाएंगे । खाद न देने की स्थिति में पूरा राज्य उत्पादन की स्थिति में नीचे गिर जाएगा और राष्ट्रीय क्षति होगी । श्रीमन्, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इस पर चर्चा कराई जाए ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने जो समस्या खड़ी है मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि खरीफ की फसल समाप्त हो गई किसानों के घर में खरीफ की फसल का एक दाना नहीं रहा सूखे से प्रदेश तबाह है और सरकार ने राहत का कोई कार्य नहीं किया । खाद के दाम इस तरह से बढ़ा दिए जिसकी कोई सीमा नहीं है । बड़ी विडम्बना है अब आप कहेंगे कि केन्द्र की सरकार की वजह से बढ़ गया । गांव में एक कहावत होती है "सास पतोहू का झगड़ा" तो इनका सास पतोहू का झगड़ा है । इन दोनों की मिलीभगत से किसान तबाह हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि कि बिहार में सूखा था माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार सूखा और खाद पर किसानों को राहत नहीं दे सकी । मैं आपके सामने गर्व से कहना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव की सरकार ने पूरे बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया और जो खरीफ की फसल बरवाद हुई उस पर लगी

लागत को माफ किया इसके साथ-साथ शेरे बिहार लालू प्रसाद यादव ने घोषणा कर दी कि खाद के दाम हमारे प्रदेश में नहीं बढ़ेंगे ।

मैं जानना चाहता हूं कि किसान के नाम पर आप बैठे हैं आपको सदन में एलान करना चाहिए कि एक भी पैसा खाद पर नहीं बढ़ेगा अगर यह तथ्य आपको सत्य न लगे तो आप जानकारी करा लें । आप बिहार की सरकार से पता करा लें कि राहत दिया है कि नहीं । उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के बढ़े मूल्यों को सब्सिडी के रूप में दे । अनर्गल बातों से कोई लाभ नहीं है । जो ग्रामीण क्षेत्रों से माननीय सदस्य चुनकर आए हैं वह इस बात को जानते हैं कि इससे बड़ा मुद्दा और कोई नहीं है । माननीय चौधरी चरन सिंह जी किसानों के मसीहा थे । माननीय कल्याण सिंह जी भी किसानों के मसीहा के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

संक्षिप्त करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की तरह से यह बढ़ें हुए मूल्यों को दें । किसानों को कोई राहत नहीं है । कौन सी नीति खाद के लिए सरकार अपना रही है । यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का मामला है कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर नियम–56 में इसको स्वीकार कर लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय लाल जी वर्मा के बोलने से पहले आपसे आग्रह करता हूं कि दो-दो मिनट विभिन्न दलों के नेताओं के बोलने का अवसर दें यह ठीक है कि उनका नाम दिया नहीं गया है लेकिन चूंकि खाद का मसला अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है इसलिये इसमें सबको दो-दो मिनट देने का कष्ट करें।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश जिसके प्रतिनिधि भारत की संसद में बैठते हैं । इस बात को हम भी और आप भी किसी न किसी मंच से उठाते हैं, कहते हैं । यह देश, प्रदेश किसानों का है और किसानों में से ही यहां लोग चुनकर आते हैं यह प्रदेश तो सूखे से पीड़ित रहा ही लेकिन पूर्वांचल का सारा भाग सूखे से पीड़ित रहा है । मैंने इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष जी से भी कहा था । पूरा किसान तबाह है धान का एक भी दाना नहीं हुआ ।

मुख्य मंत्री जी से भी कहा गया कि आप सारे प्रदेश को सूखा ग्रस्त घोषित कर दें । पूर्वांचल के किसानों के हमदर्द बनते हैं । किसानों के पक्ष में बोलें तो मैं आपके साथ हूं । लेकिन मुख्य मंत्री ने कहा कि हम पूरे प्रदेश का दौरा कर चुके हैं हर जगह हरा ही हरा है और प्रदेश को सूखा ग्रस्त घोषित नहीं किया गया । आज खाद का भाव बढ़ा है किसान तबाह है । केन्द्र की सरकार जिम्मेदार है, इसको हम स्वीकार करते हैं । लेकिन यह भी तो सच है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कम से कम बगल की सरकार बिहार से ही सबक ले लालू प्रसाद यादव ने अपने प्रदेश को सूखा पीड़ित घोषित कर दिया और यह भी कहा कि अगर केन्द्र की सरकार ने खाद के दाम बढ़ाये तो उस दाम को हम बिहार में नहीं बढ़ायेंगे । आपने प्रदेश को तो डांडी मारना सिखाया है । आपने किसानों का हमदर्द बनने का नाटक किया । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है अतः सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कर लें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी की सलाह लेकर सबसिडी देने की घोषणा करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इस समय रबी की बुआई का समय है और प्रदेश के किसानों को मुख्यतः तीन बातों की जरूरत है। खाद, बीज और पानी। खाद के दाम इतने बढ गये हैं कि किसान खरीदने में असमर्थ है। एक बोरा अगर किसान गेहूं बेचता है तो उससे पचास किलो खाद नहीं मिलती है। किसानों के खेत में जो धान सूख गया है उसको भी मजदूरी से कटवा रहा है। खेत खाली कराने में भी पैसा लग रहा है। जहां तक पानी की बात है नहरें बन्द हो गयीं हैं। सफाई के नाम पर 80 प्रतिशत ट्यूबवेल खराब पड़े हैं।

किसान आज तिहरी मार से पीड़ित है। अभी कांग्रेस के अमरेश चन्द पाण्डेय बोल रहे थे। एक कहावत है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस सरकार ने खाद के दाम बढ़ा कर, गेहूं का आयात करके किसानों को मौत के मुंह में धकेल दिया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप है कि अगर कांग्रेस की सरकार यह पापी लोग किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं तो अगर यह सरकार अपने को किसानों की हितैषी कहती है तो अपने तरफ से खाद पर सबसिडी देकर इनके पाप को धो दें। लेकिन इस सरकार ने वह काम नहीं किया और किसान आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पिस रहा है। मेरा आग्रह है कि किसानों को खाद पर सबसिडी दी जाय, सिंचाई की सुविधा दी ज़ायें और सूखा राहत कार्य चलाये जायें। किसानों का जो धान सूख गया है उस पर जो पानी का लगान गया है उसको वापस इस सरकार को ले लेना चाहिये। केन्द्र सरकार ने यदि खाद के दाम बढ़ा दिये हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी तरफ से सबसिडी दे ताकि किसान को सस्ते मूल्य पर खाद उपलब्ध हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस पर चर्चा करवायें।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, माननीय सोमांश जी द्वारा जो यह कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा गया है उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाद के दाम बढाने से पूरे प्रदेश में एक भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है। खाद के दाम केन्द्र सरकार ने बढ़ायें हैं इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे मार्केट से खाद गायब हो गयी है। इसका परिणाम यह हुआ कि सब्जियों, दलहन के लिये खाद मिल नहीं रही है। खाद न मिलने के कारण पूरे प्रदेश में हजारों कुन्टल खाद्यान्न कम पैदा होगा। विशेष रूप से आलू की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। केन्द्र की सरकार ने दाम बढ़ाये और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को बढ़ावा देकर, खाद की काला बाजारी करायी जिसके कारण चन्द व्यापारियों की तिजोरियां भरती चली गई लेकिन किसान का चेहरा सूखता चला जा रहा है आज पूरे प्रदेश में भयंकर समस्या पैदा हो गई है। आज खाद किसी दाम पर नहीं मिल रही है। मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं, वहां की कुछ कोआपरेटिव सोसाइटियों पर तो खाद अब आयी है वह भी थोड़ी मात्रा में आयी है। पूरे जिले में किसी दाम पर सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, पुटाश नहीं मिल पा रही है। यह सरकार व्यापारियों की तिजोरियां भरने का काम कर रही है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पर आज की कार्यवाही को रोककर चर्चा करायें ताकि पूरे प्रदेश के किसानों को कम पैसे पर खाद मिल सके।

(श्री हरिवंश सहाय, श्री सुरेन्द्र नाथ एवं श्री यदुनाथ सिंह का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अब अगली सूचना ले रहा हूं।

छठी सूचना, सर्वश्री रेवती रमण सिंह, स्वामी नाथ यादव, विजय पाल सिंह तोमर, दीना नाथ सिंह यादव, विजय पाल सिंह, जागेश्वर प्रसाद, सैय्यद कासिम हसन, विश्वनाथ, माया राम शास्त्री, सुरेन्द्र सिंह, राम गोविन्द चौधरी, देवेन्द्र पाल सिंह, नरेन्द्र सिंह भाटी, इम्तियाज अहमद, राम लखन वर्मा की जनपद फैजाबाद में 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में कार्य सेवा शुरू किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जो नियम 311 में सूचनाएं दी गयी थीं.....

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत जो भी सूचनाएं दी गयी थीं, उनको निरस्त किया जा चुका था, उन्हें कार्य-स्थगन के साथ नहीं जोड़ा गया था, इसलिए हम बाध्य नहीं है कि हम नियम 311 की सूचनाओं को कार्य-स्थगन के साथ लें।

(घोर व्यवधान)

बिजनेस ज्यादा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त कर दें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर-घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं अनुमति नहीं दूंगा।

कृषि एवं कृषि शिक्षा राज्य मंत्री (श्री रवीन्द्र शुक्ल)–

मैं राम गोविन्द जी को मान्यवर, बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने केन्द्र सरकार के ऊपर आक्षेप किया। मान्यवर, केन्द्र सरकार की उर्वरक नीति ने निश्चित ही उत्तर प्रदेश के किसानों की कमर को तोड़ दिया। यदि हमने समय रहते हुए कदम न उठाये होते, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार ने समय रहते हुए कदम न उठाये होते, तो उत्तर प्रदेश के उतपादन पर बहुत बड़ा असर पड़ता। मान्यवर, एक दम से अचानक जब उर्वरक के मूल्य में वृद्धि हुई, तो उससे प्रदेश का किसान ही नहीं, सारा जन-मानस ही उसके प्रभाव में आ गया, उसके कारण किसानों में उर्वरक खरीदने की स्थिति नहीं रही। मैं इतना बताना चाहता हूं कि 25 अगस्त, 1992 को जब उर्वरक नीति में परिवर्तन हुआ, तो उसके तुरन्त बाद माननीय मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार को 7 अक्टूबर, 1992 को एक पत्र लिखा कि अगर इस नीति में परिवर्तन नहीं किया, तो इसका कुप्रभाव पड़ेगा। लेकिन केन्द्र सरकार ने बार-बार हमारे आग्रह करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। 9 अक्टूबर, 1992 को मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस प्रकरण को बड़ी गम्भीरता से उठाया।

उसमें इस प्रकरण को उठाया और गम्भीरता से चर्चा हुई और कहा कि अगर नीतियों में परिर्वतन न किया गया तो उत्तर प्रदेश के किसान की ही नहीं, पूरे देश के किसान की कमर टूट जायेगी। उसकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जायेगी और यह केन्द्र की सरकार जो किसानों के हित की बात कहती है उसकी सारी नीतियां.....

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

एक-एक नीति किसान विरोधी है । उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये एक-एक नीति घातक सिद्ध हो रही है । इसके अतिरिक्त सारे लाइसेंस, उद्योगों के डि-लाइसेंस कर दिये गये हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के सामने जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप विषय से बाहर न जायें, अपनेको विषय तक ही सीमित रखें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदस्यों की जो चिन्ता है कि खाद मंहगे दामों पर मिल रही है, उनको प्रदेश सरकार ने कम करने के लिये क्या किया है ? इसके बारे में बताना चाहिये, यह पूरी राम कहानी बता रहे हैं । एक तो ऐसे ही देर हो रही है । राम कोला चले जायेंगे, तो उस पर चर्चा हो जायेगी । गंगा भक्त सिंह ने आपको अवसर दिया है । आप बता दें कि आपने क्या उपाय किये हैं, जिससे सस्ते दाम पर खाद उपलब्ध हो जाये । डी० ए० पी० और फासफेट के दामों के बारे में बता दें.

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जिस समय बिहार सरकार के पुल बांधे जा रहे थे उस समय यह बात कही जाती तो बड़ी प्रसन्नता होती । बिहार सरकार पर 45 प्रतिशत और 55 प्रतिशत गन्ने का मूल्य बकाया है ।.....

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इस तरह से सदन नहीं चलेगा । गंगा भक्त जी ने इनको खड़ा कर दिया है और यह इस तरह की बात कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

सारे जिलाधिकारियों को आदेश दिये गये है.....

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपने को विषय तक ही सीमित रखें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

हमारी सरकार ने, किसानों पर असर न पड़े, इसका व्यापक प्रबन्ध किया है ।

(व्यवधान)

श्री स्वामीनाथ यादव–

यह क्या बात कर रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

हमारी सरकार ने ऐसा व्यापक प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों पर भार न पड़े ।

(व्यवधान)

(सर्वश्री विजय सिंह राणा, स्वामी नाथ यादव, लाल जी वर्मो, पूरन प्रकाश, जी० एस० विनोद आदि कई सदस्य सदन के वेल में आ गये और नारेबाजी करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 10 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 4 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी 4 बजकर 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, आपसे आग्रह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम खाद जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा हो रही है और पूरा सदन और पूरा प्रदेश जिससे चिन्तित है । मैं आपसे चाहूंगा कि माननीय सदन में इतने महत्वपूर्ण सवाल पर अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री पधार गये और माननीय मुख्य मंत्री जी भी नहीं है और माननीय राज्य मंत्री जी बगल में बैठे हैं वह माननीय शुक्ला जी को सूली पर चढ़ा दिये हैं कि यह चढ़ जायं । मान्यवर, खाद जैसे मसले पर महत्वपूर्ण विषय पर कम से कम संसदीय कार्य मंत्री बोले ।

(व्यवधान)

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद के विषय में क्या अपना मस्तिष्क बनाया है, यह बता दें ।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्यों ने यह आकांक्षा जाहिर की है कि खाद पर कीमते बढ़ गयी हैं तो किसानों को बढ़ी हुई किमतों से राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या-क्या उपाय किये, यह आपके पास हो तो बिन्दुवार बता दें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, जैसे ही उर्वरक नीति में 25 अगस्त को परिवर्तन हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जितनी भी पुरानी खाद है उसका तुरन्त भौतिक सत्यापन कराया जाय और उसका भौतिक सत्यापन कराया गया उसके अनुसार जो हमारे गोदाम में और बाकी जगह की खाद थी उसके अनुसार डी० ए० पी० 1,22,269.171 मैट्रिक टन, एम० ओ० पी० 34,664.108 मैट्रिक टन, एस० एस० पी० 55.408.474 मैट्रिक टन, और एन० पी० के० 31.978.446 मैट्रिक टन थी ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह गलत कह रहे है, सीधे यह बता दें कि पहले खाद कितनी थी ? (घोर व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा–

मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री लाल जी वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, पहले मेरी बात सुन लें। जब भौतिक सत्यापन द्वारा पहले यह जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया और इतनी खाद पाई गई, उसकी व्यवस्था की गयी कि किसानों को वितरित हो इसके अलावा तुरन्त यह भी निर्देश दिये गये अधिकारियों को किसी भी तरह से आच्छादन कम न हो, इसकी व्यवस्था की और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारा आच्छादन हमारे लक्ष्य के अनुरूप हो गया है, हो रहा है और निशिचित रूप से हमारा उत्पादन अब घटने नहीं पायेगा, किसी भी तरह से व्यवस्था करके उत्तर प्रदेश का उत्पादन घटने नहीं देंगे और इसी क्रम में केवल इतना बताना चाहता हूं कि हमने 6,821 छापे डाले और उर्वरक नमूने 2637 लिये गये, जो मानक के अनुसार हमने नमूने प्राप्त किये हैं उनकी संख्या 382 और निरस्त प्रमाण-पत्रों की संख्या 107, निलम्बित प्रमाण-पत्रों की संख्या 63,एफ० आई० आर० दर्ज करायी गयी 56, जेल भेजे गये उर्वरक विक्रेताओं की संख्या 23 और 93 उर्वरक विक्रेताओं को जिनकी कुछ गड़बड़ी पाई गयी, उनको चेतावनी दी गयी।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

आप एकदम [x x x] बोल रहे हैं मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय सदन त्याग कर चले गये)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जो मान्यवर, 2612 उर्वरक बोरे पकड़े गये, उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से सर्तक है, यद्यपि केन्द्र सरकार की नीतियों ने किसानों को परेशान कर रखा है लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरह से उत्पादन घ्रटने नहीं देगी।

श्री विजय सिंह राणा–

यह बताया गया कि फलां जगह छापे मारे गये इतना कुन्टल बरामद किया गया। इनकी सच्चाई सामने आ जायेगी कि पुरानी खाद का पूरे प्रदेश में पिछला स्टाक कितना था छापे में उसमें कितना परसेंन्टेज पकड़ा गया। मान्यवर, सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि पुराने स्टाक का वेरिफिकेशन कराती कि पुरानी खाद स्टाक में कितनी मिली। यह किया नहीं। पुराना स्टाक कितना था और उसके अगेनस्ट छापा डालकर कितना पकड़ा ? आपने अभी तक कोई छूट किसानों को क्यों नहीं दी ?

श्री उपाध्यक्ष–

आपके बिन्दु आ गये जिन पर आप स्पष्टीकरण चाह रहे थे।

नोट: [x x x] यह अंश श्री अमरेश के अनुरोधानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, केन्द्र में हमारी सरकार थी प्रदेश में हमारी सरकार थी हमने छूट देकर पुरानी कीमतों पर किसानों को खाद उपलब्ध करायी थी । इन्होंने क्या ऐसा किया या नहीं ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मानयवर, खाद की उपलब्धता हमने सुनिश्चित कर दी है । जितने भी सहकारी गोदाम हैं और बाकी में, पहले यह था कि किसी भी सहकारी सोसायटी से खाद लेते थे तो केवल ऋण पर मिलती थी अब नीति में परिवर्तन कर दिया है अब वहां पर कैश पर भी मिलेगी । विभिन्न जनपदों में अलग-अलग जो खाद उपलब्ध है उसका ब्यौरा दे देता हूं, अगर आप चाहें ।

(व्यवधान)

अब पूरी बात सुन तो लें, मैं आपकी बात पर ही बता रहा हूं जिस समय उर्वरक नीति में परिवर्तन किया गया उसमें स्टाक वेरिफिकेशन कराया गया और उस भौतिक सत्यापन में जो पुराने रेट की खाद निकली वह मैंने बताया ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

खाद के मामले में तो इन्होंने कांग्रेस हाय-हाय कहना चाहिये वे यह कह नहीं रहे हैं ।

श्री बाबू राम यादव–

किसान को खाद में कितनी छूट दे रहे हैं और कब तक दे रहे हैं यह मैं जानना चाहता हूं ?

(व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं केवल इतनी ही बात जानना चाहता हूं कि क्या जो पिछली सरकार ने सबसिडी किसानों को दी थी वह यह सरकार देगी कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष–

जो बिन्दु माननीय राणा जी एवं माननीय स्वामीनाथ यादव जी नें उठाये हैं यदि माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है तो कृपया बता दें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, वर्तमान परिस्थितियों में जितनी अधिक से अधिक राहत किसानों को यह सरकार दे सकती है वह हम उसे उपलब्ध करायेंगे ।

(व्यवधान)

कतिपय सदस्यों का निष्कासन तथा वापसी

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य इस पर वैल में आ गये और नारे लगाने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया । किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य वैल में बैठे रहे)

जो माननीय सदस्य वैल पर बैठे हैं वह कृपया सदन छोड़ दें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, बड़ा ही सीधा प्रश्न माननीय विधायकों ने पूछा था । मै माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कृपया यह बता दें कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व सरकार की भांति खाद पर सबसिडी देगी या नहीं और जो छूट मिलती है वह देगी कि नहीं । अगर वह इस सवाल का उत्तर नहीं देते हैं तो यह हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया जो माननीय सदस्य वैल पर बैठे हैं, पहले वह अपने-अपने स्थानों पर चले जायें । मैं सदन छोड़ने का निर्देश वापस ले रहा हूं ।

(वैल पर बैठे माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर चले गये)

मैं सदन छोड़ने के निर्देश को वापस लेता हूं । माननीय मंत्री जी को यदि इसकी जानकारी है तो कृपया इन दो बातों का जवाब दे दें ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

कृषि एवं कृषि शिक्षा राज्य मंत्री(श्री रवीन्द्र शुक्ल)–

मान्यवर, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उत्पादन न घटे बाकी जो व्यवस्था हो सकती थी की गयी है लेकिन सबसिडी देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा–

यह किसानों के खिलाफ अत्याचार है मैं इसके विरोध में और मेरा दल इसके विरोध में सदन का त्याग करता है ।

(श्री विजय सिंह राणा अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसे कार्य स्थगन के रूप में अग्राह्य करता हूं और अगली सूचना लेता हूं जो अयोध्या प्रकरण पर है ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, अभी सुबह जब सदन में इस बात पर नियम-300 के अन्तर्गत चर्चा हो रही थी तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुना । मान्यवर, लग रहा था कि यह प्रदेश के मुख्य मंत्री का भाषण नहीं बल्कि हताशा और निराशा, हारे और थके हुए किसी नेता का भाषण हो रहा था । मान्यवर, यह भी नहीं लग रहा था कि मुख्य मंत्री इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं कि भाजपा पार्टी के मुख्य मंत्री हैं । मान्यवर, यह देश संविधान के तहत चलता है, इस देश की कुछ मान्य और सर्वमान्य परम्परायें हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि एन० आई सी० की बैठक में सभी दल भाजपा के खिलाफ लामबन्द करके गये थे इस बात से मुझे बड़ा अफसोस हुआ है । यह देश किसी भी पार्टी से किसी भी नेता से बड़ा है । चाहे वह भाजपा हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो या विश्व हिन्दू परिषद् हो । यह देश नहीं रहेगा तो आप जो वहां बैठे हो, जो संविधान की कसम खाकर यहां पर आये हो, तो आप भी दिखाई नहीं पड़ोगे । यह कहना बड़ा आसान है और जिस तरह का आप आचरण कर रहे हैं,

जिस तरह का वातावरण बना रहे हैं, देश की अखंडता को खतरा पहुंचा रहे हैं, मन्यवर, यह देश उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता । मैं आपसे पूछना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं, 28 अक्टूबर,1990 को, जब माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने दो महीने का समय मांगा, तो आपके राष्ट्रीय नेताओं ने, स्वयं कल्याण सिंह जी ने, सभी ने यह कहा कि 30 अक्टूबर, को सरकार गिरा दी जायेगी और गिरा दी गयी । मैं पूछना चाहता हूं, प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि 17 महीने हो गये और इन 17 महीनों में मन्दिर नहीं बना और मन्दिर बनाने का आपका इरादा भी नहीं है । मन्दिर हम लोग बनाना चाहते हैं....

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

नेता विरोधी दल जी, एक निवेदन कर दूं । इस विषय पर काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार ष्यक्त कर लिये हैं । इस पर आप संक्षेप में कहें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, संक्षेप में कैसे कर लूं । मैं तो केवल 2 मिनट के लिये बोला था । मैं वैसे भी जयादा बोलता नहीं हूं, लेकिन यह विषय ऐसा है, इस पर बोलना आवश्यक है । मान्यवर, हम मन्दिर बनायेंगे, लेकिन मस्जिद तोड़ कर नहीं, देश की अखंडता को तोड़कर नहीं, हम देश को एक करके मन्दिर बनाना चाहते हैं । भगवान राम सबके आराध्य हैं, चाहे इधर बैठे लोग हों, चाहे उधर बैठे लोग हों । भगवान राम का ठेका केवल आपने नहीं लिया है, आप ही केवल उनके लम्बरदार, ठेकेदार नहीं हैं। मान्यवर, आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि देश की अस्मिता रहेगी या नहीं । न्यायालय का आदेश चलेगा या नहीं । संविधान लागू होगा या नहीं ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह साबित कर दिया है कि वह कानून को नहीं मानते, न्यायालय को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते । तो मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि यह इस तरह की बात करेंगे, तो कश्मीर के जो अलगाववादी हैं, पंजाब के जो आतंकवादी हैं, जो देश की एकता, अखंडता में विश्वास नहीं करते, उनमें और आपमें क्या फर्क है ? आपमें और उनमें कोई फर्क नहीं है, आप उग्रवादियों की तरह आचरण कर रहे हैं और देश की अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं । आज सुबह पूछा गया कि आप उस ढांचे की सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं.....

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अगर नेता विरोधी दल के बोलते वक्त इनका यह आचरण रहेगा तो यह समझ लें कि इनका कोई भी मंत्री, मुख्य मंत्री यहां से बोलकर जा नहीं पायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सभी लोगों ने .....

(अत्यधिक व्यवधान होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यदि ऐसी ही स्थिति रही तो इनका कोई भी मंत्री व इनके मुख्य मंत्री बोलने नहीं पायेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मै कह रहा था कि माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने, सभी मंत्रियों ने व सभी विधायगण ने शपथ ली थी कि संविधान के अनुसार कार्य करेंगे । संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे और संविधान को तोड़ेंगे नहीं । जिस समय श्री कल्याण सिंह जी भाषण दे रहे थे, तो अभी कुछ दिन पहले दो माननीय विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित किये थे, मुझे लग रहा था कि आज वह स्वयं अपनी सरकार को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं और कुछ दिनों के बाद श्राद्ध की बेला आयेगी और हमें इस सरकार को विदाई देनी पड़ेगी । श्री कल्याण सिंह जी आप एकता परिषद की बैठक में नहीं गये । अगर आप इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हों तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले आप यहीं विपक्ष की एक बैठक बुला लें और एक सर्वमान्य रास्ता बना लें । परन्तु आप इसे मानेंगे नहीं । इन 17 महीनों में आपने क्या कार्य किया है ।

रामकोला जैसा काण्ड आपके समय हुआ, विद्यार्थियों के साथ विपरीत कार्य किया, सामान्य जनभावनाओं के विपरीत आपने कार्य किया, चाहे वह कोई पार्टी हो, उसकी भावना के विपरीत कार्य आपने किया और साथ ही बुल्डोजर के साथ आपने जनता का जो स्वागत किया है, जिस दिन आप इस गद्दी से हटेंगे, तो उसी दिन आपको अपनी स्थिति का पता मिल जायेगा । आप बारबार यही कहते है कि आप चाहे कितने ही लामबन्द हो जाइये । मैं कहता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है । आप याद करें, 1992 के पहले आप मात्र 5-6 फीसदी वोट के मालिक थे परन्तु धार्मिक भावनाओं को भड़का कर, बिना किसी कार्यक्रम के, बिना किसी नीति के और बिना किसी सिद्धान्त के आपने जो यह सरकार बनाई है, मैं कहना चाहता हूं कि यह सिद्धान्त बिहीन सरकार है, दिशा विहीन सरकार है और जो नीतिहीन व दिशाहीन सरकार होती है, वह ज्यादा दिन तक चल नहीं सकती है । आपका नाम भी लिख दिया जायेगा परन्तु कुछ दिनों के बाद आपका नामोनिशान तक नहीं रह जायेगा । बहुत से लोग मुख्य मंत्री होते हैं, सरकारें आती हैं और जाती हैं, उसी प्रकार आपका नाम भी उसी में लिख दिया जायेगा । जो रास्ता आपने चुना है, इस रास्ते से आप पीछे हटिये । यहीं प्रदेश की सभी पार्टी के लोगों को बैठाइये और उन्हीं से विचार-विमर्श कर लीजिए । यदि आप उनकी बात नहीं मानते हैं तो अगर आप गड्ढे में कूदना ही चाहते है तो कूदिये । आप कहते हैं कि दंगा फैलाने की साजिश कर रखी है । दंगे के बारे में तो हम नहीं जानते परन्तु उन्मादकता फैलाने वाले तो आप ही हैं । जिस दिन आप इस्तीफा देंगे, हमें मालूम है कि आप प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने का काम करेंगे । आज इससे पूरा प्रदेश ही नहीं देश भी सशंकित है, भयातुर है परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि यह आग केवल प्रदेश तक हीं सीमित नहीं रहेगी अपितु अन्तर्राष्ट्रीय जगत में इसका प्रभाव पड़ने वाला है । हम चाहते हैं कि यह सरकार पांच साल तक चले, हम चाहते है कि आप पांच साल तक मुख्य मंत्री बने रहे । इसलिए हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानों, संविधान का पालन करो । इस देश को टुकड़ों-टुकड़ों में बांटने का काम आप मत करो ।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री तिवारी जी आप कृपा करके मेरी बात सुन लें । आप तो इस पर पहले ही अपना विचार व्यक्त कर चुके हैं । मैं चाहता था कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर लिए हैं, वह इस पर दुबारा न कहें । चूंकि माननीय नेता विरोधी दल उस समय संक्षेप में बोले थे, इसलिए उन्होंने आग्रह किया, और मैंने उन्हें अपनी बात कहने की इजाजत दे दी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इतनी देर में तो मैं अपनी बात समाप्त कर लेता । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दो बातें पूछना चाहता हूं ।

मान्यवर, जब आज से चार महीने पूर्व कार सेवा हो रही थी तो आपने एक आदेश जारी किये थे जिलाधिकारी फैजाबाद को उसे रोकने के लिये व्यापक प्रबन्ध किये जायं, न्यायालय के आदेश मानने के लिये व्यापक प्रबन्ध किये जायं तो क्या उस आदेश को वापस ले लिया है या वह आज भी चल रहा है ।

दूसरा बिन्दु जिस समय कार सेवा चल रही थी उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि आप इसको रोक दें तो आप प्रधान मंत्री के सामने गिड़-गिड़ाये थे और कहा था कि प्रधान मंत्री जी हस्तक्षेप करें और अपना प्रभाव इस्तेमाल करें और किसी तरह से कार सेवा को रोक दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गयी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैंने दो बिन्दु उठाये हैं एक तो यह कि जो जिलाधिकारी को आदेश दिये थे कार सेवा रोकने के व्यापक प्रबन्ध किये जायं क्या वह वापस ले लिये हैं । यदि वापस ले लिये हैं तो किन परिस्थितियों में लिये हैं । दूसरी बात जिस समय आपने प्रधान मंत्री जी से आग्रह किया था और प्रधान मंत्री जी के अनुरोध पर कार सेवा रुकवा दी तो उसके रोके जाने के बाद आज कौन सी परिस्थितियां आ गयी हैं जो उसे आपको बदलना पड़ा । जब हिटलर हुआ था उसका भी मिजाज ऐसा ही था जैसा भारतीय जनता पार्टी का आज है लेकिन इतिहास साक्षी है ऐसे लोगों का मिट्टी में मिलने के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं है । उन्होंने सब के लामबन्द होने की बात कही । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं यहां पर जितने दल बैठे हैं उनका स्वतंत्रता संग्राम में कहीं न कहीं से सम्बन्ध रहा है, उन्होंने उसके लिये खून पसीना बहाया है । जब धर्म निरपेक्षता की बात आयेगी उसको खतरा होगा तो उसकी रक्षा के लिये जरूर सब लामबन्द हो जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

एक बात और जानकारी के लिये कहना चाहता हूं चाहे कितने ही दल हों जब कोई सरकार मदान्ध होकर देश द्रोह की तरफ बढ़ेगी तो सब हम लोग क्या पूरे प्रदेश के लोग एक होकर इस सरकार को उखाड़ देंगे इसमें कोई संदेह नहीं ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, यह लोग बोल चुके हैं हमें मौका नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब इसको समाप्त करें, मैं इस सूचना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

यह जो चर्चा हुई इसमें हम लोग नहीं बोल पाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने निवेदन किया कि इस प्रकरण पर काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं माननीय नेता विरोधी दल की आकांक्षा थी अपनी भावना व्यक्त करने की इसलिये उनको अवसर दिया

कुंवर रेवती रमण सिंह–

दो-दो मिनट सब को सुन लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, हम लोगों को भी समय दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठें।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह जो विषय आज हम लोगों के सामने प्रस्तुत है यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई विषय इस सरकार के लिये नहीं हो सकता है। मैं यह मान कर चल रहा हूं कि वह दुर्भाग्य नहीं आना चाहिये, इस प्रदेश को वह दिन देखने को न आये कि दो दिन के बाद हम सब निलम्बन की स्थिति में हमें या हम लोग अपने को भूतपूर्व विधायक लिखना शुरू कर दें। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि 17 महीनों के काम के बाद अगर यह दिन आता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। आपने निर्माण कार्य शुरू करने के लिये 24 जून को भी और 25 जून को भी कहा हम लोगों ने विश्वास कर लिया। श्रद्धा और विश्वास पर राम मंदिर जरूर बनाये। किसी की 100 वर्ष की जिन्दगी काम नहीं आती है और किसी की चार दिन की जिन्दगी भी 100 काम आती है।

17 महीने का समय कम नहीं होता है, यदि इसमें निर्माण कार्य शुरू होता तो राम लला तक पहुंच गये होते। लेकिन आपके दिमाग में मंदिर बनाने की बात थी ही नहीं।

मान्यवर, मंदिर बनाना बुरा काम नहीं है। हमारे विरोध पक्ष के लोगों ने कहा है कि हम मंदिर बनाने के पक्ष में है। लेकिन दुख है, आप संविधान के जानकार हैं, उसकी गोपनीयता की शपथ लिया है और शपथ लेकर यहां आये हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि पैरा-मिलीटरी फोर्स यहां आ गयी। आप उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और इस सम्बन्ध में आपसे नहीं पूछा गया। प्रधान मंत्री, श्री राव को इस सम्बन्ध में आपसे पूछना चाहिए था।

लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां सदन में तय हुआ था कि विधायकों को सुविधाएं दी जायेंगी वह भाजपा विधायकों के बराबर होंगी। क्या हमको विश्वास में लेकर 50 लाख रुपये भाजप

विधयकों को देने की बात आपने किया ? इसलिये जब आप हम विधायकों से, प्रतिपक्ष से बात नहीं कर सकते हैं तो प्रधान मंत्री के सामने तो अहम मसला आ गया है, आपने ललकार दिवस मना दिया है, तो क्या जो सरकार होगी वह आपका मुंह ताकेगी ? संविधान बड़ी चीज है, आपको उसकी धज्जियां उड़ाने का कोई हक नहीं है । हाई कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के फैसले को आप नहीं मानेंगे, तो क्या उसके ऊपर भी कोई फैसला होगा ? इसलिये संविधान की रक्षा और सुप्रीमकोर्ट के आदेशों का आप पालन करें ।

मान्यवर, तीसरी बात कहना चाहता हूं , मेरा व्यक्तिगत मत है, कि राष्ट्रीय एकता परिषद् में आपको जाना चाहिए था । आपने दो बैठकों में देख लिया कि निर्णय नहीं हो पाया लेकिन तीसरी बैठक में आपको जाना चाहिए था, आपको पूर्वाभ्यास नहीं होना चाहिए था कि तीसरी बैठक में भी फैसला नहीं होगा । यदि वहां आप गये होते तो हमारे जैसा व्यक्ति आपके पक्ष में बोलता ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें । कृपया समाप्त करें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

मान्यवर, मैं नेता सदन से कहना चाहता हूं कि यह महला गम्भीर है, इसलिये इस पर विचार करके कार्यवाही करें और संविधान की रक्षा का जो दायित्व आपने लिया है उसकी रक्षा करें । सुप्रीमकोर्ट के आदेशों का आप पालन करें जिससे विवादित ढांचा सुरक्षित रह सके । लेकिन लगता है कि विवादित ढांचा सुरक्षित नहीं रह पाएगा और संविधान की रक्षा नहीं हो पायेगी ।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, दुर्भाग्य से मैं जिला फैजाबाद, अयोध्या का रहने वाला हूं जहां का यह प्रकरण चल रहा है। मान्यवर, [× × ×] आज भाजपा की सरकार को फिर रामलला के मंदिर को बनाने की चेतना आयी है । हमारे नेता श्री कैलाश नाथ सिंह ने जो कहा है वह ठीक है कि ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो वहां मंदिर बनाने के पक्ष में न हो । मेरा विचार है कि यहां पर 5 करोड़ ऐसे लोग है जिनके पास खाने के लिए अनाज रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है ।

मान्यवर, पहले जरूरी यह होता है मंदिर बनाने के पहले कि जिनके पास खाना नहीं है उनके लिए खाने की समुचित व्यवस्था हो और जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है उनके लिए घर की व्यवस्था हो। यह जिस मंदिर की बात करते है, उसे न सर्दी असर कर सकती है न गर्मी असर कर सकती है । मंदिर तो (घोर व्यवधान)

एक सदस्य–

वह पत्थर की मूर्ति है और पत्थर की मूर्ति ही रहेगी ।

(घोर व्यवधान)

:–[× × ×] यह अंश की कार्यवाही से अध्यक्षानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम कुमार शुक्ला–

ऐसे लोगों को जो दूसरे की आस्था को चोट पहुंचाते है कतई बोलने नहीं देना चाहिए....(घोर व्यवधान)

श्री राम लखन वर्मा–

आज हमारे फैजाबाद में भुखमरी के कगार पर गरीब आदमी खड़ा है, उसकी ओर ध्यान न देकर सरकार बेमतलब के मुद्दे उठाकर प्रदेश में दंगे करवाना चाहती है। आज वहां मिट्टी का तेल 10 रुपये लीटर मिल रहा है, क्योंकि वहां पर लोगों के मनों में भारी दहशत व्याप्त है। जो वहां कारसेवकों के पहुंचने की बात है, उसको लेकर पूरे जिले में एक दहशत लोगों के दिल में समाई हुई है। यह सरकार केवल मन्दिर बनाने की दीवानगी में [x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप समाप्त करें।

श्री राम लखन वर्मा–

जो लोग इस देश के न्यायालयों का सम्मान नहीं कर सकते हैं, उनको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसी सरकार तुरन्त बरखास्त कर देनी चाहिए। (घोर व्यवधान) इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, हम सबको अपनी आस्था के अनुसार.....

(श्री राम गोविन्द चौधरी और श्री इम्तियाज अहमद के एक साथ खड़े होने और बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जाइये, इस तरह सबको अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार उपासना पद्धति को स्वीकार करने का अधिकार है, पूजा पाठ करने का अधिकार है और जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उसमें किसी को ऐसी कोई बात करने का अधिकार नहीं है, जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचे। मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने अपना जो भाषण दिया है, उसमें कई ऐसे शब्द प्रयोग किये गये हैं, जिनको यहां पुनः दोहरा कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। उसमें दो-तीन शब्द ऐसे आये हैं, जिनको देखने के बाद आप स्वयं समझेंगे कि उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही देख लूंगा और यदि उसमें ऐसा कुछ होगा तो उनको निकाल दिया जायेगा अब मद संख्या 24।

(घोर व्यवधान)

(कुंवर रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

अभी राजेन्द्र जी बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सूप बोले तो बोले, लेकिन वह चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हैं। यह लोग ऐसी भाषणबाजी और भाषा में कहां से कम हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस पर और अभी माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। उनके भी विचार आप सुन लें उसके बाद दूसरा कोई कार्य लेने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी बात मेरी समझ में नहीं आयी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरा कहना है कि जिनके हस्ताक्षर हैं, उन्हें भी आप सुन लें तब आगे चलें। इतनी तेज रफ्तार से चलेंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

अब अगर इसी में उलझे रहेंगे तो आगे कैसे काम होगा ? पांच बज गये हैं। पांच बजे तक सदन चलना था।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री इम्तियाज साहब एक मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री इम्तियाज अहमद–

मान्यवर, एक मिनट में कैसे काम चलेगा। कम से कम दो मिनट तो दीजिये। मान्यवर, आज इस सम्मानित सदन के सामने नियम-56 की जो नोटिस है, उसमें मेरे भी हस्ताक्षर हैं। यह विषय अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 6 तारीख से विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों संगठनों का कार सेवा शुरू करने का ऐलान है। इस ऐलान से पूरे देश भर में एक चिन्ता व्याप्त है और भय भी फैला हुआ है। रोज पेपरों में निकली खबरों से भी एक बार फिर से दंगों का वातावरण पैदा हो गया है। पूरे प्रदेश में एक बार फिर दंगों की श्रृंखला शुरू हो जायेगी सड़कें खून से रंग जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री इम्तियाज अहमद–

मान्यवर, निश्चित रूप से इस बारे में जो प्रतिक्रिया पहले देखी जा चुकी है उसी तरह से विश्वव्यापी होगी । हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने नापाक इरादों से उसे बरबाद कर रही है । संविधान के चलते हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए । यह कहते हैं कि आस्था का प्रश्न है इस मल्टी रिलिजिस सोसाइटी में एक की आस्था की बात करते हैं जब दूसरे की आस्था टूटती है तो न्याय की बात होती है । न्याय पालिकाओं की बात करते हैं न्याय पालिका की बात नहीं मानते हैं उसकी अवमानना करते हैं रोज खुलेआम पेपर में बयान देते हैं कि हम न्याय पालिका की बात नहीं मानेंगे ।

मान्यवर, यह संविधान को नहीं मान रहे हैं, उसके नियमों को नहीं मान रहे हैं । मेरा तो खुला चार्ज है कि इस सरकार ने अपने बनने के पहले दिन से ही संविधान की अवमानना की है । यहां जो शपथ लेते हैं और दूसरी ओर अयोध्या में जाकर संविधान विरोधी शपथ लेते हैं । मान्यवर, इस तरह से हमारे सामने न्याय पालिका और संविधान की रक्षा का प्रश्न खड़ा हो गया है । अगर संविधान की रक्षा नहीं हो सकेगी तो हमारा समाज विखंडित होगा इस प्रदेश में साम्प्रदायिकता तेजी के साथ बढ़ेगी। आज जब माननीय कल्याण सिंह जी बोल रहे थे तो उसमें वह जोश खरोश नहीं था जो पहले हुआ करता था आज जब वह बोल रहे थे तो दो बार उनकी जबान लड़खड़ाई थी । जो यह पहले दिखाई देते थे वैसे नहीं लग रहे थे क्योंकि उनमें डर समाया हुआ था इनका जमीर न जाने कहां सो गया है । इन्हें एन० आई० सी० की कमेटी में जाना चाहिए था । हमें इस संबंध में सोचना चाहिए और सबको विचार करना चाहिए संविधान की अवमानना न हो इसके बारे में विचार करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है यह इस देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक मिनट और दो मिनट में हम समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं । कुछ राजनीतिज्ञों ने इसी तरह से देश और प्रदेश को बंटवारे के कगार पर खड़ा किया है । विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के लोग न्याय पालिका की बात नहीं मान रहे हैं । फिर आगे प्रदेश में ऐसा होगा कि सरकार की बात पुलिस मानने से इन्कार कर देगी । आई ए० एस० अधिकारी इनकी बात मानने से इन्कार कर देंगे। उस वक्त प्रदेश और देश की स्थिति क्या होगी आप कहते हैं कि दो मिनट में खत्म कर दें । एक मिनट में खत्म कर दें कितने घमंड से कहते हैं कि न्याय पालिका की बात नहीं मानते हैं । अगर उत्तर प्रदेश की जनता वसूली का विरोध कर दे कि हम आपकी बात नहीं मानते हैं उस समय देश और प्रदेश की स्थिति क्या होगी तो ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए । गम्भीरता से इसको लें । सदन में चर्चा करावें राष्ट्रीय एकता परिषद् में माननीय मुख्य मंत्री जी को विश्वास नहीं है तो शान्तिपूर्ण ढंग मे इसका हल निकाल सकते हैं और विपक्ष और सरकार के लोग बैठ कर बात कर लें । यह उत्तर प्रदेश की समस्या है इसका शान्तिपूर्ण हल निकालें ।

श्रीमन्, यह साधारण बात नहीं इस प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा होने जा रहा है । कल प्रदेश में अराजकता फैल जायेगी । कल पुलिस के अधिकारी बगावत कर देंगे । आई० ए० एस० अधिकारी बगावत कर देंगे । पी० सी० एस० अधिकारी बगावत कर देंगे । तो न्यायालय की बात से इन्कार करना न तो प्रदेश के हित में है, न देश के हित में है न किसी राजनीतिक पार्टी के हित में है । इन्हें हिन्दू भावनाओं को भड़का कर वोट मिल जायेंगे लेकिन प्रदेश में अराजकता आ जायेगी । मुख्य मंत्री को हिम्मत करनी चाहिए और बाबरी मस्जिद की रक्षा करनी चाहिए । श्रीमन्, उधर के लोग कह

रहे हैं कि कारसेवा में चलें तो हम कहना चाहते हैं कि पूरा विपक्ष कार सेवा में जाने को तैयार है यह घोषणा कर दें कि बाबरी मस्जिद की रक्षा करेंगे । यह राम मन्दिर भव्य रूप में बना लेंगे । अगर यह बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए तैयार हैं तो हम सब लोग इस बात की शपथ लेते हैं कि कार सेवा में भाग लेंगे । आज जनतंत्र के ऊपर प्रश्नचिह्न लग गया है । जनता के जीवन पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रश्नचिन्ह लग गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

संक्षिप्त करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप इस उन्माद से, इस साम्प्रदायिक उन्माद से इस प्रदेश को बचावें । आप मुख्य मंत्री रहें या न रहें आप कल फिर चुनाव जीत सकते हैं लेकिन साम्प्रदायिक आधार पर चुनाव जीतना दूसरी बात है और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करना दूसरी बात है । संविधान की अवहेलना करना दूसरी बात है आज संविधान, न्यायपालिका, जनतंत्र और लोकतंत्र खतरे में है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा करावें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

मैं कार्यस्थगन के रूप में इसे अग्राह्य करता हूं और शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं । शेष सूचनायें राम अवतार शाक्य जी और भारत सिंह रावत जी की सूचना है । इनकी सूचनाओं की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं । बाकी सूचना अग्राह्य की गई । अब मैं मद संख्या–24 लेता हूं ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह शासन का रवैया है । जो मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया है उसके विरोध में मैं सदन का अपने दल के साथ बहिष्कार करता हूं ।

(नेता विरोधी दल श्री रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री प्रमोद तिवारी–

हम भी इनके समर्थन में अपने दल के साथ सदन का त्याग करते हैं । (श्री प्रमोद तिवारी भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

हम भी इनके समर्थन में सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री इम्तियाज अहमद–

मान्यवर, हम भी सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री इम्तियाज अहमद भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के अनुपूरक अनुदानों की समेकित मांगों के सम्बन्ध में मतदान

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य, नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, 1992-93 की अनुपूरक अनुदान है । यह 29 अक्टूबर को इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है । इसकी प्रतियां मिल चुकी हैं और किन उद्देश्यों और किन कारणोंवश हमने प्रस्तुत किया है इसकी जानकारी सदन को है ।

मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि आज दिनांक 24 नवम्बर, 1992को कार्य-सूची में मद संख्या–24 की उप मद संख्या–1(लगायत (66) में उल्लिखित अनुदान संख्या 2,4 लगायत 11,13 लगायत 18,21 लगायत 27,31 लगायत 37,39 लगायत 45,47,49 लगायत 53,55 लगायत 58,60,61,63,65,70 लगायत 73,77 लगायत 82,84,86, 89,92,94 और 95 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, अनुपूरक मांगों की पूर्ति के लिए, धनराशियां जिनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है और जिनका कुल योग 4 अरब 68 करोड़ 31 लाख 29 हजार रुपए है, से अधिक धनराशियां स्वीकृति की जायं ।

अनुदानों की मांगों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :–

[(1) अनुदान संख्या 2–आवास विभाग के अन्तर्गत 2,95,55,000रुपये की अनुपूरक मांग ।

(2) अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग ।

(3) अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)के अन्तर्गत 31,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(4) अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 3,79,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(5) अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 48,19,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(6) अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(7) अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(8) अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत 1,20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(9) अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 43,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(10) अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 15,19,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(11) अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायतीराज) के अन्तर्गत 4,24,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

नोट :– [ ] यह अंश सदन में पढ़ा नहीं गया ।

(12) अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 5.17.42.000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(13) अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1.33,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(14) अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 83.70.000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(15) अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 9547.76.00) रुपये की अनुपूरक मांग ।

(16) अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 20.24.48.000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(17) अनुदान संख्या 22–खेल विभाग के अन्तर्गत 1.76.59.000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(18) अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 1.60.08.000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(19) अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 15.53.87.000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(20) अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 42.000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(21) अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 12.99.04.000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(22) अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 1.04.12.000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(23) अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 2,40,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(24) अनुदान संख्या 32– चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 4.38.89.000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(25) अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 28.00.000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(26) अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 23.32.000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(27) अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 4.69.14.000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(28) अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 9.86.000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(29) अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 52,06,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(30) अनुदान संख्या 39–नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 1,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(31) अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 19,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(32) अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 7,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(33) अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 2,98,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(34) अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 5,05,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(35) अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 13,45,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(36) अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 42,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(37) अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 34,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(38) अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 5,53,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(39) अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 2,25,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(40) अनुदान संख्या 51– राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 32,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(41) अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 6,05,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(42) अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत के अन्तर्गत 46,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(43) अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 88,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(44) अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 49,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(45) अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 9,11,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(46) अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 5,58,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(47) अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत 1,39,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(48) अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(49) अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 18,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(50) अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 1.50,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(51) अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 1,58,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(52) अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राविधिक शिक्षा) के अन्तर्गत 13,67,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(53) अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,84,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(54) अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 7,46,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(55) अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 73,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(56) अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 1,21,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(57) अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 63,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(58) अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत 12, 21, 90,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(59) अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 5,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(60) अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 29,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(61) अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 10,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(62) अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 46,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(63) अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 52,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(64) अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 32,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(65) अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 59,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।

(66) अनुदान संख्या 95–उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत 19,82,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग ।]

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि आज दिनांक 24 नवम्बर, 1992 को कार्य-सूची में मद संख्या–24 की उप मद संख्या–1 लगायत 66 में उल्लिखित अनुदान संख्या 2,4 लगायत 11,13लगायत 18,21 लगायत 27,31 लगायत 37,39 लगायत 45,47,49 लगायत 53,55 लगायत 58,60,61,63,65,70 लगायत 73,77 लगायत 82,84,86,89,92,94 और 95 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए अनुपूरक मांगों की पूर्ति के लिए, धनराशियां जिनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है और जिनका कुल योग 4 अरब 68 करोड़ 31 लाख 29 हजार रुपए है, से अनधिक धनराशियां स्वीकृत की जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1992-93 का अनुपूरक) विधेयक, 1992

वित्त, संस्थागत, वित्त संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उ० प्र० विनियोग 1992-93 का अनुपूरक विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1992-93 का अनुपूरक) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग 1992-93 का अनुपूरक विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसकी प्रतियां बांटी जायं ।

(विधेयक की प्रतियां बांटी गई)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1992-93 का अनुपूरक) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (-1992-93 का अनुपूरक) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 व खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1992-93 का अनुपूरक) विधेयक, 1992

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

31 मार्च, 1993 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये –

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1992-93) का अनुपूरक) अधिनियम, 1992 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1992-93 के लिये 4,73,87,63,000 रुपये का निकाला जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1993 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 4,73,87,63,000 रुपये (चार अरब तिहत्तर करोड़ सतासी लाख तिरसठ हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2			3	
2	आवास विभाग	राजस्व	46,71	*44,49*	91,20
		पूंजी	2,48,84	..	2,48,84
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	1,00,00	..	..
		पूंजी	..	..	1,00,00
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	26,74	..	26,74
		पूंजी	41,86	*2,78*	7,44
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	3,44,83	..	3,44,83
		पूंजी	34,86	...	34,86

1	2			3	
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	5,38,00	..	5,38,00
		पूंजी	42,81,69	*3,07,75*	45,89,44
8	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	50,00	..	50,00
		पूंजी	..	..	..
9	ऊर्जा विभाग ..	राजस्व	10,00,00	..	10,00,00
		पूंजी	..	..	..
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	1,20,00	..	1,20,00
		पूंजी	..	..	..
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	10,00	..	10,00
		पूंजी	33,00	..	33,00
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम विकास)	राजस्व	15,19,44	*3,05*	15,22,49
		पूंजी	..	..	..
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	4,24,26	..	4,24,26
		पूंजी	..	..	..
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	4,80,04	..	4,80,04
		पूंजी	37,38	..	37,38

उत्तर प्रदेश विधान सभा

16	कृषि तथा अन्य संबंद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	20,35	..	20,35
		पूंजी	1,13,05	..	1,13,05
17	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	73,70	..	73,70
		पूंजी	10,00	..	10,00
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	85,28,73	*60,34*	85,89,07
		पूंजी	10,19,03	..	10,19,03
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	14,98	..	14,98
		पूंजी	20,09,50	..	20,09,50
22	खेल विभाग	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	1.76,59	..	1.76,59
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	1,60,08	..	1,60,08
		पूंजी	..	..	..

1	2		3		
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	15,53,87	..	15,53,87
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	42	..	42
		पूंजी	..	..	..
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	7,48,03	*1,43*	7,49,46
		पूंजी	5,51,01	..	5,51,01
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	1,04,12	..	1,04,12
		पूंजी	..	..	..
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	*60*	60
		पूंजी	..	..	..
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	2,40,00	..	2,40,00
		पूंजी	..	..	..
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	4,17,69	..	4,17,69
		पूंजी	21,20	..	21,20

उत्तर प्रदेश विधान सभा

33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	28.00	..	28.00
		पूंजी	..	..	..
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	5.50	..	5.50
		पूंजी	17.82	..	17.82
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	3.69.14	..	3.69.14
		पूंजी	1,00,00	..	1,00,00
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	9.86	4,26	14,12
		पूंजी	..	..	..
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	49,80,96	..	49.80.96
		पूंजी	2.25,92	..	2,25,92
39	नियुक्ति विभाग	राजस्व	1,11	..	1,11
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	राजस्व	19.91	25	20.16
		पूंजी	..	..	.

*भारित विनियोग से क्रम-संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	7,00,00	. .	7,00,00
		पूंजी	. .	. .	. .
42	न्याय विभाग	राजस्व	1,92,43	38,04	2,30,47
		पूंजी	1,05,68	. .	1,05,68
43	परिवहन विभाग	राजस्व	5,81	..	5,81
		पूंजी	5,00,00	..	5,00,00
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	20,00	..	20,00
		पूंजी	13,25,24	..	13,25,24
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	17,35	..	17,35
		पूंजी	25,00	..	25,00
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	65	..	65
		पूंजी	33,35	..	33,35
49	महिला एंवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	3,03,25	..	3,03.25
		पूंजी	2,49,79	..	2,49,79
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	1,45,80	..	1,45,80
		पूंजी	79,97	..	79,97
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	32,50,00	..	32,50,00
		पूंजी	..	..	..

52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	6,05,00	..	6,05,00
		पूंजी	..	..	..
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	46,05	..	46,05
		पूंजी	..	..	..
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	46,41	..	46,41
		पूंजी	42,14	..	42,14
56	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	16,11	*10,94*	27,05
		पूंजी	33,70	..	33,70
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	9,11,38	..	9,11,38
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	1,16,00	..	1,16,00
		पूंजी	4,42,01	..	4,42,01
60	वन विभाग	राजस्व	1,39,72	*31*	1,40,03
		पूंजी	..	..	..

1	2			3	
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	5,00,00	..	5.00.00
63	वित्त विभाग (कोषगाार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	18	88	1.06
		पूंजी	..	..	..
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	1,50	..	1,50
		पूंजी	..	..	..
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,58,95	..	1,58,95
		पूंजी	..	..	..
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	13,67,53	*1,43*	13,68,96
		पूंजी	..	..	..
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	1,45	..	1,45
		पूंजी	1,82,60	..	1,82,60
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	5,26.70	..	5,26.70
		पूंजी	2,20.27	..	2,20,27

77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	35.46	. .	35.46
		पूंजी	38.20	..	38.20
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	1.21.76	. .	1.21.76
		पूंजी	..	..	..
79	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	63.86	. .	63.86
	(समाज कल्याण)	पूंजी	..	..	..
80	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों	राजस्व	11,50.14	. .	11.50.14
	एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	पूंजी	71.76	. .	71.76
81	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	5,04	. .	5,04
	(जनजाति कल्याण)	पूंजी	..	..	..
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	29.39	*1,25*	30,64
		पूंजी	..	..	..
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	10.36	. .	10,36
		पूंजी	..	..	..

अतारांकित सभा

1	2		3		
86	सूचना विभाग	राजस्व	46,22	. .	46,22
		पूंजी	..	..	..
89	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	52,01	*3,44*	55,45
		पूंजी	. .	. .	. .
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	. .	*19,36*	19,36
		पूंजी	. .	..	..
92	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	9,50	. .	9,50
		पूंजी	22,50	. .	22,50
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	5,30	. .	5,30
		पूंजी	54,50	*55,74*	1,10,24
95	उत्तरांचल विकास विभाग	राजस्व	14,76,66	. .	14,76,66
		पूंजी	5,05,59	. .	5,05,59
	योग . .	राजस्व	3,09,49,19	*1,90,07*	3,11,39,26
		पूंजी	1,58,82,10	*3,66,27*	1,62,48,37
	कुल योग . .		4,68,31,29	*5,56,34*	4,73,87,63

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 व खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1992-93 का अनुपूरक) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1992-93 का अनुपूरक) विधेयक, 1992 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं, चूंकि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 1992 को पारित किया गया था और विधान परिषद् को पारेषित किया गया था, के संबंध में सचिव, विधान सभा द्वारा इस सदन को दिनांक 29 अक्टूबर, 1992 को संविधान के अनुच्छेद 197 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 150 के उप-नियम (1) के अधीन सूचना दी गयी है कि विधान परिषद् के समक्ष रखे जाने के पश्चात् 3 माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी उक्त विधेयक विधान परिषद् द्वारा वापस नहीं किया गया है,

अतः संविधान के उक्त अनुच्छेद और उक्त नियम 150 के उपनियम (1) की अपेक्षा के अनुसार मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992 उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पुनः पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है, चूंकि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992 को विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 1992 को पारित किया गया था और विधान परिषद् को पारेषित किया गया था, के सम्बन्ध में सचिव, विधान सभा द्वारा इस सदन को दिनांक 29 अक्टूबर, 1992 को संविधान के अनुच्छेद 197 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 150 के उप-नियम (1) के अधीन सूचना दी गयी है कि विधान परिषद् के समक्ष रखे जाने के पश्चात् 3 माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी उक्त विधेयक विधान परिषद् द्वारा वापस नहीं किया गया है,

---

† दिनांक 28-2-92 को पारित ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतः संविधान के उक्त अनुच्छेद और उक्त नियम 150 के उप-नियम (1) की अपेक्षा के अनुसार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992 उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

(माननीय श्री सुरेश प्रताप गांधी का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर ।)

उच्च शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) 1992, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड-2

(2) यह 31 मार्च, 1992 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 31–ग का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 31–ग में, उपधारा (4) में अंक और शब्द "31 मार्च, 1992" के स्थान पर अंक और शब्द "30 मार्च, 1992" रख दिये जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड-3

निरसन और अपवाद

3–उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1992 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1992

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड–3 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय–

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं०–11 सन् 1992 — "3–(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1992 द्वारा, यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं०–11 सन् 1992

उच्च शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। जो माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है, वह मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 3–(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1992 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड–3 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–1. प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–1. प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, और जैसा कि संशोधन हुआ है पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, और जैसा कि संशोधन हुआ है पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(मद संख्या 33 पर श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री स्वामी नाथ यादव तथा श्री सुरेश प्रताप गांधी का नाम पुकारे जाने पर, वे सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से खण्ड 6 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायगा ।

(2) यह 20 जुलाई, 1992 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

2–उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4–क में,– उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 4-क का संशोधन

(क) उपधारा (2–ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्–

"(2–ख) यदि ऐसे निर्माता का, जो उपधारा (1) के अधीन कर से छूट के लिये या कर की दर में कमी के लिये पात्र था, चाहे उसे कर से ऐसी छूट या कर की दर में कमी पहले दी गई हो या न दी गई हो, धारा 18 की उपधारा (1) के अर्थान्तर्गत व्यापार बन्द हो जाय, और यदि उसका उत्तराधिकारी कोई अन्य निर्माता होता है तो ऐसा उत्तराधिकारी निर्माता, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती निर्माता को दी गई या दी जा सकने वाली कर से छूट या कर की दर में कमी की असमाप्त अवधि के लिये ऐसे उत्तराधिकार के साठ दिन के भीतर इस धारा के अधीन कर से छूट या कर की दर में कमी के लिये उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त प्राधिकारी स्वविवेक से और अभिलिखित किए जाने वाले यथोचित और पर्याप्त कारणों से इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक के छह मास के भीतर दिये गये आवेदन-पत्र को ग्रहण कर सकता है ।

(ख) उपधारा (5) में,–

(एक) खण्ड (क) में, शब्द और अंक "30 सितम्बर, 1991" के स्थान पर शब्द और अंक "30 सितम्बर, 1992" रख दिये जायेंगे :

(दो) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे, अर्थात्–

"(ग) स्पष्टीकरण (1) में निर्दिष्ट किसी नई इकाई के सम्बन्ध में जहां उक्त स्पष्टीकरण (1) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट शर्तें उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित सुविधा की अवधि के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात्वर्ती किसी दिनांक को पूरी की जाती हैं तो खण्ड (ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित अवधि के केवल उस भाग के लिए, जिसकी संगणना उस दिनांक से, जिस दिनांक को उक्त खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हों, या 20 जुलाई, 1992 से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, ऐसी सुविधा की अवधि की समाप्ति तक की जायगी, किन्तु कोई निर्माता, जो खण्ड (ग), जैसा कि वह 20 जुलाई, 1992 के पहले था, के अधीन ऐसी सुविधा का पात्र था और उसने उक्त दिनांक के पूर्व ऐसी सुविधा के लिये आवेदन कर दिया था, तो वह उक्त खण्ड (ग) के अनुसार सुविधा का हकदार होगा ।

(घ) ऐसी नई इकाई के सम्बन्ध में, जिसमें वही माल निर्माण किया जाता हो, और जो किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के या उससे आसन्न स्थल पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई हो जो वर्तमान कारखाने या कर्मशाला में मालिक या भागीदार या अभिकर्ता या प्रबन्ध निदेशक या सम्प्रवर्तक निदेशक के रूप में या नियंत्री कम्पनी या समनुषंगी कम्पनी के रूप में हित रखता है, यदि वर्तमान कारखाने या कर्मशाला का उत्पादन आधारभूत उत्पादन से कम नहीं है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि वर्तमान कारखाने या कर्मशाला का उत्पादन आधारभूत उत्पादन से कम हो तो आधारभूत उत्पादन की मात्रा में ऐसी कमी पर नई इकाई के विक्रय घन कर लगेगा :

<u>स्पष्टीकरण</u>–संदेहों के निवारण के लिये एतद्द्वारा यह सपष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के अधीन कर से छूट या उस की दर में कमी की सुविधा 20 जुलाई, 1992 के पूर्व के किसी दिनांक से अनुमन्य नहीं होगी ।''

(ग) स्पष्टीकरण (1) में,–

(एक) शब्द ''किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है,'' के पश्चात आने वाले खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्–

''(एक) किसी वर्तमान कारखाने कर्मशाला के या उससे आसन्न स्थल पर किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित कोई कारखाना या कर्मशाला जिसमें वही माल निर्माण किया जाता हो, और ऐसा व्यक्ति उस वर्तमान कारखाना या कर्मशाला में मालिक या भागीदार या अभिकर्ता या प्रबन्ध निदेशक या सम्प्रवर्तक निदेशक के रूप में या नियंत्री कम्पनी या समनुषंगी कम्पनी के रूप में हित रखता है, यदि ऐसा वर्तमान कारखाना या कर्मशाला बन्द हो जाय, किन्तु जहां ऐसे कारखाने या कर्मशाला में उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक 19 जनवरी, 1985 के पूर्व पड़ता है, वहां इस खण्ड को ऐसा समझा जायगा मानों शब्द या उससे आसन्न, निकाल दिये गये थे, या

(दो) प्रतिबन्धात्मक खण्ड में खण्ड (चार) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात्–

''(चार) ऐसी इकाई को, जिसने स्पष्टीकरण (1) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट समस्त या कोई शर्त उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित सुविधा की अवधि के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात्वर्ती किसी दिनांक को पूर्ण कर ली हो, कर से छूट की अनुमन्यता के लिये उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित अवधि के केवल उस भाग के लिये नई इकाई माना जायगा जिसकी संगणना उक्त स्पष्टीकरण (1)के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरी करने के दिनांक से ऐसी सुविधा की अवधि की समाप्ति तक की जायगी ।''

(घ) स्पष्टीकरण (2) में खण्ड (ख) में, शब्द ''हित रखता हो'' के पश्चात् शब्द ''यदि ऐसा वर्तमान कारखाना या कर्मशाला बन्द हो जाय'' बढ़ा दिये जायेंगे ;

(ङ) स्पपष्टीकरण (5) में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा और 1 अप्रैल, 1990 को रखा गया समझा जायगा, अर्थात्–

''(ख) जिसके ऐसे माल के जो–

(एक) विविधीकरण की जाने वाली इकाईयों के संबंध में ऐसे उपक्रम द्वारा पहले निर्माण से भिन्न प्रकृति का हो ; और

(दो) विस्तार या आधुनिकीकरण की जाने वाली इकाईयों के, संबंध में ऐसे उपक्रम में आधारभूत उत्पादन से अधिक निर्मित किये गए हों;

उत्पादन का प्रथम दिनांक 31 मार्च, 1990 के पश्चात् किसी समय पड़ता हो।"

(च) स्पष्टीकरण (5) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा और 1 अप्रैल, 1990 को बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् –

"(6) इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद "आधारभूत उत्पादन" का तात्पर्य–

(क) पूर्ववर्ती पांच क्रमिक कर निर्धारण वर्षों में किसी एक वर्ष के दौरान प्राप्त अधिकतम उत्पादन;

(ख) अधिष्ठापित वार्षिक उत्पादन क्षमता का अस्सी प्रतिशत;

इनमें से जो भी अधिक हो, से है।"

धारा 8-क का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 8–क में, उपधारा (4) में, खण्ड (क) में शब्द "पांच रुपए" के स्थान पर शब्द "पचास रुपए" रख दिये जायेंगे और 1 अप्रैल, 1992 को रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 15 में, खण्ड (ग) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

5–(1) धारा 4 क की उपधारा (2–ख) के अधीन बिक्री कर कमिश्नर के समक्ष विचाराधीन कोई आवेदन पत्र इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को धारा 4–क के अधीन पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी को अन्तरित हो जायेगा।

(2) ऐसे अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस प्रक्रम से कार्यवाही प्रारम्भ करे जिस प्रक्रम पर आवेदन-पत्र इस प्रकार अन्तरित किया गया हो।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 1992

6–(1) उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, 1992 और उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1992 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 24 सन् 1992

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6, खण्ड 1.प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य सूची के मद संख्या–36 से 50 तक का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

मद सं० 36 से 50 तक स्थगित किया जाता है।

स्थगित की गई मदें निम्नलिखित हैं :–

36–निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुत किया जाना:–

<u>प्रस्तावक का नाम</u>	<u>संकल्प</u>
श्री सुरेन्द्र सिंह तथा श्री श्याम नरायन तिवारी।	यह सदन उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) अध्यादेश, 1992 का अननुमोदन करता है।

37–राजस्व मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय।

<u>प्रस्तावक का नाम</u>	<u>संशोधन का रूप</u>
श्री सुरेश प्रताप गांधी, श्री श्याम नरायन तिवारी तथा श्री स्वामीनाथ यादव।	उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

38–राजस्व मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय।

39–निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुत किया जाना :–

<u>प्रस्तावक का नाम</u>	<u>संकल्प</u>
श्री सुरेन्द्र सिंह	यह सदन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1992 का अननुमोदन करता है।

40–माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय।

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
श्री सुरेश प्रताप गांधी, श्री स्वामीनाथ यादव, श्री राम गोविन्द चौधरी तथा लालजी वर्मा ।	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

41–माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ।

42–न्याय तथा विधायी मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

"यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा 'भारत का संविधान' में प्रस्तावित संशोधन का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) के अन्तर्गत आता है, अनुसमर्थन करता है ।"

43–नियम 51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करने की सूचनाएं, यदि कोई हों ।

44 –जनपद आजमगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र अतरौलिया में शारदा सहायक नहरों में पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बलराम यादव द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 1992 को दी गयी सूचना पर, नियम 51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ।

45 –जनपद मऊ की तहसील घोसी के ग्राम मोलनापुर के भूमि मापन अभिलेखों में हुई गड़बड़ियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध मे श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 1992 को दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का वक्तव्य ।

46–जनपद गोरखपुर के जिला जनता दल संयोजक श्री गोमती प्रसाद की गोली मारकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरिवंश सहाय द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 1992 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ।

47–जनपद देवरिया में तिलक किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कम्हरिया, पड़री बाजार में कक्षा नौ व दस की पढ़ाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी नाथ यादव द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 1992 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य ।

48–जनपद इलाहाबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा मा० विधायकों की मासिक बैठक न बुलाये जाने के संबंध में श्री दिनेश चन्द्र सोनकर द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 1992 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ।

49–जनपद बांदा व परगना बांदा में केन नदी की कटान से लगभग 40 ग्रामों के पूर्णतः ध्वस्त होने, लगभग 26 लोगों के मरने, बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वासन एवं सहायता के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने के विषय में दिनांक 29 अक्टूबर, 1992 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 नत्थी (क) के संबंध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा दी गयी सूचना पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 49 के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा ।

50-केन्द्र सरकार की भांति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी अपने कर्मचारियों को दिनांक 1-7-92 से 83 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिये जाने के विषय में दिनांक 29 अक्टूबर, 1992 को पूछे गये अल्पसूचित, तारांकित प्रश्न संख्या-2 नत्थी (क) के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा दी गयी सूचना पर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

एक दो और विधेयक रह गये हैं, इनको भी ले लें, तो कृपा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब स्थगित कर दिया है ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
24-11-1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 19 पर)

परिशिष्ट "क"

क्र०सं०	(नाम)	अनुभाग का नाम
1	सर्व श्री छत्रपाल	श्रम अनुभाग-7
2	मोहन लाल	ग्राम्य विकास अनुभाग-5
3	महेन्द्र सिंह	लोक निर्माण अनुभाग-3
4	श्रीमती माया जगदीश	युवा कल्याण अनुभाग
5	मोहन सिंह टमटा	उद्योग अनुभाग–1
6	सुरेश चन्द्र–2	विधायी अनुभाग-1
7	राम स्वरूप बाल्मीकि	बाध्य प्रतीक्षा
8	राम कुमार प्रसाद	बाध्य प्रतीक्षा
9	राम भजन	आवास अनुभाग–6
10	भुइयांदीन	वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग–6
11	सुरेश चन्द्र धुसिया	ग्राम्य विकास अनुभाग–2
12	रामेश्वर दयाल	वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
13	महावीर प्रसाद	चीनी उद्योग अनुभाग–1
14	कुलवन्त	खाद्य तथा रसद अनुभाग-2
15	अशोक कुमार	नियुक्ति अनुभाग–2
16	ईश्वरी लाल टमटा	नियुक्ति अनुभाग–6
17	जय प्रकाश नारायण	पर्यावरण अनुभाग
18	राम प्यारे	नगर विकास अनुभाग–6
19	राम अवध	सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2
20	पुत्तूलाल दोहरे	नगर विकास अनुभाग-3
21	राम गुलाम	बाध्य प्रतीक्षा
22	पुरुषोत्तम दास	चिकित्सा अनुभाग-15
23	जगत राम	सांस्कृतिक कार्य अनुभाग
24	रामेश्वर	खाद्य तथा रसद अनुभाग–10
25	श्याम पति	परिवहन अनुभाग–2
26	श्रीमती कलावती कुरील	सचिवालय प्रशासन (लिखा) अनुभाग–1
27	सुरेश बाबू	नगर विकास अनुभाग-9
28	शहजादे लाल	आवास अनुभाग–5
29	नरेश बहादुर	सिंचाई अनुभाग-4
30	सुरजन	गृह (कारागार) अनुभाग–1
31	राम सजन	गृह (पुलिस) अनुभाग–6

क्र०सं०	(नाम)	अनुभाग का नाम
32	सर्वश्री अजीत प्रकाश	राजस्व अनुभाग–8
33	गंगा राम कुटार	महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1
34	राम रतन	गृह (पुलिस) अनुभाग–5
35	एस० आर० नागपाल	शिक्षा अनुभाग–3
36	श्रीकान्त राय	शिक्षा अनुभाग–8
37	गया प्रसाद	गृह (कारागार) अनुभाग–2
38	नरेन्द्र कुमार सिंह	पशुधन अनुभाग–2
39	नेक पाल वर्मा	चिकित्सा अनुभाग–2
40	राम धनी राम	सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1
41	गिरीश चन्द्र कठेरिया	वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–4
42	श्रीराम जयन्त	वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण) अनुभाग
43	बाबू लाल	विधायक कोष्ठक
44	वीरेन्द्र कुमार	खाद्य तथा रसद अनुभाग–5
45	राजेन्द्र कुमार	श्रम अनुभाग–4
46	भजन लाल	राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग–2
47	मूल चन्द्र कुरील	नियोजन अनुभाग–5
48	हजारी लाल	राजस्व अनुभाग–11
49	फत्ते लाल	गृह (बीजा) अनुभाग-4
50	शम्भू नाथ	गृह (बीजा) अनुभाग-1
51	किशोरी लाल जैसवार	गृह (बीजा) अनुभाग-2
52	भोला नाथ धुसिया	राष्ट्रीयकरण एकीकरण अनुभाग–1
53	सुखदेव प्रसाद	वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-3
54	क्षत्रपाल	गृह (सामान्य) अनुभाग–4
55	दया राम	गृह (कन्ट्रोल) पोस्ट
56	गेन्दन राम	शिक्षा अनुभाग 15
57	राजेन्द्र प्रसाद	सिंचाई अनुभाग-8
58	शम्भू नाथ	शिक्षा अनुभाग–4
59	राम निरंजन	ऊर्जा अनुभाग–3
60	धनीराम सोनकर	वित्त (बीमा) अनुभाग

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर का संलग्नक

जुलाई, 1983 से मार्च 1986 तक जनपद नैनीताल थाना तल्लीताल के अन्तर्गत पटुवाडांगर स्थित वैक्सीन डिपो के इंजीनियरिंग यूनिट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच या उनके विरुद्ध पुलिस के माध्यम से दायर फौजदारी मुकदमों का विवरण :–

क्र०सं०	वाद संख्या	धारायें	मुकदमा चलने की अवधि	पक्षकारों का नाम व पते
1	253/84	107/116	24-9-84 से 31-5-85	सरकार बनाम जगदीश चन्द्र भट्ट, जूनियर इंजी०, एस० वी० आई०, पटुवाडांगर, नैनीताल ।
2	254/84	107/116	24-9-84 से 31-5-85	सरकार बनाम एम० जी० सिंघल, सहायक अभियन्ता, एस० वी० आई०, पटुवाडांगर, नैनीताल ।
3	256/85	107/16	24-8-85 से 22-9-85	सरकार बनाम (1) चन्दन सिंह बोरा पुत्र श्री टीका सिंह, एस० वी० आई०, पटुवाडांगर, नैनीताल । (2) श्री एम० जी० सिंघल, सहा० अभियन्ता, एस० वी० आई०, पटुवाडांगर, नैनीताल ।
4	257/85	107/116	24-8-85 से 22-9-85	सरकार बनाम जगदीश चन्द्र भट्ट, जूनियर इजी०, एस० वी० आई०, पटुवाडांगर, नैनीताल ।

सत्ती 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 65 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49-50 पर)

जगदम्बा इण्डिया लिमिटेड, जौनपुर इकाई, जौनपुर अनुलग्नक "क"

वर्ष 1989-90 की माहवार उत्पादन तालिका

माह	कुल उत्पादन (संख्या)
मई, 1989	2671
जून, 1989	2978
जुलाई, 1989	3059
अगस्त, 1989	3300
सितम्बर, 1989	3188
अक्टूबर, 1989	3017
नवम्बर, 1989	4171
दिसम्बर, 1989	3900
जनवरी, 1990	4909
फरवरी, 1990	6806
मार्च, 1990	12571
योग ..	50570

वर्ष 1990-91 की माहवार उत्पादन तालिका

माह	कुल उत्पादन (संख्या)
अप्रैल, 1990	2407
मई, 1990	4205
जून, 1990	3395
जुलाई, 1990	3167
अगस्त, 1990	3052
सितम्बर, 1990	2041
अक्टूबर, 1990	2400
नवम्बर, 1990	2183
दिसम्बर, 1990	3630

माह	कुल उत्पादन (संख्या)
जनवरी, 1991	3426
फरवरी, 1991	3669
मार्च, 1991	4863
योग ..	38438

वर्ष 1991-92 की माहवार उत्पादन तालिका

माह	कुल उत्पादन (संख्या)
अप्रैल, 1991	1085
मई, 1991	1025
जून, 1991	1842
योग ..	3952

अनुलग्नक "ख"

अपट्रान इण्डिया लिमिटेड जौनपुर इकाई, जौनपुर

जून, 1991 से मार्च, 1992 तक की माहवार उत्पादन तालिका

माह	कुल उत्पादन (संख्या)
जून, 1991	1842
जुलाई, 1991	2516
अगस्त, 1991	2026
सितम्बर, 1991	2039
अक्टूबर, 1991	2400
नवम्बर, 1991	2100
दिसम्बर, 1991	2991
जनवरी, 1992	2216
फरवरी, 1992	3507
मार्च, 1992	3548
योग ..	25185

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

प्रदेश के जनपदों में नियुक्ति अनुसूचित जाति/जन जाति के सरकारी वकील एवं सहायक अभियोजन अधिकारियों की सूची

क्र०सं०	जनपद का नाम	सरकारी वकीलों की संख्या	सहायक अभियोजन अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4
1	मिर्जापुर	1	4
2	आगरा	2	5
3	अलीगढ़	2	4
4	पीलीभीत	1	4
5	बरेली	–	4
6	मुरादाबाद	2	4
7	एटा	–	5
8	मेरठ	2	6
9	जौनपुर	–	3
10	सहारनपुर	1	3
11	देवरिया	–	2
12	गोण्डा	1	3
13	बदायूं	–	4
14	इटावा	2	3
15	बांदा	–	1
16	शाहजहांपुर	–	7
17	फिरोजाबाद	–	2
18	बुलन्दशहर	3	5
19	झांसी	–	1
20	गाजीपुर	–	4
21	मथुरा	2	5
22	मैनपुरी	1	3

1	2	3	4
23	बहराइच	_	1
24	टिहरी	_	2
25	पिथौरागढ़	_	1
26	नैनीताल	_	1
27	कानपुर नगर	_	2
28	सुल्तानपुर	1	2
29	प्रतापगढ़	_	1
30	उन्नाव	1	2
31	गाजियाबाद	_	2
32	बस्ती	1	1
33	हमीरपुर	1	4
34	बलिया	_	1
35	लखनऊ	2	1
36	गोरखपुर	_	1
37	फर्रुखाबाद	1	2
38	हरदोई	_	2
39	खीरी	1	2
40	मुजफ्फरनगर	_	1
41	इलाहाबाद	1	2
42	देहरादून	_	2
43	वाराणसी	1	1
44	रायबरेली	1	2
45	फैजाबाद	1	1
46	बाराबंकी	_	1
47	सिद्धार्थनगर	_	1
48	कानपुर देहात	2	1
49	सोनभद्र	1	1
50	सीतापुर	3	1

1	2	3	4
51	अल्मोड़ा	1	1
52	हरिद्धार	1	–
53	रामपुर	–	–
54	पौड़ी गढ़वाल	1	–
55	ललितपुर	–	–
56	जालौन	1	–
57	महराजगंज	–	–
58	बिजनौर	–	–
59	चमोली	1	–
60	आजमगढ़	–	–
61	उत्तरकाशी	–	–
62	मऊ	1	–
63	फतेहपुर	1	–
64	जी० आर० पी०	–	2
	योग ..	45	127

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 85 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58-59 पर)

संलग्नक

समाचार पत्र शासन तथा जनता के मध्य एक आवश्यक कड़ी है । पत्रकारों का यह दायित्व जोखिम युक्त है । पत्रकार अपने दायित्व का निर्वहन स्वच्छन्दतापूर्वक कर सके, अतः जोखिम की प्रतिपूर्ति हेतु पूर्व से विचारित पत्रकार पेंशन योजना, भारतीय जीवन बीमा निगम के परामर्श से, कार्यान्वित की गयी है ।

इस योजना में पत्रकारों का अपेक्षाकृत कम उत्साह होने के फलस्वरूप भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ पुनः विचार कर "जीवन धारा" तथा सामूहिक बीमा योजना का रूप दिया गया । इस योजना को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिये "दि यू० पी० वर्किंग जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी" का पंजीकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन किया गया । सोसाइटी सूचना सचिव की अध्यक्षता में गठित है, जिसमें वित्त, नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ पत्रकार एसोसियेशन के भी प्रतिनिधि सदस्य हैं ।

सोसाइटी की आयः—

1—शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान,

2—25000 से अधिक प्रसार संख्या के समाचार पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाशित विभागीय विज्ञापनों से 5 प्रतिशत की कटौती की धनराशि,

3—उक्त राशियों को फिक्स डिपाजिट में जमाराशि से प्राप्त ब्याज की धनराशि, तथा

4—इच्छुक पात्र पत्रकारों से उनके अभिदान की धनराशि ।

योजना की रूपरेखा

(1) यह योजना पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकार सामूहिक बीमा योजना है इसमें व्यक्तिगत पालिसी जारी की जाती है । पालिसी 60 वर्ष की उम्र पर परिपक्व होती है तथा 61वें वर्ष से रु० 1000-00 प्रतिमाह जीवनपर्यन्त पेंशन देय होती है ।

(2) योजना पूर्णतया स्वैच्छिक है ।

(3) इस योजना को स्वीकार करने वाले पात्र पत्रकारों को भारतीय बीमा निगम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उसकी आयु के आधार पर प्रीमियम की राशि का 50 प्रतिशत प्रथमतः सोसाइटी को देय होती है एवं सोसाइटी द्वारा अपनी 50 प्रतिशत की राशि जोड़कर भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किया जाता है ।

(4) इस योजना के अर्न्तगत प्रीमियम भुगतान की अवधि वार्षिक है ।

(5) योजना के अन्तर्गत आय कर पर छूट समय-समय पर प्रचलित नियमों के अन्तर्गत देय होगी ।

(6) यदि कोई बीमाकर्ता योजना के बीच में उसे छोड़ देता है तो निम्न प्रकार लाभ अनुमन्य होंगे :–

(क) तीन वर्ष से कम अवधि तक ही योजना में रहने पर प्रीमियम की कोई धनराशि नहीं लौटाई जायेगी ।

(ख) तीन वर्ष से अधिक अवधि तक योजना में रहने के उपरान्त यदि योजना छोड़ दी जाती है तो परिपक्वता (मेच्युरिटी) पर पत्रकार को अनुमानित पेंशन देय होगी अथवा जमा धनराशि का 90 प्रतिशत सरेन्डर वेल्यू के रूप में वापस कर दिया जायेगा । प्रत्येक दशा में वापस किये जाने वाली धनराशि का आधा भाग, जो सोसाइटी द्वारा भुगताया गया है, सोसाइटी को वापस होगा । यदि कोई पत्रकार योजना में कुछ समय तक शामिल होने के पश्चात् किसी कारण से योजना को त्याग देता है और कालान्तर में पुनः योजना में वापस लौटना चाहता है तो उसे सभी किस्तों का भुगतान ब्याज सहित करने पर योजना में पुनः शामिल किया जायेगा । ब्याज की समस्त धनराशि बीमाकर्ता द्वारा वहन की जायेगी ।

पेंशन संबंधी सभी दावों आदि का निस्तारण जीवन बीमा निगम द्वारा किया जायेगा ।

योजना से बीमाकर्ता पत्रकार के परिवार को लाभ

(1) यदि बीमाकर्ता की मृत्यु पेंशन परिपक्व होने से पूर्व हो जाती है और पालिसी चालू स्थिति में है, तो पालिसी की रकम निम्न प्रकार से वापस की जायेगी:–

(क) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अवधि में बिना ब्याज के प्रीमियम वापस होगा ।

(ख) चतुर्थ, पांचवें एवं छठे वर्ष की अवधि में 6.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित प्रीमियम वापस होगा ।

(ग) सातवें वर्ष से प्रीमियम की राशि 8 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहित वापस होगी । प्रत्येक दशा में वापस किये जाने वाली धनराशि में से सोसाइटी का आधा भाग सोसाइटी को वापस होगा ।

(घ) यदि बीमाकर्ता की मृत्यु पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि के बाद होती है तो बीमाकर्ता के परिवार को कोई पेंशन देय नहीं होगी किन्तु इसके (बीमाकर्ता के) जीवन काल में प्राप्त मासिक पेंशन का 120 गुना धनराशि एक मुश्त उसके उत्तराधिकारी को देय होगी । एक मुश्त धनराशि आंकलित करने में किसी बीमाकर्ता ने चाहे कितने ही वर्ष तक पेंशन प्राप्त कर ली हो उसे विचार में नहीं लिया जायेगा ।

इस धनराशि में बोनस के अतिरिक्त जो धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमों के अन्तर्गत देय होगी सम्मिलित नहीं है ।

पेंशन के साथ पत्रकारों का जीवन-बीमा

जीवन धारा पेंशन योजना के साथ-साथ जोखिम को आच्छादित करने के लिये प्रत्येक पत्रकार, जो इस योजना में शामिल होंगे, को अनिवार्य रूप से जीवन-बीमा भी करना होगा । इस निमित्त जीवन-धारा पेंशन योजना के प्रीमियम, जो पत्रकार की आयु के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, सोसाइटी के माध्यम से जीवन बीमा निगम को देय होगी । इसमें भी 50 प्रतिशत धनराशि सोसाइटी द्वारा वहन की जाती है ।

इस प्रकार असामयिक मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति को रु० 50,000.00 की धनराशि मिल सकेगी । जोखिम केवल 60 वर्ष की आयु तक ही आच्छादित रहेगी । इन योजनाओं में शामिल होने के लिये पत्रकार को संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना होगा ।

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 109 का उत्तर पीछे पृष्ठ ..... पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1992 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित श्री विजेन्द्र कुमार द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं०–109 के उत्तर का संलग्नक

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालय/इकाई	
(1) राजकीय संग्रहालय	सभी वर्गों के कर्मचारियों के सेवा नियमावली के आलेख्य तैयार कर लिये गये हैं । कार्मिक नियमावली सेल से इनका विधीक्षण कराया जा रहा है ।
(2) भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ, अल्मोड़ा तथा देहरादून ।	सभी वर्गों के शिक्षकों की दो सेवा नियमावलियों के आलेख्य तैयार कर कार्मिक नियमावली से विधीक्षित करा लिये गये हैं । इनको प्रख्यापित करने की कार्यवाही की जा रही है ।
(3) राजकीय अभिलेखागार	सभी वर्गों के कर्मचारियों हेतु सेवा-नियमावलियों का आलेख्य तैयार कर लिया गया हैं । इसका विधीक्षण कार्मिक नियमावली सेल से कराया जा रहा है ।
(4) राज्य पुरातत्व संगठन	(क) वर्ग "ग" तथा "घ" के कर्मचारियों के लिये उत्तर प्रदेश पुरातत्व संगठन अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1992 दिनांक 28-9-92 को प्रख्यापित की जा चुकी है ।
	(ख) वर्ग "क" तथा "ख" के कर्मचारियों हेतु उ० प्र० राज्य पुरातत्व संगठन सेवा नियमावली के आलेख्य को कार्मिक नियमावली सेल से विधीक्षित करा कर उसे लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद को सहमति हेतु माह मई, 1992 में भेजा गया है । आयोग की सहमति प्राप्त होने के बाद उसे प्रख्यापित किया जायेगा ।
(5) (क) सांस्कृतिक कार्य निदेशालय	निदेशक, सांस्कृतिक कार्य से सेवा नियमावली का आलेख्य प्राप्त हो गया है, किन्तु यह ठीक न होने के कारण इसे पुनः तैयार कराया जा रहा है ।

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालय/इकाई	सेवा नियमावली के प्रख्यापन की स्थिति
(ख) सांस्कृतिक कार्य विभाग के लिपिक वर्गीय (लेखा एवं लेखा सम्परीक्षक) सेवा नियमावली	निदेशक, सांस्कृतिक कार्य से इस नियमावली का आलेख्य प्राप्त हुआ जिसमें कमियां होने के कारण निदेशक, सांस्कृतिक कार्य को पुनः आलेख्य तैयार करने का निर्देश दिया गया है ।
(ग) सांस्कृतिक कार्य विभाग के लिपिक वर्गीय (अधिष्ठान संवर्ग) सेवा नियमावली	इस नियमावली का आलेख्य निदेशक, सांस्कृतिक कार्य से प्राप्त हुआ था उसमें कमियां होने के कारण निदेशक, सांस्कृतिक कार्य को पुनः आलेख्य तैयार करने का निर्देश दिया गया है ।
(घ) आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली	इस नियमावली का आलेख्य निदेशक, सांस्कृतिक कार्य से प्राप्त हुआ है । इसको पुनः तैयार करया जा रहा है ।

परिशिष्ट 'छ'

(देखिये अता० प्र० सं० 151 का उत्तर पीछे पृष्ठ 85 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1992 के 1ले मंगल के लिये निर्धारित श्री स्वामी नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–151 का संलग्नक

क्र०सं०	नाम थाना	निरीक्षक/थानाध्यक्ष का नाम	नियुक्ति की अवधि कब से	कब तक	निवास का जनपद
1	2	3	4	5	6
1	कोतवाली	श्री अवधेश बहादुर सिंह	27-6-89	4-9-91	जौनपुर
		श्री शम्भूनाथ खरे	9-9-81	8-2-92	बुलन्दशहर
		श्री पवन कुमार सिंह	8-2-92	8-3-92	सुल्तानपुर
		श्री नरेन्द्र कुमार यादव	22-3-92	अब तक	हरदोई
2	रामपुर	श्री अम्बिका प्रसाद यादव	28-1-91	10-8-91	प्रतापगढ़
	कारखाना	श्री सीताराम	30-8-91	26-10-91	गाजीपुर
		श्री राकेश कुमार मिश्र	27-10-91	अब तक	मिर्जापुर
3	तरकुलवा	श्री लोकनाथ यादव	19-1-91	10-8-91	गाजीपुर
		श्री प्रेम चन्द्र पाण्डेय	1-9-91	3-11-91	इलाहाबाद
		श्री विजय शंकर राय	4-11-91	3-3-92	गाजीपुर
		श्री सूर्यनाथ यादव	4-3-92	अब तक	गाजीपुर
4	कसया	श्री सीताराम	5-6-90	12-4-91	गाजीपुर
		श्री रमेश प्रताप	14-4-91	10-8-91	गाजीपुर
		श्री तुलसी सिंह	1-9-91	4-11-91	जौनपुर
		श्री राजदेव उपाध्याय	4-11-91	8-7-92	फैजाबाद
5	पटहेरवा	श्री गोपाल सिंह	2-2-91	4-11-91	गाजीपुर
		श्री चक्रपाणि दत्त मिश्र	4-11-91	9-8-92	वाराणसी
6	तुर्कपट्टी	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	11-3-91	22-9-91	गाजीपुर
		श्री दयाशंकर सिंह	23-9-91	8-7-92	मिर्जापुर
7	सेवरही	श्री विश्वम्भर नाथ तिवारी	11-12-90	10-8-91	वाराणसी
		श्री रामचन्द्र राय	18-8-91	9-8-92	गाजीपुर

1	2	3	4	5	6
8	बघौचघाट	श्री नजरुल हसन	16-12-90	4-7-91	गाजीपुर
		श्री भैयालाल सिंह	5-7-91	30-10-91	जौनपुर
		श्री जगतराम तिवारी	3-11-91	9-8-92	बहराइच
9	तरयासुजान	श्री रंगीला सिंह यादव	16-1-91	2-7-91	गाजीपुर
		श्री चन्द्र मोहन श्रीवास्तव	2-7-91	3-9-91	गोण्डा
		श्री विजय कुमार मिश्र	12-9-91	10-8-92	वाराणसी
10	विशुनपुरा	श्री काशीनाथ सिंह	8-2-90	10-8-91	गाजीपुर
		श्री अभिमन्यु दुबे	1-9-91	4-2-92	जौनपुर
		श्री शिवसरण सिंह	5-2-92	अब तक	इलाहाबाद
11	खड्डा	श्री राम अशीष यादव	18-6-90	10-8-91	फैजाबाद
		श्री वेद प्रकाश सिंह	1-9-91	11-9-91	जौनपुर
		श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	11-9-91	28-2-92	वाराणसी
		श्री ओम प्रकाश पाण्डेय	28-2-92	अब तक	वाराणसी
12	कुबेरस्थान	श्री राज बहादुर द्विवेदी	16-1-91	1-9-91	सुल्तानपुर
		श्री शंकर प्रसाद सिंह	1-9-91	अब तक	जौनपुर
13	नेबुआ	श्री इन्द्रदेव यादव	26-12-90	10-8-91	गाजीपुर
	नौरंगिया	श्री शशिकान्त मिश्र	17-8-91	4-11-91	गाजीपुर
		श्री अनिल कुमार पाण्डेय	4-11-91	अब तक	कानपुर
14	पड़रौना	श्री मारकण्डेय सिंह	5-2-90	—	गाजीपुर
		श्री चौथीराम	31-8-91	21-9-91	गाजीपुर
		श्री राजाराम सिंह	21-9-91	14-2-92	सुल्तानपुर
		श्री अनिरुद्ध कुमार मिश्र	14-2-92	13-10-92	इलाहाबाद
15	कप्तानगंज	श्री श्रीकृष्ण सिंह	19-1-91	18-9-91	वाराणसी
		श्री राम दरस यादव	11-9-91	2-2-92	बलिया
		श्री जगन्नाथ मिश्र	2-2-92	9-8-92	बाराबंकी
16	रामकोला	श्री राजदेव उपाध्याय	7-6-90	4-11-91	फैजाबाद
		श्री राजवीर शर्मा	4-11-91	5-4-92	शाहाबाद (बिहार)
		श्री श्रीकृष्ण सिंह	6-4-92	27-5-92	भोजपुर (बिहार)

2	3	4	5	6
अहिरौली	श्री राम आसरे सिंह	6-6-90	10-8-91	वाराणसी
	श्री विजय बहादुर सिंह	23-9-91	अब तक	जौनपुर
हाटा	श्री कन्हैया लाल सिंह	4-2-90	3-9-91	गाजीपुर
	श्री पवन कुमार सिंह	21-10-91	8-2-92	सुल्तानपुर
	श्री आर० पी० श्रीवास्तव	11-6-92	अब तक	छपरा (बिहार)
रुद्रपुर	श्री रामरती यादव	9-9-90	31-7-91	वाराणसी
	श्री अनिरुद्ध कुमार मिश्र	11-9-91	14-2-92	इलाहाबाद
	श्री राजाराम सिंह	14-2-92	10-7-92	सुल्तानपुर
गौरीबाजार	श्री प्रेम सिंह विष्ट	2-2-91	30-8-91	फैजाबाद
	श्री विवेकानन्द तिवारी	31-8-91	4-11-91	वाराणसी
	श्री शशिकान्त मिश्र	4-11-91	29-2-92	गाजीपुर
मदनपुर	श्री कविलास राय	21-12-90	10-8-91	भोजपुर (बिहार)
	श्री राम जी सिंह	1-9-91	13-4-92	गाजीपुर
	श्री गुलाम अब्बास	13-4-92	अब तक	गोण्डा
एकौना	श्री विषाधर तिवारी	16-7-90	10-8-91	गाजीपुर
	श्री राम जीत यादव	17-8-91	4-11-91	फैजाबाद
	श्री वसीम अहमद खां	4-11-91	9-8-92	वाराणसी
सलेमपुर	श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह	9-9-90	23-3-91	सुल्तानपुर
	श्री देवनाथ पाण्डेय	5-9-91	अब तक	इलाहाबाद
लार	श्री रामनगीना राय	1-2-91	10-8-91	गाजीपुर
	श्री बालमुनि राम	1-9-91	24-7-92	गाजीपुर
भाटपाररानी	श्री चन्द्रिका प्रसाद	24-12-90	10-8-91	गाजीपुर
	श्री राजबहादुर द्विवेदी	1-9-91	20-12-91	सुल्तानपुर
	श्री ओम प्रकाश पाण्डेय	21-12-91	28-2-92	वाराणसी
	श्री मेवा राम भारती	28-2-92	अब तक	वाराणसी

1	2	3	4	5	6
26	खामपार	श्री रामेश्वर प्रसाद मौर्य	17-3-91	10-8-91	जौनप
		श्री लल्लू प्रसाद	1-9-91	25-12-91	मिर्ज
		श्री इन्द्र नारायण पाण्डेय	30-12-91	—	बह
27	बनकटा	श्री वेद प्रकाश सिंह	10-6-90	4-7-91	जौन
		श्री नजरुल हसन	4-7-91	10-8-91	गार्ज
		श्री शिवशरण सिंह	1-9-91	5-2-92	इलाह
		श्री अवध नारायण सिंह	5-2-92	अब तक	जौन
28	खुखुन्दू	श्री राम प्यारे राही	6-6-90	24-7-91	मिज
		श्री दीनानाथ मिश्र	25-7-91	11-9-91	फैज
		श्री मु० सिद्दीक	11-9-91	9-8-92	प्रत
29	बरहज	श्री शिवदास यादव	11-12-90	10-8-91	गाज
		श्री श्रीकृष्ण सिंह	11-9-91	6-4-92	भोज (बिह
		श्री रामदरस यादव	6-4-92	–	बलि
30	भटनी	श्री राम निवास पाण्डेय	16-8-90	10-8-91	गाजी
		श्री शारदा प्रसाद त्रिपाठी	1-9-91	4-11-91	फैजा
		श्री गोपाल सिंह	4-11-91	21-12-91	गाजी
		श्री अजय कुमार सिंह	21-12-91	27-4-92	बहराइ
		श्री शिव बचन सिंह	27-4-92	8-7-92	गाजीपु
31	भलुअनी	श्री चन्द्रमोहन श्रीवास्तव	11-3-91	2-7-91	गोण्डा
		श्री चक्रपाणि दत्त मिश्र	5-7-91	4-11-91	वाराण
		श्री प्रेम चन्द्र पाण्डेय	4-11-91	6-4-92	इलाहा
		श्री राजवीर शर्मा	6-4-92	26-5-92	शाहाब (बिह
32	मईल	श्री विजय शंकर राय	16-3-91	17-8-91	गाजी
		श्री विजय बहादुर सिंह	17-8-91	24-9-91	जौनपु
		श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	24-9-91	9-8-92	गाजीपु